Page No.1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ७] तृतीय विधान सभा के सप्तम् सत्र, १९६५ का ३७वां दिवस [संख्या २८

गुरुवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६५

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.०८ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सामान्य प्रशासन, स्वायत्त शासन, सिचाई, कोलोनाइजेशन, खनिज, खाद्य, अकाल सहायता, गृह एवं स्वास्थ्य-विभाग]

श्री अध्यक्ष : कुमारी उमा माथुर।

भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का अलॉटमेन्ट तथा उसके कब्जे

६९५. कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रुंध निठारी, जिला अलवर में करीब ढाई साल पहले भूतपूर्व सैनिकों को कुछ भूमि अलॉटमेंट कमेटी द्वारा अलॉट की गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि बार बार आवेदनपत्र देने पर भी आज तक कुछ लोगों को अलॉटमेन्ट की गई भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया है और जिन लोगों को कब्जा दिया गया है उन्हें भी अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा निर्धारित भूमि से कम भूमि दी गई है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इस भूमि पर अधिकारीगण हर साल फसल के समय नाजायज कब्जा करा देते हैं और अलॉटी लोगों को वहीं कहते हैं कि भूमि खाली नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां।

Page No.2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(२) रूंध निठारी में २७ व्यक्तियों को : भू० पू० सनिकों को भूमि अलाॅट की गई थी और उनमें से २४ व्यक्तियों को कब्जा दिला दिया गया। ३ व्यक्तियों को अलाॅटमेन्ट होने पर भी कब्जा इस कारण नहीं दिलाया जा सका कि १७ व्यक्तियों ने अलाॅटशुदा भूमि से अधिक भूमि पर लिया, ये तीन व्यक्ति निम्नांकित हैं :

१. श्री कल्याणसिंह
२. श्री रामसहाय
३. श्री हीरालाल

उपरोक्त तीन व्यक्तियों के अलावा निम्नांकित ७ व्यक्ति ऐसे है जिन्हें अलाॅट शुदा रकबे से कम भूमि पर कब्जा दिलाया गया है :—

१. श्री प्रेमराम
२. श्री हरदयाल
३. श्री भम्बूलाल
४. श्री भोरेलाल
५. श्री कैलाशसिंह
६. श्री भवरसिंह
७. श्री दौलतराम

जिन १७ व्यक्तियों ने अलाॅटशुदा भूमि से अधिक भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। वे राजी-खुशी उसे छोड़ने को तैयार न होने के कारण उनके विरुद्ध राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, १९५६ की धारा ९१ के तहत कार्यवाही की जा रही है। इस कार्यवाही के बाद उनके कब्जे से अधिक भूमि निकल आने पर उपरोक्त लोगों को जिन्हें भूमि नहीं मिली है या कम मिली है उनकी पूर्ति कर दी जावेगी। अभी यह पूर्ति किया जाना इस कारण सम्भव नहीं है कि रूंध निठारी में अलाॅटमेन्ट के लिये और रकबा उपलब्ध नहीं है।

(३) जी नहीं। आगे कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कुमारी उमा माथुर : यह इनके खिलाफ कार्यवाही कब शुरु की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : काफी समय से है और हम प्रयत्न कर रहे हैं कि जल्दी ही यह समाप्त हो और जमीन उनसे लेकर जिनको नहीं मिली है या कम मिली है उनको दी जाये।

कुमारी उमा माथुर : जिन १७ व्यक्तियों ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई और यह कब शुरु हुई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दफा ९१ का नोटिस दिया गया, जवाब दिया गया और अब उसमें छानबीन करके निर्णय किया जायेगा।

कुमारी उमा माथुर : किस तारीख को नोटिस दिया गया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तारीख का, समय का ज्ञान नहीं है।

कुमारी उमा माथुर : मन्त्री महोदय को मालूम होगा कि शायद यह नोटिस प्रश्न पूछने के बाद दिया गया, नहीं तो

Page No.3

(कुमारी उमा माथुर)

दो–ढाई साल से कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह आपके प्रश्न का एचीवमेंट ही समझिये ।

कुमारी उमा माथुर : ये जो १७ व्यक्ति है इनको अलॉटमेंट कमेटी ने एलॉटमेंट नहीं किया है, क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ये अलग से प्रश्न है । इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इनको जितना एलॉटमेंट हुआ उसके साथ साथ रकबा ज्यादा है । चूंकि संख्या १७ आदमियों की है इसलिए वह एक साथ मिल कर कुछ आदमी कवर अप हो जाय, इतना एरिया बन जाता है ।

कुमारी उमा माथुर : जिस समय यह भूमि बाकी के लोगों को अलॉट की गई थी उस समय वह रकबा खाली था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खाली था तभी तो अलॉटमेंट किया गया था ।

कुमारी उमा माथर : १७ आदमियों का आप कहते हैं कि ज्यादा कर लिया है तो उन्हें कई साल पहले अलॉटमेंट हुआ था इसलिए ज्यादा कब्जा करने का प्रश्न नही उठता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किस तारीख को अलॉट की गई यह जानकारी इस समय नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया है सेक्शन ९१ के तहत जल्दी ही कार्यवाही करके नाजायज़ कब्जे को बेदखल कर जिसकी पूर्ति करना है उसकी पूर्ति कर दी जायगी ।

कुमारी उमा माथुर : अलॉटमेंट कमेटी को इन्फर्मेशन नहीं दी गई है कि उनको जितनी भूमि निर्धारित की गई है उससे कम भूमि पर कब्जा दिलाया जा रहा है, तो उसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेंट कमेटी को इतिला देने का प्रश्न नहीं है । सेक्शन ९१ के तहत तहसीलदार कार्यवाही करता है ।

कुमारी उमा माथुर : अलॉटमेंट कमेटी ने अलॉट किया और बार बार कब्जे का प्रश्न उठाया तो तहसीलदार और अधिकारियों ने अलॉटमेंट कमेटी को क्यों नहीं सूचना दी कि जो अलॉटमेंट किया है उतना कब्जा नहीं है और इतना कम दिलाया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पूछने का प्रश्न नही है । अलॉटमेंट जितना किया है उसका रेकार्ड उनके पास है । शिकायत होने पर जांच की गई तो पाया गया कि अधिक पर कब्जा है । उसके लिए सेक्शन ९१ के तहत कार्यवाही की गई है । अलॉटमेंट कमेटी को सूचना देने की आवश्यकता तभी हो सकती है जब कि नाजायज कब्जे को बेदखल कर दें और उनको जितनी कमी है उनकी पूर्ति कर दें ।

कुमारी उमा माथुर : क्या तहसीलदार को यह अधिकार हैं कि अलॉटमेंट कमेटी

Page No.4

(कुमारी उमा माथुर)

जो निर्णय ले उसके बारे में जिस तरह से चाहे परिवर्तन कर दे और जिस तरह से चाहे वैसा कार्य करे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक अलॉटमेंट का सवाल है वहां आम तौर पर एडवाइज़री कमेटी की राय मानी जाती है। तहसीलदार स्वयं चेयरमैन होता है और स्वयं चेयरमैन होते हुए भी दूसरे सदस्यों की सलाह के मुताबिक कार्यवाही की जाती है। इसलिए अलॉटमेंट कमेटी के निर्णय को परिवर्तित कर दिया ऐसी सूचना न तो मेरे पास है और न उसने किया है।

कुमारी उमा माथुर : इसमें प्रश्न सूचना का नहीं है, मंत्री महोदय; प्रश्न यह है कि अलॉटमेंट कमेटी ने जितनी भूमि प्रत्येक व्यक्ति को दी उससे कम पर उनको कब्जा दिलाया गया और यह निर्णय तहसीलदार ने लिया है और उसकी सूचना एडवाइज़री कमेटी को नहीं दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम पर कब्जा दिलाने का प्रश्न नहीं है। जो भूमि उनको अलॉट की गई है कब्जा पूरे पर उसका इसलिए नहीं हो सका कि थोड़ा थोड़ा कुछ अंश दूसरों के कब्जों में था नाजायज रूप से और उस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कुमारी उमा माथुर : मेरा तो प्रश्न ही दूसरा है। जो एडवाइज़री कमेटी है उसने जो निर्णय लिया उसके खिलाफ चाहे वह भूमि खाली थी या नहीं थी, जो कुछ तहसीलदार ने एक्शन लिया तो एडवाइज़री कमेटी को वापिस सूचना नहीं देनी चाहिए थी क्या ? लेकिन बार बार कहने के बाद भी क्या यह अधिकार एडवाइज़री कमेटी को नहीं है कि उसके निर्णय के खिलाफ कार्यवाही हो उसकी सूचना वापिस दे और जिस प्रकार चाहे तहसीलदार अलॉटमेंट के रकबे को बदल दे और उसको बदल कर जिस तरह चाहे उस तरह से करे। क्या ऐसा प्रावधान है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने बहुत ही स्पष्ट निवेदन कर दिया है कि अलॉटमेंट कमेटी के निर्णय को तहसीलदार ने नहीं बदला है।

कुमारी उमा माथुर : फैक्ट सामने हैं, मंत्री महोदय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेकिन जो जमीन उनके कब्जे में है वह जितनी जमीन उनको अलॉट हुई है उससे कम है और उसका कारण यह है कि दूसरे अलॉटीज़ ने जितनी उनको अलॉट हुई है उनसे ज्यादा पर कब्जा कर लिया है। इस कब्जा कर लेने की वजह से जो ओरीजिनल अलॉटीज थे वे काबिज तभी हो सकते हैं जब कि वह नाजायज कब्जा हटाया जाय।

कुमारी उमा माथुर : जब अलॉटमेंट कमेटी ने कुछ भूतपूर्व सैनिकों को १० या ११ बीघा भूमि अलॉट की और जब उनको कब्जा दिलाने के लिए पहुंचे तो यह स्थिति सामने आई कि इतनी भूमि वहां नहीं है, तो क्या तहसीलदार का कन्सर्न नहीं था कि अलॉटमेंट कमेटी को वापिस सूचना दे ?

(कुमारी उमा माथुर)

इससे और भी कठिनाई उत्पन्न हो गई कि जब अलॉटमेंट कमेटी के सामने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद भूमि अलॉट की जाय तो उसकी सूचना उस समय आ जानी चाहिए कि यह पहले अलॉट कर दी है। इस प्रकार से यह नई परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या अलॉटमेंट कमेटी का यह अधिकार नहीं है कि उसके निर्णय को बदला जाय तो कम से कम उनको सूचना दी जाय या उनसे पूछा जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेंट कमेटी के निर्णय उसने बदले ही नहीं तो बदलने की सूचना देने का प्रश्न ही नहीं है।

कुमारी उमा माथुर : परिस्थितिवश यह बदल गया है कि पूरी भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया और अपनी मर्जी से ८ के बजाय ६ बीघा कर दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा प्रावधान रूल्स के अन्दर नहीं है कि उसको सूचना देना आवश्यक हो।

कुमारी उमा माथुर : अलॉटमेंट कमेटी ने उनको ८-८ बीघा अलॉट किया और तहसीलदार ने ६-६ बीघा पर कब्जा दिलाया ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कब्जा दिलाने का सवाल नहीं है। मैं तो स्वयं कह रहा हूं कि जितनी जमीन पर कब्जा है वह अलॉट की हुई जमीन से कम है और कम होने के कारण अलॉटीज़ को जमीन दूसरों के कब्जों से जो कि नाजायज़ किया हुआ है दिलाने के बारे में कार्यवाही हो रही है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): नाजायज़ जमीन कब से कब्जे में थी पहले से थी या बाद में थी ?

कुमारी उमा माथुर : उनको जो कब्जा दिलाया गया वह आपने बताया कि उनमें ६ आदमियों को भूमि दी गई, ६-६ बीघा भूमि पर ही कब्जा दिलाया जब कि ८-८ बीघा अलॉट हुई थी तो आखिर कम भूमि थी, इसलिए कम करके दिलाया। अगर भूमि ज्यादा होती तो पूरा दिला सकते थे। उसकी सूचना दी जाती तो वापिस अलॉट हो सकती थी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तहसीलदार ने ऑर्डर के खिलाफ दिलवाई होती तो उनके खिलाफ प्रोसीडिंग लेने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कुमारी उमा माथुर : फैक्ट आपके सामने है कि ६ बीघा भूमि ही दी गई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम है, इसलिए कि जमीन नहीं थी। कहां से लाते ? जमीन पैदा नहीं की जा सकती है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : क्या यह उचित नहीं है कि अलॉटमेंट कमेटी जब यह फैसला ले ले कि फलां फलां जमीन फलां फलां किसान के कब्जे में दिलाई जाय, लेकिन जमीन एवेलेबल नहीं हो उस स्थिति में तहसीलदार व वापिस एलॉटमेंट कमेटी

Page No.6

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

को स्थिति की सूचना देकर मीटिंग कॉल नहीं कर सकता है कि वहां जमीन नहीं है इसलिए दूसरी जमीन के बारे में निर्णय लिया जाय। क्या यह जरूरी नहीं है ?

कुमारी उमा माथुर : कार्यवाही कितने दिन बाद की गई ? कब्जा दिलाने की कार्यवाही कितने दिन बाद की गई ?

प्रश्न संख्या ६६६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पत्तिलाल बोहरा।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : क्या जिस वक्त वह जमीन अलॉट की गई और उन अलॉटीज़ को ८–८ बीघा जमीन दी गई उस वक्त तहसीलदार या रेवेन्यू ऑथोरिटीज को मालूम नहीं था कि उस जमीन पर नाजायज़ कब्जा है ? वैसी हालत में ८–८ बीघा जमीन अलॉट की गई है तो क्या पटवारी और तहसीलदार ने मिल कर नाजायज कब्जा कराया है उसी दरम्यान में जबकि यह ८–८ बीघा जमीन अलॉट की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

२० मिनट लग गये हैं इस प्रश्न में। आखिर कोई सीमा होनी चाहिए।

(विराम)

श्री जुझारसिंह !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : महिलाओं ने पूछा है और...

श्री अध्यक्ष : महिलाओं का ध्यान रख कर ही इतना समय दिया गया है।

श्री जुझारसिंह !

राजस्थान होटल कॉर्पोरेशन

६६७. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या मुख्य मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान होटल कॉरपोरेशन स्थापित करने के क्या कारण हैं और अब तक कॉर्पोरेशन के तहत कौन कौन से होटल कहां कहां पर कॉर्पोरेशन के मेनेजमेंट में लिये गये है ?

(२) होटल कॉर्पोरेशन के मेनेजमेंट में लिये गये स्टेट होटल्स की पिछले ५ सालों में कितनी कितनी आमदनी हुई है व कितना कितना खर्चा हुआ ?

(३) राजस्थान होटल कॉर्पोरेशन के मेनेजमेंट पर अब तक कितना खर्चा मन्जूर किया गया है अलग २ मद पर बतलाने का कष्ट करें ?

(४) क्या यह सही है कि राजस्थान होटल कॉर्पोरेशन कोटा में भी एक सौ कमरे का होटल खोलने का विचार रखता है ? यदि हां, तो इस होटल पर कितना रुपया खर्च किये जाने का अनुमान है और इससे कितनी आमदनी हो जाने की सम्भावना है ?

Page No.7

(श्री जुझारसिंह)

(५) राजस्थान होटल कॉर्पोरेशन द्वारा और कितने स्थानों पर होटल खोले जाने की योजना है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : (१) राजस्थान होटल निगम स्थगित करने के निम्न कारण है:—

(क) राजकीय सर्किट हाउस तथा होटलों को कम्पनी कानून से अन्तर्गत लाभ की दृष्टि से चलाना।

(ख) बढ़ते हुए सैलानियों, विदेशी और भारतीयों की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार राजस्थान में राजकीय होटल-व्यवस्था का विस्तार करना।

चूंकि अभी तक कम्पनी कानून के अन्तर्गत होटल निगम का पंजीकरण नहीं हुआ है अतएव होटलों का निगम की व्यवस्था से लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) अभी निगम का नियमबद्ध पंजीकरण होना है। इस काम के लिए सामान्य प्रशासन विभाग में एक विशेषाधिकारी और एकाउन्ट्स ऑफिसर की नियुक्ति की गई है।

(४) चूंकि निगम नहीं बना है अत: प्रश्न नहीं उठता।

(५) कार्पोरेशन बन जाने पर उसके डाइरेक्टर द्वारा उस पर पूर्ण रूपेण विचार किया जायगा।

श्री जुझारसिंह : कॉर्पोरेशन का कंपनी लॉ की तहत रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसकी वजह से होटल निगम नहीं बन पाया है लेकिन इसकी कोई भूमिका तो आपके सामने होगी, होटल कॉर्पोरेशन बनाना है तो इकोनोमिक आस्पेक्ट से इसकी स्टडी की होगी उसके अनुसार कितनी कोस्ट लगेगी, कौन कौन से होटल्स को इसमें शामिल करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आपने फॉरिन टूरिस्ट और देशी सैलानियों को सहूलियत देने के लिहाज से कॉर्पोरेशन बनाने का इरादा किया है तो इसके प्रोस्पेक्टस स्टडी किये होंगे इसकी रूप-रेखा क्या होगी, यह बताया जाय।

श्री परसराम मदेरणा : शुरुआत में इस होटल कार्पोरेशन के साथ ५ होटल्स देने का विचार है। जयपुर का खासाकोठी, सरकिट हाउस अलवर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : सामान्य प्रशासन विभाग में जिस स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति की गई है वे कौन हैं ?

श्री परसराम मदेरणा: श्री रामजी काक।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या वे होटल चलाने में स्पेशलिस्ट हैं और खास कोर्स करके पधारे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार की ऐसी मान्यता है कि वे होटल चलाने में एक्सपर्ट हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सरकार की मान्यता किस आधार पर है ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन द्वारा ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज़ के सम्बन्ध में सिलेक्शन हुआ था उसमें भी ये सिलेक्ट हुए थे. .

श्री फूलचन्द जैन : यह होटल का मामला है।

श्री परसराम मदेरणा : होटल एक छोटा सा कन्सर्न है जो इन्डस्ट्रियल कन्सर्न चलाने के मामले में सिलेक्ट होता है और उन्होने यह सर्विस जाइन नहीं की थी वे योग्य व काबिल व्यक्ति हैं उनकी सर्विसेज़ होटल कॉर्पोरेशन चलाने के काम में लाना उचित समझा गया।

श्री फूलचन्द जैन : क्या यह सही है कि होटल और इन्डस्ट्री चलाना अलग अलग बातें हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : होटलों को इन्डस्ट्री की डेफिनिशन में इन्क्लूड कर लिया है, होटल इज़ एन इन्डस्ट्री।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो अधिकारी सरकार ने नियुक्त किया है वह सब्जियां और पौधे उगाने में एक्सपर्ट है, क्या इस कारण से होटल में रखने से ज्यादा लाभ होगा ?

श्री परसराम मदेरणा : एक व्यक्ति खेती के मामले में एक्सपर्ट हो सकता है और दूसरे मामले में भी एक्सपर्ट हो सकता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : It seems he is a jack of all trades, Sir.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा - कितने मामलों में एक्सपर्ट हो सकता है। आपकी राय में ?

श्री परसराम मदेरणा : यह आदमी पर डिपेन्ड करता है; मिडियोकर टाइप का है या जीनियस है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : He should be promoted as a Minister without portfolio, Sir.

श्री परसराम मदेरणा : उदाहरण दे रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक नहीं तो कम से कम ५० संस्थाओं के पट्टे लगे हुए हैं। पहले उनको एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट समझा था और अब होटल के मामले में स्पेशलिस्ट समझ कर लगाया है ?

श्री परसराम मदेरणा : पट्टे कितने लगे हैं मैं उनके मकान पर गया नहीं आपने देखे होंगे लेकिन राज्य सरकार ने उचित समझा इसलिये उनको स्पेशल ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अपोइन्ट किया है। यहां पर जो फॉरिन टूरिस्ट और देशी सैलानी आते हैं उनकी सुविधा का प्रश्न है। यहां पर होटल कॉर्पोरेशन कमेटी आई थी जिसने राजस्थान में फॉरिन टूरिस्ट के अधिक आवागमन को देख कर कहा कि राजस्थान में २५० एक्स्ट्रा बेड्स की आवश्यकता है। स्टेट होटल, जयपुर में इतनी ज्यादा गुंजायश नहीं है। २५० बेड्स

Page No.9

(श्री परसराम मदेरणा)

एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने में ३०.४० लाख का खर्चा है। राज्य सरकार अपनी तरफ से इतना पैसा नहीं लगा सकती इसलिये यहां पर होटल कॉर्पोरेशन बना दिया जाये, ताकि फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से, ईन्डस्ट्रियल बैंक और एल. आई. सी. से पैसा लेकर कामर्शियल लाइन पर होटल्स चलाने चाहिये और क्योंकि अभी जो सरकिट हाउसेज हैं वे कॉमर्शियल लाइन्स पर नहीं चल रहे हैं ऑफिसर्स को सुविधा देने के लिये हैं इसलिये इसमें मुनाफा नहीं हो रहा है। यह टूरिस्ट्स इन्डस्ट्री है और फॉरिन एक्सचेन्ज अर्न करने का बिज़नेस है, इसलिये हम यह कॉर्पोरेशन बनाना चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो अनुभव रखता हो और लायक हो वही इसको अच्छी तरह से चला सकता है यही समझ कर हमने इनको स्पेशल ऑफिसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नियुक्त किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): आपकी योजना पर हमें ऐतराज नहीं है, होटल कार्पोरेशन बनावें, कंपनीज़ लॉ के नीचे लोन्स आदि लें, इसमें ऐतराज नहीं है, न हमें एतराज है; काक साहब की नियुक्ति पर। आप इनको पूरे टाइम होटल में ही रखिये। इनको पशुपालन, कृषि, स्पोर्ट्स कौंसिल आदि पचासों संस्थाओं से मुक्त कर दीजिये ताकि होटल कार्पोरेशन को पूरा फायदा हो सके।

श्री परसराम मदेरणा : इनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करने से पहले एक जगह से मुक्ति दिला कर यहां रखा है। एग्रीकल्चर एड्वाइज़र के पद से उनको मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। दूसरी जगहों के बारे मे मुझे मालूम नहीं है कितने ठप्पे है। मेरी जानकारी है कि वे ऐसे बड़े काम में नहीं लगे हुए हैं। वे एग्रीकल्चर एडवाइज़र जरूर थे वहां उनको व्यस्त रहना पड़ता था इसलिये वहां से उनको मुक्ति दिला दी है। अब वे स्पेशल ऑफिसर नियुक्त हुए हैं होटल कोर्पोरेशन के लिए ज्यादा समय लगा सकते हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आप इसकी जानकारी कैसे दे रहे हैं एक बात। दूसरी बात कितने रुपये मासिक पर इनको रखा है और तीसरी बात यह बताइये कि जो होटल्स पहले से चल रही है और उनमें जो आदमी थे उनमें से क्या कोई योग्य नहीं था जिसको इनके स्थान पर लगाया जा सकता था और उसको न लगाकर इनको लगाया गया ?

श्री जुझारसिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने होटल कॉर्पोरेशन चलाने का इरादा किया है और उसके तहत राजस्थान में भी टूरिस्टों के लिये शाखाएं खुलेंगी, उस वक्त किस तरह का कॉर्पोरेशन होगा, इसकी रूप–रेखा आने से पहिले राजस्थान में अलग होटल कोर्पोरेशन बनाने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह उसके कॉन्फ्लिक्ट में कहीं नहीं आता।

Page No.10

धोखा देकर जागीर बॉंड्स की उठाई गई रकम

६६८. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि मुसम्मात भूर बाई बेवा पीरसिंह सा. वीरोल, तहसील सांचोर के जागीर मुआवजा के बोंड्स ४००) रु० के वकील श्री मिसरीमल सांचोर की पहचान द्वारा ता. ३—१२-६३ को तहसील सांचोर से उठाये गये ?

(२) क्या यह भी सच है कि बाद में मुसम्मात भूरबाई बेवा पीरसिंह सा. पांचला की दर्ख्वास्त दिनांक १७.३.६४ की होने पर उपरोक्त बोंड्स वापिस जमा करवा कर भूरबाई बेवा पीरसिंह पांचला को दिये गए ? अगर हां, तो इस तरह धोखा देकर गलत बोंड्स तहसील से उठवाने की जिम्मेदारी किसकी थी और बाद में मालूम पड़ने पर बोंड्स किसने कौनसी तारीख को वापिस जमा करवाए ? उपरोक्त बोंड्स की पहले ऑथोरिटी किसके नाम दी गई थी ? ऑथोरिटी के जरिये धोखा देकर बोंड्स उठाना व मालूम पड़ने पर वापिस जमा कराने के अभियोग में सरकार द्वारा अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

(३) अगर उपरोक्त गंभीर मामलों में अब तक सरकार द्वारा कुछ भी कार्यवाही नहीं की गई हो तो क्या सरकार अब उपरोक्त मामले को सुपुर्द करने को तैयार है ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा ? अगर नहीं नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) भूर बाई बेवा पीरसिंह सा विरोह को श्री मिश्रीलाल की शनाख्त से ३-१२-६३ को बोंड्स का तहसील सांचोर से भुगतान किया गया था।

(२) बाद में मुसम्मात भूरबाई बेवा पीरसिंह सा .पांचला की दर्ख्वास्त दिनांक १७-३-६४ को तहसील में पेश होने पर बोंड्स भूरबाई सा. पांचला को दे दिये।

(३) जी हां। जांच के परिणाम से ऐसी आवश्यकता यदि महसूस हुई तो शीघ्र पुलिस को सुपुर्द कर दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यकता महसूस होने का प्रश्न नहीं है। फैक्ट्स आपके सामने मौजूद हैं। ऑथोरिटी किसी की पहचान से लिखी गई। बोंड्स उठाये गये उसके बाद दूसरी मुसम्मात को पता चला तो उसने तहसील में रिपोर्ट की, वापिस बोंड्स जमा कराये। इसके बाद भी आप क्रिमिनल केस चलाने के लिये क्या सुबूत चाहते हैं ? शीघ्र ही यह केस पुलिस को क्यों नहीं दे देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उसके पति पत्नी का एक ही नाम था; सिर्फ गांव विरोल और पांचला में फर्क था और जो ऑफिस से लिस्ट निकली उसमें गांव जो लिखना चाहिए था उसके बजाय दूसरा लिख दिया जिससे गलती हो गई, उसके बाद जब पता

Page No.11

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लगा तो गलती दुरुस्त कर दी गई, लेकिन प्रश्न गड़बड़ी का जान बूझ कर धोखा दिया या क्या किया इसके बारे में मैंने जवाब में कहा है कि जांच कराने के बाद यदि जांच में ऐसे तथ्य आयें जिसके कारण पुलिस में केस देने की जरूरत हुई तो देंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसमें यह बात नहीं है । नाम गलत लिखा गया, नाम गलत लिखने पर भी एक ऑथोरिटी की तस्दीक होकर बोंड्स उठा लिये गये बाद में पता चला तब फिर से जमा हुए इससे साफ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह स्वीकार किया है कि ऑथोरिटी से नहीं लिये, लेकिन वकील की शनाख्त से बोंड्स दिये गये थे जो औरत आई थी वह और जिस जगह बिरोल की थी बिरोल की ही होना वकील ने तस्दीक किया । डिप्टी कमिश्नर जागीर के वहां भर पाई भूरबाई बिरोल की पेश कर दी गई बाद में जब मालूम हुआ कि भूरबाई पांचला को देना था, जब पांचलावाली भूरबाई की दर्ख्वास्त आई कि मेरे बोंड्स नहीं मिले तो पता लगा कि गलत औरत को दे दिये गये । उन दोनों के पति के नाम एक थे इसलिये वकील की शनाख्तगी पर दे दिये गये थे । अब इसकी छानबीन कर रहे हैं कि इसमें यदि किसी का क्रिमिनल इन्टेंशन था और कोई बात साबित हुई तो उसके अनुसार कार्यवाही करेंगे । पुलिस में केस देने की आवश्यकता पड़ी तो देंगे ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जरूरत तो है ही । वकील ने जाकर औरत की शनाख्त की है और फर्जी औरत ने यदि बोंड्स उठा लिये हैं तो यह तथ्य है । इसलिए इसको पुलिस को देने की बात साफ है और दूसरे भी फेक्ट्स साफ हैं ।

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : ६६६ !

भूतपूर्व जागीरदार बिजोलिया द्वारा सरकारी जमीन

६६६. श्री गणपतिलाल वर्मा (मांडलगढ) [श्री गिरधारीलाल (आसींद) द्वारा पूछा गया] : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि माण्डलगढ़ तहसील के रेवेन्यू विभाग के सोडा नामी बीड में भूतपूर्व जागीरदार बिजोलिया तथा उनके छुटभाइयों द्वारा सरकारी जमीन पर नाजायज़ कब्जा किया हुआ है और कब्जा कराने तथा रेवेन्यू रिकॉर्ड में बिना किसी आधार के दर्ज कर लेने में भी किन्हीं अधिकारियों का हाथ है ? यदि हां, तो यह कुल कितनी जमीन है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जंगलात विभाग ने इस प्रकार के नाजायज कब्जे की सूचना भीलवाड़ा कलेक्टर को दी थी और कलेक्टर ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा (१) ठाकुर विजोलिया (भूतपूर्व जागीरदार) का रेवेन्यू रेकॉर्ड में कब्जा दर्ज होना नहीं पाया जाता है। पर उसे विवादग्रस्त १४५ बीघा भूमि में से ६५ बीघा भूमि पर इस साल नाजायज कब्जा कर लिया है। इसी प्रकार गोपाल सिंह, नटवरसिंह ने भी जिनको कि उक्त जागीरदार ने ३ साल पहले नजराना लेकर ८० बीघा भूमि का बामी पट्टा कर दिया था उस पर कब्जा कर रखा है और खसरा गिरदावरी में सं० २०१७ से २०२० तक घास काटने के कारण कब्जा दर्ज है, इसमें किसी राजस्व अधिकारी का हाथ होने का प्रश्न नहीं उठता। यह भूमि कुल १४५ बीघा है।

(२) जी हां। जंगलात विभाग से इसकी सूचना प्राप्त हुई थी जिसकी जांच के लिये जिलाधीश ने सब सब डिविजनल ऑफिसर माण्डलगढ़ को आदेश दिये थे जिन्होंने अतिक्रमियों का नाजायज कब्जा माना है और उसके उपर धारा ९१ लैण्ड रेवेन्यू के तहत कार्यवाही तहसील में जारी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, जो आपने यह कब्जा १४५ बीघा बताया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो जागीरदार ने कब्जा कर रखा है वह ३५० बीघा के ऊपर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा ८० बीघा के ऊपर छुटभाइयों ने कब्जा कर रखा है। यह बीड़ है, यह जंगलात विभाग के पास ट्रान्स्फर होने के बाद इस जमीन पर इन्होंने कब्जा किया है और रेवेन्यू विभाग के पटवारी और नायब-तहसीलदार से मिल कर यह नाजायज कब्जा किया है। क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सही है या नहीं-इस बात की जानकारी करने के लिए जांच करने को सब डिवीजनल ऑफिसर, माण्डलगढ़ को नियुक्त किया गया है। जांच परिणाम निकलने पर ही यह मालूम हो सकता है। अभी जो सेक्शन ९९१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत बेदखली के सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिए वह कर रहे हैं। उसका परिणाम निकलने पर ही पता लग पायगा। अभी तो हमने नाजायज कब्जा मान कर दफा ९९१ के अन्तर्गत कार्यवाही की है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने फर्माया यह १४५ बीघा के लिए फर्माया। मैं अर्ज कर रहा हूं कि इसने ३४५ बीघा जंगल पर कब्जा कर रखा है और ८० बीघा पर छुटभाइयों ने कब्जा कर रखा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ८० बीघा के बारे में मैंने जवाब दिया है। मैंने १४५ बीघा के लिए कहा, जो १४५ बीघा भूमि है उसमें से ६५ बीघा पर नाजायज कब्जा बताया है। आपकी जानकारी है कि १४५ बीघा और ६५ बीघा से ज्यादा भूमि पर कब्जा है तो फिर जानकारी के लिए छानबीन कर लूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि १३५ बीघा के अलावा ३५०

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

बीघा जमीन पर नाजायज कब्जा इन दोनों ने–जागीरदार ने और छुटभाइयों ने नायब तहसीलदार बिजोलिया और पटवारी से मिल कर किया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सूचना इस समय मेरे पास नहीं है कि १४५ बीघा भूमि के अलावा ३५० बीघा भूमि पर उन्होंने कब्जा किया है। इस तरह की बात है तो मैं जानकारी के लिए छानबीन कर लूंगा। यह मैं स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या यह सही है कि ३५० बीघा और ८० बीघा जमीन पर इन दोनों ने नाजायज कब्जा किया है उसकी जिन्सवारी पटवारी ने मिल कर करा रखी है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ३५० बीघा के बारे में जब जांच करवा लूं तब पता लगेगा। अस्सी बीघा के लिए मैंने कहा है कि २०१७ से २०२० तक जिन्सवारी करा रखी है और इसी प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस सम्बन्ध में सेक्शन ६१ लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्यवाही चालू है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या जो नाजायज कब्जा किया है उसके खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा कि लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत कोर्ट माण्डलगढ़ में केस चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : आपने जवाब दिया है कि इन दोनों ने नाजायज कब्जा कर लिया है–क्या यह कोर्ट में जो केस चल रहा है, उसमें हस्तक्षेप नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सवाल नहीं है। जो केस चल रहा है उसके बारे में नहीं कहते हैं। इसमें पूछा है कि १४५ बीघा जमीन के अलावा ३५० बीघा जमीन और है जिस पर नाजायज कब्जा कर रखा है। मैंने निवेदन किया था कि मेरे पास में इस बात की सूचना नहीं है कि ३५० बीघा जमीन के ऊपर और नाजायज कब्जा है और ३५० बीघा भूमि के बारे में मैंने कहा कि मैं इसके नाजायज कब्जे के सम्बन्ध में और छान-बीन करा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं सवाल पूछ रहा हूं वह दूसरा है।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य इस केस को उलझाना चाहते हैं। मेरा सवाल दूसरा है। मन्त्री महोदय ने १४५ बीघा भूमि के बारे में बताया जिस पर वह लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की दफा ६१ के तहत कार्यवाही कर रहे हैं....

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री गिरधारीलाल व्यास : मेरा सवाल सुन लीजिये !

Page No.14

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर !

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न में एक व्यक्ति ने क्या कार्यवाही की है इसका उल्लेख किया गया है और जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है उस सम्बन्ध में कोर्ट में केस चल रहा है, यह मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है। इस हालत में इस प्रश्न पर कि जागीरदार ने उस भूमि पर नाजायज़ कब्जा किया है या नहीं, इस सम्बन्ध में कोई ओपिनियन करना, मैं समझता हूं, जो सब जुडिस मैटर है उसको निश्चित रूप से अफेक्ट करेगा। इस प्रश्न पर मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रश्न को इस सदन में पूछा जाय या नहीं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने जिस प्रश्न पर सवाल पूछा है वह सब-जुडिस नहीं है। जो १४५ बीघा के बारे में कार्यवाही चल रही है उसके बारे में तो सरकार जाने। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि ३५० बीघा जमीन के लिये पूछ रहा हूं जिस पर उसने इस १४५ बीघा जमीन के बाद में नाजायज कब्जा कर लिया है। उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देने के बाद इस जमीन पर उसने कब्जा किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न बिल्कुल क्लीअर है। जिस जमीन पर उसने कब्जा किया है उसका उसमें उल्लेख नहीं है। इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। सारी नाजायज़ जमीन के कब्जे में बारे में यह प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का कहना है कि जो केस चल रहा है वह जितनी जमीन के नाजायज़ कब्जे के बारे में है उससे ज्यादा जमीन के ऊपर उसने कब्जा किया है, इस सम्बन्ध में सरकार को क्या कार्यवाही करनी है ? मंत्री महोदय ने कहा कि उनके पास इसकी जानकारी नहीं है वह इसके बारे में जांच करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एक सवाल रह गया, पटवारी और नायब तहसीलदार ने गलत तरीके से इस जमीन की जिन्सवारी की है उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : इसकी बाबत तो सवाल नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वे शामिल हो जायेंगे तब जांच पूरी होगी।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल !

सभा में लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी

६७०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बाड़मेर शहर में तारीख ४-६-६३ को जनसंघ पार्टी की ओर से एक सभा शहर के गांधी चौक में हुई थी ?

Page No.15

(श्री श्रवणलाल)

(२) क्या यह भी सच है कि इस सभा के अन्दर लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी नगरपालिका से लेने के वास्ते जनसंघ पार्टी ने दर्ख्वास्त दी थी और वह मंजूरी नहीं दी गई ?

(३) क्या यह भी सच है कि उसी गांधी चौक में किसान मजदूर संघ की ओर से जो सभा हुई थी उसमें लाउडस्पीकर लगाने की मंजूरी नगरपालिका ने दी है ?

(४) यदि हां, तो यह पक्षपात क्यों किया गया ? क्या सरकार इन पक्षपात करने वाले उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) पक्षपात का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री श्रवणलाल : दुबारा जवाब दीजिये। सुनाई नहीं दिया।

श्री दौलतराम सारण : (१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) जी हां।

(४) पक्षपात का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत देने की सरकार से दर्ख्वास्त जनसंघ ने की थी ?

श्री दौलतराम सारण : जिस तारीख का उल्लेख किया गया है उसके लिए कोई दर्ख्वास्त नहीं की गई।

श्री भैरोंसिंह : जनसंघ की पार्टी की तरफ से प्रार्थना की गई है और उसके बाद इजाजत नहीं दी गई है ?

श्री दौलतराम सारण : इस प्रश्न का मैंने उत्तर दिया है, जी नहीं !

प्रश्न संख्या ६७१

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७२

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

माउन्ट आबू नगरपालिका की आमदनी

६७३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) माउन्ट आबू की नगरपालिका की आमदनी के मुख्य मुख्य साधन क्या हैं ?

Page No.16

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(२) इस नगरपालिका द्वारा कौन कौन से कर लगाये गये हैं ?

(३) नगरपालिका द्वारा आबू पहाड़ के विभिन्न क्षेत्रों में बेचे गये प्लॉट्स से प्राप्त राशि क्षेत्र वार बतायें ।

(४) नगरपालिका को प्रति वर्ष कितनी राशि वहां के रहने वालों से प्राप्त होती है तथा कितनी वहां जाने वाले यात्रियों से ?

(५) क्या माउन्ट आबू की नगरपालिका में नामजद चेयरमैन हैं ? यदि हां, तो कब से तथा चुनाव न कराये जाने का क्या कारण है ?

(६) क्या सरकार माउंन्ट आबू पर एक विकास मण्डल (डेवलपमेंट बोर्ड) कायम करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) नगरपालिका की आमदनी के मुख्य मुख्य साधन निम्न है ?

(१) भवन व भूमि कर
(२) स्वच्छता व सफाई कर
(३) किराये की आय
(४) यात्रिक कर !

(२) (क) भवन व भूमि कर
(ख) स्वच्छता व सफाई कर
(ग) होटल कर
(घ) गाड़ी व जानवरों पर कर
(छ) यात्रिक कर

(३) वर्ष १९६४-६५ में ४७,७५०) रु० के प्लॉट्स नगरपालिका की सीमा में बेचे गए ।

(४) नगरपालिका को आबू निवासियों से औसतन ६७,२१४) रुपये व बाहर से आने वाले यात्रियों से १,३५,७२३) रुपये प्राप्त होते हैं ।

(५) नगरपालिका मण्डल मनोनीत है तथा चेयरमैन उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित है । पालिका राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, १९५९ की धारा १० के अन्तर्गत मनोनीत की गई है । नियमों में नगरपालिका को नामजद करने का प्रावधान है ।

(६) जी नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने यह पूछा था कि विभिन्न क्षेत्रों में प्लॉट्स की कीमत क्या है ? आपने टोटल बता दिया है; मेरे कहने का मतलब था कि महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जैसे नक्की लेक के पास के क्षेत्र में कितनी है और दूसरे क्षेत्रों में कितनी हैं ताकि रिलेटिव वैल्यूज़ में उनकी रख सकूं । ऐसा वहां पर है कि जो बड़ी इम्पार्टेन्ट जगह है वहां तो कम कीमत है और कम इम्पार्टेन्स की जगह है वहां पर ज्यादा है ।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ऐसी सूचना देने का प्रयत्न करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय, आपने बताया कि नगर-पालिका के सदस्य नामीनेटेड हैं। यह स्पष्ट है कि आबू एक टूरिस्ट्स के लिये एट्रेक्शन का स्पोट है, तो इस टूरिस्ट-स्पोट का किस प्रकार डेवलपमेंट करें और अधिक से अधिक अच्छी तरह से कमाई यह किस तरह से दे सकता है। तो वहां के लिए जो कमेटी बनाने की बात है वह कमेटी नोमीनेटेड है और वह इलेक्टेड कमेटी नहीं है। इसके डेवलपमेंट के लिए टूरिज्म फैसिलिटी वगैरह को देख कर किस प्रकार किया जा सकता है, किस प्रकार विकास कर सकते हैं—इस सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? मन्त्री महोदय का क्या विचार है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : जहां तक म्युनीसिपल बोर्ड, आबू का ताल्लुक है वह नोमीनेटेड बोर्ड है। उसके अन्दर अन्डर दी एक्ट तमाम फंक्शन्स सम्मिलित हैं जो म्यूनीसिपल बोर्ड के फंक्शन के अन्दर शामिल होते हैं। इसी तरीके से जो जमीन के अलॉटमेंट का ताल्लुक है वह कलेक्टर के नीचे एक कमेटी बनी हुई है जो नजूललैंड का डिस्पोजल करती है।...

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री बरकतुल्लाखां : अध्यक्ष महोदय, अन्डर म्युनिसिपल एक्ट, किसी भी पहाड़ी इलाके में नोमीनेटेड बोर्ड मुकर्रर किया जा सकता है और नोमीनेटेड चेअरमैन उनके सदस्यों द्वारा निर्वाचित है। उसको वही अधिकार प्राप्त हैं जो इलेक्टेड बोर्ड को अधिकार होते हैं। जमीन के विकास के लिए आबू में कलेक्टर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी है। जब तक यह पूरी तरह से म्युनिसिपेलिटी से पूरी तरह से यह तय नहीं किया जाय कि किस एरिया को कहां तक डेवलप करना है तब तक कार्य नहीं होता और जब दोनों डिपार्टमेंट मिल कर तय कर लेते हैं तब म्युनिसिपेलिटी को इजाजत दी जाती है कि वहां पर ग्राउन्ड हो या पार्क हो, उसके काम में वह जमीन ले सकते हैं। जैसे मेजर शैतानसिंहजी के नाम से वहां पर एक पार्क बना है। इसी तरह से एक जगह जमीन पड़ी है। इसलिये यह देखा जाता है कि इसकी ब्यूटी किस तरह से बढ़ती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वहां पर नोमिनेटेड बोर्ड क्यों बनाया जा रहा है। इलेक्टेड बोर्ड क्यों नहीं बनाया जाता।

श्री बरकतुल्लाखां : हिल्ली स्टेशन के अन्दर किसी भी पार्टी के इन्ट्रेस्ट को बाहर नहीं रखते हैं। सबको इसमें लिया गया है। गुजराती है उनको भी रिप्रेजेन्टेशन का मौका दिया है और वहां के रहने वाले हैं उनको भी मौका दिया है। सबके इन्ट्रेस्ट को पूरी तरह से वाच किया गया है। वहां पर बहुत तरह के लोग रहते हैं, इसलिए ज्यादा कन्ट्रोवर्शियल नहीं हो इसलिए वहां पर नोमिनेटेड बोर्ड रखा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की यह इच्छा है कि नोमिनेटेड बोर्ड इलेक्टेड बोर्ड से ज्यादा अच्छा काम कर सकता है ?

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : सरकार की राय में हिल्ली स्टेशन पर नोमिनेटेड बड़ा ही ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वहां पर सीजनल आबादी बढ़ती है। इलेक्शन में वे लोग ही हिस्सा ले सकते हैं जो वहां के बाशिन्दे हैं मगर सीजन में बहुत से दूसरे लोग भी वहां पर आते हैं। इसलिये जहां तक हिल्ली स्टेशनों का प्रश्न है, दूसरी जगह पर भी मसूरी और नैनीताल में जो म्युनिसिपल बोर्ड बने हुए हैं वे नोमिनेटेड हैं और वे इसी आधार पर बने हैं कि जो लोग सीजन में वहां पर आवें वे भी उसमें हिस्सा ले सकें।

श्री भैरोंसिंह : जो लोग सीजन में आते हैं और आबू के नहीं हैं और राजस्थान के बाशिन्दे नहीं हैं....

श्री मथुरादास माथुर : जो लोग आबू के बाशिन्दे हैं और जो सीजन में वहां आकर रहते है। और बाद में बाहर चले जाते हैं वहीं के हैं, उनके मकान हैं और टैक्स पे करते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब आप कहते हैं कि वे वहीं के बाशिन्दे हैं तो उनका चुनाव कराया जावे तो क्या वे काम नहीं कर सकते? इसका क्या कारण है कि आपने वहां पर नोमिनेटेड बोर्ड रखा है।

श्री मथुरादास माथुर : हम इस बात का दावा करते हैं कि वहां पर काम करने में कोई कसर नहीं है। इलेक्शन कराया जावे तो वे लोग रात दिन वहां रहते नहीं हैं। आबू की ग्लोरी उसके सीजन में ही होती है और वहां पर २० हजार और २५ हजार तक बढ़ जाती है और बाद में वहां पर १० या १२ हजार की आबादी रह जाती है। वे लोग आस पास में रहते हैं। टैक्स पेअर हैं उनके मकान वहां पर हैं और वहां पर वे रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका बोर्ड है क्या वहां पर डेवलपमेंट के रूप में कार्य करता है? वहां पर कोई डेवलपमेंट बोर्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह दूसरी बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हिल स्टेशन पर....

श्री अध्यक्ष : यह अलग प्रश्न है।

श्री मथुरादास माथुर : इसके अनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में आबू के लिए राजस्थान सरकार ने डाइरेक्टर ट्रांसपोर्ट, रोडवेज आदि दूसरे कई लोगों की जिसमें म्युनिसिपैलिटी के चेअरमैन हैं विकास के लिए कमेटी बना दी गई है; जिसने काम शुरू कर दिया है और पहली मीटिंग उसकी हो चुकी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए धन्यवाद।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि आबू में लोग सीजन में रहते हैं और सीजन खतम हो जाने के बाद वहां से चले जाते हैं...

श्री मथुरादास माथुर : बहुत से ऐसे लोग वहां पर है जो सीज़न के बाद में आबू से चले जाते हैं और आबू रोड या बम्बई में चले जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जब वे लोग सीजन के बाद आबू में नहीं रहते तो इससे यह स्पष्ट है कि वे वहां सफाई आदि की चिन्ता नहीं करते ।

श्री मथुरादास माथुर : वे वहां पर पूरी चिन्ता रखते हैं । वे बम्बई में रहते हैं और नैनीताल में रहते हैं, मगर वहां पर लौट कर आते हैं और मीटिंग में आते हैं । सीज़न के बाद वे उतर कर आबू रोड में चले जाते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जब वे मीटिंग को एटेन्ड करने के लिये आते हैं तो फिर आपको वहां पर इलेक्टेड म्युनिसिपेलिटी रखने में क्या एतराज है ?

श्री मथुरादास माथुर : हिल स्टेशन का टेस्ट ऑफ दी सीज़न नहीं है । जिस समय सीज़न होता है उस वक्त सफाई की ज्यादा जरूरत रहती है जब कि वहां पर पोपुलेशन ज्यादा होती है । इसलिये जो लोग वहां पर रहते हैं उनका भी इन्ट्रेस्ट वाच करते है । इसलिए वे लोग भी आकर उसमें भाग ले सकें इसके लिए रखा है । इसी तरह से दूसरे हिल स्टेशनों पर भी ऐसी ही व्यवस्था है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरे स्थानों पर तो यह जो व्यवस्था है वह ब्रिटिश एम्पायर की देन है । मुझे अफसोस है कि माननीय मन्त्री ने यह कहा कि नोमिनेटड बोर्ड इलेक्टेड बोडीज़ से अच्छा है । मैं यह कहूंगा कि यह सारे इलेक्टेड बोडीज़ पर कलंक है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने तो यह कभी नहीं कहा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है । मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट बना दी जावे तो ज्यादा अच्छा होगा....

श्री मथुरादास माथुर : आपके जोर से कहने से कुछ नहीं होगा ।

श्री भैरोंसिंह : आपने इलेक्शन थ्योरी को चैलेन्ज किया है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने हिल स्टेशन के लिए यह कहा था कि वहां की पोपुलेशन फलक्चुएट होती रहती है इसलिए वहां पर यह किया गया है । आबू के अलावा कहीं नोमिनेटेड म्युनिसिपेलिटी नहीं है । आप क्या चार्ज लगाते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : आप स्वयं यह कहते हैं कि इलेक्टेड के मुकाबले में वहां नोमिनेटेड ठीक है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने यह नहीं कहा है । मैंने यह कहा है कि आबू की पोपुलेशन फलक्चुएटेड है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : फलक्चुएटेड पोपुलेशन है इससे वहां पर नोमिनेटेड म्युनिसिपेलिटी को जस्टीफाई करें ।

श्री मथुरादास माथुर : आबू में उनके मकान हैं, बंगले हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको वोट देने का अधिकार है ।

श्री मथुरादास माथुर : वे ऑल ईयर वहां पर नहीं रहते । मोसम पर हिल स्टेशन में चल जाते हैं । इसमें ऑफिशियल और नोन-ऑफिशियल सभी हैं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिमला में बाकायदा इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या वहां पर नोमिनेटेड बोर्ड को हटा कर इलेक्टेड म्युनिसिपैलिटी कर दी जावे तो सरकारी राय में वहां पर ठीक कार्य नहीं हो सकेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : मैंने कहा कि इलेक्टेड से भी हो सकता है और अगर एक ऑफिसर रखें तो भी डेवलपमेंट हो सकता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इससे तो अच्छा है कि आप एक ऑफिसर रखें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या आबू का डेवलपमेंट नहीं होगा अगर सरकार म्युनिसिपल बोर्ड इलेक्टेड करवा दे जो नोन-इलेक्टेड बोर्ड कर सकता है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कहता हूं कि वहां पर इलेक्टेड म्युनिसिपल बोर्ड हो तो भी वहां का डेवलपमेंट कार्य होता है, नोमिनेटेड हो तो भी होता है । यदि माननीय सदस्य को वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया जावे तो भी डेवलपमेंट हो सकता है । क्या क्राइटेरिया रखा जावे जिसकी वजह से ज्यादा पोसिबिलिटी हो । हिली स्टेशन को देख कर रखा जावे ।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न संख्या ६७४ ।

बड़गांव बांध पर मिट्टी खुदाई कार्य तथा ठेकेदार को डबल पेमेंट

६७४. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बड़गांव बांध (जिला उदयपुर) में फर्स्ट पार्ट से मिट्टी खोद कर सैकन्ड पार्ट में डालने पर इसका विभाग द्वारा ठेकेदार को डबल पेमेंट कर दिया गया ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि फिफ्थ पार्ट में सेलाइन मिट्टी डाली है जो एग्रीमेंट के अनुसार नहीं डालनी चाहिये थी ? यदि हां, तो क्यों ? इसका कितना भुगतान किया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि इसकी अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने जांच की है ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।....

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं इस प्रश्न को विड्ड्रॉ करता हूं । मैं इस प्रश्न को नहीं पूछना चाहता ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): On a point of order, Sir, now he cannot withdraw it, Sir. It is the property of the House.

श्री भैरोंसिंह : I have withdrawn my question.

Page No.21

विधि मन्त्री (श्री मथुरादास माथुर): There is no provision for withdrawal of the question.

श्री भैरोंसिंह : मैं कॉल नहीं करूंगा साहब।

श्री अध्यक्ष : ज्वालाप्रसादजी बहुत उत्सुक हैं।

श्री दिनेशराय डांगी : आपको इसके लिये बहुत धन्यवाद ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : 'धन्यवाद क्या', जवाब दीजिये। अब यह हाउस की प्रोपर्टी हो चुका है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It is not merely a question of Government. Other members are asking it now.

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में बोलिये कृपया।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने क्वेश्चन कॉल तो कर दिया, कॉल करने के बाद वह हाउस की प्रोपर्टी है; आपने विद्ड्रॉ किया उसके रीजन्स बता दें।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं बता दूं...

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, यह तो परम्परा बन जायगी, माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, छपाई करा दी, गवर्नमेंट का खर्चा करा दिया और सदन में आकर कह दें कि मैं नहीं पूछना चाहता।

श्री भैरोंसिंह : सदन का समय जायगा इसलिये मुझे पूछना ही नहीं है। मैं इसके लिये माफी चाहता हूं कि आधा मिनट ले लिया, अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

श्री मथुरादास माथुर : × × × ×

श्री भैरोंसिंह : मुझे अफसोस है कि मन्त्री महोदय इस प्रकार का मोटिव इम्प्यूट करने लग गये; मैं इतना बता दूं, मैं गवर्नमेंट को चैलेंज करके कहता हूं कि मेरे विधान सभा की सदस्यता के काल में, एक प्रश्न भी ब्लैक मैलिंग की दृष्टि से किया हो तो बता दें। मैं समझता हूं आपको इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिये। मैंने नहीं पूछा इसके पीछे कारण है, मन्त्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं उन पर चार्ज है, ऐसे मन्त्री जवाब देंगे तो मैं प्रश्न नहीं पूछूंगा।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी हां।

श्री भैरोंसिंह : मैंने विद्ड्रॉ कर लिया है।

श्री अध्यक्ष : ज्वालाप्रसादजी ने पूछा है. वे उत्सुक हैं जवाब के लिये।

श्री भैरोंसिंह : मैं जवाब दे दूंगा उनको।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं उनसे कोई जवाब लेना नहीं चाहता।

श्री भैरोंसिंह : रोजाना तो ले लेते हैं, आज जवाब लेने से इन्कार कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष, मैं अपने क्वेश्चन को विद्ड्रॉ कर चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : ज्वालाप्रसादजी का आग्रह टाला नहीं जा सकता।

श्री दिनेशराय डांगी : (१) जी हां। लगभग २४,००० क्यूबिक फिट मिट्टी का पेमेंट जिसकी कीमत १०००) थी अधिक हो

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

गया था। उसकी बाद में वसूली कर ली गई है। इसकी जांच की जा रही है।

(२) जी नहीं, मिट्टी एग्रीमेंट के अनुसार स्वीकृत क्षेत्र से ही ली गई थी।

(३) जी हां। मामले की जॉच सतर्कता आयोग के विचाराधीन है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): डबल पेमेंट लिया तो क्या क्रिमिनल एक्शन लिया गया ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने बताया कि जांच विजिलेंस कमिशन के पास विचाराजधानी है।

श्री फूलचन्द जैन : जांच कितने दिन से चल रही है ?

श्री दिनेशराय डांगी : विजिलेंस कमीशन के पास अगस्त ६४ में शिकायत हुई और सेप्टेम्बर में हमने उनको भेज दी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : डबल पेमेंट किस अफसर ने किया ?

श्री दिनेशराय डांगी : एडीशनल चीफ इन्जीनियर ने जांच की है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): ठेकेदार कौन है ?

श्री अध्यक्ष : नाम की आवश्यकता नहीं, जांच हो रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नाम बताने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। विजिलेंस कमिशन को मामला जांच के लिये दिया है, डबल पेमेंट हो गया उसके बाद ही विजिलेंस कमिशन को दिया है।

श्री दिनेशराय डांगी : चार-पांच ठेकेदार हैं, एक ही नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नाम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : नाम से सम्बन्ध क्या है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सम्बन्ध है माननीय अध्यक्ष...

श्री अध्यक्ष : व्यक्ति कोई भी हो, जांच के बारे में पूछ सकते हैं, जांच हो रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न है कि विजिलेंस कमिशन को भेजने से पहले सरकार ने अपने आपको सेटिस्फाई कर लिया है कि डबल पेमेंट हुआ है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने बताया कि १००० का पेमेंट ज्यादा हो गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : विजिलेंस कमिशन में सरकारी अधिकारी के खिलाफ जांच की है कि इसने डबल पेमेंट कर दिया तो क्या सरकार ने जो डबलपेमेंट हुआ वह रीकवर कर लिया है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : यही तो कहा कि १००० का डबल पेमेंट किया, विजिलेंस कमिशन के पास शिकायत गई और रिपोर्ट भेज दी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पैसा रिकवर कर लिया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : १००० रुपया ज्यादा दिया वह वापिस ले लिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : एक हजार रुपया का डबल पेमेंट जिस अधिकारी ने कर दिया उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया ?

Page No.23

श्री अध्यक्ष : जांच हो रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वाजिब पैसा लिया है तो यह साबित हो गया कि उसने डबल पेमेंट किया है, फिर उसको सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ओवर पेमेंट के कई कारण हो सकते हैं, गलती से किया जा सकता है, नेग्लिजेंस से किया जा सकता है, पचासों कारण हो सकते है, जांच करने पर जैसा पाया जायगा, उसके अनुसार एक्शन लेंगे।

प्रश्न संख्या ६७५

श्री अध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७६

श्री गोविन्दसहाय।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६७७

श्री रामकिशन।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

निवाई तहसील की चरागाह भूमि

६७८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई क्षेत्र की कितनी पंचायतों को तहसील द्वारा चरागाह सुपुर्द किया गया है और कितनी को नहीं और सुपुर्द नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

(२) जो चरागाह सुपुर्द किये गये हैं, क्या वे मवेशियों की संख्या के अनुपात से किये गये हैं ? यदि हां, तो पंचायतवार मवेशियों व चरागाह के बीघों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सभी पंचायतों को चरागाह के कब्जे दे दिये गये हैं।

(२) चरागाह के रकबे जो सुपुर्द किये गये हैं वे बरवक्त सेटलमेंट मवेशियों की संख्या तथा उपलब्ध भूमि के अनुसार ही कायम हुए हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा, पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय यह बतायें कि क्या जो चरागाह कायम किये जाते हैं वे मवेशियों की तादाद के अनुसार किये जाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमने फैसला किया है कि आधा फी मवेशी के हिसाब से करें पर सेटलमेंट हो चुका है, जितने रकबा दर्ज कर दिया है, वह तो पंचायतों को सुपुर्द कर दिया है, हर साल पशुओं की संख्या घटती बढ़ती रहती है इसलिये जिनको आवश्यकता हो वे प्रार्थनापत्र दें, नियमानुसार जमीन

Page No.24

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उपलब्ध होगी तो दी जायगी । सेटलमेंट रेकर्ड में जितना रकबा दर्ज है उसी के अनुसार पंचायतों को दिया है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सेटलमेंट में जो रकबा तय किया है वह किस आधार पर तय किया है ?

श्री जयनारायण सालोदिया : आधा बीघा फी पशु के हिसाब से, जैसा शुरू से था उसमें १३२ की चैन पर था उस १३२ की चैन के बजाय १६५ की चैन कर दी । पर जमीन उपलब्ध होने का सवाल है, आस पास जमीन उपलब्ध होगी वह दी जायगी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : मन्त्री महोदय ने लिस्ट दी उसमें राजवास पंचायत के लिये ११ बीघा चरागाह रखा है जहां २ हजार मवेशी हैं और दतवास में ४०० बीघा जमीन रखी है जहां ३ हजार मवेशी हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेटलमेंट के वक्त में चाहे आधा बीघा फी मवेशी के हिसाब से ज्यादा बनती है पर वहां जमीन उपलब्ध नहीं है, ऐसे केस में कमी रहेगी । उसका कोई इलाज नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जमीन भी कम उपलब्ध नहीं है । जिन पंचायतों में जमीन कम रखी है वहां जमीन भी काफी है, सिवाय चक की जमीन काफी पड़ी है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चरागाह को १० जगह पीसेज़ में तो नहीं कर सकते, इसलिये जहां चरागाह फिक्स होता है उसके आस पास में जमीन उपलब्ध होनी चाहिये । पशुओं की संख्या का जहां सवाल है वहां इन्साफ के जिंदा रहने का भी सवाल है, अलॉटमेंट को भी महत्व देना होता है । इस सदन में माननीय सदस्य अलॉटमेंट की बात पर समय समय पर जोर देते हैं । हमको तो दोनों का बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है ।

(१२ मध्यान्ह)

अमीनों के वेतन में से कटौती

६७६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर और झालावाड़ जिलों में भू-प्रबन्ध विभाग के कुछ अमीनों के वेतन निर्धारित वेतन से कम दिये जा रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि यह कमी इस कारण की जा रही है कि उन अमीनों पर निर्धारित कार्य से कम कार्य करने का आरोप है ?

(३) इस प्रकार की वेतन कटौती कौनसे नियमों के अधीन की जा रही है ? नियम सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं ।

(२) वेतन में कमी नहीं की जा रही है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्रीजी की यह जानकारी सही नहीं है। वे इस बारे में दुबारा जानकारी करें कि झालावाड़ और जोधपुर में कुछ अमीनों की बाकायदा वेतन में कमी की गई है। वेतन कम इस बिना पर दिया जा रहा है कि उनकी एफीशियेन्सी कम है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने इसी बात का जवाब दिया है कि कम वेतन देने का प्रश्न पैदा नहीं होता। वेतन कम नहीं दिया जा रहा है। हो सकता है कि कहीं किसी पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया हो और उसके अंदर कोई रिकवरी का सवाल हो, वह उनकी वेतन में से रिकवरी की बात हो लेकिन वेतन कम देने का सवाल नहीं है। अगर १०० रुपया वेतन है और पांच रुपए काटते हैं तो वेतन तो १०० रु० ही है और पांच रुपए उसमें से रिकवरी करते हैं, वह उनकी रिड्यूस्ड पे नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह एसर्ट कर सकते हैं कि किसी अमीन की झालावाड़ या जोधपुर में इनएफीशियेन्ट काम की वजह से जुर्माने के तौर पर तनख्वाह में कमी नहीं की गई ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तनख्वाह में कमी नहीं की गई लेकिन इनएफीशियेन्ट वर्किंग हो यह जो शिड्यूल है उनका बंधा हुआ उससे कम काम किया हो जिससे जो रकम फिक्स की गई थी उसमें सरकार को नुकसान हुआ उसकी रिकवरी उसकी सलरी से करने का प्रश्न था। उस पर लोगों ने अपील की, अपील मंजूर हो गई इसलिए किसी से भी रिकवरी नहीं की गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो फिर सरकार की तरफ से जिस अधिकारी ने वेतन में कटौती करके इस प्रकार...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा, वेतन में कटौती करने का प्रश्न नहीं है। एक सर्क्यूलर ऐसा था सर्विस नियमों के अन्तर्गत जिसके अन्दर सारे प्रावधान कर रखे थे, उसके तहत उनको चार्जशीट किया और उसके बाद में कुछ रकम जुर्माने के तौर पर लगाई गई कि तुम्हारे शिड्यूल ऑफ वर्क के अनुसार काम न करने से इतना नुकसान हुआ है, तो उसके खिलाफ उन्होंने अपील की सेटलमेंट कमिश्नर के पास, जिसने अपील मंजूर की और अब रिकवरी का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बागोलिया तालाब

६६६. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि बागोलिया तालाब (मावली तहसील) की रबट का पानी बौर का कुंआ (मावली तहसील) गांव की जमीन से गुजरता है तथा जब पानी ज्यादा भर जाता है तो रबट के पास पाल तोड़ कर पानी निकालते हैं ?

(२) क्या यह सच है कि सन् १९५९ में पाल तोड़ कर पानी निकाला था इससे

Page No.26

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

'बोर का कुआ' नाम के गांव की खड़ी फसलें नष्ट हो गयीं, जमीन कट गई तथा घरों में पानी भर गया ?

(३) क्या यह सच है कि उस नुकसान को उदयपुर सिंचाई विभाग के अफसरों ने व तहसीलदार ने देखा तथा उनके नुकसान की लिस्ट बनाई ?

(४) क्या उस नुकसान का मुआवजा उनको चुकाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) क्या यह सच है कि अभी तक लोगों को मकान बनाने के लिये जमीन अलॉट नहीं की गई ? यह जमीन उनको कब मिल जायगी और अब तक नहीं मिलने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां। परन्तु पाल तोड़ कर कभी पानी नहीं निकाला गया।

(२) जी नहीं। परन्तु रपट के ऊपर बहने वाला पानी निश्चित स्थान से अवश्य गुजरा था।

(३) दोनों विभागों के अधिकारियों ने मौका अवश्य देखा था परन्तु नुकसान की कोई लिस्ट बनाना नहीं पाया जाता।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता। उनका वहां काश्त करना व रहना नाजायज समझा गया।

(५) काश्तकारान को उनके काश्त की जमीन के पास ही वासलिया गांव की सरहद में :—

आ. नं.	१२०,	१२१,	१२२,	१५४,	१२३
	।।।	।।	११।।	४	१०

कुल रकबा २६।।।३ में आबादी बसाने की स्वीकृति सन् ५७ में हो चुकी थी परन्तु काश्तकारान यहां बसने के लिए तैयार नहीं थे अगर पानी भर जाने से कुछ नुकसान होगा तो वे खुद जिम्मेवार होंगे। अगर अब भी ये उस स्वीकृत जमीन पर मकान बनाना चाहे तो भूमि दी जा सकती है।

सीलिंग नियम तथा भूमिहीन कृषकों को भूमि अलॉटमेंट

६७१. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सीलिंग नियम लागू होने के बाद अभी तक कितने भू-स्वामियों ने नियमानुसार अपने भूमि सम्बन्धी आंकड़े प्रस्तुत करते हुए स्टेटमेंट दाखिल किये हैं ? क्या कुछ भू-स्वामियों ने जिन्हें नियमानुसार स्टेटमेंट्स दाखिल कर देने चाहिये अभी तक दाखिल नहीं किये हैं, यदि हां, तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं ?

(२) इन स्टेटमेन्ट्स के आधार पर कुल कितनी भूमि बेजमीन खेतीहरों को आवंटन के लिए उपलब्ध हो रही है ?

Page No.27

(श्री मोहनराज)

पाली जिले मे कितने एकड़ भूमि इस प्रकार उपलब्ध होगी ?

(३) पाली जिले की बाली व देसूरी तहसीलों में कुल कितनी भूमि और किस किस ग्राम में आवंटन हेतु उपलब्ध होगी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान टीनेन्सी एमेन्डमेंड एक्ट, १९६०, जिसमें सीलिंग के सम्बन्ध में प्रावधान है, १५ दिसम्बर, १९६३ से लागू किया गया है तथा उसी दिनांक से सीलिंग नियम भी लागू हुए हैं। २६ नवम्बर, १९६३ को एक विज्ञप्ति के द्वारा उन तमाम लोगों को जिनके पास १५०एकड़ या इससे अधिक भूमि है और वह भूमि राजस्थान नहर के क्षेत्र में स्थित नहीं है निर्देश दिये गये कि वे १५ दिसम्बर, १९६३ से ९० दिन के अन्दर अपनी भूमि का ब्योरा तथा अपने कुटुम्ब के व्यक्तियों की संख्या बतावें। इस ९०दिन की अवधि के गुजरने से पूर्व बहुत बड़ी सख्या में राजस्थान हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के विरुद्ध, रिट याचिकाए पेश की गई। और इनमें बहुत से प्रार्थियों को उन उन न्यायालयों से स्थगन आदेश प्राप्त हो गये है। इन याचिकाओं तथा स्थगन आदेशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया कि जब तक इन याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं हो जावे सीलिंग के नियम को लागू करने के लिए कोई आगामी कार्यवाही नहीं की जावे। ऐसी अवस्था में यह बताना कठिन है कि कितने लोगों ने यह डिक्लेरेशन फायल किया और कितनों ने नहीं किया : जब यह सारी याचिकाएं अस्वीकार हो चुकी और अन्य तारीख मुकर्रर कर पुन: डिक्लेरेशन मांगा जा रहा है, जिनके आने पर ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(३) अभी यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

पंचायत मारोठ (नावा) द्वारा आबादी भूमि के विस्तार के लिए प्रस्ताव

६७२. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नावा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मारोठ (नावा) द्वारा आबादी भूमि के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव जिलाधीश नागौर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(२) उक्त विषय में आज तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि पंचायत द्वारा प्रस्तावित भूमि गैर मुमकिन है एवं लोग वर्षों से बसे हुए हैं व आबादी क्षेत्र से बिल्कुल सटी हुई है ?

(४) इस संबन्ध में निर्धारित व उद्घोषित नीति व नियम लागू करने में सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

(श्री राजस्व मंत्री)

उत्तर

(१) जी हां, तारीख १०-१०-६२ को उप जिलाधीश परवतसर के मारफत कलेक्टर कार्यालय में ग्राम मारोठ में आबादी क्षेत्र विस्तार हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(२) प्रस्तावानुसार ख० नं० २८४ रकबा ८ बीघा ७ बिस्वा सरहद ग्राम मारोठ को आबादी में परिवर्तन कर पंचायत को सुपुर्द करने की आज्ञा २६-१०-६४ को दी जा चुकी है।

(३) जी हां, जो प्रस्तावित भूमि ख० नं० २८४ में आबादी में परिवर्तन किया गया है वह गैरमुमकिन खालसा दर्ज है। आबादी क्षेत्र के नजदीक है। कुछ हिस्से पर मकान बने होना गिरदावरी में दर्ज है।

(४) सरकार की नीति यह है कि तमाम आबादी भूमियों पर कब्जा पंचायतों का करा दिया जावे तथा जहां जहां पर आबादी के विस्तार के लिये भूमि की जरूरत हो वह उपलब्ध करा दी जावे कि जिससे सभी काश्तकारों तथा अन्य कृषि कार्य करने वालों को आवास के लिये स्थान मिल सके।

भूतपूर्व जागीर अधिकारियों का फिक्सेशन

६७५. श्री भगराज चौधरी (रानी-वाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में जागीर पुनर्ग्रहण होने के फलस्वरूप कितने भूतपूर्व जागीर अधिकारियों को राज्य सेवा में लिया गया ? और उनमें से गजटेड सेवा में कितने लिये गये हैं ?

(२) क्या उन अधिकारियों का उचित फिक्सेशन हो चुका है ?

उत्तर

(१) राजस्व विभाग में कुल २६ लिये गये जिनमें से ७ को गजटेड और १९ को नोन गजटेड सेवा में लिया।

(२) जी हां, सिवाय एक के।

हरिजनों द्वारा काश्त की जमीन के लिए प्रार्थना-पत्र

६७६. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील सपोटरा के ग्राम महल डांकरी व ग्राम कानडदा के हरिजनों के काश्त के लिए जमीन के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये हैं ?

यदि हां, तो अब तक काश्त की जमीन उनको न देने के क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र में पहले से बंध बना हुआ है ?

उत्तर

(१) जी हां।

Page No.29

(श्री राजस्व मंत्री)

परन्तु रकबा जंगलात में होने के कारण प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकार कर दिया।

(२) जी हां।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए धनराशि

६७७. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तीसरी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में कितना रुपया खर्च करने की योजना है और अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(२) बाढ़ वाले क्षेत्रों में अलग अलग कितना कितना रुपया खर्च करने की योजना थी और किस किस क्षेत्र में कितना कितना खर्च हो गया है ?

उत्तर

(१) तृतीय पंच वर्षीय योजना काल में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों के लिए ६० लाख रुपयों का प्रावधान था इसके बदले अब २१७ लाख रुपये खर्च किये जायेंगे। तृतीय योजना काल में दिसम्बर, १९६४ के अन्त तक ५३ लाख रुपया व्यय हो चुका है।

(२) बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर प्रावधान व व्यय की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोगीपुरा के निकट पथैना केनाल पर पुलिया का निर्माण

५६. श्री नत्थीलाल (नदबई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार तहसील नदबई (भरतपुर) में पथैना कैनाल पर ग्राम जोगीपुरा के निकट जो पुरानी पुलिया है उसको नये सिरे से बनवाने का विचार रखती है और क्या यह सही है कि इसका एस्टीमेट भी बन चुका है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही इसके मंजूर हो जाने की आशा है।

गुड़ कन्ट्रोल ऑर्डर के अधीन लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी

५७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

गुड़ कन्ट्रोल ऑर्डर के मातहत राजस्थान में किस किस तहसील में कितने कितने व्यापारी तथा क्रय विक्रय समितियां एवं भण्डार गुड़ के लाइसेन्स प्राप्त व्यापारी हैं ? कृपया तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अकाल सहायता कार्यों पर व्यय

५८. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में गत वर्ष अकाल सहायता कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ? कृपया जिलेवार सूची देने की कृपा करें।

(२) अकाल सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार एवं विदेशों से तथा अन्य कहीं से सहायता मिली हो उसकी सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(१) सन् १९६३-६४ व जनवरी ६५ तक राज्य में अकाल सहायता कार्य पर खर्चा इस प्रकार हुआ :—

सन् १९६३-६४ में विभिन्न कार्यों पर १,२६,९५,५७०) रु० खर्च किये गये तथा २८,८३,८३५) रु० तकावी के दिये गये। १९६४-६५ में जनवरी ६५ तक विभिन्न राहत कार्यों के लिए ४,०८,६३,६६०) रु० खर्च किये गये तथा ४७,८८,५७०) रु० तकावी के लिए दिये गये।

(२) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत की जा चुकी है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चालान के मामले

५९. श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में सन् १९६१ से सन् १९६३ तक कितने केस दर्ज हो कर नक्शा 'ए' में अदालत में चालान हुए और कितने केस नक्शा 'बी' में खारिज किये गये और कितने केस पेण्डिग हैं ?

(२) उक्त जिलों में सन् १९६१ से सन् १९६३ ई० तक कितने कत्ल के केस बने और उनमें कितने अपराधियों को सजा मिली है ?

उत्तर

(१) सन् १९६१ से १९६३ तक जिला उदयपुर में कुल ५३५३ मुकदमें दर्ज हुये। २७७५ का चालान (नक्शा ए) हुआ तथा २५३३ में फाइनल रिपोर्ट (नक्शा 'बी') दी गई। ७ मुकदमों में अन्वेषण हो रहा है। इन्हीं तीन वर्षों में जिला डूंगरपुर में ७२१ मुकदमें दर्ज हुई। ४६२ का चालान हुआ। २५३ में फाइनल रिपोर्ट दी गई। २ में अन्वेषण हो रहा है।

(२) सन् १९६१ से १९६३ तक जिला उदयपुर में हत्या के कुल ९७ मुकदमे दर्ज हुए और ७३ अभियुक्तों को सजा हुई। जिला डूंगरपुर में इन्हीं तीन वर्षों में हत्या के कुल २१ मुकदमे दर्ज हुए तथा ९ अभियुक्तों को सजा हुई।

Page No.31

बारां अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था

६०. श्री दयाचन्द सोन (बारां-मु०): क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बारां के नये अस्पताल में मरीजों को पीने के पानी की व्यवस्था है ?

(२) क्या यह सच है कि वहां जो पानी आता है वह खारा है जिसे मरीज पी नहीं सकते और उनको इधर उधर से पानी मंगाने में काफी कठिनाई होती है ?

(३) यदि हां, तो इसका सरकार क्या प्रबन्ध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) बारां अस्पताल में पानी के लिए एक कुआ है।

(२) जी हां। पानी खारा है पीने में स्वादिष्ट नहीं है।

(३) जब बारां में नल द्वारा पानी की व्यवस्था हो जावेगी तो यह प्रश्न स्वतः ही हल हो जावेगा। तब तक के लिए पीने के पानी की गाड़ी बाहर से मंगवाने का इंतजाम कर दिया गया है।

गृहकर, चौमूं नगरपालिका

६१. श्री भानुप्रसाद कराड़िया (चौमूं) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) चौमूं नगरपालिका के निवासियों से गृह कर कितना लिया जाता है ?

उत्तर

(१) राज्य सरकार द्वारा निश्चित दरों के अनुसार गृह-कर लिया जायगा।

जागीरों के पैंडिंग दावे

६२. श्री गंगासिंह (जायल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ५००) रु० से कम आय वाले कितने दावे डिप्टी कलेक्टर जागीर, नागौर की अदालत में पैंडिंग हैं ?

(२) इन जागीरों के दावे पैंडिंग होने के क्या कारण हैं ?

(३) इन जागीरों के बोंड कब तक मंगाकर जागीरदारों को दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) ३३७-१-७-५८ को खालसा की हुई जागीरों के।

(२) यह दावे प्रायः चारणों जागीरदारों अथवा चारणियां बंट के जागीरदारों के हैं जिनकी जागीर भूमि कई ग्रामों में व अन्य जिलों में भी है और हिस्सा कहीं २ ठीक प्रकार से दर्ज नहीं है।

(३) शीघ्र ही।

(१२. ४. म. प.)

"जागृति" साप्ताहिक पत्र के मुद्रणालय का जब्त करने विषयक स्थगन-प्रस्ताव

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपके सामने मैंने स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और वह कोटा की समस्या को लेकर किया है। गत कुछ महीनों से कोटा के अन्दर कलेक्टर कोटा और डिस्ट्रिक्ट जज कोटा, इनका आपसी मनमुटाव के कारण एक प्रकार का नुकसान होता जा रहा है जिससे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य सीधे परिस्थितियों पर आ जाय जिनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आज कोटा में इस प्रकार की स्थिति आ गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार के लिए जो उसको प्राप्त है, कभी संघर्ष करता है तो सत्ता की आड़ लेकर उसका दमन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी समस्या को लेकर मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

कोटा के अन्दर 'जागृति' नामक एक साप्ताहिक पत्र निकलता है। उसके सम्पादक श्री श्यामनारायण सक्सेना हैं, वह इन्डिपेंडेन्ट हैं, किसी पोलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है लेकिन सदैव वह पत्र चाहे सरकारी कर्मचारी हो या कोई भी हो, अगर गलत काम करता है तो उसकी आलोचना करता है। इस पत्रकार ने चले हुए कोटा में ब्रज सिनेमा के बारे में, खंडसारी के बारे में कोटा कलेक्टर, एस० पी० सर्किल इंस्पेक्टर के खिलाफ समय समय पर आरोप लगाए। जब उनके द्वारा आरोप लगाए गए तो उस व्यक्ति को २७–१–६५ उसके दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ३०–१–६५ को इस सम्पादक के विरुद्ध ४०८ ताजीरात हिन्द के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बाद पुलिस ने प्रेस को सीज कर दिया। उसके बाद पत्रकार ने अदालत के अन्दर दरख्वास्त दी। अदालत ने जमानत लेकर उस प्रेस को रिलीज करने के आदेश दिए लेकिन उसी समय पुलिस ने वहां पर रिक्वेस्ट की कि वे कोर्ट के अन्दर अपील करना चाहते हैं इसलिए समय दिया जाय, दूसरे दिन अपील की गई; जिस पर रिसीवर मुकर्रर किया गया, रिसीवर को एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा थ्रेटन किया गया, रिसीवर ने अपने आपको विथड्रा किया उसके बाद जिला जज ने उस पत्रकार से जमानत लेकर प्रेस को रिलीज कर दिया। जब वह प्रेस रिलीज हो गया तो उसके बाद कलेक्टर ने, उस पत्रकार का जो डिक्लेरेशन था उसको कैन्सल करने के बारे में नोटिस दिया और पत्रकार के पत्र का डिक्लेरेशन २३–२–६५ को समाप्त कर दिया। इस प्रकार एक पत्रकार जिसे संविधान के अन्तर्गत अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है उसको दबा दिया गया। समस्या यहीं समाप्त नहीं हुई। उसके बाद उस व्यक्ति ने इस समस्या को लेकर माईक के द्वारा प्रचार किया। २६–३–६५ को पुलिस ने उस व्यक्ति के लड़के और सिरोज अहमद को पकड़ा और सर्किल इन्सपेक्टर मेहताबसिंह और थानेदार भंवरसिंह ने जब ये दोनों व्यक्ति साइकिल पर आ रहे थे कोतवाली के पास वालों से पकड़ कर खींच लिया और बाजार में ही इन व्यक्तियों की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मारपीट की । ये व्यक्ति साइकिल को छोड़ कर भागे और अपने लोगों के पास गये । पुलिस ने साइकिल दफा २५ पुलिस एक्ट के तहत ले ली । इसके बाद जब यही व्यक्ति अगले दिन अदालत गया तो वहां सिपाही पहुंचते हैं और इसी व्यक्ति सिरोज अहमद को अदालत के चौराहे में मारपीट करते हैं. वहां से पकड़ कर गिरफ्तार कर लेते हैं । इसके बाद लड़के के वकील ने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ख्वास्त दी कि इस व्यक्ति को किस जुर्म से गिरफ्तार किया गया, उसने कोई जुर्म नहीं किया । दूसरे रोज वह गिरफ्तार रहा । इतना ही नहीं दूसरे दिन २८ तारीख को श्याम नारायण के दोनों लड़कों को गिरफ्तार किया गया । पब्लिक मीटिंग में माईक जब्त कर लिया गया और उस मीटिंग में जो लाइट दे रहा था, उसको लाइट नहीं देने दी, लाउड स्पीकर पर नहीं बोलने दिया गया । आखिर उस व्यक्ति ने बिना माइक के पब्लिक मीटिंग की, उसी समय दूसरे व्यक्ति सिरोज अहमद को, जिसकी समस्या को लेकर मैंने स्थगन-प्रस्ताव किया हैं, उस व्यक्ति को पुलिस ने अपने कारागार के अन्दर, उसके भौहें और बाल मुंडवा दिए । इतना ही नहीं लेकिन पुलिस के कर्मचारियों ने उस पर पेशाब किया और अपमानित किया और दूसरे दिन जब वह व्यक्ति सिरोज अहमद अदालत के अन्दर गया, वहां लिखित दर्ख्वास्त दी और वहां, अध्यक्ष महोदय, उनके साथ इस प्रकार का कांड किया गया । वे जयपुर में भी आये हुए हैं । उनको मैंने आपको भी बताया है । इस प्रकार के अत्याचार पुलिस के द्वारा व्यक्तियों के साथ किये जांय यह बड़ा ही दु:खपूर्ण है और सरकार के लिये एक प्रकार की शर्म की बात है । उस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, मुकदमा सच्चा था या नहीं, मैं इस मामले में नहीं जाना चाहूंगा लेकिन आये दिन, मैं यह कहना चाहता हूं कि, कोटा शहर के अन्दर जो इस प्रकार के पुलिस के द्वारा अत्याचार किये जा रहे हैं, पुलिस के कर्मचारी जिस प्रकार का पब्लिक के साथ जुर्म कर रहे हैं उनको किसी प्रकार रोका नहीं गया, क्योंकि वे तो जुर्म करने के आदी बन गये हैं; तो मैं सोचता हूं कि आप का जनतन्त्र चलेगा नहीं और जनतंत्र पर से जनता का विश्वास ही उठ जायगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कुछ तथ्य सदन के सम्मुख रखे हैं और उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने एक स्थगन-प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया था । स्थगन-प्रस्ताव तो अस्वीकार कर दिया गया है । माननीय सदस्य ने बताया कि कुछ मामले अदालत में चल रहे हैं उनके सम्बन्ध में तो वहां पर कार्यवाही जो कुछ भी होगी, होगी और उनके सम्बन्ध में यहां उल्लेख करना उचित नहीं होगा लेकिन जो प्रशासनिक सम्बन्धी मामले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में प्रकट किये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं आशा करता हूं कि सरकार की ओर से आवश्यक जांच की जायगी और जो यथोचित कार्यवाही होगी वह भी की जायगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोई मामला इस समय अदालत के सामने नहीं है । कोई पुलिस की ओर से चालान भी पेश हुआ हो या कोई बात हो, ऐसी स्थिति नहीं है ।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

(१२. १२. म. प.)

भारत-पाक नहरी पानी समझौते सम्बन्धी स्थगन-प्रस्ताव

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना मैंने भी दी थी और वह इस सम्बन्ध में थी कि ३१-३-६५ को इन्डो पाक ट्रीटी-पानी जो पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है वह समाप्त होगी और व्यास और सतलज से २।। लाख घनफुट पानी हमको मिल जाना चाहिए। इसमें से अधिकतर पानी का गंगानगर के हिस्से को आता है। पिछले छः साल से गंगनहर एक एस्केप नहर की तरह से चल रही है। २।। लाख घन फुट पानी में से अधिक हिस्सा राजस्थान को मिलना था। लेकिन भारत सरकार ने फर्स्ट स्टेज की जो ट्रीटी है इसको अधिक बढ़ा दिया है इससे गंगानगर जिले में एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। पहले से ही पानी कम मिलने से गंगानगर जिले के लोगों की फसलों को काफी नुकसान पहुँचा है। पैदावार में भी नुकसान और आर्थिक नुकसान भी है। राजस्थान के एक्सचेकर पर भी बड़ा भारी बोझ पड़ रहा है। जिस प्रकार की नीति पाकिस्तान हमारे साथ बरत रहा है, लगातार २२-२२ दिन से पाकिस्तान फाइरिंग करता रहे, उसको देखते हुए अपने लोगों का पेट काट कर उनको पानी दें और वह हमारे साथ इस प्रकार की नीति बरते और उस पर भारत सरकार उसको और अधिक समय के लिए पानी दिया जाय, यह उचित नहीं है और इसका ताल्लुक राजस्थान से है इसलिए मैंने इस सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से गम्भीर स्टेप उठाये जाने निहायत आवश्यक हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (सिंचाई मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है जिसकी कॉपी मैंने देखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनकी सूचना का आधार राजस्थान पत्रिका में छपा हुआ समाचार है। उन्होंने जो कुछ भी तथ्य अभी कहे कि ६५ की फर्स्ट ट्रीटी की थी एक साल के लिए उनको और आगे बढ़ा दिया इससे गंगानगर और राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है। मैं सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जो तथ्य एक पत्र के बेसिस पर यहां रखे गये हैं उनकी कोई जानकारी राजस्थान सरकार को नहीं है। राजस्थान सरकार ने इस बात की जानकारी करने की कोशिश की, जो ट्रीटी राजस्थान केनाल के बारे में हुई है उसके एक्सटेन्शन का प्रश्न है। हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिससे हम यह कह सकें कि एक्सटेंन्शन की बात चल रही है। एक अखबार से सूचना मिली और स्थगन प्रस्ताव रख दिया। जहां तक राजस्थान सरकार की जानकारी है, ये सब तथ्य आधारहीन

Page No.35

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है । इससे आगे सोचना, और नुकसान होना और कहना कि राजस्थान को नुकसान हो रहा है, गंगानगर जिले को नुकसान हो रहा है. मैं समझता हूं कि यह प्रश्न इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं अर्ज करू....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

माननीय सदस्य, श्री हांडा ने जो तथ्य सदन के समक्ष रखे हैं मंत्री महोदय का कहना है कि उनकी सूचना राजस्थान सरकार को नहीं है इसलिए स्थगन-प्रस्ताव को तो स्वीकार किया जाता है लेकिन मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि इस स्थिति में यथोचित जानकारी करके कि अगर यह समय नहीं बढ़ा है और बढ़ा है, तो क्या असर पड़ता है और किन परिस्थितियों में, क्योंकि यह मामला हमारे लिए हमारे राज्य के कुछ हिस्सों के लिए और सारे राज्य के लिए एक महत्व का है । इसलिए सदन चाहेगा कि मंत्री महोदय इसकी जानकारी करके स्वयं ही सदन को सूचना दे दें ताकि स्थिति का निराकरण हो सके ।

कई माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कोई प्रश्न न उठायें बगैर मुझे पूछे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष : आप तसल्ली तो करिये ।

(१२. १७ म. प.)

राजस्थान बिक्री कर नियम १९५५ में संशोधन विषयक अधिसूचना

(सदन की मेज पर रखी गई)

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, १९५४ की धारा २६ (६) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं अर्थ कार्य) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ ५ (२१) एफ. डी. आर. टी । ६४ दिनांक ३१ दिसम्बर, १९६४ को जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, १९५५ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास ।

बीकानेर शहर में पीलिया की बीमारी के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर में पीलिये की बीमारी के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर मैं प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी

(श्री मुरलीधर व्यास)

नियमों के नियम १३१ के अन्तर्गत स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय स्वास्थ्य मंत्री ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीलिये की बीमारी बीकानेर में चालू है। और माननीय सदस्य कहते हैं कि गम्भीर है । उन्होंने गवर्नमेंट का इस ओर ध्यान दिलाया है । इसके साथ साथ जब गवर्नमेंट के पास खबर आई तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस बारे में कुछ कार्यवाही की है। सबसे पहले बीकानेर में पीलिये के फ़रवरी में केसेज़ आये। उसके बाद सबसे पहले काम तो यह किया गया कि वहां की म्युनीसपैलिटी में हैल्थ ऑफिसर नहीं या वहां पर डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर को म्युनिसिपैलिटी में हैल्थ ऑफिसर की जगह काम करने के लिए एक महीने का वक्त दिया । डिस्ट्रिक्ट मेडीकल हैल्थ ऑफिसर, डाइरेक्टर मेडीकल एण्ड हैल्थ सर्विसेज़, लोकल बोर्डीज के डाइरेक्टर, वहां के प्रिन्सिपल और मेडिकल कॉलेज के दूसरे प्रोफेसर सब मिले और डॉ० सुराना की चेयरमेनशिप में एक कमेटी बनी कि इस पीलिये की रोक-थाम कैसे की जाय। पीलिये की बीमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक छूत की बीमारी है और इन्सान का स्टूल होता है, किसी का इन्फेक्टेड होता है तो उस गन्दगी से यह बीमारी दूसरी जगह फैल जाती है। और इसकी रोक-थाम के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वह यह होती है कि पानी के अन्दर गन्दगी न फैले। पहला कदम तो यह उठाया जाता है। दूसरा कदम यह उठाया जाता है कि जिसके वायरिस मौजूद हैं वे किसी खाने की चीज में न आ जाय इसलिये वहां पर ऑर्डर दे दिया गया कि बर्फ बनाना, आइस केन्डी बनाना ऐरेटेड वाटर, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक बनाना बन्द कर दिया जाय। इसके साथ साथ यह भी ऑर्डर दे दिया गया कि जितने होटल वाले हैं, ढाबे वाले हैं, रेस्टरां वाले हैं उन सब का चैकिंग किया जाय और उनका चैकिंग जारी है। उन सब का चैकिंग करते जा रहे हैं कि खाने-पीने की चीजों को जो ये सर्व करते हैं उनमें कोई बीमारी तो नहीं है। जिस होटल में बीमार है उसको फौरन उस होटल से हटा दिया जावेगा ताकि खाने-पीने की चीजों में उसकी बीमारी न फैले। इसी तरीके से तमाम डॉक्टर्स, वैद्य जो उस इलाके के हैं उनको ऑर्डर दे दिया गया है कि पीलिये का केस हो जिसको वे ट्रीट करते हैं उनको म्युनिसिपल कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर को देना चाहिये। इसके साथ साथ यह कोशिश की जा रही है कि गंदे पूल बने हुए हैं उनमें मक्खियां जमा हो गई हैं तो वहां पर स्प्रे किया जाय और उनको मारा जाय।

इसके लिये सबसे ज्यादा खतरनाक और जरूरी चीज है इन्सान का गन्दा मैला जिसकी वजह से इस बीमारी का इनफेक्शन होता है। उसी के कारण यह बीमारी ज्यादा फैलती है इसलिये इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये है कि इसको बरी करने के लिये ट्रेन्चेज खोदी जाय। मैला जो निकल रहा है, बलगम निकल रहा है, गन्दगी निकल रही है उसको इन ट्रेन्चेज में दबाया जाय। इस बात की

(श्री बरकतुल्लाखां)

भी कोशिश की जा रही है कि म्युनिसिपैलिटी इस कार्य के लिये ट्रोली ले सकती है; ट्रक्स गाडियां ले सकती है ताकि इस मैले को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके। कमिश्नर डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्रेटरी आदि से इस बारे में यह कहा गया है कि इसका परमानेन्ट सोल्यूशन यह है कि यह जो ह्यु मेन वेस्ट है इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट यूज़ करे, इसके लिये २२ लाख से ऊपर की स्कीम बनाकर हमने भेजी है। माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट इस बारे में पूरी तरह से जागरूक है और पूरी मुश्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। हमारी तरफ से यह कोशिश की जा रही है कि यह बीमारी और न फैलने पाये। इस समय तक १५१ केसेज रिकार्ड हुए हैं उनमें से तीन की मृत्यु हो चुकी है ज्यादातर केसेज हैं वे आदमी के हैं, बच्चे कम हैं, इसका आक्रमण आदमियों पर ज्यादा हुआ है। सरकार इसका पूरी तरह से ख्याल रख रही है ताकि जोन्डिस की बीमारी का पूरी तरह से कन्ट्रोल किया जाय। जहां तक वाटर वर्क्स का ताल्लुक है २५० और ३०० फीट की गहराई से जो पानी आता है उसके अन्दर केन्डीनेशन नहीं होता है जहां जहा भी पाइप टूट गये है उसको भी इमीजियेटली रिपेयर करने के आदेश दिये गये हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बीमारी के कारणों का जहां तक वैज्ञानिक प्रश्न है उस बारे में मन्त्री महोदय ने कहा। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण जो हमारे नोटिस में आया है वहां पर जो वाटर सप्लाई होती है, उसके जो पाइप्स हैं वे बार बार फूट जाते हैं और फूटे हुए पाइप्स द्वारा पानी सप्लाई होता है। जब पानी उस पाइप में चलता है तब तक तो उसके साथ नाली का पानी मिक्स नहीं होता लेकिन जब पानी बन्द हो जाता है तो उसमें मैला पानी जो साथ ही में बहता है वह उसमें मिल जाता है और वह लोगों के पीने में आ जाता है। इससे यह बीमारी फैली है। यह बात सही है कि हजारों पाइप फूटे हुए पड़े है। यह मामला दूसरे डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है लेकिन जहां तक पानी से बीमारी होती है, पाइप लाइन के साथ साथ नालियां चलती है, गटर चलते हैं, उनके पास से अन्डर ग्राउन्ड चलते हैं, समय समय पर वे फूट जाते हैं उनको चैक नहीं किया जाता। यह जो बीमारी है वह दिल्ली के अन्दर भी फैली थी उसका भी कारण यह बताया गया कि जो पानी पीने को मिलता था उसके साथ साथ गटर का पानी मिल गया था। इस कारण यह बीमारी फैली थी। यहां पर भी यही स्थिति है। इसका कारण यह है कि हमारा म्युनिसिपल डिपार्टमेन्ट, दूसरा पी०डब्ल्यू० डी०, वाटर वर्क्स इनका परस्पर सम्बन्ध है। जहां तक म्युनिसिपैलिटी का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी में इस प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई है कि वहां पर न नालियों का इन्तजाम है, न ड्रेनेज की सफाई का इन्तजाम है। इसके साथ ही गन्दगी उठाने का जहां तक सवाल है उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। बीकानेर शहर में जो चौतीने का कुआ है वह कोटगेट के बाहर है, कुएं के पास ही जहां टैंक से पानी

(श्री मुरलीधर व्यास)

सप्लाई करते है वहीं पर सारे शहर का मैला इकट्ठा किया जाता है जो खुला पड़ा रहता है उसकी गन्दगी से मक्खियां, कीटाणु आदि जो होते हैं वे वहीं से पानी में मिल जाते हैं और वह पानी जनता को पीने के लिये दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मैंने हैल्थ ऑफिसर का ध्यान खींचा था उनको मैंने यह बात कही भी थी और लिखित में पत्र भी भेजा था लेकिन उन्होंने कोई पर्वाह नहीं की। खास तौर से मैं आपका ध्यान इसलिये खींचना चाहता हूं कि लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट व मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेन्ट, जो दोनों आपके पास में हैं, परस्पर इनका सम्बन्ध है। वहां के जो कमिश्नर हैं उनकी लापरवाही की वजह से काम नहीं हो रहा हैं, उनकी वजह से व्यवस्थाठीक नहीं हो पा रही है। म्युनिसिपल प्रेजीडेन्ट जो आपकी पार्टी के हैं वे अलग से मनमानी धांधली कर रहे है। सफाई का कोई प्रबन्ध नहीं जो पैसा आना चाहिये वह भी नहीं आता। ठीक ढंग से उसके वसूली की भी व्यवस्था नहीं। म्युनिसिपैलिटी का जहां तक सफाई का काम है वह पूरा नहीं कर पाती। इसलिये मैं आपका ध्यान इधर खींचना चाहता हूं परस्पर जो संघर्ष है म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल चेयरमैन में इस कारण वे अपनी अपनी मनमानी करते हैं गन्दगी जो फैल रही है उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं सोचते। इसलिये मैं, मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर अविलम्ब ध्यान दे।

जहां तक होस्पिटल में इन केसेज का सवाल है उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं, ऐसे हजारों केसेज हैं जो पीलिये से पीड़ित हैं वे ज्यादातर आयुर्वेद औषधियों से इलाज करवाते हैं। आप किन्हीं केमिस्ट्स के जाकर पूछिये कि कितनी दवाइयां जा रही हैं तब पता चल जायगा कितने केसेज हैं। यह बड़ा महत्व का सवाल है। मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है वे पूरी ताकत लगाकर इस बीमारी की रोकथाम की कोशिश करेंगे। आप इस मामले में वाटर सप्लाई में जो खराबी है उसको भी दूर कराने का प्रयास करेंगे। गत साल भी चेचक की बीमारी से हजारों बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, अतः इस महामारी को फैलने से रोकने के लिये आपका विभाग पूरी तत्परता से काम करेगा। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको विशेष मांग लेकर भी इसके लिये पैसा खर्च करना पड़े तो वह भी करिये ताकि यह जो बीमारी है वह न फैलने पाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, देहली में जब यह बीमारी हुई थी उसका जो कारण ढूंढा गया उससे पता चलता है कि वहां पानी में एक्सेस क्लोरीन की वजह से यह जोन्डिस की बीमारी फैली थी। उसके साथ साथ ड्रेनेज का और गटर का भी पानी मिलना भी एक कारण था। आप इस बारे में टोटल फाइन्डिंग्ज़ करवाइये कि कहीं एक्सेस क्लोरीन की वजह से तो यह बीमारी वहां नहीं फैली है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहूंगा कि अब तक

Page No.39

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कितने केसेज पी० बी० एम० एच० में रजिस्टर हुए हैं, उसके बाद राजस्थान सरकार ने बीकानेर शहर में इस पीलिये से फाइट करने के लिये क्या स्पेसिफिक इन्तजाम किया है? पहले बीकानेर में आन्तशोथ हुआ; उसके बाद चेचक फैली और अब शहर में पीलिया फैल रहा है जो भयंकर रूप से फैल रहा है। इस सम्बन्ध में मैंने स्थगन-प्रस्ताव भी दिया था, उस सम्बन्ध में अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, इस सारी जानकारी के बाद म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हुए आप क्या यह अन्दाज लगा सकते हैं कि म्युनिसिपैलिटी अपने रिसोर्सेज से जो मैले उठाने के साधन हैं क्या उससे वह शहर की सफाई का इन्तजाम कर सकता है? मैं, बीकानेर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक सवाल है, निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर की जनता के स्वास्थ्य के लिये म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा रखना उचित नहीं है, वह कदापि उसके लिये इन्तजाम नहीं कर सकता। यह आपके विभाग की स्पेसिफिक जिम्मेवारी है। दो संक्रामक रोग तो फैल चुके हैं तीसरा रोग फैल रहा है; इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि इसका बहुत सावधानी के साथ इन्तजाम करना चाहिये। इंगलैण्ड के अन्दर तो यह परम्परा है कि इस प्रकार के संक्रामक रोग का एक भी आदमी शिकार हो जाता है तो स्वास्थ्य मन्त्री को आफत हो जाती है उन परम्पराओं की बात मैं यहां नहीं करता। लेकिन हजारों लोग इस बीमारी से जहां ग्रसित हों वहां के लिये आपको साधन मुहैया करने चाहिये इसके लिये स्पेशल इन्तजाम करना पड़े तो भी वह किया जाना चाहिये। आप समय बीत जाने पर ज्यादा बीमारी फैलने पर यह लेम एस्क्यूज न दे सकें कि यह तो म्युनिसिपैलिटी की लापरवाही से यह हुआ। इसलिये हम आपको पहले से ही सावधान कर देना चाहते हैं, आप इस बारे में पूर्णरूप से सतर्क रहें, म्युनिसिपैलिटी पर आश्रित न रहें। इसके लिए जो भी फण्ड इत्यादि आपको एप्रोप्रियेट करना हो कराए, रीजनेबल तरीके से खर्च करना चाहिये; इस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर में जो गन्दगी बढ़ रही है उससे स्माल पॉक्स और पीलिया की बीमारी फैल रही है। इसका एक मात्र कारण यह है कि म्युनिसिपैलिटी के पास ऐसे साधन नहीं हैं कि वह पूरी तरह से सफाई का इन्तजाम कर सके। जब वहां म्युनिसिपैलिटी के एडमिनिस्ट्रेटर थे उस वक्त भी ऑक्ट्राय वगैरह पूरा नहीं वसूल हो पाता था। बहुत बदइन्तजामी थी। और उसी से सारी बीमारी फैली है। आज चैयरमैन ने भी टेलीग्राम दिया है कि कमिश्नर इनएफीशियेन्ट है उनकी इनएफीशियेन्सी की वजह से करों की वसूली पूरी नहीं होती। तो आज जो बीमारी की हालत वहां पैदा हो गई है उसे कन्ट्रोल करने के लिए कार्यवाही करें और वहां की म्युनिसिपैलिटी के रिसोर्सेज के लिये भी इमदाद करें ताकि म्युनिसिपैलिटी पूरा इन्तजाम कर सके।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताया गया है कि क्लोरीन जो डाला गया है या डाला जा रहा है वह ठीक मिकदार में डाला जा रहा है। पर जैसा बताया गया है कि नही डाला जा रहा है तो मैं फिर जांच करके पता लगाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्वाद बहुत बुरा है। ऑलरैडी वहां का साल्टिश वाटर है। जयपुर शहर मे जितना क्लोरीन डाला है, उतने की जरूरत नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां : इसके लिये तो पूरा पता लगाऊंगा। अगर एक्सैस डाला है तो जिम्मेदारी फिक्स कराऊंगा। इसी तरह से शहर की सफाई के लिये भी प्रबन्ध कैसा हो सकता है, यह देखूंगा और ऑफ हैण्ड मैं नहीं कह सकता कि इतना रुपया दे दूंगा। पर यह जरूर कह सकता हूं कि पीलिया की बीमारी को रोकने के लिए ट्रेन्चेज़ खोदने के लिये जो रिफ्यूज है अभी जिसके अन्दर इनफेक्टेड मैला है उसको बरी करवाने का फौरन इन्तजाम कराने को कह दिया गया है और एक एरिया लोकेट करके एक मील एरिया लोकेट करके उसे दवाने का इन्तजाम किया है।

पहले के मैले का पहाड़ सा अम्बार लगा है। इसके लिये हमने एग्रीकल्चर विभाग को एप्रोच किया है। २२ लाख के ऊपर की स्कीम है, यह सारा मैटीरियल वेस्ट होता है इसलिये इसका खाद बनाकर फायदा उठा लें और जो म्युनिसिपैलिटी पर भी भार है वह खतम हो जावे तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें कोई गड़बड़ी न हो जावे और इस तरह की कोई रेस्पोन्सिबिलिटी इवेड करने की कोई बात नहीं है और इसके लिए कोई लेम एक्सक्यूजेज दिये जावेंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे।

जब हमें खबर मिली, १२ डाक्टरों की मीटिंग कॉल की। सबके साथ बैठ कर तय किया गया कि किस तरह से हमें इस का मुकाबला करना चाहिए और अध्यक्ष महोदय, आपके जरिये सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ कोशिश करेंगे और पूरे कदम उठावेंगे कि जिससे पीलिया का खतरा यहीं रुक जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सुराणा कमेटी की रिपोर्ट राजस्थान सरकार को मिल गई है और राजस्थान सरकार ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी नहीं। अभी नहीं मिली है। सुराणा स्वयं मौजूद थे पीलिया के केस चले तब। तो हमने उनकी उपस्थिति का एडवान्टेज लिया कि उनकी चैयरमैनशिप में एक कमेटी बुला ली। जिसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डाइरेक्टर, कलेक्टर, कॉलेज के प्रिन्सिपल और डिस्ट्रिक्ट हैल्थ ऑफिसर वगैरह भी मौजूद थे, वहां और दूसरे डाक्टर भी मौजूद थे तो उनकी प्रेसीडेन्टशिप में डिस्कस करके यह निर्णय लिया कि इस पीलिया की बीमारी को कम्बेट करने के लिए क्या काउन्टर मेजर लिए जाने चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपकी जानकारी में दो चीजें है? तो एक तो वह ड्रैनेज जो

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

स्टेशन से पैरेलल रन करता हुआ जाता है वह बिल्कुल ओपन है। म्यूनिसिपैलिटी में बजट पास हुआ है उसको कवर करने के लिए और मनी लेप्स हुआ है, पर वह ड्रेनेज आज तक कवर नहीं हुआ है वह सबसे बड़ा न्यूसेंस है और बीमारी महामारी फैलाने का सबसे बड़ा कारण है।

नम्बर दो। क्या ग्रापकी यह जानकारी में है कि बीकानेर में इतना कूड़ा करकट इकट्ठा हो चुका है कि सूरतगढ़ फार्म ने बाकायदा ग्रॉफर की थी कि अगर हमें यह खाद के रूप में दे दिया जावे तो बाकायदा अपनी गाड़ियों से लोड करवा कर हम ले जावेंगे ! पर उनकी यह ऑफर भी बहरे कानों में पड़ी मालूम होती है।

आज तो सूरत यह बन चुकी है कि बीस तीस और चालीस साल का मैला हीप की शकल में इकट्ठा हो गया है ग्रौर आज पीलियां और स्माल पॉक्स पैदा कर रहा है, वहां वह गंग कैनाल में उसके एरिया में अन्न पैदा करने में खाद का काम कर सकता था वह खेतों के काम आ सकता था, पर इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया।

ये दोनों चीजें मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं और ग्रगर ड्रेनेज कवर करा दी जावे तो नहर का ग्राधा न्यूसेंस खत्म हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : सूरतगढ़ फार्म वाले लेने को तैयार हैं तो बड़ा सुन्दर है।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं गया था बीकानेर तो डाइरेक्टर, लोकल बोडीज़ को इन्स्ट्रक्ट किया था कि उनसे बात करें, उनको खत लिखें। उठा लें और कुछ कीमत म्यूनिसिपैलिटी को दे दें जिससे वह ड्रेनेज और दूसरे वर्क को हाथ में ले सके। और इसके साथ साथ परमानेन्ट बन्दोबस्त के लिए एग्रीकल्चर डिभाग को लिखें कि आप खुद उसे इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, किसी दूसरों को दिलाना चाहें तो दिला दें, ग्रो मोर फूड कम्पेन में देना चाहें तो दे दें और इसमें पचास लाख के आसपास की रकम लगेगी ; उससे मैला भी उठेगा ग्रौर परमानेन्ट सोर्स ऑफ इन्कम भी हो जावेगी। पर अभी जवाब नहीं आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (ग्रलवर) : कीमत तय न हो और उससे होने वाली देरी में इन्सानों की जानों का खतरा आप ले लें उनकी जानें खतरे में डालें यह कहां की अक्लमन्दी है। फ्री दे दीजिये, बल्कि आपको पेमेन्ट कर देना चाहिये उठाने का।

It should be immediately settled.

What right have you got to endanger the lives of others?

श्री बरकतुल्ला खां : इसमें थोड़ी गलतफहमी हो रही है। जो पहले का हीप है वह भी अपनी जगह पर कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं उसे पसन्द नहीं करता पर उसे पीलिये की बीमारी फैल गई हो यह नहीं है। पीलिये की बीमारी तो यह होती है कि कोई इफेक्टेड केस होता है और उसका गू

Page No.42

(श्री बरकतुल लाखां)

(मैला) जो है किसी चीज से कन्टेमिनेटेड हो जावे, खाने पीने की चीजों में और वह हैल्दी आदमी काम में ले ले तो पीलिये का इनफेक्शन होता है। तो यह कारण है। हालांकि मैं यह मानता हूं कि जो हीप लगा है वह एक बुरी चीज है और हम उसके लिये भी विचार कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की इन्फोर्मेशन है कि वहां चूहे भी मर रहे हैं। इस तरह के लगातार समाचार समाचार पत्रों में भी आ रहे हैं। चूहे घरों में मरने शुरू हो रहे हैं। पहले भी बीकानेर में प्लेग आई थी कुछ सालों पहले। वहां आज पचासों साल का कूड़ा एकत्रित हुआ है। आप उसे रिबेट देकर कुछ कर के रिमूव करिये। आपके पास नहरी कॉलोनी है, १५० मील की दूरी पर है। सारा खाद बन कर बून बन सकता है।

यह इन्फोर्मेशन आ रही है कि चूहे मरने शुरू हो गये हैं और बहुत जल्दी एपीडेमिक में स्प्रैंड हो सकती है यह पूरी आशंका है। आम समाचार पत्रों में खबरें आ रही हैं।

(१२.३६. म. प.)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। कौनसा विधेयक प्रस्तुत करें।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

(इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

(२) श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)

(३) श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर)

(४) श्री केदारनाथ (गंगानगर)

"राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६५ को तीन माह। एक माह। तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

(१) श्री दुर्गालाल चाढ़दार (हवामहल, जयपुर)

(२) श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द)

(३) श्री चौसरसिंह चावेल (बैंगू)

(४) श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)

(श्री दुर्गालाल बड़दार)

(२) " राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १६६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे" (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी]

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १६६५ को विचारार्थ लिया जाय ।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इसमें अमेंडमेंट्स हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कोई खड़े ही नहीं हो रहे हैं बोलने के लिए ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १६६५ सदन में माननीय विधि मंत्रीजी ने विचारार्थ प्रस्तुत किया है । इसके सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव पेश किया है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन), विधेयक, १६६५ को ३ माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के अन्दर जो उद्देश्य और कारण दिये हुए हैं उनको देखने के बाद ऐसा मालूम पड़ता है कि लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखने की दृष्टि से राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि लोकतन्त्रीय शासन पद्धति में विरोधीदल का भी एक महत्व होता है । वह विधेयक इस बात का सबूत है कि राज्य सरकार ने चाहे देरी से ही क्यों न हो लेकिन आज इस बात को स्वीकार किया है कि यदि लोकतंत्र को सही ढंग से चलाना है तो उस दृष्टि से विरोधीदल को सही मान्यता देनी होगी और इतना ही नहीं विरोधी दल के लोग सही ढंग से काम कर सकें उस दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि विरोधी दल के नेता का जो पद है उसकी समानता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो लाभ दिये जाते हैं या सुविधायें दी जाती हैं वे सुविधायें उनको दी जायें ।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आज १४ साल के बाद कांग्रेस हुकूमत ने पहली बार लोकतंत्र के इस मूल विचार को समझा है । १४ साल के बाद कांग्रेस ने आज पहली बार लोकतन्त्रीय शासन पद्धति में जो विरोधी दल के प्रति प्रतिष्ठा का भाव होना चाहिए उसको प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से यह पहला कदम उठाया है लेकिन मैंने यह प्रस्ताव रखा कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये । मैं इस विधेयक का विरोध नहीं करता लेकिन इसके पीछे कौन सी भावना है और सरकार ने जो यह एक आधार कायम किया है और सरकार की मनोवृत्ति जो इस सम्बन्ध में होनी चाहिए और सरकार को इस सम्बन्ध में विरोधी दल की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से जो कदम उठाना चाहिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

वह कदम सरकार ने पूरी तरह से नहीं उठाये हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस सदन में तो सभी सदस्य इस बात से सहमत होंगे लेकिन सदन के बाहर जनता भी अपनी राय इस सम्बन्ध में सरकार के सामने रख सके और जनता जो आज राजस्थान की जनता है जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं आज इस कांग्रेस के शासन से जितनी पीड़ित है उतना शायद कभी नहीं रही होगी। आज राजस्थान की जनता कांग्रेस हुकूमत को बदलना चाहती है। सन् ५२ के चुनावों में राजस्थान में जो आम चुनाव हुए उसमें लगभग आधे सदस्य कांग्रेस के थे और आधे विरोधी दल के सदस्य थे। उसके बाद में ६२ में आम चुनाव हुए उसमें भी आधे लोग कांग्रेस के जीतकर आये और आधे लोग विरोधी पक्ष के जीतकर आये। ८८ लोग कांग्रेस के आए और ८८ विरोधी पक्ष के आये लेकिन आज यह सब कुछ होने के बाद भी आज जनता इस कांग्रेसी राज्य से इतनी त्रस्त है, आज देश में कमी महसूस की जा रही है कि कोई इस प्रकार का सशक्त विरोधी दल पैदा हो जो इस कांग्रेस को हटा कर देश की शासन सत्ता अपने हाथ में ले। उसकी दृष्टि से आवश्यक है कि हम लोकतन्त्रीय शासन पद्धति में विरोधी दल को पनपाने की दृष्टि से उनको सब सुविधायें प्रदान करें। यह शासन का कर्त्तव्य है, लोकतन्त्र को चलाने की जिम्मेदारी सब पर है। परन्तु अफसोस की बात है कि पिछले १४ वर्षों में कांग्रेस हुकूमत ने इस देश में और इस राजस्थान में लोकतंत्र को पनपाने के लिए कोई कदम नहीं उठाये। लेकिन जैसा मैंने पहले के भाषण ३ मार्च में निवेदन किया था कि इस कांग्रेस ने देश और राजस्थान विशेषकर में लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए कदम उठाये हैं। लोकतंत्र का स्वस्थ विकास नहीं हुआ, विरोधी पक्ष पनपा नहीं उसकी हालत सदन के अन्दर क्षीण है, सदन के बाहर क्षीण है, जायज और नाजायज तरीकों से हस्तक्षेप करना, उनकी ताकत को कम करना उनको किसी प्रकार की गिरावट करने की कोशिश करना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसके कारण से विरोधी दल किसी प्रकार विकसित न हो सके। सरकार के हाथ में सारी सत्ता होने के कारण उसको दुरुपयोग करके जो सरकार ने परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की मैं कहता हूं कि सरकार के लिए यह शोभाजनक नहीं है। सरकार ने इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की।

आपने इस विधेयक में यह व्यवस्था की है कि विरोधी पक्ष के नेता को रहने के लिए मकान देंगे–यह खुशी की बात है।

आप विरोधी पक्ष के नेता को रहने की सुविधायें देना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तरह से या मंत्रि मण्डल के अन्य सदस्यों की तरह से विरोधी पक्ष के नेता को रहने के लिए निःशुल्क आवास की व्यवस्था करना चाहते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप केवल रहने की व्यवस्था ही क्यों करना चाहते हैं? आप वे सारी सुविधायें क्यों नहीं देना चाहते हो जो कि मंत्रियों को हैं, जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार सही माने में चाहती है कि हम

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

विरोधी दल के नेता को चाहे वे आज स्वतंत्र पार्टी के नेता हों, कल को दूसरी पार्टी के भी हो सकते हैं और मैं तो यह कह सकता हूं कि जो परिस्थिति आज राजस्थान में बनती जा रही है उसमें कोई ताज्जुब नहीं कि ६७ के आम चुनावों में जो विरोधी दल यहां बैठा है वह उधर चला जाये और आपको विरोधी दल के नेता की कुर्सी पर बैठना पड़े, इसलिए यह आपके ही हित में होगा। यदि इस प्रकार की सुविधायें अज दी जाती हैं और कानून में ऐसा संशोधन किया जाये कि जब दो साल के बाद माननीय मुख्य मंत्री और विधि मंत्रीजी को विरोधी दल के नेता बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा उसके लिए आज ही सारी सुविधायें ले लें। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मंत्रियों को, अध्यक्ष को और उपाध्यक्ष को सारी सुविधायें जो भी उपलब्ध हैं वही विरोधी पक्ष के नेता को भी मिलनी चाहिए। उनको गाड़ी मिलनी चाहिए। जब हमने सदन में स्वीकार किया इस सिद्धांत को कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और मंत्री मण्डल के सदस्यों की तरह से उनको रहने की सुविधा मिलनी चाहिए, बिजली और पानी की सुविधा मिलनी चाहिये तो उनको मोटर गाड़ी की सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, उनको पी० ए० और प्राइवेट सेक्रेटरी क्यों नहीं मिले, बाकी की सारी सुविधायें क्यों नहीं मिलें ? उनको सारी सुविधायें मिलनी चाहिए और इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिए कि रहने के लिए मकान ही नहीं, बिजली और पानी मुफ्त में नहीं बल्कि लीडर ऑफ दी अपोजीशन को वह सारी सुविधायें प्राप्त होंगी जो कि एक मिनिस्टर को होती हैं, जो कि चीफ मिनिस्टर को होती हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को होती हैं, ऑफिसर्स को प्राप्त होती हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ब्रिटिश टाइम में; जिस प्रकार से इंगलेंड में विरोधी पक्ष के नेता को प्राइम मिनिस्टर के बराबर माना है, प्रधान मन्त्री के बराबर उसकी हैसियत को माना है और वही सारी सुविधायें हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि वह सारी सुविधायें प्रतिपक्ष के नेता को दी जानी चाहिएं। प्राइवेट सेक्रेटरी की, पी० ए० की, स्टाफ की, गाड़ी की सारी सुविधायें उनको दी जानी चाहिए और इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर यह सारा मसला जो खड़ा होता है मैं यहां तक ही केवल नहीं कहना चाहता हूं बल्कि इसमें आगे इतना और कहूंगा कि यदि वास्तविक रूप से लोकतंत्र का विकास चाहते हैं तो मैं यह विधि मंत्रीजी से कहूंगा कि आखिर आप एक तरफ इकोनोमी की बात करते हैं, कटौती की बात करते हैं ; लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने लीडर ऑफ दी अपोजीशन को फेसेलिटीज़ दी हैं-हमारे देश में डुअल पार्टी सिस्टम नहीं है, जिस प्रकार से दूसरे देशों में है कि वहां पर दो पार्टियां काम करती हैं, दो राजनैतिक पार्टियां हैं उनमें से एक तो शासन चलाती है और दूसरी विरोधी पक्ष में बैठती है। आज हमारे देश में अनेक राजनैतिक दल हैं और हमारे यहां पर विचारों की स्वतन्त्रता है और अपनी विचारधारा के अनुसार यहां पर अनेक पार्टियां काम करती हैं और ऐसी पार्टियां

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं जिनके सिद्धान्त हमारे देश की सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति या जो राजनैतिक विचार हैं उनसे मेल खायें या नहीं लेकिन उनको अपना कार्य स्वतन्त्र रूप से करने की इजाजत है।

यदि हम देश में स्वतन्त्र लोकतंत्र की परंपरा डालना चाहते हैं तो शासन को चाहिए कि जो अन्य पार्टियां हैं, जो यहां सदन में रिकग्नाइज्ड पार्टियां हैं जिनकी संख्या जो निर्धारित न्यूनतम है याने १।१० जिनके दलों की संख्या है—कानून हम बनाने जा रहे हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार की पार्टियां हैं उनके लीडरों को भी सुविधायें मिलनी चाहिएं जिसके आधार पर वे अपने दल की कार्यवाहियों को आगे बढ़ा सकें, लोकतंत्र में अपना सहयोग दे सकें और लोकतंत्रीय शासन पद्धति को मजबूत बनाने के लिए अपने दल को सक्रिय योग दे सकें। ऐसी सुविधायें सारे दलों को मिलनी चाहिए जो न्यूनतम निर्धारित संख्या है उन सारे दलों के नेताओं को भी सुविधायें दी जानी चाहिए। मैं तो यहां तक कहता हूं अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं यदि वास्तविक रूप से इस देश में विरोधी पक्ष को पनपाना है—आज वह क्यों नहीं पनपाता है और आज देश में इतना भारी असंतोष होने के बाद भी कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं जा रही है. उसका कारण यह है कि आज देश आजाद होने के बाद कांग्रेस के हाथ में देश की हुकूमत आई और देश की हुकूमत आने के बाद कांग्रेसी नेताओं ने इस सत्ता का जितना दुरुपयोग अपने शासन को बनाये रखने के लिए किया वही एक मात्र कारण है जो चुनावों में इतना भारी असंतोष होने के बाद, जनता में इतना रोष होने के बाद, जनता में गहरी प्रक्रिया होने के बाद भी यह शासन आज टिका हुआ है। कांग्रेस हुकूमत टिकाये हुए हैं, सत्ता के बल पर टिकाये हुए है कभी कांग्रेस समझे कि हम सिद्धान्त के आधार पर या विचारधारा के आधार पर, तत्व-ज्ञान के आधार पर, नीति और सिद्धांतों के आधार पर देश का वह शासन चला रही है तो यह भूल है, भ्रम है।

आज कांग्रेस देश की हुकूमत चला रही है, आज कांग्रेस देश में अपनी सत्ता बनाये हुए है, उसका बड़ा भारी कारण यह है कि आज कांग्रेस के हाथ में सत्ता है और उस सत्ता का उपयोग शासन चलाने के लिए करती है, कांग्रेस का प्रचार करने के लिए करती है, सत्ता का प्रयोग कांग्रेस की हुकूमत बनाये रखने में करती है। इसलिए यह उपयोग नहीं किया चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आपत्ति नहीं है, आज देश में लोकतन्त्र को चलाना है, देश में लोकतन्त्र का विकास करना है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी देश की हुकूमत चला रही है, तो कांग्रेस के कार्यालय को चलाने के लिए, कांग्रेस के संगठन को चलाने के लिए मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से करोड़ों रुपये आप उसमें खर्च कर रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि इस प्रकार का प्रावधान जिस प्रकार कि १० लाख जो हमारे देश में डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं, उनको चलाने की दृष्टि से सब प्रकार की आर्थिक सहायता, इस प्रकार का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आर्थिक सहयोग, इस प्रकार की सहायता पब्लिक एक्सचेकर से प्रावधान करके दे दें तो मैं समझता हूं कि आपत्ति नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यह आप भावानात्मक भाषण कर रहे हैं या फैक्ट और तथ्यों पर आधारित भाषण है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि मेरी भावनाओं से आप सहमत हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जरा साफ साफ कहूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आखिर एक लोकतन्त्र शासन पद्धति हमने अपनाई है, और उस शासन-पद्धति में दल काम करेंगे। आपका दल भी काम करता है, हमारा दल भी काम करता है, और अन्य राजनैतिक दल भी काम करते हैं, तो दलों का काम चलाने की दृष्टि से आखिर जिन जिन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, आज कांग्रेस पार्टी को उन साधनों को जुटाने की दृष्टि से जो हथकण्डे काम में लाने पड़ते हैं, जो कार्यवाही आपको करनी पड़ती है जो कि शायद आप करना नहीं चाहते, जिसको करने के लिए आपका मन गुरेज करता है, आप आज चुनावों के समय बड़े बड़े पूंजीपतियों से चन्दा लेंगे। कांग्रेस पार्टी समाजवाद का नारा लगाकर चलती है, लेकिन समाजवाद आज मुल्क में आगे नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस में लोग खुद इस बात का कांग्रेस पर चार्ज लगाते हैं कि कांग्रेस समाजवाद की ओर नहीं बढ़ रही है। कांग्रेस के चोटी के नेता कह रहे हैं कि हम समाजवाद को नहीं ला पा रहे हैं और १५ साल के शासन में अमीरी और गरीबी का अन्तर बढ़ रहा है। यह क्यों हो रहा है ? आपने करोड़ों, अरबों रुपया दुनिया भर से कर्जा लिया। दुनिया के कर्जे से देश दबा जा रहा है और समझता हूं कि इसके सबके बावजूद भी ३,५०० करोड़ रुपया हिन्दुस्तान के ऊपर कर्जा है। इतना कर्जा लेने के बाद भी गरीबी क्यों नहीं मिटी है ? गरीबी और अमीरी का अन्तर क्यों नहीं मिट रहा है ? इसका कारण यह है कि जो शासनारूढ़ दल है, जो हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस है उसको चुनावों के समय पैसे की जरूरत पड़ती है, तो जब पैसे की जरूरत पड़ती है, आपको पैसे का संकट हल करना पड़ता है तो आपको यह अनैतिक काम नहीं करना पड़े, आप आखिर में रुपया लेते हैं तो इन्डस्ट्रियलिस्टों से लेते हैं। जैसे यहां पर बिड़लाजी आये थे पिछली बार तो माननीय सदस्यों को स्मरण होगा तो बिड़लाजी ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों के सामने भाषण दिया और भाषण देते समय उन्होंने उद्योगपतियों से कहा कि कांग्रेस की हुकूमत से डरना नहीं चाहिए। इनके समाजवाद के नारे से डरना नहीं चाहिए और वह इसलिए नहीं डरना चाहिए कि कांग्रेस का और हमारा सम्पर्क ४० साल का है। हम जानते हैं कि कांग्रेस का काम दो आदमियों से पड़ता है। एक है मतदाता और दूसरा है चन्दादाता, यानी दानदाता। मतदाता को आकर्षित करने के लिए नारा देना होता है और चुनाव आता है तो चन्दा देने वाले के पास आना पड़ता है। इसलिए इन नारों से घबराने की जरूरत नहीं है। देश के बड़े उद्योगपति हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

बिड़लाजी। जिस वक्त अंग्रेज यहां से गये थे तो बिड़लाजी के पास २५ करोड़ से ज्यादा नहीं थे और जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत आई तो जिन बिड़लाजी की पूंजी २५ करोड़ थी तो उनके समाजवादी राज्य में उनकी पूंजी ६०० करोड़ की हो गई। ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि कांग्रेस से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चन्दा लेने कांग्रेस हमारे पास आयेगी, दान लेने हमारे पास आयेगी। चुनाव कोष इकट्ठा करेंगे तो कांग्रेस की नीति को हम खरीद लेंगे पैसे से। राजस्थान के उद्योगों के विकास की बात होती है, राजस्थान के औद्योगीकरण की बात होती है, तो राजस्थान के औद्योगिक विकास में दी जाने वाली सहायता के बारे में, उनको दिये जाने वाले ऋण के बारे में। उनको दिये जाने वाले परमिटों के बारे में, इस सदन में अनेक माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। आखिर होता क्या है ? चुनाव आते हैं और सुखाड़ियाजी कलकत्ता जाते हैं और एक दिन में वहां से २० लाख रुपया लाते हैं राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ की बोली लगाकर कहते हैं तुमको इतने लाइसेन्स मिलेंगे, तुमको इतना परमिट मिलेगा, तुमको इतना कोटा मिलेगा। वहां पर फैक्ट्री लगाओगे तो सरकार तुमको ये सहूलियतें देगी। अखबारों में प्रचार करते हैं राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए। मुख्य मन्त्रीजी कलकत्ता गये और वहां पर नीलाम करते हैं इन्डस्ट्रीज़ का। वहां नीलाम करके आते हैं और १८ लाख कांग्रेस के लिए चन्दे का लेकर आते हैं। चन्दा आपको चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर इन्डस्ट्रीज को नीलाम करके राजस्थान की साधारण जनता के पैसे का इस प्रकार से दुरुपयोग करके राजस्थान के आर्थिक सामर्थ्य को चन्दे के लिए दूसरे बड़े लोगों के हाथों में नीलाम करने की मनोवृति पैदा हो गई है, जो परिस्थिति पैदा हो गई है इसको समाप्त करना चाहिए। यह बात सही है कि पार्टी के लिए पैसा चाहिए तो आपको इन दूसरे तरीकों से पैसा नहीं लेना चाहिए। आप बजट में प्रोवीजन कर दें तो उसमें राजस्थान की जनता का शायद इतना विरोध नहीं होगा। लेकिन इन तरीकों से पैसे लेना पाप है। आपने इतना डिमोरेलाइज़ लोगों को रखा है, लोगों को इतना हावी कर रखा है कि वे आपको पैसा देते हैं और विरोधी दलों को पैसा नहीं देते हैं। पैसा देने में उनको डर लगता है, विज्ञापन नहीं देते हैं। इन सारी परिस्थितियों को हम देखें तो आगे क्या हालत होगी ? इन्डस्ट्री को बेचते हैं और जो पापाचार कमाते हैं। आप पापाचार करने को मजबूर होते हैं तो आपकी मजबूरी इस कारण से है, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कितनी अनैतिकता आती है। आप एक तरफ तो राजस्थान के उद्योगों को नीलाम करते हैं। गरीबों का गला घोटते हैं और पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं। समाजवाद के नाम से देश की अर्थनीति को गिरवी रख दिया है। चन्दा देते हैं तो उसका पूरा हिसाब नहीं। इसलिए देश मे एक वातावरण बन गया है कि राजनीति मे काम करने वाले बेईमान हैं। चन्दा दिया उसका हिसाब नहीं। यह दिमाग क्यों बना ? यह मनोवृत्ति क्यों बनी ? आज जनता क्यों डरती है ? वह इस कारण कि आप लोग

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पैसा लाते हैं लेकिन उसका हिसाब नहीं देते हैं। मैं नेहरू फण्ड का जिक्र नहीं करना चाहता। अलवर में ८ लाख का फण्ड हुआ उसमें लोगों को रसीदें नहीं दी और रसीदें दी तो फर्जी रसीदें दीं। ८ लाख का हिसाब नहीं और हाई कोर्ट ने फैसला दिया और माननीय विधि मन्त्रीजी को सब उसकी जानकारी है। वे उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने जांच का आदेश दिया था और अभी तक उसकी जांच नहीं हुई। मैं सदन के सामने वह फैक्ट नहीं रखूंगा।

डालमिया सीमेंट फैक्ट्री को सन् ५७ में राजकीय कोष से, जनता के खजाने से, पब्लिक एक्सचेकर से ६० लाख रुपये का कर्ज दिया गया, और ६० लाख रुपये का कर्जा दिया जा रहा है और इधर चुनाव का समय आ रहा था फरवरी का महीना था, नोमिनेशन पेपर भरे जा रहे थे और कर्जे की रकम दी जा रही थी और चन्दे की रकम आ रही थी। यह लो और यह दो वाला हिसाब था। ढाई लाख रुपये का चन्दा लिया और ६० लाख का कर्जा दिया। वह कर्जा कहां से दिया? क्या सुखाड़ियाजी ने अपनी जेब से दिया? वह पब्लिक एक्सचेकर से दिया। ६० लाख रुपया पब्लिक एक्सचेकर से देते हैं और ढाई लाख रुपया कांग्रेस के लिए चन्दा ले आते। उनको हक नहीं था लेकिन ले आये। यदि कांग्रेस के लिए लेते हैं और कांग्रेस पार्टी में उसको जमा करा देते हैं और ढाई लाख का उपयोग हो जाता और छोटे छोटे हमारे कई हरिजन भाई लड़ कर आते हैं कांग्रेस टिकट पर उनको पैसा मिल जाता तो मेरी समझ में आ जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी में जमा नहीं हुआ और ढाई लाख रुपये का हिसाब है कि १,४०,०००) रु० तो जमा करा दिया और १,१०,०००) रु० का हमें पता नहीं कि कहां खा गये? सुखाड़ियाजी ने अपनी जेब में रखा, अपने लोगों में बांटा। कांग्रेस में भी यह बंटवारा है। वहां भी यह है कि अपने गुट और अपने लोगों को देंगे। १,४०,०००) रु० जमा रखा और १,१०,-०००) रु० अपने पास इसलिए रखा कि ऐसे आदमियों को लाया जाये जो कि मुझे मुख्य मंत्री बनायेंगे उनको मत देंगे। इस मनोवृत्ति के आधार पर होता है। यह ठीक नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): ये एप्रोप्रियेशन बिल पर गैरहाजिर थे, इसलिए कह रहे हैं क्या?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): यदि विधान सभा के सदस्यों को मिल जाय तो क्या आपत्ति है?

श्री मथुरादास माथुर: यह ५०) रु. माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर की स्पीच में कटवा दिये थे उसका रिएक्शन है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: मैं क्या कहूं विधि मंत्रीजी ५०) रु० सदन के माननीय सदस्यों की तनख्वाह बढ़ाने की घोषणा वित्त मंत्री महोदय ने करके बड़ी कृपा की। साल भर का उन लोगों को ६००) रु० को नुकसान कराया। मैं सदन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं और लॉ मिनिस्टर साहब आपको कहना चाहता हूं कि आपके अलॉउन्स का प्रश्न है।

(१. म. प.)

तो, जो ईमानदारी से सदन के सदस्यों का जायज़ (अधिकार) है वह तो उनको दें। २४ अगस्त को विधान सभा स्थगित हुई, १६ अक्टूबर को विधान सभा वापिस शुरु हुई। २४ अगस्त से १६ अक्टूबर तक ५५ दिन का डेली अलाउन्स सबको देना चाहिये। आपने २४ अगस्त का डेली अलाउन्स सबको दिया, १६ अक्टूबर का डेली अलाउन्स सबको दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को, वित्त मंत्रीजी खुद न कहें तो भी रूल्स की तहत २४ अगस्त से १६ अक्टूबर तक डेली अलाउन्स लेने का हक है। आप बतावें—है या नहीं है? मैंने लिया है, ५५ दिन का बिल बनाया है। २४ अगस्त से १६ अक्टूबर तक मैंने लिया एसेम्बली साइनडाई एडजोर्न नहीं की गवर्नर ने प्रोरोग नहीं की; रूल यह कहता है कि हाउस कमेन्समेंट में हो तो पैसा लेंगे। हमने बिल बनाया। आपने नहीं माना तो लॉ डिपार्टमेंट में गया, सरकार के पास गया, वित्त मंत्रीजी ने कोशिश की कि नया रूल लागू किया जाय १ अक्टूबर से, ताकि ७ दिन से ज्यादा समय के लिये एडजोर्न हो तो ६ दिन का डेली अलाउन्स ही दिया जाय। ५५ दिन का डेली अलाउन्स इनको लेने का अधिकार है, वह इनको नहीं मिले; इसलिये १ अक्टूबर को नया रूल लागू कर दिया ताकि ५५ दिन के पैसे न देने पड़े। विधि मंत्रीजी को याद है। कल ही मेरा बिल पास होकर आया है ११००) बैंक में जमा हुए हैं। ७ दिन का डेली अलाउन्स नहीं बल्कि ५५ दिन के डेली अलाउन्स के ८२५ रु० मिले है। सदन के माननीय सदस्यों को जो लेने का हक है वह ईमाननदारी से देना चाहिये। जिसको पैसा देना है उसको देने के लिये ट्रेजरी में जाओ और एक लाख रुपया निकलवा कर ५५ दिन का डेली अलाउन्स सभी सदस्यों को दो...

श्री मथुरादास माथुर : लॉ डिपार्टमेंट ने तो ठीक राय दी थी या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दी थी....

श्री अध्यक्ष : इसकी चर्चा में ज्यादा नहीं जावें।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): इसकी चर्चा तो जरूरी है।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : मंत्रीजी ने क्यों प्रहार करना चाहा था ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह सरकार की योग्यता का परिचायक है। इस तरह से उनकी अयोग्यता के कारण कितना रुपया वेस्ट होता होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : सतीशचन्द्र जी को रुपया मिला वह वेस्ट नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा तो वेस्ट नहीं हुआ, इनका भी वेस्ट मत होने दो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सही तरीके से प्रोरोग करते, एडवाइज सही तरीके से देते तो पैसा देना नहीं पड़ता ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रोरोग करने का इरादा नहीं था ।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : यदि इनका बिल पास हो गया तो लॉ मिनिस्टर साहब को गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि उनका लॉ डिपार्टमेन्ट कितना योग्य है ।

श्री मथुरादास माथुर : लॉ डिपार्टमेन्ट को एक केस रेफर किया गया था ।....

श्री अध्यक्ष : प्रोरोग करने के बारे में कह रहे हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : प्रोरोग तो तब होता है जब अगली तारीख अनाउन्स नहीं करते हैं ।

श्री फूलचन्द जैन : मेरा कहना यह है कि जो घटना हुई है उसके अन्दर हाउस २४ अगस्त से १६ अक्टूबर तक एडजोर्न किया गया, उसका पैसा आज एक माननीय सदस्य को दिया गया, यदि इस पर कार्यवाही की है तो लॉ डिपार्टमेन्ट की राय पहले क्यों नहीं ली गई और यदि लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली गई तो यह स्थिति क्यों पैदा हुई इसका स्पष्टीकरण किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह प्रश्न इसलिये रख रहा था कि यह सदन के माननीय सदस्यों के सोचने की बात है कि सरकार कितनी ईमानदार है । सरकार का यह काम है कि जायज पैसा देना चाहिये एक बात रूलिंग में तय हो गई कि ५५ दिन का पैसा दिया जाना चाहिये, कानून की तहत माननीय सदस्य लेने के एन्टाइटल्ड हैं तो जो एन्टाइटल्ड हैं उनको दिया जाय । यह कोई आपकी कृपा नहीं है । जायज पैसा लेने का उनको हक है । जो सरकार ऐसा फ्रॉड सदन के साथ कर सकती है वह सरकार क्या नहीं कर सकती यह सोचने का काम कांग्रेस मेम्बर्स का है । यह सरकार मांगने से थोड़े ही देती है कानून से चुटकी भर दो तो देगी ।

मैं डालमिया सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में कह रहा था......

श्री अध्यक्ष : अब विधेयक पर आ जाइये ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं डालमिया सीमेंट फैक्ट्री की बात क्यों करता हूँ उसकी भूमिका यह है कि चुनाव के लिये ढ़ाई लाख रुपये उससे लिये गये, यह मैं नहीं कह रहा हूं; बल्कि कांग्रेस के भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री जयनारायणजी व्यास थे उन्होंने स्टेटमेन्ट किया था नाथद्वारा केस में दिनांक ४.६.५६ को; विटनस नं० २६ । He said about the money given by the Cement Factory, Sawai Madhopur that it was not accounted for in the Provincial Congress Committee.

यह बात वे कहते हैं, सारा अकाउन्ट कांग्रेस कमेटी में जमा नहीं हुआ और इस बात की पुष्टि, सुखाड़ियाजी जब गवाही में आये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

उस समय ३.७.५६ को हमने उनसे सवाल पूछा था, उसके उत्तर में सुखाड़िया साहब कहते हैं:—

'At the time of general elections, cement factory did contribute to the tune of about two and half lacs to the Congress Party but out of this only one lac and fourty thousand was given to the Congress Committee in Rajasthan.'

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १ लाख ४० हजार रुपयों का हिसाब तो रहा और १ लाख १० हजार रु० शायद उन्होंने अपने पास रख कर अपने समर्थकों को दिये होंगे। मैं कहता हूं यह नौबत क्यों आती है ? यह नहीं होना चाहिये। इस प्रकार उद्योगपतियों से रुपये लिये जाते हैं सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे। यदि देश में स्वस्थ लोकतन्त्र स्थापित करना है तो इस तरह से एक्सप्लोइटेशन से बचना चाहिये। कांग्रेस पैसा वसूल करती है उसके बजाय सदन चाहता है कि हम बजट में व्यवस्था करें। हम बड़े बड़े कन्सर्न्स को सहायता देने के लिये लाखों करोड़ों रुपये खर्च करते हैं तो देश की इन राजनैतिक संस्थाओं को सहायता देने के लिये मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार का संकोच करना चाहिये। यह गम्भीरता से सोचने का सवाल है। कई सदस्यों की आर्थिक हालत अच्छी होगी लेकिन शिड्यूल ट्राइब और शिड्यूल कास्ट से आने वाले सदस्य ऐसे हैं जिनको शुरू में जिस समय चुनाव होता है ६ हजार रुपये खर्च करके बहुत कम लोग चुनाव लड़ पाते होंगे। इसके अलावा और भी कितने ही खर्चे करने पड़ते हैं। गेस्ट्स कॉन्स्टीट्युन्सी से घर पर आते हैं कितनों को पानी पिलाना पड़ता है कितनों की खातिर करनी पड़ती है, कितना घूमना पड़ता है, कितना धन्धा छोड़ कर सारे काम छोड़ कर यह काम करना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि अधिक से अधिक ईमानदार, पढ़े-लिखे, जागरूक लोग राजनीति में आवें। आज राजनीति कुछ ऐसे लोगों का धन्धा है, जनता कहती है राजनीति में वे लोग जाते हैं जिनके पास या तो कुछ काम-धन्धा नहीं है या जो बहुत अमीर हैं या जिसके आगे पीछे कोई नहीं है या जिसके बैंक में १० लाख रुपये बैंकों में जमा है और अमेरिका में घूमते है और सदन में हाजिर नहीं रहने की अर्जी देते हैं ऐसे लोग ही यहां आ सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि मिडल क्लास या मध्यम श्रेणी के पढ़े-लिखे लोग जो राजनीति से अलग रहना चाहते हैं उनको राजनीति की तरफ आकर्षित किया जाय ताकि अच्छे लोग आवें, भले लोग आवें, जागरूक और इन्टेलिजेंशिया तथा नैतिकता वाले लोग आवें। इसके लिये अच्छे लोगों को आकर्षित करने के लिये नैतिकता गिराने वाली चीजों को हटाना होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज ऐसी भावना हो गई है कि पोलीटिक्स में स्कैन्डलर्स आते हैं। कांग्रेस के लोगों को नेता कह कर हिकारत की दृष्टि से देखते हैं। यह भावना अच्छी नहीं है इसको दूर करना चाहते हैं। यह भावना दूर तभी हो सकती है जब कांग्रेस के सदस्य नैतिकता का आचरण करें; इसके बिना सत्ता की रीति-नीति को लागू करने में रुकावट आती है। देश की नीतियों को सही प्रकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से तभी लागू कर सकते हैं जब पूंजीपतियों की तरफ नहीं देखना पड़े । कभी वोट के कारण बाधा आती है, कभी नोट के कारण बाधा आती है, कभी किसी का सहारा होने का सवाल आता है । इन सब चीजों से मुक्त करके राजनीतिक दलों में स्वस्थ लोक-तन्त्र का विकास करने के लिये गम्भीरता से सोचना है । इसी दृष्टिकोण से मैंने अपना सारा प्रश्न और प्रस्ताव सदन के सामने रखा । धारा १८ में परिवर्तन करने की आवश्यकता है । मूलभूत तरीके से सारी बातों पर विचार करें, कैसे स्वस्थ परम्परा बन सकती है, इस चीज पर विचार करना चाहिये ।

पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी सरकार के सारे पैसे के हिसाब-किताब को देखती है । यदि सरकार के हिसाब-किताब की अच्छी तरह जांच कराना चाहते हैं तो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी का चेअरमैन विरोधी दल के सदस्य को बनाना चाहिये । इसके साथ ही साथ राजस्थान की विधान सभा का डिप्टी स्पीकर किसी विरोधी दल के सदस्य को बनाना चाहिए । अगर आप यह चाहते हैं कि राजस्थान में विरोधी दल को इज्जत प्राप्त हो, विरोधी दल प्रजातंत्र में आगे बढ़ सकें और सदन में महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें, बाहर जनता की सेवा कर सकें; तो इस सम्बन्ध में हमें इन बातों पर विचार करना होगा और गम्भीरता के साथ विचार करना होगा, पक्ष-विपक्ष का प्रश्न छोड़ कर विचार करना होगा । सदन में जब प्रश्न आता है कि सदन के सदस्यों की तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर माननीय सदस्यों में से कुछ राजनैनिक विचारधारा के अनुसार विरोध कर देते है, कुछ उसका समर्थन कर देते हैं । आज इस सदन के सदस्यों को विचार करना है कि इसमें दो मुद्दे हैं—एक तो पार्लियामेन्ट के सदस्यों की तनख्वाहें बढ़ीं, बिहार और उत्तर प्रदेश में तनख्वाहें बढ़ीं । इसके साथ ही रेल्वे में ट्रेवल करने के लिए फ्री पास मिलता है, ट्रेवलिंग अलाउन्स मिलता है । इसके अलावा जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट हैं, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनको भी यह सुविधा मिलती है । साथ ही जो कन्सर्नस और फर्म्स बिज़नेस करती हैं, लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन के फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, जो मेडीसिन्स के रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज होते हैं जो दवाओं की फरोख्त करते हैं और कम्पनी का धन्धा बढ़ाते हैं उनको अलग अलाउन्स दिया जाता है । इसी तरह से लोकतांत्रिक देश के अन्दर जनता की सुविधाएं बढ़ाये बिना, उनकी तकलीफों को दूर किये बिना देश का विकास नहीं हो सकता है । इसके लिए सदन के माननीय सदस्यों को अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जनता के दुःख-दर्द और सुख-सुविधा वगैरह का अध्ययन करने के लिए जाना पड़ता है, इसके लिए ब्लॉक्स की जीप का फायदा मिलना चाहिये या फिर आप ट्रेवलिंग अलाउन्स दीजिये, व्हीकल अलाउन्स दीजिये । इस तरह की बातों पर आप विचार कीजिये ।

इसके साथ ही सदन के माननीय सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, इसके सम्बन्ध में मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं । जब एक कॉन्फ्रेन्स विरोधी दलों के सदस्यों की हुई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थी तो उसमें तय किया गया था कि जितना भी गवर्नमेंट लिट्रेचर होता है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती है, पब्लिकेशन्स होते हैं और पेम्फलेट्स होते है वे सब पार्टियों को दिये जायं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सदन के अन्दर एफीशियेन्सी को मेन्टेन करना और सदन का अच्छा वातावरण बनाना चाहते हैं, यह चाहते हैं कि विधान सभा के अन्दर ज्यादा से ज्यादा इन्टेलेक्चुअल्स आयें और लीगल और कॉन्स्टीट्यूशनल विचार ज्यादा सदन के समक्ष आयें, सदन की विचारधारा उस प्रकार की बने और सदन के बाहर भी इस प्रकार का वातावरण बने कि हर बात पर विचार इन्टेलेक्चुअल तरीके से कॉन्स्टीट्यूशनल और लीगल आधार पर हो तो सदन की यह जिम्मेदारी है कि उसे सदन के माननीय सदस्यों को वे सब सुविधायें देनी पड़ेंगी, लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी होगी। आज इस तरह की कोई लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी है तो उसमें रिसर्च की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार को स्टेटिस्टिक्स चाहिए तो वह मंत्री डाइरेक्टर, स्टेटिस्टिक्स से मंगा लेंगे। लेकिन अगर माननीय सदस्यों को पर-कैपिटा इन्कम के आंकड़े चाहिए, प्रोडक्शन के आंकड़े चाहिये तो वह सारी रात बैठ कर आंकड़ों में माथा फोड़ा करे। इतना परिश्रम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने अमेरिका का डेमोक्रेटिक सेट-अप देखा होगा, इंग्लैण्ड का डेमोक्रेटिक सेट अप देखा होगा। अभी विधि मंत्रीजी अमेरिका होकर आये है. उन्होंने सीनेटर को मिलने वाली सुविधाओं का अध्ययन किया होगा। सीनेटर के पास अलग चेम्बर है, उसके पास टाइपिस्ट है. स्टेनोग्राफर है, मशीन है, टेलीफोन है—सारी सुविधायें उसको प्राप्त हैं। यह बात सही है कि वह एक समृद्धिशाली देश है; इसलिए मैं नहीं कहता कि जो अमेरिका में सीनेटर को सुविधायें मिलती हैं वे सुविधायें हमें दी जायं। लेकिन देश की आर्थिक परिस्थिति के अनुरूप, देश की आर्थिक दशा के अनुरूप आप आवश्यक सुविधायें दीजिये। यदि आपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को इस तरह नहीं पनपाया और लोकतांत्रिक भावना को गिरा दिया तो बाकी लोकतंत्र को पनपाने के लिए जो खर्च किया है वह पैसा काम नहीं आएगा, कुक्कुटशाला पर खर्च हुआ, पैसा आपके काम नहीं आयेगा, भेड़ पालन पर खर्च हुआ पैसा आपके काम, नहीं आयेगा। अलवर में खोले जाने वाले सूअरों के कारखाने में खर्च हुआ, पैसा काम नहीं आयेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं....

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कैसे काम नहीं आयेगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब्दुलजब्बार उसके मैनेजर हो जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : रामानन्दजी हो जायेंगे !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी अर्ज है कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने सूअरों के कारखाने को लगाने की मांग की थी...

श्री रोमानन्द अग्रवाल : हम समझते हैं कि यह दान और श्रद्धा के समान है।

श्री फूलचन्द जैन : आपने लेडी स्टेनोग्राफर की मांग की है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आपका संशोधन हो सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह आपका संशोधन है, आपकी कल्पना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरी मांग है, वह सदन की सदस्या है; वह कैसे मिल सकती है ?

मैं निवेदन कर रहा था कि इन सारे प्रश्नों के ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि सरकार इस सिलसिले में कोई जल्दबाजी न करे। कॉम्प्रीहेन्सिव वे में सारी बातों पर विचार किया जाय, लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी जाय, तमाम स्टेटिस्टक्स प्रोवाइड करने के सम्बन्ध में विचार किया जाय, लाइब्रेरी में रिसर्च के लिए आदमी रखे जायं ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी सम्बन्ध में स्टेटिस्टिक्स चाहिये तो वे मिल सकें और वह अगर मिल सकेंगे तो सदन में डिबेट का स्टेन्डर्ड ऊंचा और ज्यादा अच्छा रह सकेगा ; बजाय इसके जो सरकार आंकड़े देती है उनको ही ध्यान में रख कर यहां बोल देते हैं, पर-कैपिटा इन्कम १९५६ और १९५९ के आधार पर यहां बोल देते हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा की १९४२ के आधार पर चारों पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग आंकड़े दे रखे हैं, यह इस सदन के अन्दर आंकड़ों का खेल करते हैं। इसके सम्बन्ध में व्यवस्था करने का प्रयत्न कीजिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकतंत्र स्थायी हो और देश के अंदर विकास हो; उसके लिए यह आवश्यकता है, इन आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इन सब बातों पर विचार करके एक संशोधन बिल इस सदन के अन्दर पेश किया जाय। जो माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर आये हैं वे देश का दौरा करके आये हैं। वे जानते हैं एम. एल. ए ज. को एम. पी. से ज्यादा काम करना पड़ता है; चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे जनसंघ के हों। जो पार्लियामेंट के अन्दर सदस्य हैं उनको कम काम करना पड़ता है, लेकिन उनको तनख्वाह पांच सौ और दैनिक भत्ता ३१ रुपया मिलता है। वह अगर कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जायं तो उनको कोई पूछता नहीं है। तकलीफें नह लेते हैं लेकिन उनको जाकर कहते नहीं। एक एक पोस्ट कार्ड लिख कर डाल देंगे, लेकिन यह नहीं है कि उनके पास जायं। किसी मंत्री के पास जायं तो उनको पुलिस घेर लेती है। वे मंच पर चढ़ जाते हैं और पुलिस किसी को गिरा देती है, किसी का सिर फोड़ देती है, किसी का गिर कर हाथ टूट जाता है। इस तरह की पुलिस कार्यवाही करती है। तो जितनी जनता के निरंय

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

प्रति के दु:ख हैं जितनी भी उनकी तकलीफें हैं, वे स्टेट सब्जेक्ट में आती हैं, केन्द्र के सब्जेक्ट में नहीं आती हैं; इसलिए जो उस जनता का एम. पी. है, उस कॉन्स्टीट्यूएन्सी का एम. पी. है, वह जब वहां आता है तो लोग उसके पास जाते नहीं हैं। कोई उसके पास यह मांग लेकर नहीं जाता कि शुगर का राशन कार्ड चाहिए, सीमेन्ट चाहिए, लोहे की सरिया चाहिए। इन सब बातों को आज एम. एल. ए. को तस्दीक करना पड़ता है और वह इन सब बातों से दबा हुआ रहता है। कोई भी व्यक्ति एम० पी० के पास नहीं जाता है। वैसे भी वह थोड़े बहुत दिन अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में रहता है, नहीं तो दिल्ली में रहता है। कुछ हमेशा दिल्ली में रहते हैं। तो एम० पी० के पास जितना वर्क लोड है, जितना उसके ऊपर जनता के काम का भार है उससे दस गुना एम० एल० एज़ के ऊपर रहता है। जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के सदस्य हैं उनके पास लोग उनकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी से आते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्यों बोझ बढ़ाना चाहते हैं एक्सचेकर पर ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दिल में तो आप भी चाहते हैं। अखबारों में आपका प्रचार हो, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन फैसिलिटी आप भी चाहते हैं। अगर लाइब्रेरी बन जायगी तो आप भी उसका उपयोग करेंगे, उस समय उसका विरोध नहीं करेंगे। मैं कन्वेन्शन्स की बात करता हूं। और सदन में मैं वही कहता हूं जो मुझे कहना चाहिए, जो मैं महसूस करता हूं। आप महसूस करते हैं लेकिन आप उसको रखते नहीं हैं। आप बाहर कुछ कहते हैं, अन्दर कुछ सोचते हैं, और अन्दर कुछ सोचते हैं बाहर कुछ सोचते हैं। एक कांग्रेसी मित्र ने कह दिया कि आपके चौपड़ के भाषण में और सदन में दिये गये भाषण में कोई फर्क नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, मैं जो अन्दर सोचता हूं वही बाहर कहता हूं। मैं योगेन्द्रनाथ हांडा की तरफ नहीं हूं जो बाहर तो सीलिंग का समर्थन करते हैं और सदन के अन्दर आकर विरोध करते हैं। अगर वे विरोध नहीं करेंगे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने लगातार विरोध किया है। मैं योगेन्द्रनाथ हांडा नहीं हूं, लॉर्ड योगेन्द्रनाथ हांडा हूं। पाकिस्तान में मेरा लैण्ड रह गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विरोध में तब बोले थे जब इस बिल के सम्बन्ध में बोले थे।

तो मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले में सोशलिस्ट पार्टी की नीति साफ है। मुरलीधरजी, जब पहले बिल आया था तब विरोध करने के लिए खड़े हो गये थे। तब मैंने कहा था कि पच्चीस रुपये का क्वार्टर दो एम० एल० एज़ ने आपस में बांट रखा है। साढ़े बारह, साढ़े बारह रुपये आते थे। जब चालीस रुपये हो गये तो एक आदमी और रख लिया। वे अपने यहां टेलीफोन लाइन नहीं रखते हैं। टेलीफोन करने मेरे घर पर आ जाते हैं। और फिर तनख्वाह बढ़वाने का विरोध करते हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तीनों हिस्सा करके लाइन ले सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि पान की दूकान मेरे घर के पास है। उधर से चले आये और बोले-पान खिलाओ। पान ये खाते हैं और खाता मेरा जुड़ता चला जा रहा है। उनके लिये क्या फर्क पड़ता है ? और कहते हैं, हम समाजवादी है, हम तनख्वाह और भत्ता बढ़ाने का विरोध करते हैं। यह तरीका नहीं है विरोध करने का। मेरा कहने का मतलब यह है कि सदन के सदस्यों के लिए सहूलियतें दी जायं, मैं पैसे की बात नहीं करता हूं, इन टर्म्स ऑफ मनी में बात नहीं करता हूं, मैं इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी की बात करता हूं। जो सहूलियतें दी जायं उनकी बात करता हूं। इस सदन के माननीय सदस्यों को अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में जाने के लिए ब्लॉक की जीप की फैसिलिटी दी जाय, जो लिट्रेचर होता है, रिपोर्ट होती हैं, पब्लिकेशन होते हैं उनको देने की व्यवस्था की जाय। लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाय, उसमें रिसर्च करने वाले आदमी रखे जाय और उस लाइब्रेरी में स्टेटिस्टिक्स वगैरह की व्यवस्था की जाय, बसों से जाने की व्यवस्था की जाय और रेल्वे का पास दिया जाय। ये तीन-चार बातें खास हैं, जिनकी सुविधा देना सरकार के लिए जरूरी हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार मेडीकल फैसिलिटीज़ का जिक्र करते हुए बताया था कि यह ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ में कैसा मजाक करती है। मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं कि एक कानून बनाया है कि इस सदन के सदस्यों को मेडीकल फैसिलिटी मिलेगी जब सदन चल रहा होगा; जब सदन चल रहा हो उस वक्त कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो जाय तो उसे मेडीकल फैसिलिटीज़ मिलती रहें। लेकिन जैसे ही सदन खत्म हो जाय तो मेडीकल फैसिलिटी बन्द। वे पहले तो सरकारी आदमी हो गये और सदन खत्म होते ही गैर-सरकारी। यह कौनसा तरीका है ? तो जो मेडीकल फैसिलिटी दी है उसके बारे में मैंने बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी इस सरकार के ऊपर हावी हो गई है।

इसी प्रकार मेडीकल फैसिलिटी के लिए सरकारी कर्मचारियों के रूल बनाये, उसका मैं उदाहरण देता हूं। दो साल जो रूल्स बने कि जो सरकारी कर्मचारियों में फीमेल मेम्बर्स हैं उनको मेटर्निटी का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यह सरकारी कर्मचारी की परिभाषा में लिखा है :

'In the case of female employee, it will include her husband, her widowed daughter and her father.'

आप बताइये कि सरकारी कर्मचारियों की महिलाओं को और उनकी विडोड डॉटर्स को मेडिकल रिलीफ मिलता है, लेकिन एम. एल. ए. को यह सुविधा जब तक सदन चलता रहेगा तभी तक मिलेगी। आप गवर्नमेंट अधिकारियों का नमूना तो देखिए, किस प्रकार के आदेश जारी करते हैं। सर्कट हाउस को आप ले लीजिए। सर्कट हाउस में आपका अधिकार ठहर सकता है। आपने इस सम्बन्ध में रूल्स बनाये हैं। आप कहते

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हैं कि सर्किट हाउस, डाक बंगले आदि सबके लिए खुले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि कौनसे डाक बंगले खुले हैं ? मैं यह कहना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकारी सर्किट हाउस हैं वहां पर आपका सरकारी अफसर ठहर सकता है लेकिन आपका एम. एल. ए. वहां पर नहीं ठहर सकता, उसको वहां पर सराय में ही ठहरना पड़ रहा है। यह है आपके एम. एल. ए. की प्रतिष्ठा। आप ही बतावें कि आज आपने स्वतन्त्रता के १७ साल बाद विरोधी दल की प्रतिष्ठा के लिये सबसे पहला कदम उठाया है। आपने १७ वर्ष तक क्या इसके लिए कभी विचार भी किया कि विरोधी पक्ष को भी सुविधाएं दी जाएं ? मैं यह कहूंगा कि आपको विरोधी दल को सभी प्रकार की सुविधाएं देनी होंगी। अगर आप उनको सुविधाएं नहीं दे पाए तो वह दिन बहुत करीब आने वाला है कि आपकी, जैसी पाकिस्तान की और आपके दूसरे आसपास के देशों में हालत है वह हो सकती है। मैं आपको यह इसलिए नहीं कहता कि आपको किसी प्रकार का भय दिलाऊं। आपने डेमोक्रेसी में रहने वाले लोगों को, माननीय सदस्यों को किसी को बाहर भ्रमण के लिये भेजा है ? मैं आपको जानकारी के लिये कह सकता हूं कि आपके यहां पर जो आन्दोलन करते हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उनको आपने बाहर नहीं भेजा। पांच-पांच ऐसे संचालक हैं जो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। आपने किसी शिड्यूल्ड कास्ट के एम. एल. ए. को या किसी विरोधी दल के आदमी को भेजा है। आप बता दें। गये हैं तो नाथूरामजी, कांग्रेस के अध्यक्ष, मुख्य मन्त्री, अमेरिका आदि का दौरा कर आये हैं और वहां पर देख कर आये हैं। माननीय मुख्य मन्त्री ने दौरा किया और देख कर आये उसके कारण उन्होंने ९ बजे से ५।। बजे तक का समय यहां पर भी रखा। मोहनलालजी गये, नाथूरामजी गये, उनके देखने का यह परिणाम निकल रहा है तो यह बहुत से कानून आवेंगे। वे नहीं देंगे। मैं इस सम्बन्ध में छोटी सी एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में कई बार कह चुका हूं। आर. ए. एस., आई. पी. एस., एम्पलॉइज़ और फोर्थ क्लास के लोगों तक की संस्था है क्या ये चार हजार रिप्रेज़ेन्टेटिव राजस्थान में कोई पार्लियामेन्ट नहीं बना सकते; जहां पर कहीं बैठ कर वे विचार करें कि हम क्या करना चाहते है और हमें क्या करना चाहिये? सुबह से शाम तक काम करते रहो, मगर उनके लिये कोई किसी बात का इन्तजाम नहीं है। सन्डे को छुट्टी होती है मगर एम. एल. ए. को छुट्टी नहीं होती; होली हो या और कोई त्यौहार हो कोई, हिसाब है क्या ? यों ही मर जावेंगे। यहां पहले कुछ बैठ कर स्थिति पर बैठ कर विचार करें, यह बात नहीं करेंगे। ऐसी कोई पर्मानेन्टली एसेम्बली कॉल करें और विचार करें और पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट किस तरह से मजबूत किया जावे, इस पर विचार किया जावे। हमारे विधि मन्त्री यह चाहते हैं कि हमारी तनख्वाह भी सेन्टर के मिनिस्टरों के तरह से उतनी ही होनी चाहिये। मैं यह कहूंगा कि अगर सब मन्त्री खड़े होकर यह कह दें कि वे रिश्वत का एक पैसा भी नहीं लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं कि आपकी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तनख्वाह २॥ हजार हो या ४ हजार हो। आप जनता की सौगन्ध खाकर कह दीजिये कि हम एक पैसा रिश्वत का नहीं लेंगे; हम करने को तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, आपकी तनख्वाह बढ़ाने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये, मगर मैं मन्त्रीजी से कहना चाहता हूं, माथुर साहब से खास तौर से कहना चाहता हूं, कि स्टेन्डर्ड भी तो आपको आखिर मेन्टेन करना पड़ता है। किस तरह का स्टेन्डर्ड होना चाहिये। आखिर उस पर भी खर्चा होता है। कोट, पेन्ट आदि होने चाहिए। कई लोग ऐसे सूगले रहते हैं उनके क्या खर्चा होता है। जो लोग अप टु-डेट रहते हैं उनका खर्चा भी ज्यादा होता है और उनको खर्चा करना भी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी तनख्वाह भी बढ़ाना चाहें तो बढ़ाइये। जहां दो चार लाख रुपया ज्यादा खर्च हो जावेगा। इन्डस्ट्री एक नहीं बनेगी। जनता का १० या २० लाख रुपया विधान सभा के पेमेंट के लिए खर्च हो और मैं यह चाहूंगा कि इस दृष्टिकोण से सारे माननीय सदस्यों को विचार करना चाहिए विचार करें, केवल एकमात्र पैसे में, रोज रोज कानूनों में संशोधन नहीं करना पड़े इसलिए इसको अभी पारित करने के बजाय जनता में जनमत जानने के लिये प्रसारित कर दिया जावे। सरकार चाहे तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर सारे इधर और उधर के सदस्य बैठ कर गंभीरता से इस पर विचार करें और रोज रोज संशोधन करके कि रोज तनख्वाह बढ़े, सारी बातें एक कानून के जरिए दूर की जानी चाहिये और वही हो जो पार्लियामेंट का हो। उसके अनुसार जो कुछ बढ़ाना हो बढ़ाया जावे। इस भावना से मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल माननीय विधि मन्त्री ने सदन के समक्ष रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य मैं समझता हूं कि प्रजातन्त्र के लिये सही परम्पराएं कायम हों, इस दिशा में प्रजातन्त्र की नींव ज्यादा मजबूत हो, इस दृष्टिकोण से दूसरे देशों में और अपने भी कतिपय प्रान्तों में विरोधी दल के नेता को कुछ सुविधाएं विशेष तौर से देने का प्रावधान किया है। इस दिशा में इस बिल में कदम उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जब सरकार ने डेमोक्रेसी के सिस्टम के बारे में परम्पराओं को कायम करने की बातों पर विचार किया तो मैं समझता हूं कि यह प्रश्न गम्भीरता से उत्पन्न होगा कि सही प्रजातन्त्र में किस प्रकार की परम्पराएं होनी चाहिये; विरोधी का क्या स्थान होना चाहिये, उसकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिये और विरोधी दल और गवर्नमेंट के आपस में क्या जिम्मेदारी होनी चाहिये? अध्यक्ष महोदय, सरकार ने, मैं समझता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार किया होगा और माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यदि हम प्रजातन्त्र की मजबूत परम्पराओं को कायम करना चाहते हैं तो विरोधी दल के नेता को एक कोठी मुफ्त किराये पर मिल जावे या कुछ तनख्वाह मिल जावे या उनको कार मिल जावे, यह अपने आप में प्रजातन्त्र को मजबूत बनाने का केवल मात्र एक मार्ग मानते हों, ऐसा नहीं है। यह एक हेय तरीका है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एक्सटरनल फार्म है जिसमें कुछ सुविधाएं माननीय सदन के सदस्यों को या विरोधी पार्टी को दी जावें। इस बात से विरोधी दल के लोगों को अपना काम डिस्चार्ज करने में कुछ सुविधा प्राप्त हो सके। मगर, अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकतन्त्र को मजबूत बनाने के लिये जिन परम्पराओं पर हमको ज्यादा जोर देना चाहिये और जिसकी हम भारी कमी अनुभव करते हैं, यहां वास्तव में स्वस्थ परम्पराओं की जरूरत है, वह इस बात की है कि जो गवर्नमेंट मेजोरिटी क्लेम करके गवर्नमेंट बनती है उसका रुख विरोधी दल के विचारों से, विरोधी दल जो दृष्टिकोण रखे, उसके प्रति क्या है।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो दल जनता का बहुमत प्राप्त करके आता है किसी जनरल इलेक्शन में, उसे अपनी गवर्नमेंट बनाने का अधिकार है, अपने बहुमत के आधार पर, अपनी नीतियों के अनुसार उस राज्य को, उस राज्य के शासन को, उन नीतियों के अनुसार चलाने का अधिकार है पर उन नीतियों के निर्धारित करने के बाद किन्हीं रूल्स या किसी कानून के अनुसार सर्वसम्मत नैतिक उसूलों के अनुसार चलाया जाय और उसको चलाने में, सर्वमान्य उसूलों को मानने में, विरोधी दल के व्यूज का आदर किया जाय जिनके बारे में कि दो राय नहीं हों, उनका सरकार पूरी तरह से आदर करे। इस तरीके की परम्पराएं डाले सरकार तो मैं समझता हूं सही तरीके से प्रजातन्त्र मजबूत होगा, प्रजातन्त्र की नींव मजबूत होगी।

अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से अगर हम इस सरकार के रवैये को देखें तो जो आज विरोधी दल के नेता को कुछ सुविधा देकर सरकार प्रजातन्त्र की परम्पराओं को मजबूत बनाने का सेहरा अपने सिर पर बांधना चाहती है, मैं उन नेताओं से, इस सदन के माननीय सदस्यों से, निवेदन करना चाहता हूं कि गम्भीरता से विचार करें। यह बात सही है कि आज कांग्रेस का बहुमत है, कल किसी दूसरे दल का बहुमत हो सकता है, पर इस सरकार का क्या रवैया रहा है विरोधी पक्ष के प्रति इस सम्बन्ध में इधर बैठने वाले और उधर बैठने वाले सभी माननीय सदस्य अपना व्यू रखते हैं।

इसी सदन के अधिवेशन में एक मामला सरकार के एक उपमन्त्री के बारे में रखा गया, श्री दिनेशराय डांगी के बारे में रखा गया कि पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री की हत्या हुई, उनकी हत्या होने के चन्द मिनिट बाद, घंटे या आध घंटे बाद, मैं इस बात को डिस्प्यूट नहीं करता कि पुलिस मौजूद थी या नहीं थी, उसके बाद वे वहां गये और वहां से गुजरे, वहां ठहरे भी नहीं, वहां जानकारी भी नहीं की, उन्होंने शोक प्रकट भी नहीं किया, थाने में जाकर पूरी जानकारी करने की या जानकारी देने की कोशिश नहीं की, जैसी कि सदन में बात आई, सीधे अम्बाला चले गये। सुना है किसी नरगिस का या किसी और फिल्म एक्ट्रेस का डान्स का, गाने का या कोई और काम हो सकता है, उसके लिये चले गये। बड़ी गम्भीरता से इस सदन के इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों ने ही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नहीं, दूसरे लोगों ने, अखबारों ने मांग की कि जिस प्रकार का कन्डक्ट मिनिस्टर का रहा, बहुत कन्डेम्नेबल है, उनको कुर्सी पर नहीं रहना चाहिये। मुख्य मंत्री से सदन में इस बात की मांग की कि इस दलील को छोड़ दीजिये कि पुलिस थी या नहीं, इस तरह के कन्डक्ट के बाद क्या नैतिक तौर पर आवश्यक समझते हैं कि वे इस पद पर, मिनिस्टर के पद पर, रहने के अधिकारी हैं ? उन्होंने इन्कार कर दिया उत्तर देने से, आज तक उत्तर नहीं मिला। जिन देशों में स्वस्थ परम्पराएं हैं, जिन देशों की परम्पराओं से उदाहरण लेते हैं...

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मंत्री) : माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करना चाहता था, यह बिल है, वैसे मैं रोकना नहीं चाहता माननीय सदस्य को, पर यह बिल का स्कोप है, जो बिल आपके सामने प्रस्तुत है उसके स्कोप के अन्दर रहें, इसके एम्स एण्ड ऑब्जेक्ट्स को पढ़ लें और इसकी सीमा तक सीमित रहें, तो ठीक होगा। इस बात की सदन में कई दफा चर्चा हो चुकी है, यह इस बिल से सीधा सम्बन्ध नहीं रखती और न इसके स्टेटमेंट एण्ड ऑब्जेक्ट्स की पर्व्यू में ही है। वैसे किसी विषय पर कह सकते हैं। पर मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक इस बिल का स्कोप है उसी पर कहा जाय तो ठीक है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा उसके अलावा और बात भी है। आज ३ विधेयकों पर विचार करके उन्हें पास करना है। यदि इस पर ज्यादा समय लिया गया तो बाकी विधेयक बगैर बहस के पास करने की संभावना भी हो सकती है, तो माननीय सदस्य तय कर लें कि दो बजे तक इस पर बहस हो जाय, ३ बजे टीनेन्सी बिल ले लिया जाय उसके बाद तीसरा बिल ले लिया जाय। बहस करें इसमें मुझे एतराज नहीं है....

एक माननीय सदस्य : टीनेन्सी एक घंटे में हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : यह समय निर्धारित कर दिया जाय।

एक माननीय सदस्य : टीनेन्सी ४ से ५ तक पास कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : कल सभी माननीय सदस्यों ने स्वीकार किया था कि कल का बिल भी आज ही होगा। कल बहस के दौरान में यह बताया था कि जो वाद-विवाद आ है उसका उत्तर दिया जाय। कई माननीय सदस्यों ने कहा था कि जो सुझाव दिये हैं उनका प्रतिबिम्ब उसमें नहीं मिलता। तो इसके लिये ५ से ६ बजे तक बैठ कर पूरा करना पड़ेगा।

श्री दुर्गालाल बादृदार (हवा महल, जयपुर) : जो सरकार की तरफ से संशोधन लाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कठिनाई पड़ जायगी...

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट की तरफ से दो अमेंडमेंट मूव हुए वे सर्कुलेट कर दिये हैं। ये अमेंडमेंट्स मूव किये हैं

(श्री मथुरादास माथुर)

गवर्नमेंट ने, अमेंडमेंट्स मूव करने वाले जितने हैं उनसे चर्चा करने के बाद रखे गये थे और यह कहा गया था कि समय कम लगेगा। मैंने उत्तर दे दिया तो वे अमेंडमेंट, दो चार अमेन्डमेन्ट हैं, एक घंटे में यह हो जायेगा। टिनेन्सी बिल के बारे में माननीय सदस्य कितना समय लेंगे यह उन पर निर्भर करता है। दो बजे तक इस पर चर्चा कर ली जाय। जैसी हो आप व्यवस्था दे दें, ३ बजे तक यह हो, इसके बाद रेंट कन्ट्रोल वाले को ले लिया जाय, उसके बाद टीनेन्सी अमेंडमेंट बिल को ले लिया जाय। ४ से ६ तक टीनेन्सी ले लेंगे....

श्री रामानन्द अग्रवाल : We agree to this.

श्री अध्यक्ष : इस पर ३ बजे तक वाद-विवाद हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : गवर्नमेंट का जवाब देने के लिये भी ३ बजे से पहले ही रखें।

श्री अध्यक्ष : इसमें कई स्टेजेज आयेंगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, उस मामले में मुख्य मंत्री से इस बात का प्रश्न किया वे मोरली, नैतिक तौर पर क्या महसूस करते हैं, उनकी जिम्मेदारी थी या नहीं रुकने की, ऐसा करने के बाद इस प्रकार के कन्डक्ट वाले मंत्री इस मंत्रि मण्डल में रहने के लायक हैं क्या? लेकिन मुख्य मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। पिछले दिनों अखबारों से यह खबर पढ़ने को मिली कि मुख्य मंत्री ने इस मामले में जस्टि-फिकेशन को महसूस किया है और वे शीघ्र ही इस सम्बन्ध में कदम उठाने वाले हैं, परन्तु वह बात अभी तक वैसी की वैसी रह गई। अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की राय का यह सरकार कितना आदर करती है। उन नियमों के बारे में जब विरोधी दल सरकार की घोषित नीति के अन्तर्गत, उसके बनाये हुए नियमों, कानूनों के अन्तर्गत है, उनकी हानि की, मिसयूज़ की बात करता हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि जांच करेंगे तो उस वक्त आप वाक-आउट कर गये थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस बात का रिपिटिशन हो सकता है, पर इस बात से सम्बन्धित है, सरकार डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन्स मजबूत करना चाहती है तो विरोधी दल के सारे के सारे नेता मिल कर मांग करें कि गुढ़ा बांध में जो आपके रिश्तेदारों को आपके शासन काल में जो जमीनें मिली हैं, उनकी आप जांच करवाइये। जिस तरीके से आपने इस सदन को आश्वासन दिया था तीन, आदमियों की कमेटी मुकर्रर करके उस प्रकार का आश्वासन दिया, मुख्य मंत्री इस सदन में दिये हुए अपने अश्वासन से मुकर गये, उस समय दूसरा आश्वासन दिया कि रेवेन्यू बोर्ड के किसी मेम्बर से जांच करा लें या माननीय सदस्य और अधिकारी का नाम सजेस्ट करें, उनसे जांच करा लें।

उसी समय विरोधी दल की ओर से माननीय न्यायाधीश का नाम भी सुझाया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया, उसके लिए भी मुख्य मंत्री ने इन्कार कर दिया। विरोधी दल के लोगों ने वाक-आउट किया। मुख्य मन्त्री के इस कहने के बावजूद, इतना आग्रह के बावजूद सारे के सारे लीडर्स ऑफ अपोज़ीशन ने लिख कर दिया मुख्य मंत्री को कि हम इस बात को बहुत गंभीर मानते हैं क्योंकि यह एलॉटमेंट का सवाल है, किन्हीं भी कॉमन मैन को एलॉट करने का सवाल नहीं है। यह एलॉटमेंट मुख्य मन्त्री के साले, ससुर, सासू, सासू के लड़के, साले के लड़के को किया गया है। मुख्य मंत्रीजी खुद जब रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उन दिनों के एलॉटमेंट का सवाल है और जब मुख्य मंत्री थे तब उनको खातेदारी हक देने का प्रश्न है और राजस्थान की राजनीति में इस प्रश्न को लेकर बड़े बड़े विस्फोट हुए हैं। मुख्य मंत्री ने देखा कि लोग मेरे रिश्तेदारों को दी हुई जमीन के बारे में जांच कराना चाहते हैं तब मुख्य मंत्री ने, जब श्री जयनारायण व्यास मुख्य मंत्री थे, उनको अपना प्रोटेस्ट किया, गुस्सा जाहिर किया कि मेरे पीछे चीफ सेक्रेटरी ने चुपचाप एन्क्वायरी कराई है, इस तरह से इन्फ्लुएंस डाल कर उस मामले को दबाने की कोशिश की। ऐसे मामले में जब सरकार यह कहती है कि हम डेमोक्रेटिक ट्रैडीशन्स को मजबूत बनाना चाहते हैं, जो सरकार यह दावा करती है कि एक कोठी मुफ्त की बिना किराए देकर, सेहरा बांधना चाहती है कि हम ऑपोज़ीशन का आदर करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि वास्तव में डेमोक्रेटिक ट्रैडीशन्स मजबूत होंगे तो केवल इस बात से नहीं। यह तो फॉर्म हो सकता है, यह अच्छी देखने वाली बात हो सकती है, लेकिन वास्तविक तरीके से 'डेमोक्रेसी मजबूत नहीं होगी, डेमोक्रेसी इस बात से मजबूत होगी कि मुख्य मंत्रीजी अपोज़ीशन के व्यूज़ का आदर करें कि मुझे इसके अंदर कोई एतराज नहीं है, आप हाई कोर्ट जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज से इस बात की जांच करा लें, मेरा दामन साफ है। अगर मैंने इन्फ्लुएन्स खुद डाला हो या मेरे रिश्तेदारों ने मेरे इन्फ्लूएंस का दुरुपयोग करके अपने लिए इस्तेमाल किया हो तो उसके लिए वे जिम्मेवार हो सकते हैं।

पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैरों जो आज स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके लड़कों ने उनकी पोजीशन का दुरुपयोग किया, डिप्टी कमिश्नर पर असर डाला। सिर्फ एक मुख्य मंत्री का लड़का जाए, डिप्टी कमिशनर के सामने बैठ जाय, वह दर्ख्वास्तें दे तो इतना ही अपने आप में बहुत काफी है, उनके ऊपर दबाव डालना और नाजायज हुक्म लेना। इसी प्रकार के मामले यहां पर भी हुए और जो रवैया मुख्य मंत्री ने लिया वह प्रजातंत्र की परम्पराओं को मजबूत करने का नहीं, बल्कि वह प्रजातंत्र की परम्पराओं की कब्र खोदने का एटीट्यूड है। मुख्य मंत्री को हमने अपने पत्र में साफ तौर से लिखा था कि हम विरोधी दल के लोग आपकी नीतियां, आप बहुमत से निर्धारित करें, आपके इस हक को हमेशा स्वीकार करते हैं और हम उन नीतियों को गलत समझते हैं तो वैधानिक तरीके से बदलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी नीतियों के द्वारा निर्धारित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कानून में यदि बेईमानी हो, कानून की अवहेलना हो, उसमें भी आप विरोधी दल को विश्वास में नहीं ले सकें, ऐसा नहीं होगा। जिन डेमोक्रेसीज की मिसाल दी जाती है, जिनकी परम्पराओं को मानते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की मैं एक मिसाल दूं। वहां के कैबीनेट मिनिस्टर प्रोफ्यूमो के आचार के खिलाफ, उसके चरित्र पर आरोप आया, हाउस ऑफ कॉमन्स में उस पर सरसरी एन्क्वायरी हुई और उस एन्क्वायरी के बाद वहां के प्रधान मंत्री ने उनको मजबूर किया कि वह पद से त्यागपत्र दें और उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। यह परम्परा है वहां की। अपोजीशन ने सवाल को उठाया, वहां की सरकार ने अपोजीशन की व्यू का आदर किया। यहां पर डिस्टर्बेंसेज होते हैं, आपको भी कई बार बुरा लगता है, उसकी समाचार-पत्रों में प्रतिक्रिया हुई है, परन्तु इस तरह का एटीट्यूड अपोजीशन की बात को मानने से इन्कार किया जाय, तब उसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ भी होती है।

इस सदन में कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं हुई गत २१-२२ तारीख को। इन्हीं प्रश्नों को लेकर सन्तराम की जांच रिपोर्ट को इस सदन की मेज पर रखा जाय, इस बात को लेकर इस सदन में काफी हंगामा हुआ, सरकार ने नहीं माना, विरोधी दल ने रिजेंट किया जिसको आपने अपनी ऑब्जर्वेशन्स में गलत बताया है और आपने सरकार से यह कहा है कि सरकार उसकी जांच करे, तो अगर इस सदन के माननीय सदस्य उसको सदन की मेज पर रखने की मांग करें तो उसको रखना चाहिए, लेकिन क्या रवैया था मुख्य मंत्री का ? हमने कहा अध्यक्ष महोदय को कि हमें भी वह रिपोर्ट दिखाने की इजाजत दें, तो मुख्य मंत्री ने कहा जबकि वह आपका अधिकार था, उसमें भी हस्तक्षेप करके यह कहा कि यह नहीं हो सकता, मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। पिछले २१-२२ तारीख को काफी अप्रिय घटनाएं हुई जिसमें इस सदन की कार्यवाही चलना मुश्किल हो गया, उसी को लेकर समाचार-पत्रों में टिप्पणियां हुई हैं। कुछ ने सरकार के रुख को गलत बतलाया है, कुछ ने विरोधी दलों के रुख को गलत बतलाया है। अगर हम डेमोक्रेसी के सिर्फ लेजिस्लेटिव विंग को, इस ऑगस्ट असेम्बली को डेमोक्रेसी मानलें या केवल एग्जीक्यूटिव को ही डेमोक्रेसी मान लें या केवल जुडीशियरी को डेमोक्रेसी मान लें तो यह पार्शल व्यू होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : समय कम है, इसका ध्यान रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : I shall just wind up.

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : जो पोइंट यहां उठाया गया है वह इस बिल के स्कोप में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : डेमोक्रेसी के ट्रैडीशन्स को मजबूत बनाने के लिए कुछ कन्वेन्शन्स हैं, कुछ कोड ऑफ कन्डक्ट है,

(श्री रामानन्दअग्रवाल)

जिसको एग्ज़ीक्यूटिव को आपने आप स्वीकार करके अपनी एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स पॉलिसीज़ को मानना पड़ेगा। इसी तरह से लेजिस्लेचर का भी कुछ कोड ऑफ कन्डक्ट है. जिसको नियमों के अनुसार चलाना पड़ेगा। एक गाड़ी के दो पहिए हैं, एक लेजिस्लेचर और एक एग्जीक्यूटिव । अगर एग्ज़ीक्यूटिव अपने अधिकार का दुरुपयोग करे, कानून की अवहेलना करे और विरोधी दल द्वारा सुझाई गई गलतियों की जांच कराना मन्जूर न करे तो फिर उस गाड़ी का दूसरा पहिया...

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसलिए मैं समझता हूं कि लेजिस्लेचर के अन्दर यह बात कि मंत्री लोग अपने रिश्तेदारों को जमीनें दे देते हैं, अपने ऑफिसर्स को प्रोटेक्ट करते रहें और इस तरीके की गड़बड़ियां करते रहें और वे अपोज़ीशन की तरफ ध्यान न दें और चुपचाप बैठे रहें...

(घंटी–शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल व्यास : क्या ये नियमों का पालन कर रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी बात को मैं स्ट्रेस करना चाहता हूं। इस बात को बराबर 'कहा जाता है इस सदन में कि हमको अपने नियमों के अनुसार ही चलना चाहिए। मैं इस सिद्धांत को स्वीकार करता हूं, लेकिन यहां जिन परम्पराओं का उल्लेख होता है उनको मानें। यह सामान्य रूल है कि किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं यदि आग लग जाय तो पड़ोसी के मकान में से बाल्टी लेने के लिए यदि ताला तोड़ा जाय तो वह कानून की अवहेलना नहीं है।

इसलिये सामान्य तौर पर अपोजिशन के इस सदन के माननीय सदस्य उन रूल्स के मुताबिक हर तरीके से काम करते हैं, कन्डक्ट करते हैं। लेकिन एग्ज़ीक्यूटिव के एक्शन्स इस तरह वायोलेशन करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जो एटीकेट है, जो मोरेलिटी है उसको एक तरफ रख कर, अपने बहुमत की ही बुनियाद पर लागू करना चाहते है। माननीय मिनिस्टर कह देते हैं कि हमने कर दिया, जो करना चाहो कर लो। इस तरह का एटीट्यूड होगा तो यह डेमोक्रेसी की परम्परा को मजबूत करने का नहीं है, उसको और कमजोर करना है और उसकी प्रतिक्रिया इस सदन में भी होती है।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे लीडर ऑफ दी अपोजिशन को एक मकान दिया जाय, जिस तरह का एक सजेशन है उसका विरोध नहीं है. लेकिन मैं समझता हूं कि जनमत जानने का एक तरीका है, जनतान्त्रिक परम्पराओं को मजबूत कैसे किया जा सकता है ? इस परिधि में इस बिल के स्कोप को बढ़ाना पड़े तब भी उसको लागू किया जा सकता है, यह बात सोचने की है,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

विचारणीय है, उस पर विचार करके फिर इस बिल पर विचार किया जाना चाहिये, इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ !

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : अध्यक्ष जी, इस बिल के साथ कुछ ऐसे नीति के मुद्दे जुड़े हुए हैं जिनके तहत आज इस सदन के अन्दर मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी सरकार ने इन पन्द्रह वर्षों में इस देश में अपोजिशन पार्टीज़ अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से प्ले करें, अपने रोल को अच्छी तरह से प्ले करें उसके लिए कोई क्लाइमेट पैदा नहीं की है। उनके व्यवहार के तौर पर, उनके अमल के तौर पर, उनकी नीतियों के अमल के तौर पर, मैं कह सकता हूं कि दरअसल में सरकार इस काम में फैल रही है। पर, अध्यक्षजी, मैं यह भी मानता हूं कि अपोजिशन पार्टीज़ जो रोल उसको अदा करना चाहिये था वह नहीं कर पाई हैं। इसका कारण यह भी है कि सरकार के व्यवहार और अमल का और सरकार के विभाग का असर हमारे ऊपर पड़ा और हमारे कन्डक्ट को मोल्ड कर लिया। जो डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, जिन्होंने मूवमेन्ट में काम किया है, जो मासेज़ में काम करती हैं और जिन्होंने मासेज़ में काम किया है, जिनको मासेज़ की शक्तियां कहते हैं, वह वे यह नहीं मानेंगे। एशिया महाद्वीप के अन्दर आज इतनी बड़ी डेमोक्रेसी सिवाय लंका और हिन्दुस्तान के और कहीं नहीं है। सारी दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी हुई हैं। एशिया में सिवाय लंका के और हिन्दुस्तान के इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज़ और कहीं काम नहीं कर रही हैं। सारी दुनिया की आंखें हमारी तरफ लगी हुई हैं और यह देख रही हैं कि यहां की सरकार का क्या रवैया है और ऑपोजिशन का क्या रवैया है। इसलिए कुछ का मत यह है कि सरकार जो ऑफिस में है, बाहर कई ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके प्रति वह क्या व्यू रखती है और जो ऑपोजिशन बाहर है वह सरकार के प्रति क्या व्यू रखते है। उन पार्टीज़ को किस एंगल से जज करती है? कॉन्स्टीट्यूएन्सी की मांग लेकर जाते हैं तो किस तरह पेश आती है? मैं जानता हूं, मासेज़ में जो वर्कर रहता है उसको मालूम है कि कितने हैन्डीकेप में काम करना पड़ता है।

दो-तीन कमियां जो मुझे अपनी इस साढ़े तीन साल की लेजिस्लेटिव लाइफ में मालूम हुई हैं, अध्यक्षजी, मैं उनको बयान करना आवश्यक समझता हूं। क्योंकि मेरा क्रिटिसिज़्म कन्स्ट्रक्टिव क्रिटिसिज़्म है। इतने बड़े ओमिशन्स और कमीशन्स इस देश में किये गये हैं कि, अध्यक्षजी, मैं उनकी ओर इशारा करना चाहूंगा। कितना बड़ा नेशनल डिबेकल हुआ, नेफा डिबेकल। आजादी के पश्चात् जो एक नेशनल केरेक्टर देश में बनना चाहिये था वह नहीं बना। जो था वह भी गया। उसका परिणाम नेफा डिबेकल है। हम यह एहसास करें। फिर भी हम देख रहे हैं कि हम आज पब्लिक में एक मिलीटेन्सी पैदा नहीं कर पाये जबकि हमारे देश में आजादी की लड़ाई में एक नेशनल केरेक्टर था। हम आज पब्लिक के अन्दर

(श्री केदारनाथ)

एक मजबूती और अपनेपन की एक कल्पना नहीं पैदा कर पाये। इसीलिए हमारे केरेक्टर में कमी रही। हिस्ट्री आप उठा कर देख लीजिये। हमने भी मूवमेन्ट किये हैं, हमें भी मूवमेन्ट करने का मौका मिला है। जनता के अन्दर एक नेशनल आउटलुक और नेशनल केरेक्टर पनपना चाहिये उसकी आज बड़ी भारी कमी है। इसका कारण यह है कि इस ओर प्रयास नहीं किया गया है। ऑपोजिशन पार्टीज़ का भी दोष है। पब्लिक के अन्दर, मासेज़ के अन्दर जो एक फिजा पैदा होनी चाहिये, वह पैदा नहीं कर सकी है। हम केवल दो कामों में आगे बढ़े हैं। हम यह चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कैप्चर कर ले पॉवर को। हम अपनी जीत के लिए, अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में काम कराने के लिए और अन्य बातों के लिए समझौता करते हैं मंत्री लोगों से; साइड बदलते हैं, क्रॉस करते हैं। किसी व्यक्ति या किसी पार्टी पर मेरा यह रिफ्लेक्शन नहीं है। एक वास्तविकता की ओर संकेत मात्र है। मैं कहता हूं कि हम सरकार की आलोचना करते हैं। हम हमारी गलती की ओर भी तो देखें। हमने १५ वर्ष के अन्दर क्या किया है? क्या कोई पब्लिक मोबिलाइज़ेशन किया? जो भी हम को करने का मौका मिला है, क्या ईल्ड्स हैं? उनका पोलिटिकल इम्पेक्ट क्या है? ठीक है इस देश में सोशियो-इकोनोमिक सिचुएशन। लेकिन हम चाहते थे कि देश में पार्टीज़ कम बनें। फ्लोर का क्रॉस कम हो, पोलिटिकल शिफ्ट कम हो, लेकिन दिन-ब-दिन वह बढ़ता जा रहा है। इसका कारण यह है कि हम पब्लिक मोबीलाईज़ेशन नहीं कर पाये। सरकार दोषी है इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है। सरकार कन्डेम की जा सकती है हर पॉइन्ट पर। यह तो ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ यह कहना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जितने स्केन्डल्स किये गये हैं, एलीगेशन्स हैं, बतौर डेमोक्रेसी के सरकार ने माना नहीं है। साथ ही यह भी है, जिस हिम्मत से बात को पर्स्यू करना चाहिए, वोटों से असेम्बली में हार गये और यदि पब्लिक में उसको एजीटेट करते, पब्लिक मोबीलाईजेशन करते तो आज ऑपोजिशन की यह हालत नहीं होती। किसी भी इश्यू को लेकर आज राजस्थान में जब कि इतने बड़े बड़े स्केन्डल्स हुए हैं, एक पब्लिक ओपीनियन हम पैदा नहीं कर सके और राजस्थान भर में एजीटेशन पैदा नहीं कर पाये। यदि राजस्थान में हम पब्लिक ओपीनियन पैदा कर सकते और कोई एजीटेशन पैदा करते तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस तरह की रिएक्शनरी फोर्सेज़ पैदा नहीं होतीं। इतना बड़ा पोलिटिकल पार्टीज को सही तरीके से काम करने का मौका था। कभी रिलीजन की पॉलिसी को लेकर और कभी पोलिटिकल प्रेशर से दब गये। कहीं टेम्प्टेशन आ गया, कहीं समझौता करना पड़ा इसलिए अपोजिशन का सही रॉल नहीं अदा कर सके और आज खतरा भी हमें इसी बात का है। बोर्डर से बाहर का खतरा उतना नहीं है जितना कि हमारे भीतर जो यह खतरा बना हुआ है, इतना बड़ा भारी खतरा और नहीं है। लेकिन देश की सिक्योरिटी को जो डेन्जर्स पैदा हो रहे हैं उसके लिए डाइमेन्शन्स हैं, उसका कारण

(श्री केदारनाथ)

यह है कि अपोजिशन पार्टीज अपना रोल पैदा नहीं कर सकीं।

मेरा सजेशन है कि इसके लिए एक क्लाइमेट पैदा की जाय। कॉन्स्टीट्युएन्सी में जा नहीं सकते पूरी तरह से क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है; जीप हमारे पास नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि यदि एक एक मेम्बर से ईमानदारी से यह पूछा जाय कि वे पूरी तरह से कॉन्स्टीट्युएन्सी में जा पाते है तो मुश्किल से पांच परसेंट ऐसे मेम्बर होंगे जो अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में जा पाते होंगे। कौन एम. एल. ए. ऑफिस मेन्टेन करता है तो मुश्किल से पांच परसेन्ट भी नहीं मिलेंगे। कौन मेम्बर लाइब्रेरी मेन्टेन करता है या ग्रुप स्टडी या हर तरह से स्टडी करके तैयारी रखता हो तो मुश्किल से पांच परसेन्ट मिलेंगे। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि उनका फिर कॉन्ट्रि-ब्यूशन कितना हो सकता है। आपको यह सोचना है कि पोलिटिकल पार्टीज ड्रेग करती है तो क्या होगा? हमारे दिमाग में स्टेबि-लिटी न हो तो क्या होगा? मेरी आपसे यह दर्ख्वास्त है कि आप एक ऑपोजिशन के लीडर को ही मत दीजिये। कितने मेम्बर राजस्थान में घूमने की दृष्टि से जायं ताकि वहां के कामों को देख सकें, इसलिए इसके लिहाज से उनको फेसीलिटीज दीजिये। आज एक मेम्बर नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास किराया नहीं है। आज उदयपुर नहीं जा सकता, कोटा नहीं जा सकता और वहां की बातों को यहां नहीं रख सकता। मैं ट्रेवलर आदमी हूं। ३००) रु० मेरे लिए काफी नहीं हैं। आपको इस ओर विशेष ध्यान देकर सोचना चाहिए। एक रेशियो तय होना चाहिए। अमेरिका और कनाडा में १:३ पॉइन्ट है और यहां १:५। आप तनख्वाह कम कर रहे हैं या ज्यादा यह गौण चीज है। ऑपोजिशन पार्टीज राज-स्थान में अपना रॉल अच्छी तरह से अदा कर सके और देश में एक जनतन्त्र की सही और वास्तविक अनुभूति हो सके तो आप एम. एल. एज. को राजस्थान में रेल से घूमने के लिए पूर्ण सुविधा दीजिये, अपनी कॉन्स्टीट्युएन्सी में वे जा सकें और लोगों को मोबीलाइज कर सकें, यह सहूलियत होनी चाहिए। मोबिलाइज लोगों को न कर सकें, यह खतरा तो मिट जाय।

(२. ००. म. प.)

जब हमारा मासेज से कन्टेक्ट होगा, उनके साथ मिलें, तो हमें पता चलेगा क्या गलत काम हुए हैं, तो हम उनमें यह जोश पैदा कर सकेंगे और उनसे यह कहेंगे कि सरकार का दृष्टिकोण इसमें गलत है, तो उनमें एक भावना पैदा होगी सरकार को उखाड़ फेंकने की। आज हम अपनी स्टेट को मान कर चलते हैं, मंत्रियों के लिये आज सब सुविधायें हैं, वे चाहे जहां भी घूमें, उनको सभी प्रकार की सहूलियतें प्रदान की जाती हैं। मैं यह चाहता हूं आप सब को मंत्रियों की तरह ट्रीट करिये, अपोजीशन को स्टेट में सब जगह घूमने के लिये सहूलियतें दीजिये। उनके लिये जीप प्रोवाइड कीजिये। जीप का प्रबन्ध सब जगह रखिये ताकि वे जीप को अवेल कर सकें। इसलिये मैं इस दृष्टि-कोण से देखता हूं कि जब अपोजीशन मजबूत

(श्री केदारनाथ)

होगा तो पब्लिक को भी एक्टिव कर सकेगा और पब्लिक एक्टिव होगी तो साथ साथ अपोजीशन और सरकार भी एक्टिव होगी। कार्य करने की दृढ़ता, और उसके साथ साथ मजबूत वीजन इन तीन–चार चीजों के मिलने से ही अपोजीशन को दृढ़ कर सकते हैं। हम अपने मनमाने प्रोग्राम के अनुसार चुनाव लड़ने की व्यवस्था करते हैं, असेम्बली के अन्दर आकर यहां भी उसके लिये लड़ते हैं बाहर भी मासेज में उसका प्रचार करते हैं, लेकिन मैं पूछता हूं जो एम० एल० एज़ हैं वे कितने अपनी कॉन्स्टिट्यूएन्सीज़ में जाकर मासेज़ से मिलते हैं और जो वायदे करके आये हैं उनको पूरा करवाते हैं। आज अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में घूमने की सहूलियत नहीं है राजस्थान में घूमने की सहूलियत नहीं है। आप उनके लिये जीप का इन्तजाम करिये; रेल्वे से ट्रेवल करने की सुविधा दीजिये। ये चीजें केवल १५ से २० रुपये, २० से २५ रुपये कर देने से हल नहीं होती। पांच गेस्ट यहां आ जाते हैं तो यह कहीं चला जाता है। सेवा की भावना पैदा हो और जो इलेक्टोरेट से हम वादा करके आये, उन वायदों के अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं यह उनको भी पता चले, उनकी बातें यहां आकर पेश कीं या नहीं, आपके चुनाव का एफेक्ट उन पर क्या पड़ा है उसके असेसमेंट करने के लिये, मासेज़ से कन्टेक्ट करने के लिये जिस प्रकार की सुविधा मंत्रियों को है उसी प्रकार की सुविधायें अपोजीशन के लीडर को नहीं है। उनका बुरा हाल होता है। इसके कारण डेमोक्रेसी नहीं चल पाई ऐसे दूसरे देशों के उदाहरण हमारे सामने हैं।

(सर्व श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा और श्री दुर्गालाल बाढ़दार बोलने को खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गालाल बाढ़दार ! माननीय सदस्य ने संशोधन का नोटिस दिया है, अतः पहले ये बोल लें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सदस्यों के परिलाभ सम्बन्धी संशोधन विधेयक जो सदन के सामने विचारार्थ आया है उस संबन्ध में मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं। सारे सदस्यों को किस प्रकार के परिलाभ मिलने चाहिये उसके लिये कानून बना हुआ है, अगर इस कानून में राज्य सरकार अनुभव करती है कि थोड़ा संशोधन और उसमें किया जाय। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में यह बताया गया है कि विरोधी पक्ष के नेता के लिये आवास की समुचित व्यवस्था नहीं थी उस व्यवस्था के लिये यह संशोधन लाया गया है यह राज्य सरकार का शुभ आइडिया हो सकता है। इसके साथ साथ राज्य सरकार को यह भी चाहिये कि दूसरे माननीय सदस्य भी अपने आपको डेमोक्रेट साबित करना चाहते हैं वहां विरोधी पक्ष के नेता को भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिये। उसके लिये आवास की व्यवस्था हो इसीलिये यह संशोधन लाया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्रीजी को यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऐसा विषय है जिसमें साधारण सी बात को लेकर यह कानून लाया गया है। परिलाभ का कानून पहले से बना हुआ है। उस कानून के अन्तर्गत जो व्यवस्था की है उसका इम्पेक्ट

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

क्या हुआ है ? उसके आधार पर लोग-बागों की मान्यता किस प्रकार की रही है, उन सारी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए उन पर विचार करते हुए, जो इस प्रकार के कानून बनाने की चेष्टा की जा रही है क्या इससे वास्तव में माननीय सदस्यों को सन्तोष है ? आप बार बार इस प्रकार से कानून बनाते रहे। क्या यह नहीं हो सकता कि इस प्रकार के संशोधन बार बार न लाकर एक ही बार में सर्व सम्मत विधेयक रखा जा सके ? एक बार जो चुने हुए व्यक्ति आते हैं उनको पता है कि उनके सामने क्या दिक्कतें आती है, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज उठानी पड़ती हैं, प्रिविलेज क्लास के आदमी हैं उनको यदि इस प्रकार की सुविधायें न भी प्राप्त हों तो कोई बात नहीं। आवास की सहूलियत कोई सहूलियत नही होती। एक विधायक को आप सहूलियत देना चाहते हैं तो जहां से वह चुनकर आया है इसके लिए दूसरी जगह पर किस प्रकार की सुविधायें हैं यहां कम्पेरेटिव कितनी प्रकार के कानून हैं, उन सारे सरन्जाम के आधार पर अध्ययन करके यहां पर व्यवस्था को रखना चाहिये।

दूसरे सदस्यों ने बताया उनके सामने घूमने की दिक्कत आती है उनको फेसिलिटीज़ नहीं हैं। विरोधी पक्ष के नेता को वे सारी फेसिलिटीज़ हों सरकारी अधिकारियों को होती है। मिनिस्टर को सुविधायें हैं उसी उसी प्रकार की सुविधायें इनको भी मिलनी चाहिए। उसी प्रकार के राइट्स व फेसिलिटीज़ उनको भी मिलनी चाहिए। आप केवल विरोधी दल के नेता को यह सुविधा देकर इसमें लीपा-पोती करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि क्रियात्मक रूप आप इसे देना चाहते हैं कि आप उनको पूरी तौर पर फेसीलिटीज़ देना चाहते हैं तो आप उनको वे सुविधायें दीजिये जो मिनिस्टर को दी जाती हैं।

आज जो भी डिफीकल्टीज़ हमारे सामने आती हैं उसके हजारों उदाहरण रखे गये, पचासों केसेज़ साइट किये गये, घटनायें बतायी गईं, उन घटनाओं पर विचार करने से पहले आप यह नहीं देखना चाहते कि लोगों में असन्तोष क्यों फैला हुआ है, इसका कारण क्या है ? उस असन्तोष को दूर करने के कारणों पर विचार नहीं किया जाता, उनको दूर करने के उपाय नहीं किये जाते।

आवास की सुविधा अपोजीशन के लीडर को देने से पहले यह सोच लिया जाय कि प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में जिस भावना को लेकर विरोधी पक्ष की सारी मान्यताओं को मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां केवल यही करने से कार्य-पूर्ण नहीं हो जाता है। आज अपोजीशन के लीडर इस स्थिति में हैं कि आप आवास की व्यवस्था न भी दें तो भी वे अपने खर्चे से आवास की व्यवस्था कर सकते हैं। प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में यह नहीं कह सकते कि हमेशा इसी प्रकार के अपोजीशन के लीडर आते रहेंगे। अर्थिक संकट प्रत्येक व्यक्ति के सामने आता है, आज अगर किसी चीज को सामने लेकर आते हैं कि यह सहूलियतें होनी चाहिये, ये साधन होने

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

चाहिए, ताकि वे सारी राजस्थान की जानकारी रख सकें। साधन ऐसे हों जिनके आधार पर सब बातों की जानकारी रख सकें तो वह सही मायनें में कॉन्क्रीट सजेशन दे सकता है। आज जिस एरिया से चुन कर आते हैं वह एरिया कितना बड़ा है उस सारे एरिया में घूमने के लिए विरोधी पक्ष का कोई भी नेता हो उसका दायित्व है। डेमोक्रेसी में, कितनी पार्टियां हों जो विरोधी पार्टियां कहलाती हैं, उनमें जिस पार्टी के सदस्यों की संख्या ज्योदा होती हैं उन्हीं को प्रमुख स्थान देते हैं। इतना होते हुए भी सभी विरोधी पार्टियों का दायित्व है, वह सब चीजों के आंकड़े इकट्ठे करें, उसका अध्ययन करें और सरकारी पॉलिसीज़ के बारे में कन्स्ट्रक्टिव सजेशन दे सकें। उसके लिए मेटीरियल्स की जरूरत पड़ती है। इस सबके लिये उनको मसाले की जरूरत पड़ती है, मैटीरियल की जरूरत पड़ती है। पर ये मिलें कहां से, कैसे ? क्या व्यवस्था इसके लिये आपने की है ? केवल आवास की सुविधा से यह नहीं हो सकता।

(समय–समाप्ति सूचक घन्टी)

जब आप सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करना चाहते हैं तो दो-तीन बातों पर प्रमुख रूप से विचार करना चाहिये। एक तो यह कि जो सुविधाएं आप दें सब अपोजीशन के सदस्यों को दें और ऐसी दें कि कन्स्ट्रक्टिव रूप में सही आंकड़ों को लाकर, तथ्यों को लाकर विरोध करें और यहां कहें यह कन्स्ट्रक्टिव रूप में विरोध करें, यह हमारा कर्तव्य है, धर्म है प्रत्येक सदस्य का।

मैं तो इसका भी विरोध करता हूं कि अप्रिय घटनाएं सदन में हमारे सामने आती हैं और वे दूसरी जनता के लोगों के द्वारा आती हैं तो अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हमारे पर आता है कि आप लोग वहां जाते हो और हमारी इन कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं कहते हो, मुफ्त की तनख्वाह लेते हो; ३००) ले लेते हो। तो ये बातें सुननी पड़ती हैं। यह भी सुनना पड़ता है कि पुलिस वाले अत्याचार करते हैं, सरकारी विभागों के कर्मचारी और अफसर अत्याचार करते हैं, इन्डिविजुअल कम्प्लेन्ट्स आती हैं और उनको फोवर्ड करने की कोशिश करते हैं और यह सुनने वालों तक ही होती है। अगर हम यह करने लगें तो पांच-दस या बीस सदस्यों को छोड़ दीजिये कि जिनके पास निजी साधन, टेलीफोन, कार, कन्वेएन्स के उपलब्ध हैं बाकी हरेक के पास नहीं है। अगर वे जनता की शिकायतें प्राप्त करके उनको दूर कराने के लिये सरकार तक पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहते हैं छोटे से शहर की छोटी सी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में भी एकाध दिन घूम कर यह करना चाहे तो सम्भव नहीं है। उसको एक बार अपनी सारी कॉन्स्टीट्यूएन्सी का चक्कर लगाने के लिये आठ-दस दिन चाहिये। तो कैसे वह गरीब आदमियों को कन्टेक्ट करे, उनकी कठिनाइयां सुने। एक बार यह हो जाता है कि बैठे बैठे मामूली आदमी जैसे मस्टर रोल भरता रहता है और एक मोहर बना ली वही अहलकार, वही रिकमण्ड करने वाला, वही फोरवर्ड करने वाला और वही डिस्पेचर

Page No.72

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

और वही फोर्थ क्लास का सरवेन्ट भी है। ये सारे काम बिचारे को अपने आप करने पड़ते हैं यह तो आपने हालत बना रखी है और आशा आप उससे यह करते हैं कि सारी बातें वह कन्स्ट्रक्टिव रूप में लाकर आपके सामने पटके। तो यह जो कुछ थोड़ी बहुत सहूलियत दे रहे हैं यह देकर कोई भारी अहसान या महानता आप नहीं कर रहे हैं।

यदि आप इस डेमोक्रेटिक शासन को सही माने में चलाना चाहते हैं तो इसे रिकन्सीडर करिये। प्रवर समिति के सामने इस विधेयक को रख दीजिये। फिरजो डिफिकल्टीज, परेशानियां इसमें आवें, इस कानून का इम्पेक्ट क्या हुआ, इसके द्वारा किन किन बातों को आगे सोचना है, कम करना है, बढ़ाना है, इन सब बातों पर विचार करने के दृष्टिकोण से इसे प्रवर समिति भेज देना चाहिये और तब सही माने में इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें; नहीं तो जल्दबाजी में इसे पास कर भले ही दें पर फिर कल आपको इसमें संशोधन लाना पड़ेगा। इससे काम नहीं चलने वाला है। विचार करना है तो सारी समस्याओं का एक साथ विचार कर लीजिये और फिर प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसे यहां पास करा लीजिये। ताकि बार बार सदन का यह बेशकीमती समय हमें न खराब करना पड़े और न बार बार संशोधन लाना पड़े।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): अध्यक्ष महोदय, इस छोटे से बिल को लेकर जो बहस शुरू हुई है उससे मुझे ऐसा लगा है कि आज सरकार के ऊपर अचानक अपोजीशन के कुछ सदस्यों ने ब्लो दी बेल्ट हमला किया है।

मैं समझता हूं जहां जहां हम डेमोक्रेसी का उपदेश देते हैं, डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपल्स पर चलने के लिये बिल इन्ट्रोड्यूस करते हैं, उस वक्त इस तरह की बात कहना जैसे शादी हो रही हो वहां पर रोने की आवाज सुनाई दे, तो उससे तो ऐसा लगता है कि जिस डेमोक्रेसी की वे दुहाई देते हैं वे कहां तक उस डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं?

इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सिलसिले में जो भी तकरीरें हुई और उनसे जो वातावरण बना उसके अन्दर मैं समझता हूं कि इस सरकार के सामने इस तरह की बात को मिला कर कहें जिससे वह वक्त न आवे कि न्याय सब मेम्बरों को मिल सके। सारे सदस्यों और मिनिस्टरों के प्रति ऐसा वातावरण न बने कि सही तौर से हमारी जिम्मेदारियां जहां तक भुगताने के लिये हमारी जरूरत है वे पूरी न हो जावें। मैं यह कहूंगा जहां आप यह कहते हैं उनके नाम के अन्दर सदस्यों को पूरी जिम्मेदारी निभाने के लिये कमी है। वहां पर इस मौके को इस बात के लिये लें। एक नहीं दो मरतबा आवें जिस वक्त कुछ न कुछ इस की बेमौजू बात कहना शुरू कर दें। मैं नहीं मानता। असल दिक्कत डेमोक्रेसी की इस बात की है। अपोजीशन की बात नहीं। पर मैं तो यह मानता हूं सरकार का ताल्लुक है। दो बातें हुई हैं। यह नेशनल इश्यू है सबकी जिम्मेदारी है। जनता की

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

बात है जिसके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं। हम मिलकर इस देश में डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा कर ले जावें और अपोजीशन मतलब रखता है कोई, जब राय दे दे कि कांग्रेस के प्रोग्राम और पॉलिसी पर चलें तो चलेंगे। उसके माफिक उसके अन्दर, उस सरकार के अन्दर, मदद करना और उसमें जो दिक्कतें है न चला सकते हों, गड़-बड़ हो सरकार की, उनको अपोजीशन को पोइन्ट आउट करना चाहिये।

यहां पर तो एक तरीका बन गया है कि जब मौका हो, तब जनता की दिक्कतों की तरफ ध्यान दिलाने की उनको इतनी चिन्ता नहीं, उनको चिन्ता है किसी न किसी तरह मिनिस्टरों को पकड़ने की और उनकी बात को इतनी बार बार्बेरियन प्रचार की तरह कहते हैं कि एक असत्य को इतनी बार रिपीट करो कि अन्त में वह सत्य दिखाई देने लग जावे। इस तरह के डिक्टे-टोरियल तरीके से मिनिस्टरों के बारे में कुछ पार्टी के लोग बातें बार बार यहां कहते हैं जिससे एक घृणा पैदा होती है ऐसे लोगों के प्रति हमारे मन में।

जहां तक सेठ रामानन्दजी अग्रवाल का सवाल है वहां तक ये रोज चीखते हैं-लोग भूखों मरते है, लोग तबाह हैं, सरकार उनकी मदद नहीं करती, बड़ों की करती है, उनसे पक्षपात करती है। पर तुम, आप, पेट्रोल का धन्धा करते हो उसको आग लगा-कर क्यों नहीं आते ?

श्री दुर्गालाल बाड़दार : पेट्रोल में तो खुद में ही आग होती है जो।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : "मुंह में राम बगल में ईंटें," ऐसे लोगों का असर हो सकता है। इस डेमोक्रेसी को खत्म करने का उनका सिद्धान्त है। मार्क्सिज्म को समझने का दावा करते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपको तो यहां बैठना नहीं चाहिये अगर आप मार्क्सिस्ट हैं तो। यहां आप बैठ नहीं सकते मर्क्सिज्म में जो विश्वास रखता है उनका तो यह कहना है कि हम अन्दर जा रहे हैं, हमे बदनाम करेंगे, इस डेमोक्रेसी को नीचे गिरावेंगे। ऐसे लोग जिनमें सत्य के लिये प्रतिष्ठा न हो, डेमोक्रेसी के लिये यहां आकर बैठे वे डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिये यहां आकर बैठे हैं। हमें उनसे अपनी डेमोक्रेसी को ताकत के साथ बचाना है। वे जिस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा आज हमें अनाज की कमी पड़ती है। उसको उपदेश में शामिल करते हैं अध्यक्ष महोदय, आपके सामने यहां पर हुड़दंगबाजी करते हैं। ये इसी तरह डेमोक्रेसी में विश्वास की बात कहते हैं। शैतान कुरान की आयतें पढ़ कर हमें सुनाता है। यह गलत लगता है हमें। मैंने कई बार उनके सींग देखे हैं। मैं कहना चाहता हूं अपोजीशन को और उन सब लोगों को जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, इनसे डेमोक्रेसी की रक्षा करनी है सबसे पहले। पहला सिद्धान्त उनका यह है कि वक्त की पुकार को टाल कर बेमौके बीन बोले। तीन-चार बातें ले रक्खी हैं उनको कहते हैं। सत्य और असत्य साधनों की उनके सामने कोई कीमत नहीं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं यह समझ सकता हूं अपोजीशन के लीडर बनने की कमी ताकत नहीं है इसलिए इस समय जो अपोजीशन के लीडर हैं जो गिनती की वजह से या आपने जो सिद्धान्त तय कर रखे है उसकी माफिक लीडर चुने गये थे, लेकिन उस लीडर के नीचे तीन-चार लीडर और बने हुए हैं। लीडर को हम तसलीम करें यह बात समझ में आती है। लेकिन उनकी जो बात हो रही है उसके अन्दर इस तरह का रोना शुरू किया जाय और फिर डेमोक्रेसी के नाम पर शुरू किया जाय, यह सब के सोचने की बात है कि कहां तक वाजिब है। जहां कुछ मेम्बरों ने इस दिक्कत को बताया है कि यही एक ऐसी जगह है जहां कि लोग अपने आप अपनी तनख्वाहें तय कर सकते हैं। ऐसी हालत में सबको स्वाभाविक है जनता के रिप्रेजेन्टेटिव होने के नाते अपने को दबायें; वह अपने को दबाते हैं, एक दूसरे से शरमाते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं श्री सतीशचन्द्र जी जैसे कि जो सभ्यता के साथ अपनी बात को रख सकते हैं। डेमोक्रेसी को पूरा करने के लिए कुछ जरूरतें होती हैं। आप भी महसूस करते होंगे लेकिन कांग्रेस पार्टी समझती है कि डेमोक्रेसी को चलाने के लिए सेठ रामानन्दजी जैसे लोग उल्टा चिल्लाने लग जाते है। जब कोई बात आये तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने ही शोर-शराबा मचाया है। जहां कभी कोई बात हुई नहीं कि अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि यही गिरे हैं कौए और चील की तरह। आप मुंह से कुछ कहते हैं और सब चीजें लेने के वक्त में कहें कि सब लेते हैं इसलिए हम भी लेते हैं। सब सेठाई करते हैं तो सेठ रामानन्द भी यहां पर सेठाई करते हैं। ये तो समझते हैं कि जैसे एक्सप्लॉइटेशन करने का हक है, आप केवल दूसरों को उपदेश ही दे सकते हो; ऐसे लोग जो कि कन्वीनियेन्स से कम्युनिस्ट हो गये हैं उनकी तरफ से हम दोनों पक्षों को जागरूक रहना चाहिए। मैं खुद महसूस करता हूं कि यह आपकी इज्जत का सवाल नहीं बल्कि हमारी इज्जत का सवाल है कि आपको इस तरह की सुविधायें हैं। यह इस तरह का होना चाहिए कि आप भी ईमानदारी से काम कर सकें, पूरी तरह से आप अपने काम का अंजाम करें तो आपको मालूम हो कि सुविधाओं के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे इमोल्युमेंट्स आपके होने चाहिए और उसके बाद जितना भी आप महसूस करते हैं उसको बगैर किसी परवाह किये हुए सरकार जो महसूस करती है उसका बिल लाना चाहिए और मैं समझता हूं कि लोग इस तरह के हैं कि अच्छा काम होते ही जिनकी आदत ही रोने की है जो लोग डेमोक्रेसी को चलने नहीं देना चाहते हैं और ऐसे लोगों के सिवाय इस सारे सदन का समर्थन आप को इस बिल पर मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं इसको तुरन्त पास कर देने की आपसे कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के अधिकारी व सदस्यों के परिलाभ के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है उसको मैंने प्रवर समिति में भेजने के लिए निवेदन किया है। जहां तक विधान सभा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के अपोजीशन पार्टी के नेता को जिस प्रकार की सुविधायें सरकार देना चाहती है उसका तो मैं स्वागत करता हूं कि इस प्रकार की सहूलियतें अपोज़ीशन के नेता को देने से हमारी जो डेमोक्रेसी है, जिसमें हम विश्वास करते हैं, उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी। मगर साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बातें अभी थोड़ी देर पहले कही गई जो कम्युनिस्ट पार्टी के माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा कहा गया कि कांग्रेस के लोग या जो मिनिस्टर्स हैं वे डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करते और वे डेमोक्रेसी को नीचे गिराने के प्रयत्न में हैं। मगर इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिन्होंने इस प्रकार की बातें कहीं उनका डेमोक्रेसी में किस प्रकार से विश्वास है या उनकी पार्टी का डेमोक्रेसी में किस प्रकार का विश्वास है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। दुनियां की जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंन्ट्स जहां भी हैं वहां पर किस प्रकार से डेमोक्रेसी चलती है और डेमोक्रेसी में उनका कितना विश्वास है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। थोड़े दिन पहले हमारे माननीय होम मिनिस्टर भारत सरकार हैं उन्होंने यहां पर जो लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट्स हैं उनके बारे में एक घोषणा की थी और उसमें यह बताया था कि सब तरह से हिन्दुस्तान में यह कम्युनिस्ट लोग किस प्रकार से देश की रक्षा करने में प्रयत्नशील हैं, किस प्रकार से इस देश की डेमोक्रेसी नहीं बल्कि इस देश को मिट्टी में मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे देश में चारों तरफ इस कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अपने अड्डे बना रखे हैं उनके द्वारा इस डेमोक्रेसी को खत्म करके चीनी तानाशाही हमारे देश में पनपाना चाहते हैं। इस प्रकार की डेमोक्रेसी और इस प्रकार के अपोज़ीशन के आदमी जिनका विश्वास देश में नहीं, देश की डेमोक्रेसी के लिए जिनका विश्वास नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी की दुहाई देना और डेमोक्रेसी की दुहाई देकर अपोज़ीशन पार्टी को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का प्रयत्न करें, यह कहां तक उचित होगा। तो इन बातों के ऊपर यदि हम ध्यान दें कि यह लोग जो ऊपर से कुछ और हैं और अन्तर से कुछ और हैं—हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, उस तरीके की बात करते हैं तो ऐसे लोगों से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए क्योंकि इनकी तो नीयत होती है कि इस देश में डेमोक्रेसी पनपे नहीं और जिनकी वजह से कैऑस फैले और यह कम्युनिस्ट पार्टी का सिद्धांत है कि जहां कैऑस फैलेगा वहां उनकी दाल गलेगी। वर्ना जहां डेमोक्रेसी सही तरीके से चलेगी वहां उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हू कि बार बार जिस प्रकार के मुद्दे उठाये जाते हैं, जिस प्रकार की बातें कही जाती हैं और जिस बात के लिए हम बार बार इस बारे में प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ वाजिब बात अपोज़ीशन की है उसके सम्बन्ध में न्यायिक बात करके जो उसके लिए फैसला लिया जाये—उनकी तरफ कुछ भी ध्यान न देकर, इस प्रकार की बातें दोहराते रहते हैं ताकि जनता को महसूस हो कि जो कांग्रेस शासन चला रही है उसमें गड़बड़ें ही गड़बड़ें हैं और सही ढंग से काम नहीं कर सकते।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इस तरह की बातों से जनता को गुमराह करना चाहते हैं ऐसे लोगों के प्रति देश की कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी बात इस बिल में रखी गई है और जिस प्रकार से हमारे सिद्धांत हैं, वैसे मैं निवेदन करूं कि केरल में इनकी पार्टी की गवर्नमेंट आई थी और जो कि डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं, अपोजीशन के लीडर के साथ या विधान सभा के सदस्यों के साथ किस प्रकार के इमॉल्युमेन्ट्स होने चाहिए केरल की गवर्नमेंट ने भी कभी अपोजीशन के लीडर को इस तरह की इमॉल्युमेन्ट्स देने की बात नहीं कही। तो हमारी सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार है, उसने कम से कम यह तो सोचा है कि अपोजीशन के लीडर को किस प्रकार से सहूलियतें दी जायें ताकि उनकी इज्जत भी उसी प्रकार से रहे जैसे कि हमारे मंत्री या अध्यक्ष महोदय की हैं। तो इस बात को सोच कर यह विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं उनको, यह तो स्वागत करने योग्य है। उसके साथ साथ मैं और निवेदन करना चाहता हूं और जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि इस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए ताकि विधान सभा के तमाम सदस्य हैं, विधान सभा में अपने क्षेत्रों में जा सकें और सही प्रतिनिधित्व कर सकें और उनके द्वारा जो वहां की कठिनाइयां हैं वह उपस्थित कर सकें।

इसके अलावा बहुत सी फेसिलिटीज की आवश्यकता रहती है, जैसा कि दूसरे प्रदेशों में किया गया है, बिहार, आसाम या दूसरी जगह पर, जहां कि एम० एल० एज० को अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में घूमने के लिए साधन दिये जाते हैं। उनको इस प्रकार के साधन उपलब्ध किये जाते हैं जिसके द्वारा अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में घूमकर सम्पर्क करके और जो भी उनकी कठिनाइयां हों उनको यहां पर प्रस्तुत कर सकें। इस प्रकार से आप अगर दीजियेगा तो विधान सभा के सदस्य ज्यादा अच्छे तरीके से काम करके उसके लिए ज्यादा अच्छे तरीके से प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे।

पिछले साल मेडीकल फेसिलिटीज के बारे में बात कही गई थी यहां पर कि जो फाइनेन्स डिपार्टमेंट है उसके द्वारा यह कहा गया कि विधान सभा के सदस्यों को मेडीकल फेसिलिटीज दी जावेंगी तो कई लाख रुपया खर्च हो जायेगा। मगर मैं, माननीय अध्यक्ष, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्य ऐसे नहीं हैं कि फर्जी बिल के जरिये मेडीकल फेसिलिटीज ले लें। इस साल के आंकड़े आप देखें तो कुल मिला कर ढाई हजार रुपये विधान सभा के सदस्यों पर खर्च हुए हैं मेडीकल फेसिलिटीज के अन्दर। अगर मेडीकल फेसिलिटीज सब लोगों को समान रूप से दी जायेगी, चाहे विधान सभा में उपस्थित हों, चाहे अपने घर पर हों, तो विधान सभा के सदस्य इस प्रकार के नहीं है कि फर्जी बिल वगैरह बनवाकर कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीद लेंगे। वहां से कॉस्मेटिक वगैरह खरीद कर फर्जी बिल पेश करेंगे। उनको सही तरीके की इस प्रकार की फेसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जैसे लीडर ऑफ दी अपोजीशन को हाउस वगैरह प्रोवाइड किया है। हमारे विधान सभा के सदस्यों को, जो क्वार्टर्स में रहते हैं या गवर्नमेंट होस्टल में रहते हैं तो उन लोगों से किराया वसूल नहीं किया जाय; तो मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार का प्रावधान सदस्यों के लिए भी होना चाहिए जैसा कि आप जिस प्रकार की सुविधाएं चाहें गवर्नमेंट होस्टल में दें, चाहे अलग क्वार्टर बना कर, जिस प्रकार की आपकी स्थिति है उस प्रकार दें, लेकिन कम से कम इस प्रकार की सुविधाए तमाम सदस्यों को मिलना चाहिए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसमें बहुत सी बातें और मिलाई जायं। और कुछ लोगों की, सिलेक्टेड लोगों की सिलेक्ट कमेटी बना कर और विधान सभा के सदस्यों को और दूसरे लोगों को क्या क्या लाभ दिये जा सकते हैं, रखे जायं जिसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो और हमारे माननीय सदस्य इसके अन्दर ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ले सकें। इस प्रकार का प्रावधान होना आवश्यक है।

श्री नासरसिंह चावेल (बैगूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के अधिकारियों व सदस्यों को परिलाभ संशोधन विधेयक पर मेरा निवेदन है। मैंने इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए प्रस्ताव रखा है। तो मेरी अर्ज यह है कि राजस्थान बहुत विशाल देश है और उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास बहुत सारे और अन्य मंत्रियों के पास भी काफी साधन होते हैं। सदन के नेता दोनों हैं, एक विरोधी पक्ष के नेता और एक हाउस का नेता, तो अर्ज यह है कि उनमें से एक के तार या टेलीफोन करने पर सारी की सारी मशीनरी काम करती है और सारे राजस्थान की खबर आती है। विरोधी पक्ष के नेता के पास साधन नहीं हैं तो कैसे खबर आये ? तो अर्ज यह है कि साधन नहीं दिये जायेंगे तो जो विरोधी नेता हैं आज उनके लिए कहा गया है कि वे तो साधन-सम्पन्न हैं और कल दूसरी बात हो तो मैं निवेदन करूं कि उस पर विचार करें कि जितनी फैसिलिटीज हाउस के नेता को हैं उतनी उनको दें। वे राजस्थान का दौरा कर सकें और अनियमितताएं और बुराइयां शासन के निमित्त हमारे सामने रख सकें ताकि शासन में सुधार हो सके।

इसके अलावा मकान खाली कराने के सिलसिले में १५ दिन की मयाद रखी गई है। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि औरों को जो सुविधाएं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हैं कि पद छोड़ने के बाद १५ दिन का टाइम रखा गया है तो उनके लिए जो टाइम लिमिट उसमें नहीं है तो इसमें भी नहीं रहनी चाहिए।

मेरा निवेदन यह है कि और सदस्यों के लिए जैसा कि आसींद से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि मकान की सुविधाएं मिलनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ें और पैसे का दुरुपयोग न हो और जो

(श्री चौसरसिंह बावेल)

जयपुर से आने वाले दो माननीय सदस्यों ने और बातें कही हैं उनका मैं समर्थन करते हुए निवेदन करता हूं कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द करें, ताकि राजस्थान आगे बढ़े और शासन में बुराइयां कम हों।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन के सम्मुख है उस सम्बन्ध में सिर्फ परम्परा का जिक्र करना चाहूंगा। यह सदन और लोक सभा, संविधान के तहत जिनका निर्माण किया गया है, यही ऐसे दो सदन हैं जिनमें बैठने वाले सदस्य अपने भत्ते, अपनी तनख्वाह, अपने इमॉल्युमेंट्स, अपने परिलाभ के जितने भी प्रोवीजन्स हैं उनको खुद तय करते हैं। इस सदन के अलावा और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अलावा सारे हिन्दुस्तान में और जिन जिन देशों में लोकतन्त्र हैं, संसदीय जनतन्त्र है उनमें भी इस बॉडी के अलावा कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो अपनी तनख्वाह अपने आप तय करती हों। चूंकि हम अपनी तनख्वाह अपने आप तय करते हैं इसलिए इस सदन पर बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि अपनी तनख्वाह, परिलाभ और इमॉल्युमेंट्स तय करते हैं, तो बहुत मूलभूत सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए हमें सारा निर्णय करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में परम्परा यह है कि इस तरह के बिल जब सदन में पेश किए जायं तो बिना किसी विचार के पास कर दिए जाएं। इसलिए कर दिए जाए चूंकि हाउस कमेटी जो है उसमें इस सम्बन्ध में विभिन्न पार्टियां अपने विचार व्यक्त करके, हाउस कमेटी में निर्णय होने के बाद हाउस के अन्दर इस पर विचार नहीं किया जाता है। इस तरह की चर्चाएं हाउस में होना शोभनीय मैं नहीं समझता। इसलिए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में इस तरह के बिल बिना किसी बहस के एक मिनट में पास किए जाते हैं।

मैं विचार करने के लिए जब खड़ा हुआ तो मैं, अध्यक्ष महोदय, सशंकित था कि मैं इस तरह की परम्परा पर विचार करूंगा और उसके बाद बहस के लिए खड़ा होऊंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैंने ये उदाहरण दिए हैं ताकि इस परम्परा का भविष्य में लाभ उठा सकें, तो मैं समझता हूं कि हम संसदीय लोकतन्त्र की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।

जहां तक हमारे लीडर ऑफ दी अपोजिशन के या अन्य सदस्यों के इमॉल्युमेन्ट्स या तनख्वाह का प्रश्न है मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो बिल पेश किया गया है उस पर हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि विरोधी दल बहुत सशक्त हो, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, स्वर्गीय जवाहरलालजी नेहरू भी यह कहते रहे कि हम चाहते हैं कि एक स्वतन्त्र विरोधी दल देश के अन्दर पैदा हो, सशक्त विरोधी दल देश के अन्दर पैदा हो। ब्रिटेन में विरोधी दल के नेता का सम्मान ऐसा है क्योंकि जब जब ऐसा मौका आता है कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

विरोधी दल के नेता सरकार के नेता होते हैं और कभी कभी सरकार के नेता विरोधी दल के नेता बनते हैं इसलिए उनकी बहुत कद्र होती है। इस देश में, अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति नहीं है जब कि विरोधी दल के नेता सरकार के नेता बन जाएं और सरकार के नेता विरोधी दल के नेता बन जाएं। लेकिन कानून में अवसर प्राप्त है। जब ऐसी राजनैतिक परिस्थितियां देश में होंगी तब मैं समझता हूं कि वास्तविक रूप से देश में जनतन्त्र मजबूत होगा।

विरोधी दल का सम्मान बढ़ाने के लिए इतना ही न हो कि उनको बंगला दो, बल्कि मेरा निवेदन यह है कि उनकी तनख्वाह मुख्य मंत्री के बराबर हो और उनके घूमने की सुविधाएं भी सारी राजस्थान के मुख्य मंत्री के बराबर होनी चाहिए। विरोधी दल के नेता चाहे जहां जाए और चाहे जहां आएं उनका ट्रेवलिंग एलाउन्स स्टेट एक्स-चेकर से होना चाहिए। आज ठीक है कि अपोजिशन के नेता महारावल डूंगरपुर हैं जिनको शायद प्रिवी पर्स मिलती है। वे विरोधी दल के नेता हैं। उनकी जगह स्वतन्त्र पार्टी का यदि सधारण सदस्य हो, जिनको कि प्रिवी पर्स नहीं मिलता है वह विरोधी दल का नेता बन सकता है। उस परिस्थिति का अन्दाज लगाया जाय। विरोधी दल का नेता साधारण आदमी बन जाए और उसको राजस्थान के कोने कोने का अङ्कन करना पड़े और जो ३००) रु० आज एक विधान सभाई को देते हैं तो ३००) रु० में से खर्च करना पड़े और थर्ड क्लास में ट्रेवल करके राजस्थान के कोने कोने में जाए, इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय; यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है कि उनके ट्रेवलिंग अलाउन्सेज़ में भी यह वृद्धि करें कि

(२.४० म० प०)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वे जहां भी जाए उनका सारा खर्चा स्टेट एक्सचेकर पर हो और उनका वेतन मुख्य मंत्रीजी के वेतन के बराबर इस बिल में कर दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह हवाला देना चाहता हूं कि अभी नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य ने अलवर के माननीय सदस्य की बहुत आलोचना की। हमारे बीकानेर से आने वाले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के नेता के बारे में भी एक-आध शब्द कहे, इस तरह के भद्दे शब्द कहे "कव्वों और चीलों की तरह पड़ते हैं"। रामानन्दजी के बारे में भी बातें कहीं। मैं नसीराबाद से आने वाले माननीय सदस्य की इज्जत करता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि आपका यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। विरोधी दल के सदस्यों ने कोई विचार इस बारे में व्यक्त किए हैं कि सदस्यों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई जाए, इसका मतलब यह नहीं है कि क्योंकि उन्होंने बढ़ी हुई तनख्वाह ले ली तो आप कहें कि "कौवों और चीलों की तरह पड़ते हैं।" हम हिन्दुस्तान में जनतन्त्र लाना चाहते हैं, इन्द्र धनुष बनाना चाहते हैं, दीवाल पर ७ रंग लाना चाहते हैं तो यदि रामानन्दजी या मुरलीधरजी ने तनख्वाह ले ली तो इन्द्र

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

धनुष नहीं बनेगा, जो सिद्धान्त रखा गया है उसका प्रतिपादन नहीं हो जाता है। यह अलग प्रश्न है कि लेजिस्लेचर के मेम्बर्स की तनख्वाह बढ़नी चाहिए या नहीं। हम निश्चित तौर से समाजवादी है लेकिन ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत कर आई तो सबसे पहले उसने राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव पास नहीं किया कि आयर्न, स्टील इन्डस्ट्री को नेशनलाइज़ किया जाए। लेकिन सबसे पहले काम उन्होंने किया हाउस ऑफ कॉमन्स में जिसमें उनका बहुमत था, उन्होंने मेम्बर्स की तनख्वाहें जो पहले ३००० पौंड साल में थीं उनको बढ़ा कर ४५०० पौंड एक ही साल में कर दिया। डेढ़ गुनी तनख्वाह बढ़ा दी, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि जब तक हाउस ऑफ कॉमन्स के मेम्बर्स को यह सुविधा नहीं है तब तक वे जनता के हित में सोचने की शक्ति क्रिएट नहीं कर सकते। मेम्बर्स कोई दूसरा ट्रेड या प्रोफेशन नहीं करें बल्कि राजनीति में रात–दिन लगे रह कर, एक निष्ठ होकर काम करें इसलिए हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की तनख्वाह बढ़ा दी। आज आप शिकायत करते हैं कि कुछ मेम्बर्स पेट्रोल पम्प चलाते हैं, कुछ घी का धंधा करते हैं, कुछ तेल का धंधा करते है. कुछ दूसरे कारोबार करते हैं, कुछ वकालत या डोक्टरी करते हैं। मैं कहता हूं कि यदि वे नहीं करें तो क्या करें, खायें किसको ? ३००) रु० में काम नहीं चलता इसलिए करते हैं। मैं इसको कोई जस्टिफाई नहीं करता लेकिन आज जो परिस्थिति है और जो इमॉल्युमेन्ट्स हैं वे कम हैं, इसलिए ट्रेड या दूसरा प्रोफेशन करना पड़ता है। सदन के माननीय सदस्य लाख-डेढ़ लाख लोगों द्वारा चुन कर यहां भेजे गये हैं यदि वे एक निष्ठ होकर दिमाग की शक्ति न लगावें तब तक डेढ़-दो करोड़ जनता की समस्या हल नहीं हो सकती, इसलिए सदस्य एक निष्ठ होकर परिस्थिति और वातावरण बनावें, यह आवश्यक है।

मैं यह नहीं कहता कि तनख्वाह कम है या ज्यादा है, लेकिन एक पक्ष यह भी है कि लोकसभा में बैठने वाले सदस्यों की तनख्वाह और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर्स या स्टेट एसेम्बलीज़ में बैठने वाले सदस्यों की तनख्वाह में किसी तरह का फर्क, यह अन्तर, नहीं होना चाहिए। इस सैद्धान्तिक आधार पर मैं समझता हूं कि लोकसभा के सदस्य जितनी शक्ति लगाते हैं, अमेन्डमेन्ट्स देते हैं, बहस में भाग लेते हैं उससे कम शक्ति हम विधान सभा के सदस्य भी नहीं लगाते हैं। हम भी प्रातः ७ बजे से लेकर रात को १ बजे तक साहित्य का अध्ययन करते हैं, अमेन्डमेन्ट्स देते हैं, लेजिस्लेटिव एसेम्बली में काम करते हैं, जनता के १०-२० पत्र आते हैं तो उनका भी जवाब देते हैं और वे भी यही करते हैं। एक ही तरह का काम दोनों करते हैं इसलिए मैं केवल राजस्थान के लिए ही नहीं कहता लेकिन सारे देश में लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के इमॉल्युमेंट्स एक होने चाहिए।

इसके साथ ही मैं दूसरी बात अर्ज करना चाहता हूं कि आज जितने सदस्य हैं क्योंकि वे पार्टीज़ से बंधे हुए हैं यदि उनकी पार्टीज़ सक्रिय नहीं हैं तो वे आपकी विधान सभा में आकर इफेक्टिव कॉन्ट्रिब्यूशन क्या दे सकते

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हैं ? आज जनसंघ एसेम्बली ग्रुप, एस. एस. पी. एसेम्बली ग्रुप, स्वतन्त्र पार्टी का एसेम्बली ग्रुप और कांग्रेस एसेम्बली ग्रुप यहां आकर काम करते हैं, आज उनको ऑफिसेज़ में किसी तरह की फेसिलिटी नहीं है। आज हम इस विधान सभा में काम करते हैं और आज हम यदि इम्पोर्टेन्ट लेटर्स टाइप कराना चाहें तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, चेम्बर हमको दे नहीं रखा है, या तो हम सदन की बैठक छोड़ कर एक डेढ़ घंटे के लिए बाजार में जावें और एक चिट्ठी टाइप करावें। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी मामूली बात जिसको कहने में लज्जा आती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी ही है, जो भी सारे ऑफिसर्स हैड पर हैं, विधि मंत्री भी बैठे हैं जो लेजिस्लेटिव एसेम्बली के इन्चार्ज हैं, मालूम नहीं वे भी इस माने में सोचते हैं या नहीं। मैं समझता हूं सोचते होंगे क्योंकि वे कह रहे थे कि हमको तनख्वाह कट कटा कर ६३६) मिलती है और कह रहे थे कि सोच कर करें क्या मंत्रियों का तो रौब नहीं है, यह भी कह रहे थे कि रौब कैसे हो हमारे सामने २२५०) रु० सेलेरी पानेवाले हैं जिनके बूटों पर पोलिश इतनी चमचमाती है कि हमें अपनी फटी हुई पेंट देखकर शर्म आती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस सिद्धान्त पर कहना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर):(श्री विधि मंत्री से) आप क्यों अपनी पेन्ट संभालते हैं, आपके लिए थोड़े ही कहा है ?

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मंत्री) : मैं भी संभाल लूं, मेरी पेन्ट फटी हुई तो नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों का वेतन एक होना चाहिए, मुझे यह कहने में भी शर्म नहीं है कि केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार के मंत्रियों की तनख्वाह भी एक होनी चाहिए लेकिन एक होकर किस स्तर पर हो, यह बहस का प्रश्न है। एक होकर वह नहीं हो जाय जो दिल्ली में है। सरकारी दल और विरोधी दल बैठकर तय करें क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि मंत्रियों के पास बड़े बड़े बंगले हों। मैं इस पक्ष का हूं कि मंत्रियों को ५० हजार रु० साल भर में सेलेरी के दे दीजिये उसी में से वे अपनी गाड़ी रखें, बंगले रखें और उसी से दौरा करें। इससे यह तो नहीं होगा कि तनख्वाह लेते हैं १०००) और उनका वजन सरकारी खजाने पर एक एक पर पड़ता है १ लाख रु० या ७५,०००) पड़ता है। हम चाहते है कि उनकी तनख्वाह ३ हजार की करदें लेकिन उसके बाद न तो उनको बंगला मिलेगा, न मोटर मिलेगी, न भत्ता मिलेगा, आप चाहें तो ५०)रु० माहवार के क्वार्टर में रहें और आप चाहें तो ५००) रु० माहवार के बंगले में रहें तो आपकी मर्जी। तीन हजार रुपये माहवार इनको देने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार और सारी पार्टीज़ को गंभीरता से सोचना चाहिए।

इसके उपरान्त मैं यह निवेदन करूंगा कि अभी अभी स्वीडन में, १५ दिन नहीं हुए होंगे, अखबारों में खबर थी, स्वीडन में

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

यह तय किया गया है, वहां जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं उनको उनकी करेन्सी के ६० लाख, हमारे यहां रुपये कहते हैं, उनके यहां क्या कहते हैं, मैं भूल गया ६० लाख उन पार्टीज में बांटे जायं। किस आधार पर? रिलेटिव स्ट्रेन्थ के आधार पर बांटे जायं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान को अनुकरण करना चाहिए। यह सिर्फ स्वीडन ने ही किया हो, ऐसी बात नहीं है अर्जेन्टाइना भी पहले कर चुका है, एक-आध यूरोपियन डेमोक्रेटिक कन्ट्रीज में भी इस तरह का प्रावधान है; ऐसा करने का मतलब यह है कि रूलिंग पार्टी को पूंजीपतियों के चन्दे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, भ्रष्ट नीति का प्रतिपादन होता है वह रुकेगा, सरकारी नुकसान करके भी मंत्री पूंजीपतियों को ६०-६० लाख रुपये उधार दे देते है, वह भी रुकेगा। हम चाहते है उपाध्यक्ष महोदय, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज है उनको १ करोड़ रुपया बांटने का प्रावधान किया जाय। केन्द्रीय बजट और प्रान्तीय सरकारों के बजट में १ करोड़ रुपयों का प्रावधान करके जो रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं, जिनको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है उनके रिलेटिव स्ट्रेन्थ के आधार पर यह रुपया बांटा जाय ताकि उनकी नीतियां जनता तक पहुंच सकें और जनता यह निश्चित कर सके कि किस पार्टी की नीति अच्छी है अन्यथा लड़ाई ईक्वल्स में नहीं है अनईक्वल्स में है। विरोधी दल रुपये-पैसे से कमजोर है, शक्ति से कमजोर है, उनके पास जनता तक पहुंचने के साधन नहीं हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि लोकतंत्र की नींव मजबूत करनी है, जनता में चेतना लानी है और राजनीतिक पार्टियों को भ्रष्ट पूंजीपतियों से बचाना है, तो इस तरह का वातावरण बनाना चाहिए। जो बिल पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक): अनुमति हो तो मैं दो मिनट बोल दूं!

श्री उपाध्यक्ष: मैं समय की तंगी की वजह से निवेदन करूंगा....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): चार बजे तक का समय रखें।

श्री उपाध्यक्ष: तीन से चार बजे तक दूसरे का समय आ जायगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल: मैं आपकी अनुमति चाहता हूं, दो मिनट में बोल लूं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री राधाकृष्ण गोयल: केवल दो मिनट बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: यह सम्भव नहीं है।

श्री राधाकृष्ण गोयल: दो मिनट....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज!

श्री मथुरादास माथुर: माननीय उपाध्यक्ष जी, राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ)

(श्री मथुरादास माथुर)

अधिनियम, १९६५ को लेकर इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार रखे उनके सम्बन्ध में कहने के पहले मैं एक मिनट के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज क्वेश्चन अवर के अन्दर जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भैरोंसिहजी ने एक प्रश्न माननीय डांगीजी से पूछा था, उसको उन्होंने विद्ड्रॉ कर लिया और कहा—मैं नहीं पूछना चाहता। मैंने उस समय यह कहा कि विद्ड्रॉ करने का सबब उन्हें बताना चाहिए और वे अगर नहीं बतायेंगे तो करप्शन और कोअर्शन की चर्चा आ जायगी। मेरी यह भावना थी। मेरी यह मन्शा नहीं थी कभी भी कि करप्शन और कोअर्शन के संबंध से वे विद्ड्रा कर रहे हैं। जिस तरीके से यह प्रोसीडिंग्ज में आया है उनको मैंने देखा। उसमें वे शब्द नहीं आये जो मेरी इच्छा थी और दूसरी बात आई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इन लफ्जों को एक्सपंज कर दिया जाय और इससे उनकी भावनाओं को आघात पहुंचा हो तो मैं इसके लिए खेद प्रगट करता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : The words may be expunged.

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, यह विधेयक...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मैं यह समझा कि आप खर्चा निकाल कर लाये हैं कि इस प्रश्न पर कितना खर्चा हो गया और उससे आप खर्च का केस बिल्ड-अप करने जा रहे है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, इस विधेयक की सीमा और परिधि बहुत ही सीमित थी। फिर भी इस सदन के माननीय सदस्यों ने और खास तौर से मुख्तलिफ सदस्यों ने, जो विरोधी दल की मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइन्दे हैं, अपने अपने विचार रखें। उनसे खास तौर से राज्य सरकार और ट्रेज़री बेंचेज़ पर बैठने वाले माननीय सदस्यों को बहुत लाभ हुआ है यह जानने में कि हमारे माननीय सदस्य किस तरीके से, किस हद तक इस बात को महसूस करते हैं। मगर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब यह बिल लाया गया था उससे पहले भी मैंने और हमारी कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप ने विरोधी दलों के नेताओं और मुख्तलिफ पार्टी के खास-खास सदस्यों से चर्चा कर ली थी कि इस बिल पर जहां तक हो सके कन्वेन्शन डेवलप किया जाय और इस तरह का बिल, जो माननीय सदस्यों से सम्बन्धित है, हो तो उस बिल पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी इतनी चर्चा हुई। उसका मुझे एक तरफ तो खेद है, दूसरी तरफ जो विचार सदन में आये, मैं यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य—वह चाहे इधर बैठे हों-ट्रेज़री बेंचेज़ पर बैठने वालों में से किसी की इच्छा नहीं है और न मंशा है कि माननीय सदस्यों को इज्जत या माननीय सदस्यों को काम करने की सुविधायें कम दी जायं जिसकी वजह से वह एक अच्छे प्रजातंत्र को पनपाने में उपयोगी सिद्ध हों। इस भावना की हम सब कद्र करते है और मैंने कई दफा कहा है और असेम्बली के मिनिस्टर होने के नाते मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये मामले कन्वेन्शन से तय

(श्री मथुरादास माथुर)

होते हैं । डेमोक्रेसी इस देश में है, जमहूरियत इस देश में है, यहां कानून के जरिये कोड ऑफ कन्डक्ट बनानी हो तो कोड ऑफ कन्डक्ट की धारा, प्रिविलेजेज़ की धारा हमारी पालियामेंट और लोक सभा में बनाने की कोशिश की गई और श्रीमती सुचेता कृपलानी की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी, जो उस समय लोक सभा की सदस्या थीं और उन्होंने इस बात की कोशिश की थी कि कोड ऑफ कन्डक्ट पालियामेंट के माननीय सदस्यों के लिए बनाया जाय, जिसमें छोटे छोटे प्रिविलेजेज़ भी लिखे जायं लेकिन कोई एग्ज़ोस्टिव लिस्ट नहीं बन सकी और आज तक पालियामेंट या लोक सभा में वह एडॉप्ट नहीं हो सकी । इसलिए संविधान की व्यवस्था के ग्रनुसार इस देश में प्रजातंत्र को पनपाने की जवाबदारी इस सदन पर है और वह कन्वेन्शन्स के जरिये से डेवलप हो सकती है । सुविधा की बात दूसरी हो सकती है ।

विरोधी दल में बैठे हुए माननीय सदस्य और इधर बैठे हुए माननीय सदस्य सभी जमहूरियत में विश्वास रखते हैं । इस धारणा को मानते हुए भी कई कन्वेन्शन ऐसे प्रिसिडेंस क्रियेट कर देते हैं जो हैल्दी क्रिटिसिज़्म की तारीफ में नहीं आते हैं और न अच्छी जमहूरियत, तन्दुरुस्त जमहूरियत में वह आते हैं । यह गल्ती इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की हो सकती है, एक दूसरे को कहने की बात नहीं है, इसमें ट्रेज़री बेंचेज, राज्य सरकार की जवाबदारी हो सकती है, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की जवाबदारी हो सकती है और इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भी जवाबदारी हो सकती है । इसका केदारनाथजी ने जो एनेलिसिस किया और जो बातें रखीं वह सही मायने में तथ्य हैं । इस देश में जमहूरियत को पनपाने की उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की ही जवाबदारी नहीं है, या इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की जवाबदारी हो, ऐसा नहीं है बल्कि देश के आम अवाम पर है--सबको इसे आगे बढ़ाना चाहिए । यह ठीक है कि अलग अलग देशों के अन्दर अलग ग्रलग परम्पराएं हैं । पाकिस्तान में जो ग्रभी सदर के चुनाव हुए उसमें सरकार की तरफ से जो केन्डीडेट खड़े हुए थे उनको सरकार की तरफ से रुपया दिया गया खर्च का । वहां पर यह परम्परा कायम हुई ।

इसके अलावा स्वीडन की परम्परा का माननीय सदस्य ने जिक्र किया । यह बात ठीक है कि दूसरे मुल्कों में, अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग परम्परा हैं वहां की हालत को देखते हुए और वहां की सामाजिक हालत को देखते हुए परम्परायें होती हैं और जमहूरियत को डेवलप किया जाता है । इस जमहूरियत का इस देश में और खास तौर पर हमारे राजस्थान में हम पन्द्रह वर्षों से विकास कर रहे हैं । इसके अन्दर हमको ऐसी परम्पराओं को डालना पड़ेगा जो हल्के हल्के पनप कर एक सही मायने में जमहूरियत को डेवलप करेंगी मेरे ख्याल में राजस्थान के अन्दर, वैसे मैं दावा नहीं करता ग्रौर न दावा करना चाहिए, लेकिन राजस्थान के अन्दर हम लोगों ने--चाहे वह उधर बैठते हों ग्रौर चाहे इधर बैठते हों--प्रजातंत्र

(श्री मथुरादास माथुर)

को पनपाने के लिए हैल्दी कन्वेन्शन्स डालने की बराबर कोशिश की है। मैं किसी माननीय सदस्य के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ठीक है, आवेश के अन्दर, गुस्से के अन्दर और नाराजगी के अन्दर किसी से कोई कमी हो जाती हो। मगर आप पायेंगे कि पिछले पन्द्रह वर्ष के इतिहास को और ब्यौरे को अगर देखें तो हमने बराबर राजस्थान में, जहां प्रजातंत्र की परम्परायें नहीं थीं, वहां प्रजातंत्र को पनपाने के लिए, प्रजातांत्रिक परम्पराओं को पनपाने के लिए कोशिश की हैं।

चाहे माननीय सदस्य इधर बैठते हों और चाहे उधर बैठते हों—लेकिन मैं तसल्ली से कह सकता हूं कि माननीय सदस्यों की चिट्ठियां आती हैं उनका जवाब देने की कोशिश की जाती है, माननीय सदस्यों की बात को वजन देने का प्रयत्न किया जाता है और माननीय सदस्यों को मान-सम्मान देने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है, एक दो घटनायें हो जाती हों, वह इतनी बड़ी जमहूरियत में हो जाती हैं। लेकिन हम उन पर विचार करते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और जिस मुद्दे पर आते हैं तो उसके जरिये हम प्रजातंत्र को डेवलप करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि उधर बैठने वाले सदस्य हैं उनको मैं ट्रेजरी बेंचेज़ की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जितने आप इस सम्बन्ध में इच्छुक हैं, उससे कम इच्छुक हम नहीं और अगर ज्यादा कहूं तो गलत बात नहीं होगी। हम चाहते हैं कि सही रूप में प्रजातन्त्र पनपे और हैल्दी कन्वेन्शन्स डेवलप हों जिससे यह सदन एक मॉडल सदन बने हिन्दुस्तान के अन्दर। और आज भी विरोधी दल के नेता के लिए सहूलियतों का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है, वह सिवाय वैस्ट बंगाल के हिन्दुस्तान में और कहीं नहीं है। फिर भी यह कदम आगे रखा गया यहां पर। इसके अलावा जो फैसला किया कि विरोधी दल के नेता जानते हैं कि अलग अलग जो इतना लिट्रेचर है, जो पब्लिकेशन्स हैं वे फ्री ऑफ कॉस्ट मुख्तलिफ पार्टीज़ को देना चाहिए चाहे कितनी ही स्ट्रेन्थ हो। इसका भी फैसला किया एक लिट्रेरी इन्ट्रेस्ट क्रियेट करने के लिए। यह भी फैसला किया कि बसों में फ्री ट्रेवल करने की सुविधा हो जो नेशनलाइज्ड रूट्स हैं उन पर। अब माननीय सदस्य रेल में ट्रेवल करने की फेसिलिटी की मांग करते हैं, यह फेसिलिटी राजस्थान की भलाई के पॉइन्ट ऑफ व्यू से है। इस फेसिलिटी को प्राप्त करके कोई माननीय सदस्य ऐश नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यह फ्री ट्रेवलिंग की फेसिलिटी दी गई तो माननीय सदस्य अजमेर और पुष्कर के बीच में नहीं घूमेंगे। मैं मानता हूं...

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : जो घूमने वाले हैं वे घूमेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अभी पिछली बार जब पार्लियामेंट में यह विषय चला था तो वहां कहा कि लोग-बाग वैसे ही घूमते रहें, ऐसी किसी को घूमने की फुर्सत नहीं है। मैं जानता हूं कि माननीय सदस्यों को काफी काम करना पड़ता है, जिस तरह से कई माननीय सदस्यों ने कहा,

Page No.86

(श्री मथुरादास माथुर)

जो इधर बैठते हैं और उधर बैठते हैं उनको सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती है। उनके पास इलाके के लोग आते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रश्न तैयार करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, लिखते हैं–सब बातें करते हैं–इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। इतनी फुर्सत नहीं कि हरिद्वार जाय, पाप धोने के लिए जायं। पाप होंगे तो यहीं धो लेंगे।

तो मैं निवेदन कर रहा था....

एक माननीय सदस्य : पाप धोने !

श्री मथुरादास माथुर : कि सहायता दी जाय माननीय सदस्यों को–इसमें दो राय नहीं हो सकतीं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पाप धोने के लिए गुसलखाने में जाते हैं तो लोग उसमें दाखिल हो जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : आपके गुसलखाने को....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गुसलखाने में साथ वे जाते हैं जो प्रिविलेज्ड हैं।

(३.०० म० प०)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एम. एल. ए. के मामले में सब प्रिविलेजेज़ हैं। "गरीब की जोरू सब की भाभी।"

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको वह अधिकार है।

श्री मथुरादास माथुर : खैर, शुक्र है आपका कि हमला गुसलखाने तक ही हुआ है। इसके बाद में भी एक खाना और है उस पर नहीं हुआ।

इसमें दो राय नहीं हो सकतीं और सदन को खुशी है, सदन के इस ओर बैठने वाले अपने आपको भाग्यशाली समझते हैं कि हम कुछ देते हैं। मैं यह कहूंगा कि हम आपको सहूलियतें देने वाले कौन होते हैं। आप ही ये सारी सहूलियतें देते हैं और आप ही लेते हैं। हमें ऐसी परम्परा बनानी चाहिये कि विरोधी दल के नेता लोग और इस तरफ बैठने वाले चीफ मिनिस्टर से, मेरे से और अन्य लोगों से बैठकर आपसी चर्चा कर लें कि यह अपना ही मामला है क्या फेसिलिटी होनी चाहिये। फिर यह नहीं होना चाहिये कि अपन बैठकर एक बात को तय करलें और बाद में उधर से एक दम धावा कर दें। यह कहें कि हम तो बिल्कुल सती सावित्री हैं। यह मामला पैदा हो जाता है। हम माननीय सदस्यों की राय से काम करते हैं फिर भी माननीय सदस्य धावा बोल देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह धावा इस कारण से होता है कि सत्यवान मर गया।

श्री मथुरादास माथुर : तो कुछ लोगों ने विरोध किया। मैं यह सुझाव देता हूं कि विरोधी दल के नेता, जनसंघ के नेता, सोश्यलिस्ट पार्टी के नेता और कॉम्युनिस्ट पार्टी के नेता और भी किसी पार्टी के नेता जो पार्टी रह गई है, वे सब बैठ कर और कांग्रेस के चीफ व्हिप और गवर्नमेंट के

(श्री मथुरादास माथुर)

खास खास कन्सर्निंग मिनिस्टर हों, मिल कर तय कर लें।

एक माननीय सदस्य : उप-नेता को भी शामिल कर दिया जाए।

श्री मथुरादास माथुर : नेता और उपनेता को शामिल कर लिया जावे, यह उनकी मर्जी है। यहां पर बहस होने के बाद यह कहा जावे कि रेल के पैसे दिलाये जावें। कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सब एक साथ मिलकर, बैठ कर सब तय कर लें। यह आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। जनता में इसका री-एक्शन होता है। इसको हम सोच लें। हम सब मिल कर, बैठ कर आपस में चर्चा करके, राजस्थान के हालात को देखते हुए फैसला कर लें उसके बाद वह बिल बना कर इन्ट्रोड्यूस हो और फिर वह यहां पर १० मिनट में पास हो जावे और उसका फैसला हो जावे। वरना कह दिया जावे कि आप ऐसा कर लो, और बाद में कहते हैं कि यह गलत है और उस पर बहस होती है। यह भावना नहीं होनी चाहिये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरा सी बात कहना चाहता हूं। जहां तक कन्वेन्शन्स की बात आपने कही यह ठीक है। लेकिन जैसा आपने कहा कि सब मिल कर पहले तय कर दें, मैं यह कहूंगा कि यह न करने की बात है, क्योंकि ऐसे आदमियों की नहीं है जो विरोध नहीं करें। इसलिये न 'नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी।' तो इसकी चर्चा ही नहीं की जावे। आप जो उचित समझें करें क्योंकि मैं समझता हूं कि फिर भी एक-आध आदमी शादी के वक्त रोने वाला हो जावे तो फिर क्या करेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : शादी के वक्त तो नहीं अगर शादी में कोई मातमी हो जावे तो सहन कर लेंगे।

यह तो मैंने सुझाव रखा है। आपने सारी बातों की जबाबदारी इस ओर बैठने वालों पर डाली है। मैं यह कहूंगा कि आप जो कुछ भी कहेंगे उसको अपने पल्ले में लेंगे क्योंकि आपने सारी जवाबदारी हम पर डाली है। मगर यह भी कन्वेन्शन होना चाहिये कि कोई बात एक दफे कही जावे या सेशन में दो दफा कही जावे मगर रोज उठ कर यही मर्सिया पढ़ा करें, यह कन्वेन्शन नहीं होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कन्वेन्शन नहीं होना चाहिये, इसके लिये आपकी तरफ से इस प्रकार की बातें नहीं आनी चाहिये. आप उन पर प्रतिबन्ध डालिये।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह प्रश्न ऐसा है कि दोनों ओर से हल होना चाहिये।

श्री मथुरादास माथुर : मैं बराबर दो घन्टों से उपदेश सुन रहा हूं कि हैल्दी कन्वेन्शन रखने की जिम्मेदारी हमारी है, हमने ठेका लिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ कन्वेन्शन्स ऐसे डालें जिससे कि किसी विषय पर चर्चा एक दफे की जावे,

(श्री मथुरादास माथुर)

दो दफे की जावे, यह नहीं कि हर वक्त उसकी चर्चा की जावे। इससे वक्त भी ज्यादा खर्च होता है और उस चीज का वजन भी गिर जाता है और उससे प्रोवोकेशन भी होने लगता है। इसलिये मैं अलग अलग विषयों में जाना नहीं चाहता क्योंकि उनका उत्तर सरकार की तरफ से दे दिया गया है, चाहे वह गुढ़ा बान्ध हो चाहे संतराम की रिपोर्ट की बात हो। इन बातों पर चर्चा चलती रहेगी। चाहे कोई भी बिल हो उसमें किसी न किसी रूप में घुमा-फिरा कर उन बातों को लाने की कोशिश की जाती है, यह कोई अच्छा कन्वेन्शन नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल पर यह कहा गया है कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जावे, इसके लिये यह कहूंगा कि यह पहली दफा ही हमारे यहां विरोधी दल के नेता को इस प्रकार की सहूलियत देकर हैल्दी कंन्वेन्शन किया है इसको भी रोक दिया जावे। और विरोधी दल के नेता को अगर यह मालूम हो जावे कि इसके लिये यह बातें हुई हैं तो वे यह कह देंगे कि हम तो नहीं लेना चाहते। वे बहुत कच्चे हैं। आज हमें इस बात की खुशी है कि वे यहां नहीं हैं। अगर वे होते और बहस को सुनते तो वे कहते बाबा हमें तो यह नहीं लेना है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका एनकरेजमेंट होता है। और सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को बहुत प्रिविलेजेज़ हों।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जावे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधि मन्त्री ने जो आश्वासन दिया है उसके आधार पर मैंने जो जनमत जानने के लिये प्रस्ताव रखा है उसको वापिस लेना चाहता हूं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री चौसरसिंह बावेल (बेंगू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव किया था उसको मैं वापिस लेता हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने जो आश्वासन दिया उसके आधार पर मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सब्जेक्ट टू कन्डीशन लेना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : I have got utmost confidence in the Law Minister.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह आज्ञा है कि जो माननीय सदस्यों ने संशोधन

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव दिये हैं उनको वापिस लेने की आज्ञा दी जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : It is understood that they have been withdrawn.

प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाम) (संशोधन) विधेयक, १६६५ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १६६५ को विचारार्थ लिया गया।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १६६५ को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १६६५ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

नेक्स्ट।

(३. ११ म. प.)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १६६४

(विचार-विमर्श एवं पारित)

राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, १६६४; क्लॉज़ बाई क्लॉज़। कन्सीडरेशन

श्री दुर्गालाल बाढ़दार!

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर) : इसमें मेरा पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। पोज़िशन यह है कि इस विधेयक को कल विचारार्थ लिया गया था और कल यह आश्वासन दिया गया था कि सरकार की तरफ से संशोधन प्रस्ताव आयेंगे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आ गये है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वे जो संशोधन प्रस्ताव तैयार किये गये हैं उनका वितरण अभी हुआ है।

श्री मथुरादास माथुर : दो घंटे हो गये।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : करीब एक सवा बजे वितरण हुआ । कुछ शिकायत लोगों को यह है कि वितरण हिन्दी में नहीं हुआ है । मुझे तो प्रतिलिपि अंग्रेजी में मिली है । इस भाषा को मैं समझता हूं । मेरा कार्य तो चल जावेगा, पर बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको केवल अंग्रेजी में वितरण होने के कारण कठिनाई हो सकती है ।

श्री मथुरादास माथुर : मैं समझा दूंगा ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : आप समझा देंगे पर यह दृष्टिकोण होना चाहिये था कि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समझ सके और अपना वाद-विवाद प्रस्तुत करना चाहे, विषय प्रतिपादित करना चाहें, तो अच्छी तरह से प्रतिपादन कर सके । आपके समझाने से प्रतिपादन करें तो वह किराये की अक्ल होगी, पर स्वयं की स्वतन्त्र अक्ल से प्रतिपादन करने का समुचित अवसर माननीय सदस्यों को मिलना चाहिये ताकि विशेष उपयुक्त संशोधन प्रस्तुत कर सकें । इस विषय में नियम बने हुए हैं तो ऐसी भाषा में वितरित करना चाहिये था । माननीय सदस्यों को ऐसी सुविधाएं नहीं दी गई है, ऐसी सुविधाएं नहीं दी जायं तब तक इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में कल ही निश्चित हो चुका था । जो कुछ वार्तालाप हो जायगा उसके पश्चात् जो संशोधन मन्त्री महोदय की ओर से या और प्रकार से आयेंगे उनके ऊपर विचार करके इसको रखा जायगा । तो उस दृष्टि से ये संशोधन आये हैं और हिन्दी के अन्दर इनका आशय व्यक्त नहीं हुआ है तो मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कि इनका पूरी तरह से आशय हिन्दी में भी स्पष्ट कर दें, जिस समय इनका अवसर आये स्पष्ट करते जावें ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार : मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह नहीं था । मैं इस पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं कि आज विचारार्थ नहीं लिया जाय । कल यह कहा गया था कि इसमें संशोधन प्रस्ताव आ रहे हैं वे वितरित कर दिये जायेंगे, वे वितरित कर दिये हैं पर समुचित अवसर प्रत्येक माननीय सदस्य को नहीं मिला है कि इन पर अच्छी तरह से विचार कर सकें, और विचार कर के अपनी भावना व्यक्त कर सकें, इसलिये समय दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया कि स्पष्टीकरण कर देंगे मंत्री महोदय और विचार हो जायगा ।

(विराम)

खण्ड २

श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मथुरादास माथुर : Are you insistent on this amendment?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : No, I withdraw this amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विदड्रा करने की आज्ञा दी जाय ।

(स्वीकृत)

– (श्री उपाध्यक्ष)

Yes, withdrawn.

श्री मथुरादास माथुर : खण्ड २ ओरीजिनल बिल में था, सिलेक्ट कमेटी ने खण्ड (२) का विलोप कर दिया है। सुराणाजी ने अमेंडमेंट रखा कि खण्ड २ रखा जाय। उन्होंने विद्ड्रा कर लिया है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित (सीकर): इसमें अमेंडमेंट आये हैं, उन पर मुझे निवेदन करना है।....

श्री उपाध्यक्ष : वे डिस्पोज ऑफ हो चुके हैं। खण्ड २ डिस्पोज़ हो चुका है।

(विराम)

श्री भीमसेन !

खण्ड ३ ।

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (1) In new sub-section (7) sought to be added in section 13 of the principal Act, add the following second proviso, namely ;—

"Provided further that the tenant has been warned in writing under his signatures by the land lord of the legal consequences on each occasion of default."

(2) In sub-clause (b), in sub-section (4) proposed to be substituted, for the expression "on any of the grounds referred to in sub-section (1)", substitute "on the ground set forth in clause (a) of sub-section (1), with or without any of the other grounds referred to in that sub-section".

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) :

(1) In sub-clause (a), substitute the following sub-clause, namely :—

"(a) for clause (a) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely :—

"(a) that the tenant has neither paid nor tenered the amount of rent due from him for six months; and

(2) In sub-clause (b),—

(i) in sub-section (4), sought to be substituted, between the words "or within such time" and "as may be extended by the Ccurt," insert the expression "not extending two months," and

(ii) for the proviso to sub-section (7), sought to be substituted, substitute the following proviso, namely :—

"Provided that a tenant shall not be entitled to any relief under this sub-section if having obtained such benefit or benefit under section 13 A in respect of any such accommodation, if he again makes a default in the payment of rent of that accommodation for six months."]

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (४) (i) उपखण्ड (अ) धारा १३ की उप धारा (१) के खण्ड (अ) को जिस नये रूप में प्रतिस्थापित किया है उसमें आखिर के शब्द "and in case of non-service thereof, in such other manner as may be prescribed" निकाल दिये जावें।

(ii) उप-खण्ड (अ) धारा १३ की उप-धारा (४) को जिस प्रकार नवीन रूप मे प्रतिस्थापित किया गया है उसमें दूसरी लाइन में शब्द "Sub-section (1)" से पूर्व शब्द "sub-clause (a) of" और जोड़ दिये जावें।

(ii) उप-खण्ड (ब) धारा १३ की नवीन उप-धारा (७) के परन्तुक को विलोपित किये जावे।

(iv) खण्ड म नवीन भाग (c) निम्न प्रकार जोड़ा जाय :—

"(c) for part (h)of sub-section (1) of section 13 of the original Act the following part (h) shall be substituted :—

"(h) that the premises are required by the land lord reasonably and bonafide for his own or his family's, residence and the balance of inconvenience caused by such ejectment will be more in favour of the landlord than the tenant."

श्री भीमसेन (लूनकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत क्लॉज पर मेरे २ संशोधन हैं। सब क्लॉज (b) में पहला संशोधन इस प्रकार है :—

"In sub-clause (b), in sub-section (4) proposed to be substituted. for the expression 'on any of the grounds referred to in sub-section (1), substitute 'on the ground set forth in clause (a) of sub-section (1) with or without any of the other grounds referred to in that sub-section."

माननीय उपाध्यक्षजी, यह संशोधन प्रस्ताव केवल ड्राफ्टिंग की डिफेक्ट को रिमूव करने के लिये रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने प्रोविजो रखा है क्लॉज ३ में...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : संशोधन न० १५ को मूव किया है।

श्री भीमसेन : मैंने जो यह संशोधन रखा है इसमें ड्राफ्ट की कमी है, वह दूर हो जायेगी। मैं समझता हूं मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप सब सेक्शन (४) पर बोल रहे हैं on page 2.

श्री भीमसेन : जी हां, अब सब-सेक्शन (७) पर बोल रहा हूं। मैंने प्रॉविजो रखा है। माननीय उपाध्यक्ष, काफी टीनेन्ट्स ले मेन होते हैं, उनको कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं होती। अब इसमें रखा गया है कि १८ महीनों में ६ डिफॉल्ट्स हो

(श्री भीमसेन)

जाते हैं तो एविक्शन हो सकता है । मेरा संशोधन प्रस्ताव यह है कि जो टीनेन्ट डिफॉल्ट करे उसको मकान मालिक नोटिस दे दे कि अब अगर डिफॉल्ट करोगे तो एविक्शन कराना पड़ेगा । इससे टीनेन्ट बराबर किराया देता रहेगा । मकान मालिक को किराया मिलता रहेगा और टीनेन्ट को जो एविक्शन से नुक्सान होने वाला है वह भी नहीं होगा, उससे वह बच जायगा, इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है, उसकी मंशा यह है :

"Proviso to Sub-section (7): 'Provided further that the tenant has been warned in writing under his signatures by the landlord of the legal consequences on each occasion of default."

तो इस तरह से यह संशोधन मजूर हो जाता है तो टीनेन्ट कानून की बारीकियों की जानकारी के अभाव में एविक्शन का शिकार हो जाता है उससे बचेगा । मैं समझता हूं, सरकार इसे स्वीकार करेगी ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक माननीय सदस्य का अमेंडमेंट नं० १५ है, जो सब क्लॉज (४) में है उसको मैं मजूर करता हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : ड्राफ्टिंग में डिफेक्ट है उसको ठीक किया है, उसे स्वीकार करता हूं; इन्होंने लिखा है :

"In sub-clause (b), in sub-section (4) proposed to be substituted, for the expression "on any of the grounds referred to in sub-section (1)", substitute "on the ground set forth in clause (a) of sub-section (1), with or without any of the other grounds referred to in that sub-section."

वह मैं मंजूर करता हूं । और उसके बाद में मैंने खुद ने अमेंडमेंट मूव किया है ३ के बारे में अमेंडमेंट नं० २१, जिसके बारे में मैंने भाषण में भी कह दिया था । फिर दोहराता हूं । पहले क्लॉज ३ की मंशा जो थी आज उससे दूसरी मंशा कर दी है । ६ महीने तक कोई किरायेदार किराया नहीं दे तो उसके बाद में नोटिस वाली चीज हटा दी है, अदालत में इजेक्टमेंट का दावा हो जाय तो पहली पेशी के दिन मय इन्ट्रेस्ट और खर्च के किराये का पैसा जमा करा दे तो एविक्शन नहीं होगा । यह प्रोटेक्शन दिया है ।

फिर दुबारा सेकिन्ड टाइम डिफॉल्ट करता है, छः महीने तक किराया नहीं देता है इस दफा पर इजेक्टमेन्ट नहीं मिलेगा । इसी भावना से यह अमेन्ड करके क्लॉज रखा है उसको मंजूर कर लेना चाहिये । मैं समझता हूं नोटिस का झगड़ा था वह खत्म हो जावेगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो अमेन्डमेन्ट क्लॉज ३ में मूव किया है, इसमें जो सेकिन्ड अमेन्डमेन्ट है क्लॉज ३ में, इसमें जो प्रोविजो जोड़ा है वह इस प्रकार है :

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

"Provided that a tenant shall not be entitled to any relief under this sub-section if having obtained such benefit or benefit under section 13A in respect of any such accommodation, if he again makes a default in the payment of rent of that accommodation for six months."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैंने भी छोटा सा अमन्डमेन्ट दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस छोटे से अमेन्डमेन्ट को माननीय मंत्रीजी स्वीकार करेंगे। उनका इन्टेन्शन है उसमें थोड़ी कमी रह गयी है, एम्बीग्विटी रह गयी है। सेक्शन १३ में जो बेनिफिट मिलता है, इस वक्त टेनेन्ट है, आगे कोई डिफॉल्टर हो वह धारा १३ में मिलेगा और १३ ए में पेन्डिग सूट्स और अपील, जिन्दगी में यह एक्ट कमेन्समेंट होगा, तब एक महीने के लिये सुविधा मिलेगी पेन्डिग सूट्स और अपील के लिये। इस एम्बीग्विटी में मैं यह चाहता हूं कि यह बेनिफिट है इसको क्लियरली कह दिया जाय "benefit under this sub-section......"

श्री मथुरादास माथुर : इसकी लैंग्वेज को पढ़ा जाय तो साफ है :

"provided that a tenant shall not be entitled to any relief under this sub-section......"

"सचे बेनिफिट" लफ्ज़ आये हैं। बेनिफिट भी आ गया है। और आगे देखिये यह है : benefit under section 13A and such benefits under this sub-section."

तो मतलब तो साफ है। अब उसको लिखाना ही चाहते हैं तो मर्जी आपकी। वर्ना कानूनी लैंग्वेज और मतलब की दृष्टि से तीनों साफ हैं। मैं साफ करता हूं और "such benefit under this sub-section if having obtained such benefit or benefits under section 13A..."

और आगे लिखते हैं "or benefit under section 13A" वह पेन्डिग क्लॉजेज के लिये है।

तो मतलब तो साफ हो जाता है। यह तो ओवर कॉशियस् की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका इस 'सच बेनिफिट' से मतलब है "benefit under this sub-section of section 13. यही इसका मकसद है तो इसको क्लीयर करने के लिए डाल दें इसमें तो क्या हर्ज है ?

श्री मथुरादास माथुर : यह क्लीयर है। ज्यादा धोने से फट जावेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या फट जावेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : Under this sub-section, having obtained such benefit.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जो आखिरी बात कही है; इससे मान लिया है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरा और है आपका।

Page No.95

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें 'इफ' दो दफा लगा दिया है। फालतू है। It is not necessary. It makes the sense senseless.

उसको क्लीयर करवाना चाहता था। शब्द की कमी अपने पास नहीं है; इसकी इकोनोमी बजट पर असर डालेगी नहीं। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, वाली कहावत चरितार्थ होती है। 'सच बेनिफिट' का मतलब कोई जज महोदय यह न निकाल ले कि बेदखल होना। बेदखल होने का एक दफा फायदा मिल गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : This is an amendment of amendment.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक छोटा संशोधन है एक शब्द का।

श्री उपाध्यक्ष : I shall read out. "Part II. Proviso to sub section (7) substitute the words '3' for the words 'six' occurring at the end."

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह-नगर) : आप महरबानी करके ज्यादा बोलने की कृपा न करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल When : you have agreed to it, why are you moving it ?

श्री उपाध्यक्ष : Would you like to press it ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : one minute.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि यह आवश्यक है कि हमने जो टीनेन्ट्स के इजेक्टमेंट के खिलाफ जो इस कानून में सुविधा दी है वह बहुत आवश्यक है। प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद भी आपने इसमें काफी तब्दीलियां की हैं, इसी के कारण से और आपने जो भावना व्यक्त की है कि डिफॉल्ट्स को ज्यादा एन्करेज नहीं करना चाहिये। इसलिए मैंने यह संशोधन रखा है कि ६ महीने के बजाय नौ महीने कर दीजिये। डिफॉल्टिंग टेन्डेन्सी को एन्करेज नहीं करना है, तो तीन महीने का पीरियड रीजनेबल होगा। तीन महीने तक भी दें तो कोर्ट की व्यवस्था रख दी है। लेजिस्लेचर और हम सब चाहते हैं कि लैंड लॉर्ड कोई ऐसी चीज पैदा न करे जिससे डिफॉल्ट हों इसलिए इसमें टैनेन्ट के लिए प्रोटेक्शन होना चाहिये। छः महीने की व्यवस्था है उसको ९ महीने रखिये या साल भर रखिये। एक बार पूरा प्रोटेक्शन देने के बाद इतना एक्स्टेन्शन दिया जाय तो आप उसको जरा री-कन्सीडर कीजिये। प्रवर समिति में भी यही भावना व्यक्त की थी। एक बार चाहे जितना डिफॉल्ट कर ले लेकिन फिर इस प्रकार रखने से एक हेबिचुअल ऑफेन्डर न बन जाय यह देखने की बात है, क्योंकि समाज की दृष्टि से भी बुरा है। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो डिफाल्ट्स नहीं करेंगे। कोर्ट में जमा हो

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जावेगा और आपने पुराने कानून के ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में भी यह स्वीकार किया है कि उस चीज़ को दूर कर दिया जाय और इससे लैंड लॉर्ड आर्टिफिशियल डिफॉल्ट्स नहीं करेगा और इजेक्टमेंट सीक नहीं कर सकेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आप एक दफा ही मयाद पूरी रख दीजिये जिसे हेबिचुअल ऑफेन्डर न बने, आप चाहे ६ महीने कर दीजिये, १२ महीने कर दीजिये लेकिन यह प्रॉविज़न डाल लीजिये कि फिर सूट लाये तो खारिज हो जावेगा। दुबारा प्रोटेक्शन मिले तो तीन महीने का मिले। ऐसी व्यवस्था की जायगी तो मैं समझता हूं कि हेबिचुअल ऑफेन्डर्स पर बार हो जायगा। यह मेरा छोटा सा अमेन्डमेन्ट है और मैंने इसी भावना से रखा है।

आर्टिफिशियल डिफॉल्ट क्रिएट करके इजेक्टमेन्ट सीक करता है। मेरा स्वयं का तो यह कहना है कि किरायेदार जो तीस चालीस साल से रहता आ रहा है वह अब भी किरायेदार है इन सारे झंझटों से मुक्ति देने के लिये उसको टाइटल ऑफ प्रोप्राइटरशिप जारी कर दिया जाय तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है। आर्टिफिशियल डिफॉल्ट क्रिएट करके जो इजेक्टमेन्ट सीक करना चाहता है उस पर चेक रखने के लिये मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है इसी भावना से विधि मन्त्रीजी इसको देखेंगे इससे कोई मिसचीफ नहीं होने वाली है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, स्कीम ऑफ थिंग्ज में जहां श्री मन्थ्स किया है तो जब यहां पर छः महीने का करते हैं तो ऊपर भी उसी के अनुसार करना होगा that the tenant has neither paid nor tendered the amount for six months. दोनों छः महीने तक डिफॉल्ट करने के बाद भी कर सकते हैं। इस हिसाब से ऊपर जहां श्री मन्थ्स आया है उसको रीड्राफ्ट करना होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये कॉज़ ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन छः महीने के बाद होगा। डिफॉल्ट्स की दृष्टि से तीन महीने के बाद नहीं ले सकता...

श्री मथुरादास माथुर : कॉज़ ऑफ एक्शन और इजेक्शन का सवाल पैदा नहीं होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिये पांच महीने तक जमा नहीं कराये इसके अन्तर्गत इस प्रकार का लाइसेन्स दे रहे हैं पांच महीने बाद भी दे सकता है उसके बाद छठे महीने के बाद इजेक्टमेन्ट होगा।

श्री मथुरादास माथुर : एरियर्स ऑफ रेन्ट के लिये सिक्स मन्थ्स रखे तो श्री मन्थ्स का डिफॉल्ट हो जाय तो नतीजा क्या होगा, वह दावा नहीं कर सकता; छः महीने के बाद इजेक्शन के दावे का प्रश्न पैदा होगा। स्कीम ऑफ थिंग्ज के अन्दर छः महीने होना चाहिये अपने को वैसे का वैसा ही रहने देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र से) क्या आप अपने संशोधन को प्रेस करना चाहते है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : There are certain amendments.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे इजाजत दी जाय अपने संशोधन को विदड्रॉ करने की।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल को संशोधन विदड्रा करने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ३ में जो संशोधन माननीय मंत्रीजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन नं० १५ भीमसेन जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३, यथा-संशोधित, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ३, यथा संशोधित विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ३ (ए)

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:—

श्री मथुरादास माथुर (विधि मंत्री) :

For clause 3 A, substitute the following clause, namely :—

"3A. Insertion of new section 13 A in Rajasthan Act 17 of 1950.—After section 13 of the principal Act, the following shall be inserted, namely :—

"13A. Special provisions relating to pending and other matters.—Notwithstanding anything in section 13, sub-section (1) (a) or sub-section (4) and the proviso thereto or sub-section (5) as they existed before the commencement of the amending Act,—

(a) no court shall, in any proceeding pending on the date of commencement of the amending Act. pass any decree in favour of a landlord for eviction of a tenant on the

(श्री मथुरादास माथुर)

ground of non-payment of rent, if the tenant applies under clause (b) and pays to the landlord, or deposits in court, within such time such aggregate of the amount of rent in arrears, interest thereon and full costs of the suit as may be directed by the court under and in accordance with that clause;

(b) in every such proceeding, the court shall, on the application of the tenant made within thirty days from the date of commencement of the Amending Act, notwithstanding any order to the contrary, determine the amount of rent in arrears upto the date of the order as also the amount of interest thereon at six percent per annum and costs of the suit allowable to the landlord; and direct to the tenant to pay the amount so determined within such time, not exceeding ninety days, as may be fixed by the court, and on such payment being made within the time fixed as aforesaid, the proceeding shall be disposed of as if the tenant had not committed any default:

(c) the provisions of clauses (a) and (b) shall *mutatis mutandis* apply to all appeals, or applications for revisions, preferred or made, after the commencement of the amending Act, against decrees for aviction passed before such commencement with the variation that in clause (b), for the expression "from the date of commencement of the amending Act", the expression "from the date of the presentation of the memorandum of appeal or application for revision" shall be substituted;

(d) if in any proceeding, any decree for eviction on the ground only of non-payment of rent has been passed on or after the 21st March, 1965, but before the date of commencement of the amending Act, and in which no appeal or application for revision has been prepared or made the court may, on the application of the tenant made within thirty days from the date of commencement of the amending Act, reopen the proceeding if the tenant deposits all arrears of rent upto the date of such application as also the amount of interest thereon at six percent, per annum and costs of the suit; and thereafter such proceeding shall be disposed of as if such deposit of rent constituted a valid payment to landlord in time.

Explanation:—For the purpose of this section:-

(a) "amending Act" means the Rajasthan Premises (Control of Rent and Eviction) (Amendment) Act, 1965; and

(b) "proceeding" means suit, appeal or application for revision."

(श्री मथुरादास माथुर)

उपाध्यक्ष महोदय, खंड ३ (ए) है, उसकी जगह श्री ए० अमेन्डमेन्ट पेश किया है। मैं समझता हूं इस पर एक अमेन्डमेन्ट श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का है—

Subsitute the words "1st January, 1965" in place of the words "21st March, 1965."

क्योंकि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट २१ तारीख को पेश की गई थी। इस सम्बन्ध में लोगों को इत्तला हो जाय कि पेन्डिंग केसेज के अन्दर भी गवर्नमेन्ट प्रोटेक्शन देना चाहती है। १ जनवरी लिखने से कोई सीक्वेन्स नहीं होगा आर्बीट्रेरी हो जायगा। २५ रख देने से पेन्डिंग बिल्स भी आ गये, अपील भी आ गई, दर्मियानी अपीलें भी आ गईं। उसके अन्तर्गत एक महीने के अन्दर दर्ख्वास्त देकर के थ्री मन्थ्स के अन्दर जमा करा दें तो सब प्रकार का प्रोटेक्शन दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधि मंत्री जी को जैसा कि अमेन्डमेन्ट जिस रूप में ३ ए का रखा है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। वास्तव में यह जो क्लाज है वह इस बिल का टाइटल है इसकी मन्शा है टीनेन्ट्स को प्रोटेक्ट करने की। इसको यानी इस क्लाज को कानून में रख कर एक्चुअली जो टेनेन्ट्स बेदखली के भय से डर रहे थे उनको इससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। इससे वास्तव में किरायेदारों को राहत मिल जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह क्लॉज़ तो उसी प्रकार का है जिस प्रकार सिलेक्ट कमेटी में तय हुआ था उसको रीड्राफ्ट किया गया है। जिस प्रकार का सिलेक्ट कमेटी ने पास किया है उसी तरह का है कोई तब्दीली नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें टाइपिंग एरर भी है 'प्रिपेअर्ड' जहां छपा है वह 'प्रीफर्ड' है. ओरीजिनल में 'प्रीफर्ड' है।

इसके अलावा बात यह है कि मैं इसका श्रेय नहीं लेना चाहता। इसका श्रेय सिलेक्ट कमेटी के सभी सदस्यों को है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्री रामानन्द जी आपको ही कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। यह सारा कमेटी को श्रेय है; जिसके माननीय रामानन्द जी भी सदस्य थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बात यह है कि मैंने इस बारे में असहमति पत्र दिया था। सिलेक्ट कमेटी की इच्छा के मुताबिक इसका ड्राफट नहीं किया गया था। अब विधि मंत्री जी ने मेरे असहमति पत्र को मानते हुए और सिलेक्ट कमेटी की राय को मानते हुए जो रीड्राफ्ट किया है उसके लिए कांग्रेचुलेट किया है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय अग्रवाल जी को धन्यवाद दिया है...

श्री मथुरादास माथुर : आपको भी धन्यवाद दिया है केवल मुझे ही नहीं यह आपको बहम नहीं होना चाहिए।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का यहां बिल उपस्थित किया गया, जिस प्रकार का सिलेक्ट कमेटी से पास होकर आया था और अब जिस प्रकार से पास किया जा रहा है···

श्री उपाध्यक्ष : ये बातें तो आप तृतीय वाचन पर कह सकते हैं।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मुझे समय नहीं दिया गया और जो संशोधन आये हैं वे अभी-अभी आये हैं उसमें हम संशोधन भी नहीं दे सकते थे

श्री उपाध्यक्ष : आप संशोधन देते तो मैं अवश्य उसको स्वीकार करता।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री, वित्त): आप तो विधि मंत्री ने जो संशोधन दिया है उसको अपोज कर रहे हैं, ३ ए को अपोज कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं ३ ए जिस समय सदन में लिया गया उस पर आप संशोधन दे सकते थे। आप जिस प्रकार का भाषण कर रहे हैं वह आप तृतीय वाचन पर कह सकते हैं।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : मैं ३ ए के बारे में कह रहा हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खत का मजमून भांप लिया है लिफाफा देख कर।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : तीन ए क्लाज जो हमारे सामने आया है उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि वैसे तो मैं तृतीय वाचन के समय ही इस पर मुख्य रूप से कहूंगा, पर इस समय बिल के विषय में ही कहना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं फिर उसी समय बोलें आप ?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : जैसी आज्ञा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन ३ ए में मंत्री महोदय ने प्रस्तावित किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन ए, यथा संशोधित, विधेयक का अङ्ग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन ए, यथा संशोधित, विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया।

खण्ड ४

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल से) You are not pressing ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड चार विधेयक का अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

Any more clause ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना नाम इत्यादि विधेयक के अङ्ग बने ।

(स्वीकृत)

खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना, नाम इत्यादि विधेयक में अङ्ग रूप से जोड़े गये ।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया तथा बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १९६४ पारित किया जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री पुरोहित से) अब आप बता सकते हैं, चाहें तो ।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को···

श्री उपाध्यक्ष : पांच-दस मिनट में सूत्रवत् वाक्य कह जावें ।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित : टाइम लग जाता है, पर बहुत संक्षेप में अर्ज करूंगा।

निवेदन यह है कि यह बिल जितनी जल्दबाजी से सदन के समक्ष लाया गया और जिस प्रकार सिलेक्ट कमेटी में पास कराने का प्रयत्न किया गया और फिर जिस प्रकार यहां आखिरी वक्त मन्त्री महोदय द्वारा नया अमेन्डमेन्ट लाया गया और उसे पास कराया गया उससे प्रतीत होता है कि इस बिल को पास कराने में कुछ विशेषता समझी गई है, हालांकि मेरा यह स्पष्ट मत है कि जो पर्पज इस बिल का सन् ५० में जब यह असल रूप में लाया गया था, वह आज इस संशोधन बिल के लाने से खत्म हो गया । और जिस प्रकार से मेरे माननीय मित्र श्री रामानन्द जी अग्रवाल को अकोमोडेट करने के लिए सिलेक्ट कमेटी में माना था उसके बावजूद भी उनको सन्तोष नहीं हुआ और फिर भी वे यहां अपनी बात लाये और इसके बाद कल भी कुछ मेरे ध्यान से सर्व श्री सतीशचन्द्र जी और रामानन्द जी की गुप्त मन्त्रणा हुई थी उसके परिणामस्वरूप यह आखिरी अमेन्डमेन्ट लाया गया है । ११ बजे मन्त्रीजी द्वारा उस पर विचार करने के लिए और सोचने के लिए न समय था न विचार करने का मौका मिला न अमेन्डमेन्ट पेश कर सकता था ऐसी स्थिति में मेरा तो यह निवेदन है कि इतने इम्पॉर्टेन्ट और कम्प्लीकेटेड बिल को इतनी जल्दबाजी के साथ पास किया जा रहा है वह मेरे ध्यान से उचित नहीं है ।

मैं निवेदन करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट आज लाया गया है उससे एक महीने का

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

प्रावधान और रख दिया उससे बिल की सारी भावना बदल दी गई है। इस बदलने का क्या परिणाम होगा उससे किसको क्या हानि लाभ होगा इसका तो विचार समय मिलने पर ही हो सकता है, पर यह कहा जा सकता है कि ओरीजिनल बिल जो रखा गया था वह बिल्कुल परिवर्तित स्वरूप में हमारे सामने है। और ऐसी हालत में जल्दी से हम अगर इसे पास कर देंगे तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि चाहे माननीय सतीश-चन्द्र जी या रामानन्द जी इसको स्वीकार कर लें पर मैं तो कहूंगा कि उन्होंने शायद कुछ जल्दी में ही इस पर विचार किया है।

मैं क्यों कहता हूं ऐसा ? सैक्शन १३ को जिसको अभी परिवर्तित किया गया है और जिसके स्थान पर यह नया इन्सर्शन किया है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमने निवेदन किया था कि पेन्डिग सूट्स वगैरह पर लागू नहीं होना चाहिए कि जो पहले का हाईकोर्ट से डिसीजन है उनको प्रभावित किया जा सके। वे वैसे के वैसे मेरे ध्यान से और भी ज्यादा उग्र रूप में प्रस्तावित किए गए है।

दूसरा मेरा यह भी निवेदन है कि इसमें चार क्लॉजेज हैं ए, बी, सी, डी। इन चारों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि शायद एक छोटे क्लॉज के बजाय बहुत बड़ा यह प्रावधान रखा गया है। १३ ए जो ओरीजिनल था इसको सब कमेटी ने कुछ परिवर्तित किया और उस परिवर्तन के बाद अब यह जो नया परिवर्तन लाया गया है उससे भी मेरे ध्यान से अगर दूना नहीं तो डेढ़ा तो अवश्य है। तो मैं नहीं समझ सका कि पहले का जो इन्सर्शन था उससे इसमें क्या विशेषता, क्या विशेष बात समझी गई है कि इसमें यह रक्खा कि किराया जमा कराने के लिए न्यायालय शुल्क २) रु० कर दिया जावे। खण्ड ४ में अब जो रखा गया है।

मेरा निवेदन यह है कि अब जिस प्रकार परिवर्तित किया जा रहा है वह कहां तक न्यायसंगत होगा यह तो इस पर थोड़ा विचार करने के बाद ही बताया जा सकता है जिसका हमें समय नहीं मिला।

और इसी प्रकार से और भी अमेन्ड-मेन्ट्स आये हैं जो पहले अमेन्डमेन्ट्स आये थे उन पर भी मेरे ख्याल से गौर नहीं हुआ है सिवाय एक अमेन्डमेन्ट के।

इन सबको इस प्रकार से हटा कर यह जो नया प्रावधान किया गया है छः महीने का इसके लिए मेरा निवेदन यह है कि इसको हमारे माननीय विधि मंत्री कहां तक उपयुक्त समझ रहे हैं।

उस अंतर को देखने से मैं तो यह समझता हूं कि शायद जो प्रोवीजन हमारा १३ (ए) में था उसका बिल्कुल निराकरण हो गया और उसकी जो उपयोगिता थी वह इस नये अमेन्डमेंट से शायद न रहे और अब चूंकि इसके विषय में मेरे मित्र माननीय श्री रामानन्दजी अग्रवाल को मुबारिकबाद दूं और जैसा कि हांडा साहब ने कहा मुझे भी शक हो गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि बेनीफिट ऑफ डाउट देते हुए

(श्री स्वरूपनारायण पुरोहित)

जल्दबाजी में कोई कानून पास नहीं कर देना चाहिए जिसका कि पूरी जनता के ऊपर असर पड़ने वाला है और जिसका मालिक मकान और किरायेदारों पर असर पड़ता है।....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत): मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप रामानन्द जी की आलोचना कर रहे हैं या उनकी सराहना कर रहे हैं। क्योंकि जो कुछ आप बोल रहे हैं, आज में दो साल बाद यही दिखायें कि देखिये स्वरूपनारायणजी पुरोहित ने यह कहा था। आपके भाषण का निष्कर्ष यह है कि जो कुछ भी हुआ है वह श्री रामानन्दजी के कारण से हुआ है और इसका श्रेय आप इनको देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप इनके गले में कोई फूलमाला डालते हैं तो डाल दें वह रेकार्ड में नहीं आयेगा। आप जो श्रेय दे रहे हैं यह श्रेय सब को है और सारा हाउस इस बिल के पक्ष में है। इसलिए केवल रामानन्द जी को श्रेय देना चाहते हैं वह बिल्कुल गलत है और बारबार आपने इतना रेफरेन्स दिया है कि मुझे प्रोटेस्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ा है।

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मैं माननीय श्री सुराणा साहब से निवेदन करूंगा कि मैंने श्रेय देने का प्रयत्न नहीं किया है। लेकिन हमारी सिलेक्ट कमेटी में और हाउस में भी जिस प्रकार से उनके अमेन्डमेंट्स का नम्बर रहा है और जो उनको महत्ता दी गई है उसको देखकर यह कहने का साहस किया है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): उपाध्यक्ष महोदय, यह तो हम कल से महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुरोहित साहब की कुछ दिक्कतें हैं। उन्होंने अपना व्यू पोइन्ट रखा और कांग्रेस का व्यू पाइन्ट यह है कि किरायेदारों को राहत दी जानी चाहिए इसलिए खुद मिनिस्टर साहब ने कोई गुप्त मंत्रणा की हो और पटा लिया हो ऐसा नहीं है। कोई किरायेदारों की ठेकेदारी रामानन्द जी पर हो ऐसा नहीं हैं, बल्कि इसका श्रेय मिनिस्टर्स को, हमको और आपको भी है। आपने इस सिद्धान्त के बारे में खुद ने 'हां' की थी, मुझ से मिनिस्टर साहब बोल रहे थे। फिर यह रात भर से कौन सी बात हो गई?

श्री स्वरूपनारायण पुरोहित: मैंने तो यह कहा कि....

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज! श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल अब थर्ड रीडिंग के लिए सदन के सामने पेश है। उपाध्यक्ष महोदय, जिस रूप में यह बिल इस समय पेश हो रहा है इसमें कोई सन्देह नहीं कि राजस्थान के किरायेदारों के सामने जो विभिन्न समस्यायें थी उन सब का पूर्णतया तो निराकरण नहीं होता परन्तु उन समस्याओं में जो बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण समस्या थी बेदखली की, किराये की, मेनीपुलेटेड डिफॉल्ट्स के कारण उस समस्या का निराकरण यह बिल जिस शक्ल में पास हो रहा है उससे उस समस्या का निराकरण अवश्य होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त किरायेदारों

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के सामने मालिक मकानों द्वारा अपनी निर्जा आवश्यकता बता कर मकान या दुकान का खाली कराना उनका अभी तक क्रम जारी है और मैं समझता हूं कि राजस्थान के किरायेदार जिन्होंने अपनी तकलीफों को दूर करने के लिए आज से ३ वर्ष पहले अपना संघर्ष शुरू किया था और उसके ऊपर आज इस बिल के पारण के साथ उसमें कामयाबी मिली। अपनी जिद्दोजहद को अवश्य जारी रखेंगे और हम समझते है कि सरकार ने जो दृष्टिकोण उनकी समस्याओं को समझ कर उनके निराकरण का, चाहे वह पूर्णतया निराकरण न सही, पार्शल ही सही लेकिन एक अच्छा दृष्टिकोण उनकी वास्तव में प्रोटेक्शन देने का दिखाया है उसका मैं स्वागत करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस बात के लिए जो कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य हैं उनका इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक इम्प्रेशन जो कि अन्नेसेसरीली मुझे भी एम्बेरेसिंग पोजीशन में डालता है उसको दूर करने की कोशिश की है, इस सदन में और यह एक एक्सीडेन्टल बात है कि अमुक सदस्य किसी बिल के अन्दर कहां दिलचस्पी ले ले या कहां कोई प्राइवेट बिल ले आये लेकिन इस सदन में जो कुछ पास होता है वह इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों को उसका श्रेय है। और उन सब के सहयोग से ही होता है इसलिए मैं समझता हूं कि यह बिल जिस शक्ल में पास हो रहा है वह सारे सदन ने जो किरायेदारों की तकलीफों को महसूस किया है उस भावना के अंतर्गत ही मन्जूर हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि गवर्नमेंट और जो समस्यायें किरायेदारों की है चाहे वे और स्टडी करें कि वास्तव में अपनी निजी आवश्यकता बता कर उसका नाजायज एक्सप्लोइटेशन होकर किरायेदारों को किस हद तक बेदखल किया जा रहा है और इस बात पर भी गवर्नमेंट गौर करे कि क्या इस कानून को राजस्थान के तमाम म्युनिसिपैलिटीज़ में आज लगाने की आवश्यकता है या नहीं और साथ ही साथ गवर्नमेन्ट इस बात पर भी गौर करे कि इस कानून की जिसकी आवश्यकता इस गवर्नमेंट ने खुद ने महसूस की है वह केवल पुराने मकानों तक ही सीमित रखने की आवश्यकता है या जो हाउसिंग की प्रोब्लम जो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है नये हाउसेज पर भी जो कि ५३ और ५४ के बाद बने हैं और आज जिनके ऊपर यह कानून लागू नहीं है उनके ऊपर भी इसको एक्सटेन्ड किया जाये या नहीं, गवर्नमेन्ट इस बात पर भी विचार करे।

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (विधि-मन्त्री): माननीय उपाध्यक्षजी, इस बिल के बारे में जो कुछ भी चर्चा हुई इस पर मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों के सहयोग के लिए और उनके सुझावों के लिए उनका आभार प्रकट करता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, यह बिल किरायेदारों को राहत पहुंचाता है, जिस हद तक किरायेदारों को बेदखल करने का सम्बन्ध है। इस बिल की मौजूदा धारा १३ में जो परिवर्तन किया है उसके आधार

(श्री मथुरादास माथुर)

पर और जो पहले कानून में प्रोटेक्शन था उसके अलावा इस कानून से और प्रोटेक्शन मिल जायेगा; यह बात ठीक है. वर्ना इसको जो आज रखा है कल मैंने जो जवाब दिया था सदन के अन्दर और उसी आधार पर धारा १३ रखी, है इसलिए यह कहना कि जल्दी में पास किया जा रहा है गलत है। इसमें कुल ४ क्लॉजेज ही तो हैं। इस पर सिलेक्ट कमेटी में चर्चा हुई और उसके बाद में फिर यहां कल चर्चा हुई और इसके बाद में मैंने जो क्लॉज़ १३, व ३ में है उसके बारे में सब चर्चा करने के बाद में जो घोषणा की थी उसी के आधार पर वह अमेन्डमेन्ट ड्राफ्ट होकर पेश किया गया है।

(४.०० म०प०)

बल्कि जो कल कहा गया था उसके विपरीत नहीं है, इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं की गई है और न डिले।

क्लॉज १३ और ३ उसमें प्रोटेक्शन देने की बात है। पहले सिलेक्ट कमेटी में इस बात को कहा था कि उनको प्रोटेक्शन पेंडिंग विल्स का और अपील्स का दिया जाय, तो जो ड्राफ्ट बन कर धारा १३ नई बनी हुई है उसके आधार पर जो परिवर्तन हुआ है उसके आधार पर पेंडिंग विल्स में पुराने कानून का फायदा मिल चुका है और एडिशनल प्रोटेक्शन उनको जरूर मिल जायेगा और वही पेंडिंग केसेज़ के बारे में है। वह परमानेन्ट नेचर का नहीं है इसलिए। राज्य सरकार की नीति जो रामानन्दजी, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि ५३–५४ के बाद के मकान हैं उन पर लागू होना चाहिए, तो सरकार उस नीति को नहीं मानती है। इसलिए नहीं मानती है कि उसके ऊपर लागू नहीं होता। यह टेम्पोरेरी लेजिस्लेशन है परमेनेन्ट नहीं है, और वह प्रोटेक्शन देने के लिए टेनेन्ट को एक मौजूदा सामाजिक के अन्दर ५४ के बाद के जो मकान बने हैं तो मकानों का भाव बढ़ा है, मकान बनाने के भाव बढ़ गये हैं उसके हिसाब से वह किराया मुकर्रर होता है और उस तरह से तय होता है। यह एक एमर्जेन्सी लेजिस्लेशन बना था और बार-बार एक्सटेन्ड किया जा रहा है और यह ७५ तक है। उसके बाद एक्सटेन्शन की जरूरत पड़े तो करेंगे, नहीं तो ड्रोप हो जायेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी खास खास दिक्कतें किरायेदारों की थी उन दिक्कतों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें यह प्रयत्न नहीं है कि लैण्ड लॉर्ड्स को परेशान किया जाय। इस भावना से यह नहीं बनाया गया है। लैण्ड-लॉर्ड को परेशान करने की इस बिल की मन्शा कतई नहीं है। किरायेदारों को बेदखली के मामले में प्रोटेक्शन देना चाहिए उसके लिए यह प्रावधान लाया गया है और उसी भावना को सामने रखते हुए यह बिल बनाया गया है। इस बिल के अन्दर कोई यह न समझे कि एक पार्टी के विरोध में है। इसमें सभी पार्टियों का सहयोग रहा है, और सभी माननीय सदस्यों का सहयोग रहा है इसी वजह से बिल बन पाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह किरायेदारों को बेदखली रोकने में सहायक होगा और उनको बेदखली से

(श्री मथुरादास माथुर)

बचायेंगे । मैं उम्मीद करूंगा कि कानून ४ क्लॉजेज़ का है, पर बड़ा सामाजिक असर लाने वाला है । तो मेरे ख्याल से आप सब सहमत होकर इस बिल को पारित करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान भू-गृहादि (किराया और बेदखली नियन्त्रण) (संशोधन) विधेयक, १६६४ (बाद में देखकर) १६६५ पारित किया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : यह भी आ जाय कि एक मत से पारित किया गया ।

(४. १२. म० प०)

राजस्थान भू-धारण (संशोधन) विधेयक, १६६५

(विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

[इस पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए :—

(१) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर),

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा),
श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक),
श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द),
श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) व
श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६५ को तीन माह । एक माह । तीन माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ।

(२) श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद),

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू)

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवारामगढ़) व

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६५ को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे ।

(३) श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनोड़ा),
श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई),
श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर),
श्री केदारनाथ (गंगानगर) व
श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६५ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी)]

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रार्यसिंह-नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टेनेन्सी एमेंडमेंट बिल जो सदन के सम्मुख प्रस्तुत है जिसके जरिये टेनेन्सी की कुछ धाराओं में संशोधन लाया गया है—धारा ३६, धारा ४३ और धारा ८४ में विशेष रूप से यह एमेंडिंग बिल संशोधन प्रस्तुत करता है ।

मैंने जनमत प्रसारण के लिए यह बिल भेजा जाय इस सम्बन्ध में प्रस्ताव दिया है, और वह प्रस्ताव इस कारण से दिया है, मेरा इस बिल से विरोध नहीं है । यह बिल आम किसानों को राहत देने वाला एक एमेंडिंग बिल है और मैं इसका स्वागत करता हूं मुख्य रूप से, कि जो इस प्रकार की छोटी मोटी बहुत सी समस्याएं है जिनका जन-जीवन पर बड़ा इम्पैक्ट है और वे समस्याएं, कठिनाइयां दूर नहीं हो पा रही हैं, न ही सरकार का ध्यान उस ओर जा रहा है । इस बिल की एक भूमिका आम तौर से सुनने में आती है कि प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी के १३ व्यक्तियों की एक कमेटी बनी थी और उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और उस रिपोर्ट के बाद यह एमेंडिंग बिल लाया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए प्रसारण के लिए राय प्रस्तुत की है इस बिल से सहमत होते हुए भी कि जब यह बिल आम जनता में जाय तो जनता में यह जानकारी हो कि इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जो जनता की हैं उन पर सरकार ने इनायते करम करके ध्यान दिया है और प्रमुख रूप से और समस्याएं भी सरकार के सामने आ सकें ।

इस बिल के जरिये काश्तकार जो एक गज के अन्दर अपनी धरती खोद कर उसके अन्दर मिट्टी, पत्थर या और किसी चीज की जो आम मकानातों के और बिल्डिंग इमारतें बनाने के काम में आती हैं उसको खोदने के अधिकार नहीं थे, लेकिन अब काश्तकार किसी तरह से धरती को खोद कर उससे ईंट भी बना सकता है और उसके पत्थर को भी अपने फार्म के कार्य के अन्दर उपयोग में ला सकते हैं और इस बात की ओर भी ध्यान दिया गया है कि जो शहर हैं बड़े बड़े जब रूल्स बनाए जायेंगे तो उसके सम्बन्ध में रूल्स निर्धारित किये जायेंगे और राइट्स रखे जायेंगे जिसमें इन चीजों की उपेक्षा नहीं की जा सकेंगी । मैं इस बात से भी सहमत हूं कि सरकार इस सम्बध में रूल्स बनाये ।

विशेषकर बड़े बड़े शहरों के चारों ओर लोगों ने नाजायज तरीकों से जमीन के अन्दर से मिट्टी निकाल कर या पत्थर निकाल कर उसका दुरुपयोग किया है । एक आम काश्तकार को राहत देने के सम्बन्ध में किया है । एक आम काश्तकार को हम उसको सहूलियत दें इस तरह कि उसका अनुचित

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

फायदा एक शोषक वर्ग उठाये और वह प्रोफिटियरिंग के अन्दर कन्वर्ट हो इस तरह से मैं कतई सहमत नहीं हो पाऊंगा। मेरे सामने इस प्रकार की घटनाएं हैं जहां पिछले दिनों के अन्दर गांवों के अन्दर ईटें वगैरह बनाने के सम्बन्ध में भी काश्तकारों को छोटे कर्मचारियों की रिश्वत का शिकार होना पड़ता है, पटवारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार से विक्टीमाइज़ होना पड़ता है। लेकिन मेरे सामने इस प्रकार की घटनाएं हैं, गंगानगर शहर को स्वयं को ले लीजिये। उसके चारों तरफ लोगों ने खेतों की भूमि के नीचे कच्चे भट्टे बनाकर लाखों रुपयों का धन कमाया और लोगों ने खेती की भूमि पर नाजायज़ से कब्ज़ा कर लिया है, कारखाने बना लिये है, इसके अलावा कोठियां बना ली हैं और बहुतों ने सारा कन्स्ट्रक्शन वर्क कर लिया है। आप गंगानगर के शहर को ही ले लें उसके तीन वार्डस् की आप स्थिति को देखें। इसमें ६, ८ और १२ जहां कि शुगर मिल्स है और शुगर मिल के मोलासेज़ का सारा पानी एक गड्ढे में इकट्ठा होता है। एक निहायत ही नारकीय जीवन वहां के लोग व्यतीत करते है, और जिस प्रकार कि बीकानेर के अन्दर एपिडेमिक्स-स्मालपॉक्स, जॉन्डाइज़ और दूसरी बीमारियां फैलती हैं यहां तक कि प्लेग का भी बीकानेर में इन्डीकेशन हुआ है। ऐसी स्थिति शहर गंगानगर की भी पहुंच चुकी है। इसी तरह से और शहरों का भी प्रश्न है। लेकिन इसके विपरीत शहर के चारों ओर का ध्यान करना है। लोगों ने नाजायज़ तौर से भट्टे बना लिये हैं। उनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है। वे लोग प्रभावशाली हैं और सरकार को दबा सकते हैं। इस कारण से न तो जांच होने पाती है और न नाजायज़ कन्स्ट्रक्शन के कराने का नोटिस देने का प्रश्न आता है। भट्टे, ईटों के बनाने के नाजायज़ तौर से लोग बनाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार का कन्स्ट्रक्शन अलवर के अन्दर या जयपुर के अन्दर आम तौर पर लोगों ने बड़े बड़े शहरों में इसी रूप में किया है। तो सरकार के रूल्स बनाने का सम्बन्ध निश्चित रूप से जरूर तय करना पड़ेगा। जहां धरती के नीचे इस प्रकार के वृक्ष वगैरह का अधिकार लोगों को नहीं रहता है ताकि प्रोफिटियरिंग जो इस प्रकार का होता है वह प्रोफिटियरिंग न हो पाये।

इसके अलावा इस अमेंडिंग बिल के जरिये जहां एक काश्तकार को पेड़ काटने के सम्बन्ध में तहसीलदार से इज़ाजत लेनी पड़ती थी और एक शिकमी काश्तकार को लेंड लोर्ड से बाकायदा मालिक से इजाजत लेनी पड़ती थी वहां गैर खातेदार काश्तकार को केवल सरकार से इजाजत लेने की बात रह जाती है। बाकी सीलिंग लिमिट की जमीन में ही वह पेड़ काट सकता है। जो सीलिंग से बाहर है वहां उसको सब-डिविज़नल मेजिस्ट्रेट से इजाजत हासिल करने के उपरान्त ही पेड़ काट सकेगा।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस सम्बन्ध में बहुत ज्यादा केसेज़ काश्तकारों के खिलाफ बने हुए हैं। जो लोग धरती का और काश्तकारी का धन्धा करते हैं उनके लिये लकड़ी बहुत आवश्यक है। पंजाली या हल बनाने के लिये उसको किसी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

भी समय लकड़ी की आवश्यकता पड़ सकती है और उस स्थिति में यदि वह तहसीलदार के यहां घूमता फिरे जोत छोड़ कर तो गंभीर स्थिति आ जाती है। आम तौर से जब बुवाई का वक्त होता है उस वक्त उसके हाथ में हल होता है वह टूट जाय या पंजाली टूट जाती है तो उसके पास एक ही रास्ता रहता है और वह यह कि अच्छा सा लकड़ी का पेड़ काटे और फौरन खाती को दे दे। ऐसे केसेज इस सम्बन्ध में बने हैं। इसकी पर्मिशन देने का अधिकार तहसीलदार को है। इसका लोग अनुचित लाभ भी उठाते हैं। नागौर तहसील में खिवसर का उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। वहां के जागीरदार केसरीसिंह के जुम्मे करीब १४०००) रु० बीघोड़ी के बकाया हैं और वे बीघोड़ी अदा नहीं करते थे। उन्होंने दर्ख्वास्त भेजी एस. डी. एम. के पास कि उनकी जमीन में इन्दोकड़े के पेड़ खड़े हैं उनको काटने की इजाजत दी जाय। इंदोकड़े के पेड़ अच्छे होते है। तहसीलदार ने उनके केस को रिकमन्ड किया और इन्दोकड़े के पेड़ काटने को सेंक्शन मांगी। उसके बाद उनको अपनी खातेदारी की जमीन पर से पेड़ काटने की इजाजत दी गई। केवल १४०००) की राशि बकाया थी। ३०,०००) उन्होंने पेड़ काटने की मजदूरी के दिये और कम नहीं तो ३.४ लाख रुपयों की लकड़ी उन्होंने उसमें से काट कर रिमूव की और उसमें से १४०००) बीघोड़ी के बकाया देकर लाखों रुपयों के पेड़ समाप्त कर दिये। इसके विपरीत ऐसे भी केसेज हैं जहां गरीब किसान ने लकड़ी काट दी तो बाकायदा उसका चालान हुआ, कम से कम २० तारीखें पड़ीं और आज भी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। आज इस सदन में बिल लाकर सरकार ने निश्चित तौर से काश्तकारों को इस दिक्कत से बचाया है।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि जहां सरकार ने सीलिंग लिमिट के भीतर काश्तकारों को पेड़ काटने की इजाजत दी है वहां इस सिलसिले में चलने वाले मुकदमें हैं उनको वापिस लेने के सम्बन्ध में भी सरकार प्रावधान करे। इन छोटे छोटे केसेज में बाकायदा उनका एक्सप्लोइटेशन हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कानून बना था उस समय दलील दी जाती थी कि वृक्ष अधिक कटते हैं, वृक्ष समाप्त हो रहे हैं उनकी रक्षा के लिये कानून बनाया है। उपाध्यक्ष महोदय, वाकई गम्भीर विषय था, वृक्षों की आवश्यकता है लेकिन किसान जो खेत में काश्त करता है वह वृक्षों की आवश्यकता महसूस करता है बल्कि नहरी क्षेत्र का किसान तो एक पेड़ काटता है तो ५ दूसरे लगाता है वह इस कीमती सम्पत्ति को नष्ट नहीं करना चाहता है। दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो लाखों रुपयों के पेड़ नीलाम करते हैं ५०० नीलाम करते हैं और १०० बताते हैं ऐसे लोग राष्ट्र की बहुत बड़ी सम्पत्ति को तबाह करते हैं। लेकिन एक आम किसान राष्ट्रीयता को कायम रखना चाहता है। लकड़ी आवश्यक चीज है उसकी पैदावार को रेकरिंग रखना चाहता है, वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि वह खेती का धन्धा युग युगान्तर से करता आया है धरती से उसको प्यार है। मैं निवेदन करूं कि यह सरकार कानून लाई है वह इसी सिलसिले से उन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मुकदमों को वापिस लेने की भी व्यवस्था करे जो लकड़ी काटने के सिलसिले में काश्तकार के ऊपर बन गये हैं।

अब इसमें एक प्रावधान सरकार ने और रखा है। जहां सिकमी काश्तकार है वहां लैंड होल्डर से, जमीन के मालिक से उसको इजाजत लेनी पड़ेगी। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की स्थिति देखिये, यहां रजा साहब की रिपोर्ट पढ़ी गई है उसके अनुसार ४२ लाख एकड़ जमीन खातेदारी की है वहां ४२ लाख एकड़ जमीन ऐसी भी है जो जागीरदारों के अण्डर में है और वहां पर शिकमी काश्तकार मौजूद है और वहां शिकमी काश्तकार का शोषण चल रहा है। गंग केनाल में देखिये वहां शिकमी काश्तकार गैर कानूनी तरीके से मौजूद हैं। जिन्होंने अपने बड़े बड़े खेत बेटे-पोतों के नाम करके बाकायदा खाते को मुकम्मिल करा लिया है, सीलिंग से बचने के लिये। आज उस जमीन पर काश्त वे खुद नहीं करते बल्कि शिकमी काश्तकार करते हैं और आधे बटाव का धन्धा आज भी चल रहा है। गिरदावरी में इन्द्राज मालिक के नाम पर है लेकिन वे शिकमी काश्तकार का शोषण कर रहे हैं। उन शिकमी काश्तकारों को लकड़ी काटने की इजाजत मालिक से लेनी पड़े तो उनकी कैसी स्थिति होगी। ऐसी स्थिति में सरकार को प्रावधान करना पड़ेगा। मालिक उसकी कठिनाई को इतनी महसूस नहीं करता है उसका इम्पेक्ट उसके दिमाग पर नहीं है इसलिये आप उसको उनकी मर्जी पर नहीं छोड़ सकते। लकड़ी काटने की जरूरत कृषि के उपयोग के लिये भी पड़ती है और जलाने के लिये भी पड़ती है। उसको आप आज्ञा दीजिये कि वह लकड़ी को जलावे भी। एक अर्ज और करूंगा कि आपने कानून को इस रूप में लाकर किसान का भला किया है, जहां किसान ने लकड़ी के अभाव में गोबर जलाना शुरू किया था जो काश्त के लिये उपयोगी है और गोबर पैदावार को बढ़ाने पर असर करती है। सिकमी काश्तकार को इजाजत लेने का जो प्रावधान है उसको इस में से निकालें। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल। संक्षेप में, १० मिनट में।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अपने सुझाव रखना चाहता हूं। राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से किसानों के लिये भी कई प्रोग्रेसिव रिफोर्म्स इस राजस्थान प्रदेश में दिये हैं उसी प्रकार से यह विधेयक भी उसकी एक देन है। जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा इस टिनेन्सी बिल के आने से काश्तकारों को किस प्रकार राहत मिलेगी। इसके पीछे एक प्रकरण है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिसके सामने ये मुख्य मुद्दे उठे थे कि राजस्थान के कृषक कई प्रकार की कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। इस पर राजस्थान कांग्रेस कमेटी ने १३ आदमियों की एक कमेटी मुकर्रर की और उसके सामने ये मुद्दे रखे कि कृषकों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और किस प्रकार उनका निवारण किया जा सकता है। उस कमेटी ने राजस्थान के अलग अलग

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिलों में जाकर वहां के कृषकों की जो जो समस्यायें थीं उन समस्याओं का निवारण करने के लिए अध्ययन किया और उसे अध्ययन करने के बाद उस कमेटी ने जिस प्रकार की रिपोर्ट गवर्नमेंट के सामने रखी कि कृषकों के सामने इस इस प्रकार की कठिनाइयां आ रही हैं और उनका निवारण करना अत्यन्त अनिवार्य है। उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार यह बिल हमारे सामने लाई है। मैं यह कहूंगा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिस प्रकार का प्रयत्न किया वह एक सराहनीय प्रयत्न किया है। उसीके प्रयत्नों की यह देन है कि यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है। आपको यह मालूम होगा कि राजस्थान में कृषकों की जो यह कठिनाइयां इस बिल के द्वारा दूर की जा रही हैं, वे बहुत बड़ी कठिनाइयां थीं। आप गांव गांव में जाकर देखें तो मालूम होगा कि बहुत सारे कृषकों पर हरे वृक्ष काटने के मुकदमे लगाये जाते हैं, उसकी वजह से कृषकों के सामने इतनी ज्यादा मुश्किलें थीं कि उनका निवारण नहीं हो सकता था। कहीं पटवारी उनको उलझा देता था, कहीं नायब तहसीलदार उनको उलझा देता था और कहीं कोई उनको उलझा देता था। बराबर हर गांव में इस प्रकार के मुकदमे होते थे जिनकी वजह से कृषक तकलीफ पा रहे थे। इस तकलीफ को मिटाने के लिए राजस्थान सरकार ने यह बिल बना कर हमारे सामने रखा है। इसमें कई प्रकार की सहूलियतें दी हैं। राजस्थान के कृषक अपनी जमीन से पत्थर एक गज के नीचे तक खोद सकते थे। उसको यह सहूलियत दी है अपना मकान बनाने के लिए, खेत को डेवलप करने के लिए कि वह उस जमीन में से जितना चाहे पत्थर निकाल ले और उसके द्वारा विकास करे। इस प्रकार का प्रावधान इसमें रखा गया है, यह स्वागत योग्य प्रावधान है। इसी प्रकार राजस्थान के कृषक अपनी जमीन में मकान बना लेते थे और तहसील और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा कठिनाइयां उपस्थित होती है क्योंकि तहसीलदार से इजाजत लेकर, एस. डी. ओ. से इजाजत लेकर और जितने अधिकारियों को अधिकार दिया गया था, उनसे इजाजत प्राप्त करके ही इस प्रकार मकान बनाया जा सकता था।

इस समस्या का निवारण इस बिल के द्वारा किया गया है जिसमें कृषकों को अधिकार दिया गया है कि अपनी जमीन पर रहने के लिए मकान बना सकते हैं और उसमें इजाजत की आवश्यकता नहीं है। तो इससे राजस्थान के कृषकों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है और उनकी कठिनाइयां दूर हुई हैं। इसी प्रकार हरे दरख्तों के सम्बन्ध में है कि जो खातेदार किसान है, जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं है वह अपनी जरूरत के लिए, चाहे किसी प्रकार की जरूरत हो—चाहे खेती—बाड़ी के लिए हो चाहे और किसी काम के लिए हो—वह दरख्त काट सकता है और उसको किसी प्रकार की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार गैर-खातेदार किसानों के लिए भी प्रावधान रखा गया है कि वह तहसीलदार की आज्ञा से घरेलू काम या कृषि सम्बन्धी काम के लिए दरख्त काट सकेगा और उसमें इजाजत मिल जायगी।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इसी प्रकार शिकमी काश्तकारों के लिए प्रावधान किया गया है कि लैण्ड लॉर्ड की इजाजत से दरख्त काट सकेगा। इस प्रकार के प्रावधान से कृषकों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यह निश्चित बात है कि जो परेशानी काश्तकारों के सामने इतने वर्षों से आ रही थी वह परेशानी इस बिल के द्वारा दूर हो जायगी।

लेकिन मैंने इसे प्रवर समिति में भेजने के लिए सुझाव दिया है उसके पीछे जो मकसद है वह यह है कि जो संशोधन्स आप लाये हैं इस बिल के द्वारा और जिस प्रकार आप टैनेन्सी एक्ट को अमेंड कर रहे हैं, इनके अलावा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में और संशोधनों की आवश्यकता है, वह संशोधन यदि नहीं किये जायें तो काश्तकारों को पूरी तरह से रिलीफ नहीं दे सकेंगे। मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि बहुत से ऐसे प्रावधान इस टैनेन्सी एक्ट में आने चाहिए जिनके द्वारा हम काश्तकारों को और कई प्रकार के रिलीफ दे सकें। जैसे कि, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके यहां पर इस प्रकार का प्रावधान है कि जितने भी टैंक बैड्स या रिवर बैड्स हैं, उन पर काश्तकारों का सैंकड़ो वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। हालांकि इनका सैटलमेंट में इन्द्राज नहीं हो पाया है मगर कब्जा बहुत वर्षों से चला आ रहा है। ऐसे लोगों को आप नये कानून के अनुसार कब्जा नहीं देते हैं, जो टैंक बैड्स हैं और रिवर बैड्स हैं, वहां पर ऐसे स्थान अब भी मौजूद हैं, मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में आसीन्द में अर्जुन सागर और जो भूपाल सागर है जिनके बैड्स के ऊपर काश्तकारों का सौ साल से कब्जा चला आ रहा है, वह उस कब्जे को भोगते चले आ रहे हैं लेकिन सरकार के द्वारा इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है, और तहसीलदार के द्वारा इस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है कि उनको इजेक्ट करके दूसरे लोगों को वह जमीन एलॉट कर दें। लेकिन क्योंकि उनका कब्जा चला आ रहा है इसलिए ऐसे लोगों के लिए कुछ प्रावधान टीनेन्सी एक्ट के अन्दर लाना चाहिए ताकि उन किसानों को राहत मिल सके।

एक प्रश्न और है कि जागीरदारों के वक्त में तालाब बने, उनके बनने के बाद में उनसे पिलाई होती थी, खेतीबाड़ी होती थी। उसके बाद जब जागीर रिज्यूम हुई तो उन लोगों ने उसे खुदकाश्त में और दूसरी तरह से अपनी अपनी जमीन को दर्ज करा लिया है। जहां तक तालाब का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के बहुत से तालाब हैं, जिसका जो पेटा है और जो तालाब की पाल है वह जागीरदार के खुदकाश्त में चली गई हैं और पाल भी खुदकाश्त में करा ली हैं। इस प्रकार गलत इन्द्राज पाल और पैटे का हो जाने की वजह से उनको पानी मिलने में कठिनाई होती है। इसलिए मैं सरकार का इस ओर ध्यान खींचना चाहता हूं कि इस प्रकार के जहां तालाब बने हुए हैं और उन तालाबों से जिन लोगों को पानी मिलना चाहिए, उसके नीचे जितनी जमीन है, उसके हिसाब के लिए कुछ प्रावधान इसमें होना चाहिए। और जो ऐसे जागीरदार हैं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

जिन्होंने पंटे और पाल में गलत तरीके से इन्द्राज करा लिया है, इसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया जाय तो उपयुक्त होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक प्रश्न और है, राजस्थान में जिस प्रकार अकाल पड जाते हैं उस समय टैनेन्सी एक्ट में रेमीशन की कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रावधान है, वह डिफेक्टिव है। उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां दो तीन साल से बराबर अकाल पड़ते है उसके लिए टैनेन्सी एक्ट में प्रावधान है कि सर्टेन लैण्ड के बारे में जानकारी करके जिस प्रकार का नुकसान हुआ है उस प्रकार के नुकसान को अलग अलग तरीके से कूंता जाय। मगर जहां अकाल पड़ते हैं, मान लीजिये, एक काश्तकार के पास दस बीघा जमीन है और अकाल की वजह से, और पानी नहीं होने की वजह से उसने एक बीघा के अन्दर काश्त किया है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस प्रकार कुंताई करता है कि एक बीघा में जो खेती हुई है उसमें कितना नुकसान हुआ है और जो जमीन फालतू रहती है जिसको पानी के अभाव में बो नही सका था उसका नुकसान कूंतने का टीनेन्सी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जो रेमीशन की कार्यवाही होकर राहत मिलनी चाहिये वह नहीं मिल पाती है और उसकी वजह से किसानों को काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। मैं इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि बराबर दो-तीन साल तक अकाल की स्थिति कई गांवों में बनी हुई है, तीन साल से अकाल की स्थिति जहां चल रही है वहां रेमीशन की कार्यवाही ठीक तरह से, टीनेन्सी एक्ट में जिस प्रकार का प्रावधान है उसकी वजह से नहीं हो पा रही है। बराबर कलैक्टर भीलवाड़ा और तहसीलदार आसीन्द-सबको-इस बारे में निवेदन किया है लेकिन वह भी अपनी कठिनाई बताते हैं कि टीनेन्सी एक्ट में इस प्रकार का प्रावधान है जिसकी वजह से यह कठिनाई हमारे सामने है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रावधान टीनेन्सी एक्ट में हैं तो उनको तरमीम करना चाहिये, उनमें संशोधन करना चाहिये ताकि लोगों को सही प्रकार से राहत मिल सके और सही रूप में फायदा मिल सके। इसलिए मेरा यह सुझाव है और मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन प्रावधानों को इसमें जोड़ा जाय। इनके अलावा और कोई प्रावधान हों जो काश्तकारों को राहत दिलवा सकते हों तो उनको भी इस टैनेन्सी एक्ट के अमेंडमेंट बिल में जोड़ दिया जाय ताकि किसानों को राहत मिल सके। मैं समझता हूं कि उस बिल का पूरी तरह से समर्थन होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चौसरसिंह !

श्री चौसरसिंह बावेल (बेगूं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टैनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६५ सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है। इसमें दफा ३६ में एक गज की लिमिट को हटाया गया है, इससे काश्तकारों को हक मिला है कि वह

(श्री चौसरसिंह)

जमीन में से नीचे से भी पत्थर निकाल सकता है और अपना काम चला सकता है। लेकिन इसमें यह है कि सरकार के बनाये हुए नियमों के अन्तर्गत वह उस पत्थर को काम में ले सकेगा। मैं नहीं समझता कि सरकार कब तक नियम बनायेगी और कब तक वह पूरे होंगे। किसान नियमों का इन्तजार करते रहेंगे तो इस सुविधा को कैसे काम में ले सकेंगे। इसलिए जो यह फिकरा रखा गया है नियम बनाने का, इसके लिए यह स्पष्ट नहीं है कि कब तक वह बनेंगे। ऐसी हालत में यह सहूलियत देना या न देना मौजूदा हालत में बराबर है।

सेक्शन ९९ में जो फैसिलिटी दी गई है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि शहर के आस-पास जो गांव हैं उनमें पचास प्रतिशत से ज्यादा जमीन में इमारत बना ली जाय-इसके बारे में सहूलियत दी गई है। यह शहर को छोड़ कर दी गई है। वह शहर की सीमा के अन्दर करेंगे लेकिन उसमें लम्बाई-चौड़ाई का प्रतिबन्ध नजर नहीं आता है, दस-बारह शहरों को छोड़ कर यह प्रतिबन्ध नहीं है। मेरे ख्याल में शहरों के आस पास जहां मन्त्रियों के और आफिसर्स के बंगले बने हुए हैं, जो नाजायज़ तरीके से बने हों उनको लीगल करने की दृष्टि से यह किया गया है। इसके अलावा और कोई कारण हो तो उसका स्पष्टीकरण होना चाहिए कि कितने एरिया को मुक्त किया गया है और कितने में प्रतिबन्ध है।

धारा ८४ में काश्तकारों को लकड़ी के बारे में रियायत दी गई है, छूट दी गई है कि वह लकड़ी काट सकेगा। तो इसका मैं स्वागत करता हूं। यह बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन साथ ही साथ आपकी सीलिंग की जमीन के बारे में सरकार के कब्जे में निहित होगी तो फिर इसमें ऐसा प्रतिबन्ध लगाने की क्या जरूरत है कि एक आदमी एस. डी. ओ. के पास जावे और मन्जूरी लेकर आकर लकड़ी को काटे ? मैं यह कहूंगा कि आज काश्तकार लकड़ी जैसी छोटी मोटी चीज है उसको भी अपने प्रयोग के लिये काटने से महरूम रहता है। आज हम देखते हैं कि काश्तकारों पर हजारों रुपये जुर्माने के होते हैं। अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने काश्तकारों पर से केसेज इस प्रकार के छोटे-मोटे चल रहे हैं. उनको हटाने के लिए कहा और मैं भी यह निवेदन करूंगा कि सरकार इसके बारे में विचार करे और उनके खिलाफ इस प्रकार के केसेज चल रहे हैं उनको बन्द करे। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस प्रार्थना को स्वीकार करेगी।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर) : उपाध्यक्षजी, यह बिल सदन के समक्ष जो आया है इसके साथ हमारे काश्तकारों का मूल अधिकारों का सम्बन्ध है। सरकार ने आदिवासी काश्तकारों के लिए जो सुविधा दी है उसको लेकर यह बिल लाया गया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसके साथ साथ, कानून की रद्दोबदली के साथ साथ हमारा कोई कानून बनता है तो उस कानून के जरिये हमारी जनता को लाभ मिलना चाहिये और वह कानून जनता

(श्री विजयपाल कटारा)

में पब्लिश होना चाहिए। वह कानून जनता तक गांवों में नहीं पहुंचता । आपने डाल पाल, पात का कानून बनाया उसको लेकर गांवों में बुरा प्रभाव पड़ा । इस कानून का कई लोगों ने नाजायज फायदा उठाया और जो होशियार काश्तकार थे, जानने वाले थे उन्होंने तो मुआवजा क्लेम कर लिया और जो गरीब और अनपढ़ काश्तकार थे उनको मालूम नहीं पड़ा कि इस कानून के द्वारा हमारे पेड़ जो दूसरे की जमीन में हैं वे दूसरों के अधिकार में आजायेंगे । इसलिए मुआवजा पाने में असमर्थ रहे। वे मुआवजा प्राप्त नहीं कर सके । इस प्रकार साल में कई कानून पारित होते हैं और बदलते रहते हैं। साल में ५० या १०० कानून तो बदलते ही रहते हैं । आपने कानून को बदलते हुए यह भी कहा है कि इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों को जो लाभ मिलना चाहिये था सो नहीं मिल पाया। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह नहीं मिलने का मूल कारण यह है कि इस कानून को कम से कम लाने से पहले जनता के सामने लाना चाहिये, अगर आप पूरी तरह से इस कानून को बदलना चाहते हैं । मेरा जो संशोधन है कि छोटे-मोटे जो कानून बनाने जा रहे हैं उनको जनता में पहले प्रसारित किये जावें ताकि जनता अवगत हो सके और आपने यह भी कानून बनाया है कि जब अकाल का समय आये उस समय अगर पांच आना या छः आना का लगान काश्तकारों को बैठेगा तो वह लगान माफ कर दिया जावे। मैं कहूंगा कि कई जगह अकाल पड़े आपने कितनी तहसीलों में राहत दी है इस कानून के अनुसार। आज कोई भी तहसील ऐसी नहीं होगी जिसने इसका फायदा उठाया होगा।

आज हमारे डूंगरपुर जिले में पूरा का पूरा अकाल पड़ा और ५४५ गांवों को अकालग्रस्त एरिया घोषित किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विधेयक तक ही सीमित रहें।

श्री विजयपाल कटारा : तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सुझाव मैंने दिया है....

श्री उपाध्यक्ष : आप जो सुझाव देना चाहें, दें; मगर विधेयक तक सीमित रहें।

श्री विजयपाल कटारा : मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो आपने कानून को तरमीम किया है उसके लिए सरकार से यह मांग करूंगा कि यह लगान आपने स्थगित कर दिया है जो लगान काश्तकारों को माफ होना चाहिए था वह माफ नहीं करके आपने उसको स्थगित किया है । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह लगान अगले साल में डबल हो जावेगा और जनता पर इसका बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसको माफ करने की कार्यवाही करें नहीं तो गरीबों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरा आपने कानून के द्वारा गांवों में भूमि अलॉटमेंट कमेटियां स्थापित कीं....

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : कोरम पूरा नहीं है ।

श्री विजयपाल कटारा : इससे काश्तकारों को तकलीफ होती है । काश्तकारों को भूमि अलॉटमेंट होना चाहिए था वह समयानुसार नहीं होता ।

(कोरम बेल)

श्री भैरोंसिंह : कोरम नहीं होता है तो हाउस को एडजोर्न किया जावे ।

श्री विजयपाल कटारा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह जो बिल है कि अलॉटमेंट काश्तकारों को समय पर करना चाहिए मगर इस कानून के जरिये अलॉटमेंट समय पर नहीं मिलता

श्री उपाध्यक्ष : आप अलॉटमेंट को छोड़िये, दरख्तों के विषय में कहिये ।

श्री विजयपाल कटारा : यह इसी के सम्बन्ध में है ।

श्री उपाध्यक्ष : यह इससे सम्बन्ध नहीं रखता है ।

श्री विजयपाल कटारा : वृक्षों के सम्बन्ध में आपने रखा है कि काश्तकार वृक्ष काट सकता है । मैं यह निवेदन करूंगा कि काश्तकार स्वयं निजी काम के लिए वृक्ष काट सकेगा । कोई काश्तकार ऐसा भी होता है कि लकड़ी को बेचना चाहता है । उसको उस लकड़ी को काटने के बाद बेचने का अधिकार नहीं दिया है । इसलिए यह न्यायोचित अधिकार तो उसको होने चाहिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से समय समय पर कानून बदलते रहते हैं और इन कानून के जरिये हमको हक मिलना चाहिए वह नहीं मिला ।

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

एक निवेदन यह करूंगा कि समय पर किसानों को अलॉटमेंट नहीं होने के कारण ।

श्री उपाध्यक्ष : आप फिर अलॉटमेंट पर आ गये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री विजयपाल कटारा : मैं आपको यह बताऊंगा कि आपने नवतोड़ का कानून बनाया है वह आदिवासियों के हकों पर कुठाराघात करता है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, नवतोड़ पर नहीं है, आप समाप्त करें ।

श्री विजयपाल कटारा : मैं दो मिनिट में समाप्त करता हूं...

श्री भैरोंसिंह : यह नवतोड़ का मामला तो अभी आया है ।

श्री विजयपाल कटारा : तो-मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का कानून जो आपने नवतोड़ के सम्बन्ध में बनाया है...

श्री उपाध्यक्ष: नवतोड़ के सम्बन्ध में नहीं है माननीय सदस्य, इस समय संशोधन के विषय में चर्चा चल रही है, आपने काफी प्रकाश डाल दिया है।

श्री विजयपाल कटारा : तो मैं निवेदन करूंगा कि लकड़ी काटने के लिए पेड़ पोधों के लिए रखा हैं, पर नाजायज तरीकों से जो पेड़ काट दिये गये हैं, उनको आपको रोकना चाहिये था बिना मंजूरी से कई पेड़ काट दिये ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया ! १० मिनट

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक जो कि देखने में सिर्फ एक पत्ते का अमेंडमेंट बिल है, पर मैं समझता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे सामने है। इसमें कुछ अधिकार किसानों को दिये गये हैं। जो खातेयार हैं उन लोगों पर पहले यह रोक लगा रखी थी कि अपनी जमीन में से इतनी गहराई से ज्यादा नीचे से मिट्टी, पत्थर या और कुछ भी हों, नहीं खोद सकते, अपना मकान बनाने के लिये या और घरू काम के लिये। इस विधेयक से इस बात की छूट दी है कि यदि कोई खातेदार मकान बनाना चाहे, या कुआ बनाना चाहे और इसके लिये उसे पत्थर, मिट्टी या और मेटीरियल की जरूरत हो, जो उस जमीन में मिलता है, उसको वह खोद सकता है और घरेलू काम में ला सकता है।

दूसरा अधिकार यह दिया है कि किसान के पास खेती की जमीन है उस जमीन में से वह खेती के काम के लिये और अपने घरेलू काम के लिये बिना किसी की इजाजत के, कुछ शर्तों पर काट सकता है। ऐसी जमीन जिस पर सीलिंग आज से लागू होता है उससे ज्यादा जमीन हो उसमें से दरख्त काटना चाहें तो एस. डी. ओ. से इजाजत लेकर काट सकते हैं।

तीसरा प्रावधान यह किया गया है कि छोटे गांवो के किसानों को मकान बनाने के लिये असुविधा होती है, इजाजत लेनी पड़ती है। उसके लिये प्रावधान किया गया है कि अपनी कृषि भूमि में इतनी तादाय की जमीन में मकान आदि बनाना चाहे तो बना सकता है। यह बातें इसमें रखी गई हैं, इन बातों में जो अच्छी हैं, उन्हें मंजूर करने के लिये तैयार हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं, जैसा की इसमें कहा है, उस तरह खुली छूट दे दी गई तो दुरुपयोग हो सकता है। पेड़ काटने की इजाजत ऐसे लोगों को दी जाने की बात कही है, जिनके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन है उसमें से दरख्त काटना चाहे तो एस. डी. ओ. से इजाजत लेकर काट सकता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस प्रकार का कदम उठाया है कि वह राजस्थान में सीलिंग कानून लागू करने जा रही है। पर एक तरफ तो सीलिंग लागू कर रही है और दूसरी तरफ इस एक्ट के द्वारा उनको

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उन जमीनों पर से दरख्त काटने की इजाजत देती है । अगर ऐसे व्यक्ति एस. डी. ओ. से इजाजत ले लेते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि जागीर रिजम्पशन के समय जिस तरह देखा गया था कि बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े लैंड होल्डर्स ने जमीनों से लाखों दरख्तों को काट डाला और लाखों की सम्पत्ति उन लोगों ने अपने पास बटोर ली । इस अमेंडमेंट के आने के बाद भी हमें इस बात की शंका है कि चाहे आप कह दें कि एस० डी० ओ० से इजाजत लेनी पड़ेगी, पर आपने जब लिखा है कि घरेलू काम के लिए, मकानों के लिये इजाजत लेकर काट सकते हैं तो जो बड़े बड़े लैंड लोर्ड्स हैं, जागीरदार हैं वे बड़ी बड़ी हवेलियां बनाते हैं तो वे एस० डी० ओ० से इजाजत लेंगे कि हमें हवेली के किवाड़ों के लिये, खिड़कियां बनाने के लिये लकड़ी की जरूरत है और इतनी बड़ी हवेली के लिये हजारों वृक्षों की जरूरत है और इस तरह की दर्ख्वास्त देकर इजाजत ले लेंगे तो ऐसे लोगों को इजाजत देने से रोक सकेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान नहीं है । इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह जरूर लिख देना चाहिये कि हरे दरख्त किसी जमीन में हों तो उनको काटने की इजाजत किसी भी टीनेन्ट को नहीं होनी चाहिये, चाहे सीलिंग से ऊपर हो चाहे सीलिंग से नीचे हो...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : No, no.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): माननीय सदस्य को पता होना चाहिये कि शीशम का दरख्त २०० साल तक हरा रहता है ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : किसान हल जोत रहा है, हल टूट गया है तो इजाजत लेने के लिये असेम्बली में आयेगा ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सुनो तो सही । मैंने साफ कहा है, जिन लोगों के पास ऐसी जमीन है, जो सीलिंग के अन्दर आती है उनके लिये कहा, उन किसानों के लिये नहीं कहा जिनके पास १० बीघा जमीन है, उनके काम के लिये काटने की बात है तो उनको रोकने की बात मैंने नहीं कही । मैंने यह कहा कि सीलिंग के अन्दर आने वाली जमीनें जो लेने जा रहे हैं, उन पर जो दरख्त हैं उनको नहीं काटने के बारे में कहा है । हरे दरख्तों को उन जमीनों पर काटने पर पाबन्दी लगानी चाहिये, ऐसे लोग एस० डी० ओ० के पास इजाजत लेने जावें तो उनको इजाजत नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उनको तो हरे और सूखे दोनों को ही काटने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एग्रीकल्चरल जमीन में मकान बनाने की इजाजत दी है, हमने कितनी ही बार इस सदन में कहा कि किसानों के पास रहने के लिये जमीन नहीं है, आपने कहा हल्का आबादी में दर्ख्वास्त दे और जमीन ले, आज हल्का आबादी में जमीन लेने के लिये कितनी

Page No.119

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

कठिनाई का सामना किसानों और गरीबों को हो रहा है, आज हजारों किसान राजस्थान मे ऐसे हैं जिन्होंने बिना नाम की जमीन में, खेती की जमीन में मकान बना लिये हैं, आपने उनको रेगुलराइज़ करने के आदेश भेजे एक स्क्वायर फुट पर कोई २५ नये पैसे देता है तो बाड़े मकान वगैरह रेगुलराइज कर दिये जाय, इस प्रकार के ऑर्डर के बाद जो मकान-बाड़े बने थे तो हजारों की तादाद में रुपया आने लगा, एक एक किसान को पांच पांच सौ, सात सात सौ, हजार हजार रुपया सरकार को देने की नौबत आई और उन्होंने कहा कि रुपया नहीं दे सकते तो किसानों को बहुत सी धमकियां दीं कि तुम्हारे मकान तोड़ दिये जायेंगे। किसानों के साथ आप इस तरह की सख्तीं करते हैं।

दूसरी मिसाल मैं देना चाहता हूं, हमारे उप-मंत्री मेरी बात का जवाब दें कि क्यों उन लोगों को इस प्रकार की छूट दे रहे हैं...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके सवाल का उनके पास कोई जवाब नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ९० ए धारा के नीचे जितने नियम बनने चाहिये थे आज तक राजस्थान की सरकार ने नहीं बनाये तो मैं कहना चाहता हूं कि नियम नहीं बने तो एग्रीकल्चरल लैंड अर्बन एरिया में है, या रूरल एरिया में है, उसको इन्डस्ट्रियल पर्पज के लिये, हाउसिंग स्कीम के लिये हल्का आबादी में लाने के लिये बदलते हैं तो जब कि आपने ९० ए. के नीचे कोई रूल नहीं बनाए तो किस प्रकार उन लोगों को आप इजाजत देते हैं ? जब ये रूल्स नहीं बने तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं सरकार से कि भीलवाड़ा में जो टैक्सटाइल मिल्स बना है, किशनगढ़ में जो टैक्सटाइल मिल्स बना है ये सारे के सारे मिल्स एग्रीकल्चर लैंड पर बनाये गये हैं, सरकार ने उसको एक्वायर नहीं किया, कोई कम्पेन्सेशन उन जमीनों का किसानों को नहीं दिया गया बल्कि हुआ यह है कि जिन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स के पास यह जमीन जाने को थी कलेक्टर ने किसानों को बुलाया, उनको मजबूर किया कि उनको यह जमीन दे देनी चाहिये, उनको दबा कर उनसे यह जमीन ले ली गई और बहुत कम रुपयों में उन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को यह जमीन दे दी गई, उस जमीन को उन्होंने हड़प लिया और उन पर ये बड़ी २ अट्टालिकायें बना दी गई, बड़े बड़े कारखाने बना दिये गये। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कारखाने बनायें कोई रोक नहीं है लेकिन जो बिला नाम जमीन पड़ी है उसको आप इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को दे सकते थे इस एग्रीकल्चर को भूमि को बिना नियम बनाये उसको लागू कर दिया और उन जमीनों को आपने उनसे छीन लिया और उन पर इंडस्ट्रियलिस्ट्स को कब्जा दे दिया। आज के रोज, हमीरगढ़ की तरफ जो रोड़ है वहां पर मानसिंह का को वेजिटेबल प्लान्ट लगाने के लिए जमीन अलॉट की जा रही है वह एग्रीकल्चर लैंड है। आज भी किसानों को कलेक्टर बुला रहा है। १५० बीघा जमीन उस फेक्टरी को लगाने के लिये किसानों से ली जा रही है। एक तरफ आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करते हो,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

एक तरफ आप ग्रो मोर फूड की बात करते हो और आप बिला नाम, फालतू जमीन देने के लिए तैयार नहीं हैं बल्कि आप उस एग्रीकल्चर की जमीन को जिसमें कुए बने हुए हैं, जो १५० बीघा काबिल काश्त जमीन है उसको आप कलेक्टर के जरिये से दबवा कर, किसानों को मजबूर करके उनकी जमीनों को हड़प कर इन्डेस्ट्रियलिस्ट्स को दिलवा रहे हो। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने ९८ ए. के तहत बिना नोटिस दिये मकान बना लिये हैं. कौन सा वह इन्डस्ट्रियल एरिया है जो आपने डिक्लेयर किया है कौन सा वह एक्वायर्ड एरिया है जहां कि यह बना सकते थे ?

एक बात जो हमारी सरकार ने भीलवाड़ा के अन्दर की। मैं बहुत ही अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह मामूली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा में सोप स्टोन की फेक्टरी लगी हुई है, उस फेक्टरी के बिल्कुल पीछे ११ बीघा एग्रीकल्चर लेंड है। उसमें से पौन बीघा इन्डस्ट्रियलिस्ट ने बिना सरकार की इजाजत के, बिना किसी की इजाजत से मकान बना लिया। तहसीलदार ने जब कहा कि यह बिना इजाजत बना लिया है और चालान की बात की तो ११।। बीघा जमीन अपने हक में बेच दी जाय सरकार के द्वारा यह आपने दरख्वास्त दे दी। गौर करने की बात यह है कि उस ११।। बीघा जमीन की वेल्युएशन ७ लाख रुपया कूंती गई और सरकार की ओर से जब तहसीलदार से पूछा गया तो उसने इसकी सात लाख की वेल्यूएशन बतायी। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार, ट्रेजरी बेंच पर बैठने वाले सज्जन कहते हैं कि हम एक एक पैसे की रक्षा करते हैं, एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं उस जमीन को १८०) में किस प्रकार उस इन्डस्ट्रियलिस्ट को वापी कर दिया ? जब ११ बीघा की जमीन की ७ लाख की वेल्यूएशन होती है तो उनने एक बीघा जमीन उनको बापी कर दी जिसकी कीमत ८० हजार रुपया होती है जब कि उनसे १८०) रुपया लेकर उनको बापी कर दी। यहां के रहने वाले सेठ साहब, गोलेच्छा साहब को दे दी ८० हजार की जमीन केवल १८०) में।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : कैसे होगी ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह ऐसे होगी कि आप भी भीलवाड़ा में ही रहते हैं। आज वहां जमीन का भाव ४०), ५०) स्क्वायर गज का है।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : अजमेर के खाई बाजार की नीलामी की गई तो १५०) से २५०) स्क्वायर गज का भाव रहा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये महाशय कहते हैं, इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि आज भीलवाड़ा में ६५ स्क्वायर गज के भाव से जमीन बिकी है।

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

Page No.121

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : प्रश्न यह है कि एग्रीकल्चर लेंड में यदि मकान बनाये जाते हैं तो गिराये जाते हैं लेकिन यदि कोई इन्डस्ट्रियलिस्ट एग्रीकल्चर लेंड में मकान बनाता है तो आप गिराते नहीं हैं लेकिन आप तो उल्टा एग्रीकल्चर लेंड उसको वापी देते हो। उनसे पूछा तक नहीं जाता कि किस कारण से ऐसा किया ? आपने कानून बनाया है तो उसके तहत नियम नहीं बनाते। बनाते हैं तो यह सारी जमीन छीनी जा सकती है। जिन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स ने एग्रीकल्चर लेंड के अन्दर मकान बनाये, जिनको सरकार को जब्त करना चाहिए कानूनन तो क्या सरकार उनको गिराना चाहती है ? क्या उनको जब्त करना चाहती है ? जिस कारण किसानों को दबा कर जमीन ली गई और किसानों को जो नुकसान हुआ है क्या सरकार उनको नुकसान दिलाने के लिये तैयार है ? कोई भी तैयार नहीं होगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि टीनेन्सी बिल में हमारे राजस्थान में जितने भी परिवर्तन हुए हैं शायद हिन्दुस्तान के किसी और प्रान्त के टिनेन्सी एक्ट में नहीं हुए होंगे। इस संशोधन के बारे में पहले असेम्बली सेशन हुआ था इस तरह का, आया यह डेवलपमेन्ट कैसे किया जाय, कहां किया जाय, रूरल एरिया में क्या हो, अरबन में क्या हो ? इसी हाउस में मैंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर लेंड में बंगला बनाया है और दूसरे मिनिस्टर भी बनाने जा रहे हैं एग्रीकल्चर लेंड ले रखी है, उसको कानूनी ढंग देना चाहते हैं इसीलिए इस कानून में संशोधन ला रहे हैं। रूरल एरिया में किसान को सुविधा दी जाय। ९० ए. के जरिये नियम नहीं है, किनको नोटिस दिया ?

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ओर्डर प्लीज !

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा में दूदूवाला एण्ड कम्पनी का मकान है, नोटिस दिया है कभी ? पूछिये खड़े होकर जरा ! आप भी वहां रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय हो चुका है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : Finishing touch.

इसलिए वे लोग हैं, उनको सुविधा देने के लिए यह बनाते हैं और संशोधन लाते हैं तो यह कभी नहीं होना चाहिये। किसानों के लिये तो जैसा मैंने पहले ही कहा कि मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। जो कुछ भी शकायें हैं उनको सरकार को साफ करना चाहिये और इसीलिए मैंने कहा है कि इस बिल को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जो कमियां रह गयी हैं और शंकायें रह गयी हों उनको दूर किया

(श्री उमारावसिंह ढाबरिया)

जा सके और अलग संशोधन बिल बना कर रखा जा सके।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो उद्देश्य रखे गये हैं इन उद्देश्यों से मैं सहमत हूं और इस बात के लिये मैं स्वागत करता हूं कि सरकार ने किसानों की जो एक लम्बे अर्से से मांग चली आ रही थी उसको चाहे देर से सही लेकिन सरकार ने उसको स्वीकार किया है और स्वीकार करके उन फन्डामेन्टल राइट्स को, किसानों के उन जन्मजात अधिकारों को जिन अधिकारों को वे सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे थे यानी अपनी जमीन में से नीचे पत्थर, कंकर, मिट्टी उसको निकालना, अपनी जमीन पर खड़े दरख्तों को अपनी आवश्यकताओं के लिये इस्तेमाल करना, अपनी जमीन के ऊपर आवश्यकता के अनुसार रिहायशी या और चीज वगैरह के लिये मकान वगैरह बनाना, उन अधिकारों को जो किसान एक पुश्तैनी तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे थे खास तौर पर उन इलाकों में, जिनमें किसान अपनी जमीन का मालिक था, रेयतवाड़ी इलाका था। इस सरकार ने अपने कानूनों के जरिये जहां कुछ दूसरे कानूनों से किसानों को कुछ बहतर हकूक मिले, खातेदारी हकूक मिले, जागीरी एबोलिशन वगैरह होकर, वहां इस तरीके के कानून बना दिये जिन पर किसानों को दरख्त काटने या अपनी जमीन से उन चीजों को लेने या उन पर मकान वगैरह बनने पर रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिये थे।

(५.०० म० प०)

उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी इस बात को जानता है। जिनका किसानों से सम्बन्ध है, किसानों में इन पाबन्दियों के कारण भारी असन्तोष, भारी बेचैनी थी और उनको मुकदमेबाजी का शिकार बनना पड़ता है अब भी। कितने ही केसेज इस बात के चल रहे हैं कि इन्होंने नाजायज तरीके से मकानात अपने खेतों के अन्दर बनाये हुए हैं। इस तरह से पटवारी के जरिये पुलिस के जरिये केसेज दर्ज करवाये गये हैं। चाहे किसानों ने खेत में से अपने दरख्त एग्रीकल्चर पर्पज के लिये या डोमेस्टिक यूज के लिये काटे हैं जिसमें कानून की तहत इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं थी। पर्पज उसके अन्दर डिफाइन्ड था, गुंजाइश थी कि दरख्त एग्रीकल्चर यूज के लिये डोमेस्टिक यूज के लिये काट सकता है लेकिन यह बनाकर कि उन्होंने बेचने के लिये काटे हैं उनको लटका दिया गया है। पटवारी की महरबानी या थानेदार की महरबानी हो गई तो केस को ड्रॉप कर दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके के केसेज आज कितने ही सारे राजस्थान में किसानों पर चल रहे हैं और किसानों को इस परेशानी में डालने के लिये सारी कार्यवाही की गई है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : समय बढ़ाने के लिये सदन की इजाजत ले ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष : पहले ही अध्यक्ष महोदय बढ़ा चुके है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की इस मुसीबत का अनुभव नहीं किया लेकिन किसानों की तरफ से इस प्रकार की मांग आती रही, उनके द्वारा इस बारे में आन्दोलन किये गये। हमने भी इस सदन में कट मोशन्स रखे बजट के ऊपर, उनके जरिये हमने यह मांग की थी; लेकिन सरकार ने उसके लिये इन्कार कर दिया। लेकिन यह अच्छी बात है देर आयद दुरुस्त आयद, देर से अक्ल आयी है देर से तसलीम किया है, किसानों के आन्दोलन से महसूस किया है, ग्राम आदमी आपकी इन नीतियों से विरोधी होता जा रहा था उस कारण भी आपने इस गलती को महसूस किया और इस बिल को पेश किया है तो मैं इसका स्वागत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय लेकिन अभी भी जिस गल्ती को पूरी तरह से दुरुस्त करना चाहिये था जिन पाबन्दियों को लगाया गया था जिसको सरकार रेक्टिफाइ करने जा रही हैं, उसमें भी हाफ हार्टेड मेजर अपनाये गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मिसाल की तौर मैं निवेदन करूं किसानों को दरख्त काटने की पाबन्दियां लगाई गई हैं उनमें खातेदार किसान को अपने हर पर्पज़ के लिये, हर कार्य के लिये, बेचने के लिये जो सीलिंग एरिया से नीचे है उनको पूरी इजाजत दी गई है। मैं समझता हूं, यह सही कदम है। अगर राजस्थान की एग्रेरियन पोजीशन को देखें तो हमारे सारे खातेदार किसान जिनके बारे में उप राजस्व मन्त्री ने राजस्व विभाग की डिमान्ड पर बहस करते हुए बताया था कुल खातेदार किसान हमारे राज्य में ४२ लाख एकड़ पर काबिज हैं अगर इसमें ऐसे जागीरदार जो खुदकाश्त नहीं करते, हमारी सरकार की महरबानी से जागीरदार के बजाय जिनको किसान रख दिया गया है उनको भी शामिल कर लें तो उनकी जमीन भी ४२ लाख एकड़ है इस तरह से ८४ लाख एकड़ पर जो किसान हैं खातेदार टीनेन्ट हैं केवल उन्हीं को अपनी जमीन से दरख्त काटने और बेचने की अनफेटर्ड तरीके से इजाजत दी गई है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एब्सोल्यूटली रोंग। मैंने अपनी स्पीच में यह कहा था कि सेक्शन १५ और १६ के तहत ८४ लाख एकड़ पर खातेदारी मिली है। १५ और १६ के तहत जितने एरिया पर अधिकार मिला था उन्हीं की सख्या बतायी थी। इसके अलावा और जो खातेदार हैं उनकी संख्या और एरिया अलग हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो कितना एरिया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एन्टायर राजस्थान में १५ और १६ की तहत ८४ लाख एकड़ पर खातेदारी अधिकारी मिले हैं। खुदकाश्त के जो रूल्स हैं जागीरदारों के लिये उनके अनुसार स्पेशल खातेदारी मिली है। इससे कई ज्यादा एरिया ६।। करोड़

(श्री रामप्रसाद लढ्ढा)

एकड़ जमीन है उसमें ऑलरेडी खातेदार हैं वे इसके अन्दर शामिल नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुल कितनी लैन्ड पर खातेदारी मिली हुई है ?

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : करीब ३५-३६ लाख होल्डिंग्ज़ हैं उनके अन्दर खातेदारी के अधिकार हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सरकार अधिकारों पर ग्रिप कर सकती है सरकार के पास जानकारी नहीं है कि एक्चुअल कितने खातेदार हैं और उन खातेदारों के पास कितनी जमीन है। कलेक्टर्स के यहां से आंकड़े इकट्ठे करते आज चार साल हो गये है लेकिन आज तक आंकड़े इकट्ठे नहीं हो पाये हैं। आज यह सामने दिखाई पड़ रहा है कि उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल सब टीनेन्ट्स नहीं हैं जो कि भविष्य में खातेदार बनने वाले हैं ऐसे लोग जो गैर खातेदार टीनेन्ट्स हैं, पोटेन्शियल खातेदार टीनेन्ट हैं मसलन कोलोनाइज़ेशन एरिया को लें वहां रेस्ट्रिक्शन है और अलाटमेंट कन्डीशन्स के जरिए होता है जिनको अलॉटमेंट किया जाता है यह कह कर कि वे वहां पर बसेंगे पूरी तरह से बसेंगे इसी बिना पर खातेदार बनते है। अभी भी उपाध्यक्ष महोदय, गंगानगर कोलोनी के अन्दर, जिसका कितना विकास हो गया है लेकिन अभी तक पचास वर्ष होने आये अभी तक कोलोनाइज़ेशन एक्ट लागू है। वहां से वे टीनेन्ट जिनको उस जमीन का अलॉटमेंट हुआ था अभी तक खातेदारी राइट्स नहीं मिले। इसलिए ऐसे लोग भी प्रिक्लूडेड हैं; अलवर, भरतपुर, गंगानगर में डिसप्लेस्ड पर्सन्स जाकर बसे हैं उनको पर्मानेन्ट अलॉटमेंट ऑफ लैण्ड हुआ है उनको एबसोल्यूट राइट ऑफ खातेदारी उस दिन प्राप्त होंगे जब कि वे पूरा पैसा जमा करा देंगे तभी उनको ट्रान्सफर ऑफ राइट्स के अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। जमीन के अलॉटमेंट होते ही कन्डीशनल तरीके से खातेदार हो गया लेकिन उन पर यह लागू नहीं होगा। आज हमारे पास बड़े पैमाने पर जमीन पड़ी हुई है उन पर ऐसे लोगों को पर्मानेन्ट तरीके से भूमिहीन लोगों को बसाना चाहते हैं। वे भी बेशक खातेदार बन जायेंगे उनकी हैसियत इस तरह की नहीं। ऐसे लोगों को जो मौजूदा बिल है उसके अनुसार खातेदार बनने वाले हैं उनको आप मुसीबत में डालते हैं तहसीलदार की परमिशन लेने की मुसीबत में डालते हैं। इस तरीके का ट्रीटमेंट सब टीनेन्ट के साथ कर रहे हैं।

यह कुलके की तरह की सरकार है जो अब कुल खातेदारी अधिकार लेने के बाद उनके नीचे जो हरिजन आदिवासी लोग और गरीब लोग जो भूमिहीन थे उनकी जमीन लेकर काश्त करते हैं। उनको राइट्स मिले यह नहीं चाहते। उस मनोवृत्ति में रेजिस्ट करते हैं। जैसे राजाओं ने और जागीरदारों ने रेजिस्ट किया था। आज उसी तरीके से जो चाहे भी लोग हों अपनी जमीन पर, उनके सबटीनेन्ट्स हैं उनको अधिकार नहीं देना चाहते। वर्ना समझ में नहीं आता एग्रीकल्चरल यूज के लिए सब-टीनेन्ट हल चला रहा है।

Page No.125

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आज उसको देखने से यह मालूम हुआ कि ड्राफ्टिंग में और कल उनको जिस प्रकार बतलाया था उसमें काफी अन्तर है।

और उसको किसी चीज की, किसी लकड़ी की अपने खेत में से काटने की जरूरत पड़ी तो वह नहीं ले सकेगा उसे टीनेन्ट्स इन चीफ से इजाजत लेनी पड़ेगी। जयपुर में आप अपनी कोठी में विराजमान होंगे। वह आवेगा जयपुर अपने खातेदार साहब के पास इजाजत लेने के लिए तो इस प्रकार की बातें इस बिल में हैं। मैंने सजेस्ट किया है कि जो पोटेन्शियल खातेदार टीनेन्ट हैं उनको आप वे ही राइट्स दीजिये जो खातेदार टीनेन्ट को देते हैं।

इस तरह से सब-टीनेन्ट एक साल का नहीं है, ज्यादा का है तो उसको डाइरेक्टली आप एग्रीकल्चरल यूज़ के लिए बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के अपने खेत की चीज़ को काम में लेने का अधिकार दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक बात की ओर मैं जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसकी ओर संकेत बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी किया है। इसकी मुझे खुशी है कि जहां तक इम्प्रूवमेंट सेक्शन ६६ म का प्रश्न है और देहात में रहने वाले लोगों के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन देंगे तो और परेशानी तो दूर होगी। अभी भी सरकार रूल्स के जरिये अपनी जमीन के अन्दर कुछ अधिकार रखना चाहती है। जहां तक बड़े शहरों पर रेस्ट्रिक्शन लगावें वह मैं स्वीकृत करता हूं। पर अभी भी अपना वह जहरीला पंजा लटकाये रखना चाहते हैं लड्ढा साहब। मैं निवेदन करूंगा महरबानी करके दस साल तक आपने अपने इस जहरीले पंजे से काफी परेशान कर लिया है, अब इस पंजे को हटा लें। अब तो इस पंजे का डरावना भूत दिखाइये मत। आप रूल्स बना कर कुछ न कुछ अधिकार सौंप देने वाले हैं तहसीलदार को। किसी न किसी तरह की रेस्ट्रिक्शन डालना चाहते हैं। आप यह समझते हैं कि किसान उस दरख्त की वेल्यू क्या समझते हैं? मैं निवेदन करता हूं किसान हमारे और आपसे ज्यादा समझदार हैं। जो आपके ये सेक्रेटरी बैठे हैं, कहीं इधर उधर उन्होंने थोड़ा पढ़ लिया, जाते कहीं नहीं, पढ़ कर समझ बैठे हैं कि हम सबसे होशियार और इन्टेलीजेन्ट हैं वे कहते हैं और दरख्त काटने की इजाजत दे दी गई तो सारे के सारे दरख्त कट जावेंगे, सारा राजस्थान वीरान हो जावेगा, वर्षा होनी बन्द हो जावेगी और बिल्कुल यहां पर पैदावार होनी बन्द हो जावेगी। ये कोठियों में बैठ कर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वालों ने कहीं; पी. एच. डी. की डिग्री में पढ़ लिया होगा और उसी ज्ञान को बुनियाद पर ये हमारी यह सरकार चलाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि दरख्त काटने की पाबन्दी हटाने का आज इस हाउस में चारों ओर से स्वागत हो रहा है और इस बात का इस बिल में स्वागत किया है। आज तक जिन एक्सपर्टों की बुनियाद पर चले हैं वह गलत बुनियाद थी और उस पर चल कर बरसों तक किसानों को जबर्दस्त परेशानी में रखा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No.126

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इस तरह से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से और रेगुलेशन के नाम से अपने हाथ में आप पावर रखना चाहते हैं और उन्हीं सेक्रेटरियों को पावर आप देना चाहते हैं और मैं जानता हूं जैसा बनाकर वे आप को दे देंगे आप उसी पर अपना अंगूठा टेक देंगे। यह इन्फीरियोरिटी कम्पेलेक्स आपके मनों पर बैठा है कि सेक्रेटरी ज्यादा अक्लमन्द हैं वह चीज बनाकर दे दे वह गलत नहीं हो सकती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सेकण्ड (बी) क्लाज के जरिये आप रेगुलेट करने के पावर अपने पास रखना चाहते हैं उसको निकाल दिया जावे। इस तरह से एक आपके नीचे वाले का भी पावर रखना चाहते हैं क्योंकि जो देना चाहते हैं आखिर को देने वाला मरते हुए भी पुकारता जरूर है। मरते हुए भी आखिर छोड़ना नहीं चाहता। कुछ न कुछ अधिकार रखना चाहता है। अधिकार की बात ऐसी ही होती है ताकि उसके जरिए जब चाहे तब पंजा मार सके। मैं कहना चाहता हूं चाहे कोई मैटीरियल हो उसे काटने का अधिकार हो, दरख्त काटने का अधिकार हो, मकान बनाने का अधिकार हो आप उनको दबाने के लिए पावर अपने हाथ में रखने की बात मत करो। देहात वाले स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हैं और मैं चैलेन्ज के साथ आपको यह कहना चाहता हूं कि आप उन सब दरख्तों की रेस्ट्रिक्शन से पहले जितने थे उन सबकी गिनती करवा लीजिये और फिर रेस्ट्रिक्शन हटाने के बाद उनको गिनवा लीजिये। निश्चित रूप से वह दरख्तों की तादाद बढ़ने वाली है। घटेगी किसी सूरत में नहीं क्योंकि किसान को जब यह पता लगेगा कि वह उसे काट सकता है, बेच सकता है जब चाहे तब जो चाहे वह कर सकता है तो वह शीशम लगावेगा, और चीजें लगावेगा और सौ दो सौ का बेचेगा। इसी तरह से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में जिसका खतरा सन्देह पैदा होता है आपकी नीयत से, आप जिस तरह करते आये हैं उसमे मौजूदा इम्प्रूव-मेंट की डेफीनेशन की तहत शहरों में जिस तरह की पाबन्दी लगा रखी थी आप अब इस वाइड क्लाज़ से हटा रहे है, और नये अधिकार ले रहे हैं। मैं नहीं कहता कि कब छोड़ रहे हैं पर अधिकार ले रहे हैं कि आप किसी एरिया को नोटिफाई करेंगे। आप उन पर रेस्ट्रिक्सन डालेंगे और उसके मुताबिक आप उसे रेस्ट्रिक्ट करने पर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आपकी यह नीति क्या है ? जिस तरह की रेस्ट्रिक्शन का अमल हो रहा है अगर ईमानदारी से ऐसा जावे तो एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट की डेफीनेशन सेक्शन ५ (ए) सब-सैक्शन १९ में रखी गई है। उसको किसी तरह से एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट नहीं कहा जा सकता। आपकी आंखों के सामने खेतों में कोठियां और बड़े आलीशान मकान बन रहे हैं। वह किसान का इम्प्रूवमेंट है ? हल खड़ा करेंगे वहां इस तरह वे। या किसान छप्पर बान्धेगा। ये सारी कोठियां आलीशान बनी हुई हैं यह क्लीयर कट ला का मिसयूज़ है मजाक है जो आपने अब तक बनाया है।

Page No.127

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इतना ही नहीं, ५५ में जब टीनेन्सी एक्ट की तहत यह पाबन्दी हटा ली गई। यह वाकया है आपकी आंखों के सामने बड़े-बड़ शहरों में जहां पाबन्दियां लगाई गई हैं कानून की परवाह नहीं करके अपने मकानात लोगों ने बनाये हैं। कोठियां बनाई हैं। मकानात बेचे हैं। जमीनें बेची हैं। एग्रीकल्चरल लेंड को रेजिडेन्शियल परपज़ के लिये बेचा है। गरीब मारे गये। अलवर की मैं मिसाल बताऊं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कैलाश नाथजी भार्गव एक वकील हैं। कानून की खामियों का फायदा उठा कर उन्होंने धन्धा ही इस किस्म का बनाया हुआ है। वे कानून जानते हुए एग्रीकल्चरल लेंड को खरीदते हैं और उस पर प्लाट बनाकर बेचा है। इस तरह से प्लाट बनाकर बेचना कानूनन गलत है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पर आपके कानून की खामी वे जानते हैं और उसका फायदा उठाया है। एक सामान्य आदमी ऐसा कर देता तो माफ करने लायक हो सकता है। पर एक वकील जो सारे कानून से वाकिफ है कानून की कमजोरियों का फायदा उठा कर करे, आप उस वकील के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। पर उस मकान को प्लाट को खरीदने वाले नाई धोबी खाती आदि बेचारे गरीब लोगों को नोटिस दे दिये हैं कि वह एक्वायर होंगे। एग्रीकल्चर लेंड है क्यों खरीदा है उन्होंने। आपको कानून से वाकफियत होनी चाहिये थी। मैं कहना चाहता हूं आप प्रोसीक्यूट क्यों नहीं करते उनको जिन्होंने कानून का खुल्लम खुल्ला मखौल उठाकर खुले तौर पर कानून की अवहेलना की है आप उन पर मुकद्दमा चला दें जिन्होंने इन गरीब लोगों को झूठे तरीके का आश्वासन देकर जमीन बेचने और खरीदने के लिये उनको मजबूर किया है। आपके रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री भी की है उनकी। इस तरह से

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि अलवर में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शोभारामजी को आपने कोठी बनाने की कब सेंक्शन दी? ५५ के बाद उनकी कोठी बनी है। एग्रीकल्चरल लेंड में बनी है। कौनसी तारीख को नोटिस निकाला। सेंक्शन कब दी? आप आज क्या इस कानून में परिवर्तन करके अपने पापों को छिपाना चाहते हैं। उन सारे पापों पर पर्दा डालकर उनको आप सब ठीक करना चाहते हैं।

मुझे पता है, पहले से बहुत से लोगों ने जमीनें भी खरीदी हुई है मैं नहीं जानता कि उनकी कान्फीडेन्स में बात हो गई है कि नया अमेन्डमेंट आने वाला है। आप उनको रोकिये। वे समझ रहे हैं आज पुरानी धाराएं खतम हो रही हैं, और इन नई को मन्जूर होने में समय लगेगा ये जब तक मन्जूर होने को आयें पुरानी धाराएं खतम हो जावेगीं। रूल्स बना रहे हैं तब तक लोग माल मार जावेंगे। आपने इसके लिये क्या कदम उठाये हैं। क्या आपके पास बने बनाये रूल्स तैयार हैं कि जिनको फौरन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आप लागू कर देंगे ? एक आश्वासन मैं आपसे नीति के तौर पर लेना चाहता हूं इस बारे में। मिसालें दी मैंने। कैलाशनाथ की दी, रामनारायण ठेकेदार की मिसाल है। शोभारामजी की है। पर इस तरह की राजस्थान भर में मिसालें हैं। रामनारायण ठेकेदार को जमीन दी वहां फेक्टरी बनाई हुई है। किसान बेचारे जमीन के छोटे से छोटे टुकड़े के लिये मारे २ फिर रहे हैं और वे पचासों बीघा जमीन को चारों तरफ बाउन्ड्री खींचकर पकड़े हुए हैं और मजे ले रहे हैं।

आपने जिस कान्ट्रेक्ट के तहत दिया, जिस लाज़ के तहत दिया, उनको कान्ट्रेक्ट कन्डीशन के वायलेशन के बावजूद आपने दिया है। मैंने उस सम्बन्ध में क्वेश्चन रखा। तीन वर्ष से परस्यू कर रहा हूं। क्वेश्चन का पता नहीं लग पाता है कि कहां है। आफिस से कहीं इधर-उधर चला जाता है और डिपार्टमेंट उसका जवाब नहीं देता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में जब तक उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में जैसा हुआ है उसके बारे में आपकी एक नीति यह होगी कि आप इन्डिविजुअल्स को कन्वर्शन का मौका न दें, इन्डिविजुअल्स को फायदा उठाने का मौका न दें, इन्डिविजुअल्स को इम्प्रूवमेंट के नाम पर न दें। मैं बता सकता हूं कि जैसे मन्त्रियों के लिए आप यह कानून बनाना चाहते हैं तो आप इन्डिविजुअल्स का एक्सेप्शन करके वह जमीन छोड़ देते हैं। अलवर के त्रिलोकीनाथ भार्गव वकील की लैण्ड पर क्यों छूट दी और जमीनों के एक्वीजिशन का नोटिस दिया जाय, औरों को कह दिया जाय कि जमीन की शकल नहीं बदलेंगे, लेकिन श्री त्रिलोकीनाथ भार्गव को खुली छूट दे दे कि वह चाहे जैसे कर सके। जो आपका तरीका है उससे यह संदेह पैदा होता है। तो कानून के जरिये लोगों ने जो गड़बड़ियां की हैं उसको रेग्युलेराइज़ करना चाहते हैं तो रेग्युलेराइज़ उसूलों के अनुसार करिये कि जिसमें राजस्थान के विकास का अवसर मिले, जिसमें किन्हीं लोगों को अनुचित लाभ और अनुचित मौका नहीं मिले। इस दृष्टिकोण से जनरल तथ्यों का निवेदन करते हुए मैं चाहूंगा कि उसको प्रवर समिति को सौंपें ताकि इसमें जो खामियां रह गई हैं वे दुरुस्त कर दी जायं। मैं चाहता हूं कि इसी सेशन में इसको पास कर लें और प्रवर समिति दो दिन में ही अपना प्रतिवेदन दे दे।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आप तृतीय वाचन पर बोल लें।

श्री अब्दुलजब्बार : अभी टाइम है।

श्री उपाध्यक्ष : तृतीय वाचन पर आपको अवसर मिल जायेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, राजस्थान टेनेन्सी एमेंडमेंट बिल के सिलसिले में माननीय सदस्यों का एक प्रस्ताव तो जनमत

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जानने के लिए और दूसरा इसे प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जब माननीय सदस्यों ने इसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये तो सभी ने इस बिल का स्वागत किया। यह भी अनुभव बताये कि इसकी तात्कालिक आवश्यकता है और बहुत पहले ही सोचना चाहिए था और इसमें देर हो रही है। मैं नहीं समझता कि जिस महत्वपूर्ण बिल को इतना जल्दी पास कर देना चाहिए उसके लिए अब इसको जनमत जानने के लिए या प्रवर समिति के सुपुर्द करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मैं इस प्रस्ताव का तो विरोध करता हूं।

वास्तव में इस बिल के अन्दर तीन मुद्दे हैं और वे ऐसे मुद्दे हैं कि जिसकी आवश्यकता सभी माननीय सदस्य अनुभव करते हैं। आज से राजस्थान का सीलिंग का कानून जिसकी एपाईंटेड डेट पहली अप्रेल है कि जब से डिक्लेरेशन माना जायेगा कि जिसके पास जमीन है वह तीन महीनों के अन्दर इसका डिक्लेरेशन पेश करें। इस बिल के अन्दर जो कुछ ड्राफ्ट किया गया है उसके अन्दर सीलिंग एरियाज के अधिक और कम का डिस्टिन्क्शन किया है। उसका चार विकरते हुए यहां यह बताया गया था कि यह जब सीलिंग का कानून ही आज से लागू हो रहा है तो फिर क्या जरूरत है? मैं इसका पेड़ के काटने का जो प्रावधान है सबसे पहले इसके बारे में निवेदन करूंगा।

हाल ही में यह कानून क्यों लाया गया और पहले क्यों नहीं लाया गया था? इसके पीछे सरकार की यह भावना नहीं थी कि कृषकों को कष्ट दिया जाय। मुख्य भावना यह थी कि जब राजस्थान बना और राजस्थान बनने के बाद यहां पर लगभग ६५ परसेन्ट क्षेत्र ऐसा था जो जागीरदारों के क्षेत्र में आता था और जागीर एरिया था। काफी जमीनें जागीरों की थीं और उनके ऊपर पेड़ थे। इसलिए सरकार ने यह मुनासिब समझा कि अगर हम पेड़ काटने पर कोई रोक नहीं लायेंगे तो अधिकांश हिस्से में जो इन्टरमीजियेरीज के कब्जे में है उसमें भी सारे पेड़ काटकर अपनी सम्पत्ति बना लेगें, और सारी जमीनें वीरान हो जायेगीं। इस वजह से उस वक्त यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया कि पेड काटने पर रोक लगाई जाय, प्रतिबन्ध लगाया जाय। कुछ शर्तें हैं उनके अलावा पेड़ काटें तो इजाजत लेनी चाहिए। लेकिन अब राजस्थान में जो जागीर रिजम्शन और दूसरे इन्टरमीजियेरीज एबालिशन एक्ट्स वगैरह पास हुए और उनके अनुसार सारी जागीरें रिज्यूम हो गई उसके बाद में अब कोई इस तरह का स्टेटस नहीं रहा कि कोई इन्टरमीजियेरी हो, और खातेदार और सरकार का डाइरेक्ट कान्ट्रेक्ट हो गया, और जो जमीनें जिसके पास जिस प्रकार जानी चाहियें थी वह चली गई। इस वजह से रेस्ट्रिक्शन की उस वक्त जरूरत थी, लेकिन अब जरूरत नहीं रही, और जब जमीन किसान के कब्जे में और है किसान अपने नफे नुकसान को जानता है और जब कान्शस वह हो जाता है कि उसको आव-

Page No.130

(श्री रामप्रसाद लड्डा)

श्यकता के लिये ही पेड़ काटना है, बेचना है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए या और किसी पर्पज के लिए, दूसरे साथ ही साथ वह यह भी जानता है कि काटता है तो अधिक भी बढ़ाता है तो आगे फायदा हो सकता है। इसी वजह से हमने यह मुनासिब समझा कि जो खातेदार किसान है उसको यह छूट देनी चाहिये कि चाहे वह किसी पर्पज के लिए लकड़ी काटे काट सकता है। चाहे बेचने के लिए काटे, चाहे एग्रीकल्चर परपज के लिए काटे, चाहे डोमेस्टिक परपज के लिए काटे, लेकिन इसके साथ साथ यह ध्यान जरूर रखें कि पहले के सब पन्टर-मिजिगेरीज सिस्टम एबालिश हो गये फिर भी कानून ऐसे हैं कि जिनका इम्प्लीमेन्टेशन बाकी है, मिसाल के तौर पर राजाओं की सम्पत्ति और राजाओं की कृषि भूमि का सवाल है, मिसाल के तौर पर जो सीलिंग के एरियाज़ से ज्यादा जिन लोगों के पास पडी है जो आना है इसलिए यह रेस्ट्रिक्शन रखा कि सीलिंग के एरिया से अधिक भूमि है तो उस अधिकार का उपयोग उस तरह से नहीं कर सके जितना सीलिंग के नीचे वाला किसान अपने नोटिस की जमीन के पेड़ किसी पर्पज के लिए काटता है। यहां मैं यह कहूंगा कि सीलिंग का जो प्रावधान किया गया है उनको तो फिर भी इस तरह की रियायत मिलती है वे एस० डी० ओ० से इजाजत ले लेंगे और काटेंगे और इसका दुरुपयोग होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ प्रावधान पहले था उसमें हमने रेस्ट्रिक्टशन की है कि सीलिंग एरिया से ज्यादा जिनके पास जमीन है पहले वह एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए तो विदाउट परमिशन काट सकता था चाहे वह राजा हो, चाहे जागीरदार हो, चाहे किसान हो चाहे कोई हो, लेकिन हमने इसमें जो कहा है वह इस तरह से प्रावधान रखा है कि सीलिंग एरिया से ऊपर वाली जमीन चाहे किसी भी पर्पज के लिए, चाहे एग्रीकलचर पर्पज के लिए, चाहे लण्ड डेवलपमेंट करने के सिलसिले में पेड़ काटे तो उसको एस० डी० ओ० की परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेन्स हासिल करना पड़ेगा जिनका कि रूल्स में प्रावधान किया गया है और किसी सीमा तक अब भी रखा है। इसलिए हमने बड़े बड़े राजा-महाराजा, जागीरदारों का पक्ष इस प्रावधान के जरिये लिया हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि ज्यादा रेस्ट्रिक्शन डाली है, और लाभ पहुँचाने की उन लोगों को कोशिश की गई है जो छोटे हैं, जिनके पास सीलिंग की जमीन कम है, खातेदार हैं, और उनको चाहे अपने पर्पज के लिए, चाहे शहर के लिए किसी के लिए, जरूरत हो काटे सकें।

यहां पर यह भी कहा गया कि सब-टेनेन्ट्स के बारे में सरकार बड़ी उदासीन है और उनको पूरा अधिकार नहीं देती है, और यह भी कहा गया है कि एक साल से ज्यादा सबटेनेन्सी हो तो पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि सबटेनेन्ट्स को पेड़ काटने के बारे में जो अधिकार तक दिये थे कि वे केवल अब एग्रीकल्चर

श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर्पज़ के लिए थे। हमने इस प्रावधान के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिक पर्पज़ और एड कर दिया है। इसलिए जो कुछ अधिकार पहले था उसके अन्दर कुछजोड़ा है। क्यों नहीं उनको भी अनफेटर्ड अधिकार दे दिये जायं ? यहां पर मेरी मजबूरी है सब-टिनेन्ट किसी दूसरे टिनेन्ट के होते हैं। किसी के लिये एक साल के लिये सब टिनेन्सी लागू होती है किसी के दो साल के लिये लागू होती है और किसी के ३ साल के लिये लागू होती है, बीच में गेप्स होते हैं, ५ साल से ज्यादा सब-टिनेन्सी नहीं होती यह सारा प्रावधान है। यदि सब-टिनेन्सी को टिनेन्ट की बिना इजाजत के पेड़ काट सके ऐसी छूट दे सकें तो पेड़ जो टिनेन्ट की संपत्ति है उसको वह एक साल में ही काट कर समाप्त कर सकता है इसलिये सब-टिनेन्ट को अपने चीफ से इजाजत लेनी पड़ेगी। एग्रीकल्चर परपज़ के लिये, डोमेस्टिक परपज के लिये बहुत सी चीजों को इन्क्ल्यूड कर सकते हैं इसलिये खातेदार को इतना ज़ियोपरडाइज़ नहीं कर सकते कि वह एक साल में या दो साल में समाप्त होता अपनी आंखों से देखे और मदद नहीं कर सके।

तीसरी बात कही गई गैर खातेदार के सम्बन्ध में। माननीय सदस्य के दिमाग में अलवर की या दूसरी जगह की जमीन कीमत पर दी है उसका पेमेन्ट पूरा नहीं होता तब तक खातेदारी अधिकार नहीं मिलते तब तक पेड़ काटना चाहें तो तहसीलदार की परमिशन से डोमेस्टिक पर-पज के लिये या एग्रीकल्चर परपज़ के लिये काटनी पड़ेगी। जब से खातेदार बन जाता है तब एग्रीकल्चर परपज़ के लिये या दूसरे परपज़ के लिये, डोमेस्टिक परपज़ के लिये काटने का उसको अधिकार मिल जाता है। गैर खातेदार जिसने कंडीशन फुलफिल नहीं की है उससे पहले पेड़ काटने की खुली छूट बिना इजाजत के देने का मतलब यह होगा कि उसको छूट सारी मिल जाय, पेड़ सारे काट ले और कंडीशन फुलफिल नहीं करे तो उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। इसलिये यह अनुचित होगा इसलिये इतनी बात रहनी चाहिये कि डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर परपज के लिये तहसीलदार से इजाजत लेकर काटने की पाबन्दी होगी। इसलिये जो कुछ प्रावधान पेड़ों के सिलसिले में किया है उससे मैं समझता हूं जो कठिनाइयां होती थीं इजाजत लेने की वे दूर हो जायंगी। सरकार का मुख्य मकसद, मुख्य उद्देश्य सारे प्राव-धानों को कानून में लाने का एक ही है और वह यह है कि जो कुछ भ्रष्टाचार होता है या उसकी बातचीत होती है। उसके अन्दर यदि चैक्स एण्ड काउन्टर चैक्स, हस्तक्षेप जितना ज्यादा रखते हैं उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ सकता है इसलिये कम से कम हस्तक्षेप करने का अधिकार हो उसके लिये प्रयत्न कर रहे हैं और यह प्रयास उसी दिशा में है। इसलिये हमने कहा कि इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वह भला बुरा अपना स्वयं सोच सकता है यदि वह भला इसमें सोचता है कि पेड़ काटे भी और नये लगावे भी तो लगाने का भी इसमें प्रावधान नहीं है लेकिन इसकी तात्कालिक आवश्यकता को समझते हुए मैंने यह बिल अभी सदन में पेश किया है। विस्तृत बिल विधान सभा में मैं समझता हूं इसी सत्र में संभवतः आवेगा सदन के

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सदस्यों के सामने और गवर्नमेंट के सामने पेश की उसके अनुसार विधान सभा के इसी सत्र में टिनेन्सी बिल पेश करने का प्रयत्न किया जा रहा है तो आपको पता लगेगा कि जिस तरह से पेड़ काटने की छूट दे रहे हैं उसकी तरह से प्लान्टेशन अधिक से अधिक करने की, अधिक से अधिक पेड़ लगे उसके लिये क्या सुविधा दी जा सकती है, क्या छूट हो सकती है किस प्रकार इसको बढ़ा सकते हैं इसका प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरा छोटा सा प्रावधान था दफा ३६ में। उस प्रावधान में काश्तकार को अपनी जमीन में १ गज की गहराई तक जो पत्थर वगैरा खोदने का अधिकार था, अपने होल्डिंग को इम्प्रूव करने के काम में लेने का अधिकार था उस अधिकार में कई बार इस प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हुई उससे यदि वह नीचे जाना चाहता है तो नहीं जा सकता था उससे खेती के इम्प्रूवमेंट के लिये दिक्कत थी, कूआ बनाना चाहता था या रेजिडेन्शियल पर्पज के लिये हाउस बनाना चाहता था तो उसको दिक्कत थी। यद्यपि सरकार ने पहले भी इस बारे में घोषणा की थी और उसको कार्य रूप में परिणत किया था यदि किसी किसान को, एग्रीकल्चरल वर्कर को, टिनेन्ट, आर्टिजन आदि को यदि अपने रहने के मकान, बाड़, खेत, कूआ आदि के लिये कंकड़, रेत आदि चाहिये तो उससे रॉयल्टी वसूल नहीं की जायगी और उसको इन चीजों को काम में लाने की इजाजत है। इसमें यह भी है कि सिवाय लीज एरिया और वर्किंग पिट्स को छोड़ कर कहीं से भी लेकर वह अपना काम चला सकता है। इस कारण राजस्थान मिनरल कंसेशन रूल्स को तरमीम करने में कुछ कठिनाइयां भी आई लेकिन यह व्यवस्था की गई कि जो सरकारी जमीन पर इस तरह का बिल्डिंग मेटीरियल है जो किसान के इम्प्रूवमेंट के काम में आ सकता है चाहे वह मकान हो, चाहे वह कूआ हो उसके काम आता हो तो बिना रॉयल्टी पे किये खोद कर ला सकता है। यह गवर्नमेंट की जमीन पर गवर्नमेंट के एरिया में रियायत दी।

अब सवाल यह आता है कि इस रियायत के बावजूद कोई किसान समझता है कि अपने खेत में पिट खोद कर उसमें से जो कुछ निकले उसको काम में लेने में उस पर रेस्ट्रिक्शन थी. तीन फुट से नीचे गहराई में नहीं जा सकता था इसलिये कि ज्यादा गहरा जाने पर वह भूमि शायद कृषि योग्य न रहे यह सिद्धान्त था लेकिन उसमें अच्छाई होते हुए भी आवश्यकता इस बात की थी कि इसमें रियायत दी जाय। हमने इसमें जो प्रावधान किया उसमें हमने शब्द लगाया "रेगुलेटेड बाई रूल्स" इससे शायद शक हो रहा है कि इसके पीछे क्या राज है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई राज नहीं है, राज इतना ही है कि वन यार्ड डेप्थ को खत्म करते हैं, डेप्थ जैसी चीज नहीं रहे, तो एक चीज सामने आती है, यह जाहिर है कि उसका होल्डिंग मान लें, म्युनिसिपल सीमा में है उसमें से अच्छा पत्थर या बजरी निकलती है तो क्या उसमें भी छूट है जितना गहरा चाहे खोद कर निकाल ले और इम्प्रूवमेंट के नाम से यदि कमर्शियल तौर से इस्तेमाल करे तो भी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

उसको छूट हो ? हमारे दिमाग में यह जो "रेगुलेटेड बाई रूल्स" की बात रखी है वह इतनी ही है कि बड़े टाउन्स या सिटी के एरिया के आस पास हम बन्दिश लगाते हैं चाहे जितना गहरा करके कमर्शियल बेनिफिट नहीं उठा सके, मिस यूज नहीं कर सके इतना रेस्ट्रिक्शन डालने का प्रश्न हमारे सामने है जिसको रूल्स के जरिये रेगुलेट करेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि रूरल एरिया में भी बंदिश लगायेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि वह "रेगुलेटेड बाई रूल्स" का मामला शहरों के आस-पास है। बाकी उसको खत्म करने का प्रश्न रखा है इसलिये....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Why don't you provide in the Act ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Regulated by the rules......

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूरल एरिया में नहीं लगायेंगे तो रूरल एरिया को एक्स-क्ल्यूड कर दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या एरिया हो, क्या नहीं हो कितनी डेप्थ तक हो, हम यह भी छोड़ सकते हैं कि एक गज तक खोद सकता है गहरा ज्यादा खोदे तो परमिशन ले, खुली छूट का यह मतलब नहीं है कि रूरल एरिया में खुली छूट है तो शहरों के आस-पास भी हो, हम यह विचार करते हैं कि एक गज तक तो अपने आप खोद लें लेकिन इससे अधिक खोदना चाहे तो तहसीलदार या ऑफिसर से परमिशन लेकर खोदने का अधिकार हो इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं शहर....

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा): यह माइनिंग की डेफिनेशन में नहीं आयगा क्या ? जितनी डेप्थ नीचे जायगी उसमें मिनरल कंसेशन रूल्स की तहत डिपोजिट्स को मिनरल नहीं मानेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि ३६ को पढ़ लीजिये उसमें यह लिखा हुआ है improvement of the holding or residential house...

इन दो चीजों के लिये हमने माइनर मिनरल सेशन करूल्स में अभी एग्जेम्पशन दे रखा है वह अनओक्युपाइड लैंड के लिये है। यहां ऑक्युपेन्ट्स ऑफ लैंड है यह तो रूरल एरिया जहां क्लेम करते हैं वहां...

श्री अब्दुल जब्बार खां : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करता हूं कि इसमें कुओं का डेवलपमेंट आता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार खां : मैं निवेदन करता हूं कि किसानों पर मुकद्दमें चले, उदयपुर में रामरज मिट्टी निकली; उसको मिनरल मान कर चले, मिनरल कंसेशन रूल्स के अन्तर्गत...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिनरल कंसेशन रूल्स में प्रावधान किया है। इसलिए उसके तहत मुकदमा नहीं बनना चाहिए। आप उस जमाने की बात कर रहे होंगे जब

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

रूल्स का अमेंडमेंट नहीं हुआ था, कंसेशन ग्रान्ट नहीं हुआ था, पब्लिसिटी नही हुई थी। उसके पहले की व्यवस्था हो सकती है। उसके बाद की नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, तीसरा मसला आता है, सेक्शन ६६ ऑफ दी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट। ज्यों ही हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर जमीन पर वजन बढ़ता जा रहा है और आबादी भी साथ साथ बढ़ती जा रही है, कृषि के तहत भूमि बढती जा रही है और आबादी भी बढ़ती जा रही है। बढ़ती हुई आबादी के रहने के मकानों की व्यवस्था हो और उनको जमीन मिले-इसकी समस्या राजस्थान सरकार के सामने है और यह बहुत दिनों से चली आ रही है। कई बार कई कदम सरकार ने उठाये इस समस्या को हल करने के लिए। मिसाल के तौर पर जो जमीन पंचायतों में या गांवों में, दूसरी जगह म्युनिसिपैलिटीज के एरिया में सरकारी पड़त जमीन पड़ी हुई थी, उसके लिए एक सर्क्यूलर के जरिये, आगाह करके कानून के जरिये जिस तरह से, जितनी हो, जिस तरह की आवश्यकता हो पंचायतों के नाम परिवर्तित की जाय, कन्वर्शन करके उसके सुपुर्द की जाय-इस बात की व्यवस्था की। इसके साथ ही पंचायतें जब भी मांग करें तो उस मांग के आधार पर सरकार उसे पूरा करे-इस प्रकार की व्यवस्था भी की गई। कलेक्टर्स को भी आदेश दे दिये गये हैं कि इस सम्बन्ध में जो भी अड़चनें आवें उनको सेट असाइड करें और आबादी पर्पज़ के लिए जमीन दे दें जिससे वह आबादी के काम में आवे और लोगों की समस्या हल हो। यह दो तीन तरह की कार्यवाही सरकार ने की थी। इन कार्यवाहियों के तहत किसी हद तक इस समस्या को सुलझाने में सफलता मिली। लेकिन जितनी हद तक यह समस्या सुलझनी चाहिए और जितनी कठिनाइयां थीं वे दूर करनी चाहिए थीं वह इससे दूर नहीं हुई और प्रॉबलम बढ़ती गई। आज यह एक्यूट प्रॉबलम है उनके सामने जो खास तौर से गरीब तबके के हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं क्योंकि पंचायत क्षेत्र के आस पास आबादी की जमीन नहीं होती और जमीन भी है, उस पर खेती होती है तो उसको एक्वायर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी आबादी बढ़ने से उनके लिए मकानों की आवश्यकता होती है। उनको बहुत दूर जाकर बसने में दिक्कतें आती हैं। तो ऐसी हालत में कई बार ऐसा देखा गया है कि गरीब लोग, आठ, दस, पच्चीस जने मिल कर किसी खेत को खरीद लेते और खरीद कर उस पर मकान बनाना चाहते। मकान बनाना चाहते तो हमारा टीनेन्सी एक्ट बाधक बन जाता। वह दो कारणों से बन जाता था-एक तो इसलिए कि इसके अन्दर वन फिफ्टिएथ भाग से अधिक भाग के अन्दर वह मकान नहीं बना सकते थे। जब एक, दो, चार बीघा जमीन गरीब लोग मिल कर खरीदेंगे और मकान बनायेंगे तो वन फिफ्टिएथ हिस्सा इतना नहीं हो सकता जिस पर एक छोटा घर भी बन जाय। एक बात यह आती थी। दूसरा इसके अन्दर कन्वर्शन वाला मामला और दूसरी सारी दिक्कतें आती थीं। इसके साथ साथ जब

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

वह मकान बना लेते तभी तहसील से इजेक्टमेंट का सवाल आता, कभी डिमोलीशन का सवाल आता था। कभी पंचायत उनको परेशान करती कि यहां पर पशु गृह बनाना चाहते हैं आदि सवाल सामने आते थे। इसलिए सरकार ने मुनासिब समझा कि इस समस्या को हल कैसे किया जाय। आज प्लानिंग का युग है और सारी चीजें प्लॉन्ड वे में होनी चाहिए। यह बात सही है, जब प्लान की बात करते हैं तो एप्रूवल का सवाल आ जाता है, आज्ञा का प्रश्न आ जाता है, पर्मीशन का सवाल आ जाता है और नक्शे की बात आ जाती है–दुनिया भर की बातें सामने आ जाती हैं।

इन बातों के बावजूद सरकार ने फैसला किया कि रूरल एरियाज़ हैं, जो छोटे गांव हैं वहां पर किसान लोग आकर मांग पेश करते हैं और जमीन खरीद लेते हैं और उस पर कुछ आदमी मिल कर कैसे ही उस पर मकान बनाना चाहते हैं तो सभी लोग मिल कर थोड़े थोड़े हिस्से में चाहे वह वन फिफ्टिएथ से ज्यादा भी हो तो क्यों नहीं उनको मकान बनाने की छूट हो, क्यों उनको कन्वर्शन कराने के अन्दर दिक्कत पड़े, क्यों उनको पर्मीशन लेने की जरूरत पड़े, क्यों किसी से पर्मीशन लेने की जरूरत पड़े, क्यों इजाजत लेने की जरूरत पड़े? जब वह मकान बनाना चाहते हैं और रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं और वह भी कम से कम रूरल एरिया में तो चाहे तहसील का मामला हो, चाहे किसी रेवेन्यू विभाग का मामला हो, चाहे पंचायत का मामला हो, किसी का हो–कम से कम हस्तक्षेप उसके अन्दर हो-ऐसी कौनसी व्यवस्था हो सकती है? इसलिए यह प्रावधान रखा। पहला जो प्रावधान था उसमें नोटिफिकेशन इश्यू करके कुछ गांवों के अन्दर पर्मीशन लेने का सवाल था, जो बड़े बड़े कस्बे थे उनमें पर्मीशन लेने का सवाल था। बाकी में नहीं था। उसके बाद कानून के अन्दर ६४ के अन्दर तरमीम करके उसमें नोटिफिकेशन को वहां से हटा कर नोटिफाई करने का प्रावधान अपने हाथ में ले लिया और नोटिफिकेशन के जरिये म्युनिसिपल रेडिअस जितना हटाना था, वह हटा कर इन्डस्ट्रियल लैंड निकाल कर वन फिफ्टिएथ की कन्डीशन निकाल कर कह दिया कि १५० स्क्वायर यार्ड्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह फिक्स कर दिया कि वन फिफ्टीअथ हिस्सा अगर १५० स्क्वायर यार्ड्स से कम होता होतो १५० स्क्वायर यार्ड्स तक तो उसे इजाजत होनी चाहिये। लेकिन अब जो इस कानून को अमेंड करने जा रहे हैं उसमें दो क्लॉज़ हैं जिसको माननीय सदस्यों के समझने में, मैं ऐसा सोचता हूं, कुछ गलतफहमी हो गई है। वर्ना जो बहस अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाई है वह उठती नहीं। इसमें दो क्लॉज़ हैं, पहला क्लॉज़ है रेस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन कौनसे एरिया में

"to be notified for the purpose by the State Government" और दूसरा क्लॉज़ है छूट ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेगुलेराइजेशन !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मतलब जो एरिया कवर्ड नहीं है उसको किस तरह रेगुलेट करना है – वह क्लॉज़ है । पहले क्लाज़ पर जो शंकायें जाहिर की गई हैं अलवर का उदाहरण देकर, भीलवाड़ा का उदाहरण देकर, जयपुर का उदाहरण देकर । दरअसल यह उदाहरण थे । अब इस काम में आये हों कि इस क्लॉज़ (ए) को इन्सर्ट करें – क्लॉज (ए) इन्सर्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उदाहरण वालों से मिल गये हों, या रेगुलेराइज करना चाहते हों या रियायत करना चाहते हों । माननीय उपाध्यक्षजी, सभी माननीय सदस्य जानते हैं, शहरों के आस-पास खेती की जमीन गजों गजों में, पच्चीस रुपये गज, तीस रुपये गज जमीन मिली है बड़े बड़े आदमियों को, मैं उन आदमियों के नाम नहीं लेना चाहता हूं । कई लोग हैं जो गजों में जमीन खरीदते हैं और फिर बाद में १५० का प्रोटेक्शन लेते हैं या कभी और केसेज बनाते हैं । यह सवाल हमारे सामने था कि इस समस्या को कैसे हलकिया जाये । इसको हल करने का एक ही तरीका है कि हमारे पास हम डिस्क्रिशन न रखें कि शहर की सीमा पर इजाजत दे सकते हैं इस तरह इम्प्रूव करने की । तो हमने आपने डिस्क्रिशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करना चाहा है कि जो जो एरिया नोटिफाई कर दें उस नोटिफाइड एरिया में बिलकुल रेस्ट्रिक्शन हो कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, इसमें इजाजत का प्रश्न पैदा नहीं होता है । तो हम एक कदम आगे गये हैं । हम कोई रेगुलेराइज़ नहीं करना चाहते हैं, हम रियायत नहीं करना चाहते हैं । बल्कि सख्ती करना चाहते हैं, इससे जो परिस्थितियां अब तक पैदा हुई हैं उन पर चैक हो जायगा और आयन्दा यह प्रश्न रेज़ नहीं हो सकेगा, इसलिए हमने क्लॉज़ (ए) डाला है । अब सवाल आता है– (ब) क्यों डाला है ? जो नोटिफाई एरियाज़ (ए) के तहत हो जायेंगे, जो एरिया नोटीफाई क्लॉज़ (ए) के तहत हो जायेंगे वहां रेस्ट्रिक्शन हो कि वहां कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता. कोई आदमी इस कस्बे का हो वह कानून का लाभ नहीं उठा सकता । और जो एरियाज़ कवर्ड नहीं हैं उसके लिए क्या है ? उसके लिए (बी) डाला है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे रूल्स से । रेगुलेट करेंगे रूल्स से – इसका मतलब यह नहीं है कि फिर कोई फंदा अपने हाथ में ले लिया है, जो बचे हुए आदमियों के गले में डाल दें और उनको तकलीफ दें । जो फंदा था उसको तो हाथ में नहीं रखा है, उसे तो कानून में रख दिया है । बाकी के कई कस्बे बचते हैं उनमें जमीन देने का प्रश्न था । आज हमारे सामने कई सवाल आते हैं क्या क्राइटेरिया हो कस्बों में देने का ? आबादी का क्राइटेरिया हो या और कोई हो ? रूरल एरिया किनको मानें ? पांच हजार या सात हजार की आबादी वाले गांव भी हैं लेकिन उनकी नेचर ऐसी है कि वह गांव की तारीफ में नहीं आते हैं । क्या हम वहां पर भी ऐसी छूट दे दें जिससे प्लान बिगड़ जाय और इर्रेगुलर वे में व्यवस्था हो और डवलपमेंट को प्लान्ड वे में उस हिस्से में नहीं कर सकें । इसलिए हमने रेगुलेट करना चाहा है । हमारा इरादा है कि दो हजार की आबादी के गांव जितने हैं या नीचे के गांव हैं वहां पर तो उनको खेत हों चाहे कुछ हो, न किसी से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पूछने की जरूरत है और न कुछ, वह अपनी जमीनों पर मकान बना सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके अन्दर ऊपर वालों की इजाजत की जरूरत हो। इसमें इजाजत का सवाल नहीं है। हम रेगुलेट करना चाहते हैं तो दो हजार तक के कस्बों को यह सुविधा देना चाहते है। अब दो हजार से ऊपर वाले हैं उनको दो हिस्सों में बांटते हैं। या तो एरिया आता है वह उस रेडियस में नहीं हो और म्यूनिसिपल टाउन्स, छोटे छोटे म्यूनिसिपल टाउन्स हैं जो इम्पोर्टेन्ट टाउन्स नहीं हैं, छोटे छोटे म्युनिसिपल टाउन्स हैं; कोन-करेन्स लेनी पड़ती है कि इसके इम्प्रूवमेंट से आपके डेवलपमेंट में कोई बाधा तो नहीं पहुँचती है। उसके कोनकरेन्स से दे, उसको रेगुलराइज करेंगे। दूसरा हम इस हद तक एक्सटेन्ड कर सकते, क्योंकि दो-तीन रेस्ट्रिक्शन्स हैं। एक नोटिफिकेशन का है। बाकी का बना हुआ हिस्सा है उसको हम दो-तीन हिस्सों में बांट कर रेगुलेट करना चाहते हैं इसलिए हमने रेगुलेट···

एक माननीय सदस्य : आप यह बतावें···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप पहले सुनिये तो सही बाद में कह दें।

पहले हमारा सेक्शन ६६ है उसमें १।५० एरिया था और १५० स्क्वायर यार्ड का था। उसमें रूल्स में यह था कि इतना लगान देगा तो इतना और लगान देगा तो वह २५० स्क्वायर यार्ड के करीब आती थी अगर ५० एकड़ से ऊपर जमीन होती। यह कोई साइन्टिफिक तरीका नहीं था उसके साथ यह भी महसूस किया कि किसानों को बाड़ा भी बनाना पड़ता है, मकान बना कर उसमें चारा भरा रखना पड़ता है, उनको खाद भी रखनी पड़ती है और कई चीजें है जिनको रखनी पड़ती हैं और अगर वह अपनी जमीन में सभी चीजें लगाना चाहे तो १०० स्क्वायर गज या २५० स्क्वायर गज बनती है तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए हम यह करना चाहते है कि २००० की आबादी के नीचे ५०० स्क्वायर गज या २५० स्क्वायर गज की जो भी सीमा हमने निर्धारित कर दी कि इस सीमा तक वह किसान बाड़ा या मकान बना सकता है। २०० स्क्वायर गज या १५० स्क्वायर गज तक का रिलेक्सेशन है उसको भी हम रिलेक्स करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इतना ही एरिया हो या कम ज्यादा हो यह हम सब रूल्स से रेगुलेराइज करना चाहते हैं। कोई चेन्ज लाने की जरूरत हो तो उसको एमेन्ड एक्ट से करना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको यह बताया कि सरकार की यह मंशा नहीं है कि कोई इसमें फंदा डाला जावे। उनको जितनी सुविधा दी जा सकती है, जितना सरकार का हस्तक्षेप कम किया जा सकता है किया जावे और उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने का प्रयास हम रूल्स के जरिये करें। तो इस आशय से हमने यह प्रोविजन डाला है। इसलिए आपको इसमें किसी प्रकार की गलत फहमी नहीं होनी चाहिए....

श्री रामानन्द अग्रवाल : ऑन ए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पोइन्ट ऑफ क्लेरीफिकेशन, सर, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट वाले लोगों को जिनकी आबादी दो हजार से कम है उन पर इस तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं डालना चाहिए। आम तौर पर लोग ऐसा करते हैं कि गांवों में जमीन नहीं है, एक एक खेत खरीद लिया और बस्ती बना कर रहना चाहते हैं। अगर आप इसको इम्प्रूवमेंट समझते हैं तो यह नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं रेजिडेन्शियल हाउस पर ही बोल रहा हूं और यह इम्प्रूवमेंट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पूरा का पूरा खेत ले लेते हैं और उस पर मकान बना लेते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह पूरा का पूरा कर सकता है। मैंने १ हजार कहा, १० हजार हो। १० आदमियों ने कई हजार को कवर कर लिया तो हमारी परमिशन होगी। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैंने तीन प्रमुख प्रोविजन थे उन पर मैंने सदन के सामने सरकार की नीति रखने की कोशिश की। इसके अलावा और भी कई चीजें यहां पर कही गई हैं, उनकी बहस में मैं जाना नहीं चाहता। बहुत सी बातें ऐसी कही गई हैं जिनका लेन्ड रेवेन्यू एक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसके सम्बन्ध में इतना ही सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि जस्टिस भंडारी की अध्यक्षता में रेवेन्यू लॉ बनाये थे उसकी राय के आधार पर टिनेन्सी बिल में जल्दी ही अमेन्डमेंट लाने की सरकार सोच रही है। गवर्नमेंट के पास सादिक अली रिपोर्ट भी है उस पर भी विचार कर रही है और उसके आधार पर बिल लाना है। इसके आने पर सारे प्रश्नों का हल उस समय मिल सकेगा। इससे अधिक कहना मैं नहीं चाहता।

यह कहते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप जब सब यह महसूस करते हैं कि यह सरकार का कदम महत्वपूर्ण है, किसानों को फायदा होने वाला है तो फिर इसके लिए जनमत जानने या इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज कर क्यों देर की जाए?

यह शंका उठाई गई कि कानून पास कर देंगे और नोटिफिकेशन नहीं करेंगे और रूल्स नहीं बनावेंगे तो कई बातें खड़ी हो जावेंगी। यह बात मैं आपको बता दूं कि १९६४ में अमेन्डमेंट आया तो बहस खड़ी की थी। मैंने उस वक्त भी यही कहा कि साइमल्टेनियसली यह रूल्स और नोटिफिकेशन जारी हो जावेगा। हम जानते हैं कि अगर साइमल्टेनियसली नहीं होंगे तो क्या परिणाम होगा? हमने नियम बनाए हैं और अब उनको फाइनेलाइज करना है। जिस समय इसको पब्लिश करना है, करना है। इसमें किसी प्रकार से लापरवाही नहीं होगी।

१९ (ए) के बारे में कहा। मैं इसके बारे में बहस में नहीं जाना चाहता। १९ (ए) के तहत रूल्स नहीं बने। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बन कर २३-८-६२ को तैयार हो गये और २०-७-६३ को लेटेस्ट अमेन्डमेंट हुआ है। इन्डस्ट्रीज को जमीन अलॉट होती है इसके लिए अलग

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

प्रावधान है। यह दफा १०० की तहत होती है और खातेदारी जमीन का कन्वर्शन होता है वह अलग है।

१६ (ए) के रूल्स और १०१ और १०२ के तहत अलग अलग रूल्स हैं और इनके अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। इसलिए यह नहीं समझा जाना चाहिए कि कोई रूल्स नहीं बनाये और कार्यवाही नहीं की जा रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : मेरा यह निवेदन है कि काश्तकार से सारी जमीन खरीद ली जाती है और जब वह जमीन इन्डस्ट्रीज के लिए दे दी जाती है तो उस एरिया को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन आज तक आपने ऐसा नहीं किया है इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि क्या इस प्रकार का कानून है ? और दूसरी बात यह है कि आज दिन तक जिन किसानों ने एग्रीकल्चरल लैंड में बिला नाम जमीन में या पंचायतों में से पट्टा लेकर मकान बनाया और उन किसानों पर मुकदमा चला रहे हैं और उन पर हैवी पेनाल्टी इम्पोज की है उसको हटाया जाना चाहिए।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मकानों का सवाल है, इसके लिए पहले ही हमने सक्युंलर निकाला है; २५ नये पैसे की कौनसी बात है, सक्युंलर में जितने घर बसने का फ्री राइट है उससे अधिक है तो वह अगर रेगुलराइज कराना चाहे तो इस पर ध्यान देने की बात है। लेकिन बाड़ों की बात है ५०० स्क्वायर गज तक ४।। हजार वर्ग फीट तक बाड़ा बना लिया उससे हम पैसा नहीं लेते हैं, इसके लिए हमने सक्यूंलर निकाल दिया है। सक्यूंलर जारी कर दिया है।

(६ म० प०)

इसलिये बाड़ों के सम्बन्ध में २५ पैसे वाली समस्या किसी जमाने में हो सकती थी, पहले वाला सक्यूंलर निकाला तब हो सकती थी पर बाद में सक्यूंलर निकाल दिया, उसके अनुसार ४५०० वर्ग फीट तक छोड़ दिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमने अखबारों में पढ़ा है, कोटड़ी तहसील में कल ही वहां के तहसीलदार ने २५ पैसे के हिसाब से मांगा है। अखबारों में छाप देते हैं, पर किसानों को मजबूर किया जाता है, आप अपने सबोर्डिनेट्स को भी कहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को तो संतोष नहीं हो सकता; कोटड़ी की बात कही, मैं खुद चुनाव के वक्त में गया था, मैंने खुद ने कहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ये चुनाव के लिये कर सकते हैं, अब तक उन लोगों को नहीं मिला है।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : ऑब्जेक्शन जो माननीय सदस्य ने उठाया है, इस तरह की तकलीफ हमारे इलाके में भी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चुनावों में वोट लेने के लिये कह आते हैं और फिर कुछ नहीं करते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २००० तक की आबादी के गांवों पर आप किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रखना चाहते तो किसी भी, कितने ही एरिया में बनाया हो, सारा अबेट हो जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ५०० स्क्वायर्र गज और १ हजार स्क्वायर गज से मकान व बाड़ा नहीं होना चाहिये; कोई आम रास्ते में बना ले तो वह नहीं होना चाहिये, पंचायती बाई-लॉज के अनुसार बनाना होगा. किसी प्रकार कीमतों का पैसा नहीं ले सकें, यह तो होगा पर पंचायतों के बाई-लॉज़ के माफिक बनाना होगा। आम रास्ते में या और तरह से बनाना चाहें. यह तो आप भी नहीं चाहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वे तो पॉवले पंचायत को हैं ही; इसमें मत रखिये।

Why don't you want to have regulation through this Act ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री रामानन्द अग्रवाल : कितने हजार की पॉपुलेशन के लिये करना पड़ेगा ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसी जमीनों पर मकान बना लेंगे, उस जमीन का लगान तो माफ हो जायगा या लगान वसूल किया जाता रहेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसके लिये कानून देख लीजिये, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या कानून है आप ही बता दें न ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उस क्लॉज को देख लें. It forms a part of the holding .....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यही तो मैं कहता हूं। आप जो कहते हैं गलत कहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट बात है, भीलवाड़ा में ६ साल पहले पशु-चिकित्सालय बनाया, २० रोज पहले तहसीलदार ने होल्डिंग के मालिक को नोटिस दिया कि एग्रीकल्चर लेंड में बनाया है, पैसा दो। आप कानून के माहिर हैं, ७ साल बाद तहसीलदार यह कर रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत विधेयक को जनमत जानने के लिये प्रसारित किये जाने के आये हैं, उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के आये हैं, उन्हें स्वीकृत किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

खंडश: बहस।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, खास तौर से माननीय सदस्य रामानन्दजी से कि जो ये संशोधन हैं, उनको संक्षिप्त भाषा में रखा जा सके तो अच्छा रहेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वैसे मैंने आपके दोनों संशोधनों का जवाब दे दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

[संशोधन इस प्रकार है:—

"भाग (ii) विलोपित किया जाए।"]

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड २ में मेरा यह संशोधन है कि यह जो प्रोविज़ो इसमें डाल रहे है :

"The following proviso shall be inserted, namely:

Provided that the exercise of this right by tenants may be regulated by rules made by the State Government in this behalf."

इसका जो पहला भाग है इसके जरिये एक हजार यार्ड का रेस्ट्रिक्शन था, उसको हटा रहे हैं। माननीय मन्त्री महोदय ने बहस का उत्तर देते हुए कहा कि उनका रूरल एरिया में इस तरह का रेगुलेशन करने का कोई इरादा नहीं है और जो प्रोविज़ो रखना चाहते हैं उसको केवल अर्बन एरियाज़ के लिये रखना चाहते हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अव्वल तो बिल्डिंग पर्पज़ेज और इस तरह के और पर्पज़ेज़ हैं उन पर तो रेस्ट्रिक्शन लगाने की बात नहीं, बेच तो सकता नहीं, इसलिये यह रेस्ट्रिक्शन गैर जरूरी है। जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन रखने के पॉवर ले रहे हैं; रूरल एरिया, अर्बन एरिया के लिये, वह देहात में भी रेस्ट्रिक्शन डालेगा। तो इतना सा इस प्रोविज़ो में कर लें :—

"Provided that the exercise of this right by tenants in urban areas may be regulated by rules made by the State Government, in this behalf."

तो मैं अपना अमेंडमेंट जो इसे बिल्कुल डिलीट करने का है उसे वापिस ले सकता हूं, क्योंकि आपने यह कहा कि रूरल एरिया में लागू करने की मंशा नहीं है, तो अर्बन एरिया का रख लें। मेरे ख्याल से दोनों की जरूरत नहीं थी। नहीं तो मैं अपना यह अमेंडमेंट मूव करता हूं। इसको निकाल लिया जाना आवश्यक है, अननेसेसरी तौर से ब्यूरोक्रेसी को इस प्रकार का पॉवर दे रहे हैं जिससे आम आदमी को परेशानी हो सकती है।

Page No.142

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, इस तरमीम के सिलसिले में मैंने विचार रखे, उसकी स्पिरिट से तो आप सहमत हैं, पर विश्वास नहीं होता कि आगे चल कर रूरल एरिया के लिये भी रेस्ट्रिक्शन आ जाय। मैंने स्पष्ट कहा है कि बड़े कस्बों के सम्बन्ध में रेगुलेट करने के लिये लगाया है, अब इसको डिलीट करने से कोई मतलब नहीं निकलता, आप कहते है इसमें यह कर दें।

ऐसा कोई उसमें नहीं है और जब इसके पीछे स्पिरिट है, उसको स्पष्ट कह चुका हूं तो रेगुलेट करने का प्रोविज़ो उचित है। ऐसी गलत आशंका माननीय सदस्य को नहीं होनी चाहिये। रूरल एरियाज़ के लिये नहीं है, अर्बन एरियाज के लिये है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खंड २ में माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ३ में कोई संशोधन नहीं है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खंड ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

खंड ४

श्री रामानन्द अग्रवाल : [संशोधन इस प्रकार है : "परन्तुक भाग (क) को विलोपित कर दिया जाए।"]

उपाध्यक्षजी, खंड ४ में मेरा यह संशोधन है कि इसमें जो प्रोविज़ो है, पूरा हटा कर और नया प्रोविज़ो, जो नया लगाया जा रहा है इसमें जो पार्ट 'बी' है उसको विलोपित कर दिया जाय। इसका अर्थ यह हुआ कि:-

"provided that the state Government may from time to time restrict......"

यह ओरीजिनल सेक्शन के साथ पढ़ें तो बात समझ में आवेगी। ओरीजिनल का पहला सेन्टेन्स है :—

"A khatedar may make any improvement in his holding......"

इसके जरिये पूरे पॉवर्स खातेदा इम्प्रूवमेन्ट्स करने को मिल गये।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके बाद का प्रोविज़ो ओरीजिनल एक्ट में था उसको हटा कर नया डाल रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन का :

"provided that the state Government may, from time to time restrict,in the public interest, the making of any such improvement as is referred to in sub-clause (a) of 19 of section 5 in areas to be notified for the purpose;"

माननीय मन्त्री महोदय ने जैसा कहा है कि वे कुछ एरियाज़ नोटिफाई करना चाहते हैं, जिनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन्स के पॉवर्स रखना चाहते हैं, उसके लिए यह प्रोविजो रखा है अर्बन एरियाज, बड़े बड़े शहरों के लिये रखना चाहते हैं। अर्बन एरियाज़ जो नोटिफाई किये जायेंगे, इसके अलावा दूसरे एरियाज़ है उसके लिये (बी) क्लॉज रखा है। वे कहते हैं :

"They may make rules to regulate for making such improvement in areas not covered by any such notification."

इस नोटिफिकेशन से जो कवर नहीं हुआ है उसके अलावा जो एरियाज़ है उसके लिये बताया है; एक हजार से नीचे, दो हजार से पांच हजार और पांच हजार से ऊन्चे इन तीन केटेगरीज में उनको डिवाइड करना चाहते हैं। अगर उनका दृष्टिकोण है कि प्लान्ड तरीके से बसावट करना चाहिये, रेगुलेशन रहना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी नहीं चाहता इस बात को कि देहात में कोई जंगल लॉ हो, चाहे जहां, सड़क पर भी कोई मकान बना ले। लेकिन मैं समझता हूं लोकल बोडीज बनाये, कोई आज एरिया नहीं रहा है, छोटी सी ढाणी से लेकर एरियाज हैं, कहीं पर ग्राम पंचायतें है और कहीं पर म्युनिसिपैलिटीज़ हैं। उनके पास ये चीजें फन्क्शन करने के लिए उनके एक्ट्स में यह मौजूद है, जिला परिषद् एक्ट या म्युनिसिपल एक्ट के तहत मौजूद है। ये पॉवर्स पहले ही मौजूद हैं इसलिए उसका इस तरीके से रेगुलेशन कि वे रास्ते में न बनायें, सेनिटेशन का ख्याल रखें, यह सब कुछ हो सकेगा। इसलिए टीनेन्सी एक्ट के जरिये ऑथोरिटीज़ को हस्तक्षेप करने का अधिकार, जो लोकल बोडीज के अधिकार हैं, वह उनको नहीं देना चाहिये। डबल जगह इन पावर्स का इस्तेमाल होगा और इससे दिक्कत होगी। रेगुलेशन को प्लान्ड तरीके से करने की जो मंशा है वह इससे पूरी हो जावेगी। इसलिए इसको यहां से निकालने की बात करता हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें क्लॉज (बी) को डिलीट करने की बात माननीय सदस्य ने कही है, इससे मैं सहमत हूं। लेकिन सवाल यह है, जो प्रोविज़ो इस समय है जिसके अन्दर यह बतलाया गया है कि कितनी सीमा तक, कितने क्षेत्र में इम्प्रूवमेन्ट करता है। १५० ए, और रूल्स में बात रखी है इतने से अधिक हो तो एक एकड़। यह सब बतला रखा है। यह किस लिए बता रखा है? इसलिये कि वह प्रोविज़ो विद्यमान है। उसको डिलीट कर दिया है। आप मानते है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

'ए' रह जाय। फिर कुछ टाउन्स में तो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, एन्टायर राजस्थान है उसको किसी न किसी प्रकार रेगुलेट करेंगे तब ही तो रेगुलेट होगा ? अगर रेगुलेट करें तो कितने एरिया में ? जैसे १५०-ए था वह उड़ गया। इम्प्रूवमेंट में मकान ही मकान बना कर कर ले ले या सीमित करना चाहते हैं ५००, १०००, १५०० से ज्यादा न हो। इसलिए वह प्रोविज़न खत्म हो जाने से और 'ए' को रखने से और 'जी' को नहीं रखने से इसको रेगुलेट नहीं कर सकेंगे। किसी काश्तकार को किसी रेगुलेशन में या हस्तक्षेप में डालना चाहते हैं ? एक बार हम रूल्स से रेगुलेट कर देंगे। यहां पर इजाजत की जरूरत है और यहां पर नहीं है। आज भी सीमा बांधना है, म्युनिसिपैलिटी के एरिया को छोड़ कर बाकी के एरिया में इम्प्रूवमेंट की इजाज़त की, परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको विद्ड्रॉ नहीं किया है। म्युनिसिपैलिटी के प्लानिंग को डिस्टरबेन्स न हो तो उनकी राय से देंगे। वैसे आज भी बना सकते हैं। २५० स्क्वायर गज़ या १५० एकड़। तो हम इसको रेगुलेट कर देंगे। परमिशन का सवाल तो उस वक्त भी नहीं आवेगा। इसलिए जो कुछ भी आशंकायें हैं वह नहीं आनी चाहियें और हम हस्तक्षेप को कम करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी राय से क्या म्युनिसिपैलिटीज़ रेगुलेट नहीं कर रही हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिटीज़ और टाउन्स नोटिफिकेशन में आ जायेंगे। इसके सिवाय लोकल बोडीज़ हैं। वह इम्प्रूवमेंट करें तो इजाजत लेनी पड़ेगी। यही तहसीलदार के सामने आ जाता है। वर्ना वहां तो आवश्यक नहीं है। १५० ए, २५० ए, इन रूल्स को समाप्त करके सरल कराना चाहते हैं। लगान वगैरा का भी चक्कर छोड़िये। आज जो रेस्ट्रिक्शन्स हैं उनको इस रेगुलेशन के पॉवर लेकर रेगुलेट करना चाहते हैं। सिम्प्लीफाई करना चाहते हैं, for the convenience of the cultivator and no beneficial in any way to the State.

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं इसलिये वे रेस्ट्रिक्शन कम से कम एरिया में छोटे २ देहातों में एरिया के बारे में भी मुकर्रर करना चाहिये ? २०० की जन संख्या किसी गांव में हो तो कोई आदमी कितनी होल्डिंग रखता है, वह कितना बनाये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यही तो कहा है। उसकी रिक्वायरमेन्ट को देखना है चाहे होल्डिंग छोटी हो। ५००, ७००, १०००, १५०० मुरब्बा गज यह फिक्स करना चाहते हैं, ताकि १५० के चक्कर में न आवे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं कि छोटे गांवों में पहले भी तो बिना रेगुलेशन के मकान ही मकान नहीं बन गये थे। जरूरत थी उतना बनाते। आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं।

Page No.145

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रिक्वायरमेन्ट को देख कर ही यह किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १।५ वाले को हटा रहे हैं। इसके पक्ष में मैं थोड़े ही हूं। इम्प्रूवमेन्ट का पूरा अधिकार दें, उसमें एरिया की पाबन्दी न करें। इसलिये मैं अपने अमेन्डमेन्ट के लिये इन्सिस्ट करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ४ मे माननीय रामानन्दजी अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ४ विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक में अंग रूप मे जोड़ा गया।

(विराम)

खण्ड ५

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) .

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:—

(१) भाग (iii) में नवीन प्रस्तावित उप-धारा (३) के बाद निम्नांकित परन्तुक जोड़ दिया जावे:—

"Provided that no such permission shall be necessary if the Ghair Khatedar tenant holds land on a condition that the Khatedari rights shall accrue or be granted to him after some period on fulfilment of certain conditions or otherwise."

(२) भाग (iii) में प्रस्तावित नवीन उप धारा (४) के बाद निम्नांकित परन्तुक जोड़ दिया जावे:—

"Provided that no such permission shall be necessary for removal of trees for agricultural use if the sub-tenant holds land for more than a year."]

उपाध्यक्ष महोदय, खण्ड ५ में मेरे दो अमेंडमेंट्स हैं। दोनों को मैं साथ ही मूव कर देता हूं। एक तो यह है कि भाग ३ में गैर खातेदार के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट रखा है....

'A Ghair Khatedar tenant may, with the previous permission of the Tehsildar, remove any trees standing on his holding for his own domestic or agricultural use.

गैर-खातेदार टीनेन्ट दो पर्पज के लिये लकड़ी ले सकता है—डोमेस्टिक पर्पज और एग्रीकल्चर पर्पज के लिये।

दूसरा रेस्ट्रिक्शन यह है कि इस पर्पज के लिये तहसीलदार की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस प्रकार खातेदार को राइट

(श्र रामानन्द अग्रवाल)

है उस प्रकार के राइट यहां उनको नहीं हैं । मैं परन्तुक के जरिये जो प्रोविजो जोड़ना चाहता हूं वह इस प्रकार है :

"Provided that no such permission shall be necessary, if the Ghair Khatedar tenant holds land on a condition that the Khatedari rights shall accrue or be granted to him after some period on fulfilment of certain conditions or otherwise,"

मेरा यह निवेदन करना है, इस प्रोवीजो के जरिये ऐसा गैर-खातेदार जिनकी पोजीशन मिड वे हैं, जो स्पेशल तरीके का गैर खातेदार टिनेन्ट है जिसको थोड़े अर्से में कुछ कन्डीशन पूरी होने पर खातेदार बनने वाला है । जो नहरी इलाका है वहां लैंड अलॉटमेंट करते है वे लोग जो पुरुषार्थी हैं रिहेबीलिटेशन एन्ड कम्पेन्सेशन एक्ट के तहत जिनको जमीन का अलॉटमेंट हुआ है इस तरह के लोग है, जिनको लैन्ड रेवेन्यू-एक्ट की तहत अलॉटमेंट हुआ है, इस तरह के लोग हैं उनके लिये दरख्त काटने आदि के लिये मैं मिड-वे सजेस्ट कर रहा हूं । इन पर रेस्ट्रिक्शन रखें लेकिन डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर पर्पज के लिये काट सकें, उनको वेचने के लिये काटने का अधिकार नहीं होना चाहिये । लेकिन इन दो पर्पज के लिये तहसीलदार की इजाजत नहीं लेनी पड़े यह रस्ट्रिक्शन आप हटा दें । पोटेन्शियल खातेदार टीनेन्ट है, उस पर आप रेस्ट्रिक्शन तहसीलदार की आज्ञा लेने की डालेंगे तो जिस प्रकार आम खातेदार टीनेन्ट परेशान हुआ है उसी तरह से ये लोग भी लाखों की संख्या में हैं, ये भी परेशान होंगे । इनको परेशानी से बचाने के लिये मेरा प्रोवीजो को रखने का मुद्दा है ।

दूसरा इस क्लॉज़ में संशोधन है सब टीनेन्ट के बारे में, सब टीनेन्ट को दो पर्पज के लिये अधिकार दिया गया है । एग्रीकल्चर यूज़ और डेमोस्टिक यूज़ के लिये । इन दोनों के लिये यह रस्ट्रिक्शन डाली गई है उसको टीनेन्ट इन चीफ की इजाजत लेनी होगी । वह सब-टीनेन्ट इन चीफ की इजाजत से ही बैठा है; इस स्थिति को तो आप भी स्वीकार करते हैं । लेकिन उसको बहुत आवश्यक कार्य एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये वह किसी भी समय उसको अराइज़ हो सकता है । वह उसके लिये भी उसकी इजाजत लेने जायगा । अगर उसके साथ खराब रिलेशन्स हुए तो उसको इजाजत नहीं मिल सकेगी । Simply because of the dint of his right as a tenant.

अगर उसको ऐसे काम के लिये, एग्रीकल्चर पर्पज के लिये आवश्यकता पड़े तो उसको काटने की इजाजत दी जाय । डोमेस्टिक पर्पज़ के लिये आवश्यक हो तो उसको उसके लिये पर्मिशन ले सकता है; यह आप रख सकते है; लेकिन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिये उसको भी छूट होनी चाहिये । इसमे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी नुकसान होगा, अननेसेसरी हैरसमेंट होगा । ये दो संशोधन हैं । इनको स्वीकार करेंगे ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, दोनों तरमीमों के बारे में थोड़ी देर पहले मैं कह चुका हूं । सब-टीनेन्ट को बिना इजाजत पेड़ काटने की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

इजाजत दे दी जाय तो दुविधा होगी। सरकार ने ऐसा कानून बनाया जमीन किसी एक्स की है और वह किसी को एक साल के लिये सब टिनेन्ट बनाया या दो साल के लिये बनाया, उस छोटे से अर्से में पेड़ काटने की खुली छुट दे दी जायगी तो सारी वेल्थ को डेस्ट्रोय कर सकता है। इसलिये बिना उसकी इजाजत के जिसकी जमीन है काटने की छूट देना न्याय-संगत नहीं होता।

दूसरा गैर-खातेदार के लिये इजाजत तहसीलदार की लेना लिखा गया है वह नहीं रखनी चाहिये, यह माननीय सदस्य ने कहा है। मैंने निवेदन किया जिन लोगों को खातेदारी के अधिकार नहीं मिल जाते हैं वह इसलिये नहीं मिलते हैं कि उन्होंने रुपया जमा नहीं कराया और कई कन्डीशन्स हैं जिनका फुलफिलमेंट होना बाकी है, उसको पहले ही अधिकार देना बिना इजाजत काट ले उसके बाद कन्डीशन फुलफिल नहीं होती है। पेड़ काट कर ले जाय, कन्डीशन पूरी नहीं हो, यह एनोमोली हो सकती हैं। गैर-खातेदार की मिल्कियत है वहां पेड़ काटने के अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये। जब तक वह गैर-खातेदार है तहसीलदार की पर्मिशन से एग्रीकल्चर पर्पज के लिये काट सकता है। जिस तारीख को खातेदार हो जाता है उसके लिये जनरल रूल है एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक दोनो पर्पज के लिये काट सकता है। जो प्रावधान किया गया है उचित है, मैं आपकी तरमीमों से असहमत हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खंड ५ में जो संशोधन श्री रामानन्द ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खंड ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

खण्ड ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड १ अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और नाम विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खण्ड १, अधिनियम सूत्र, प्रस्तावना और नाम विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि तीन तीन माननीय सदस्य खड़े हुए थे। समय की बचत के लिहाज से पांच पांच मिनट का समय निर्धारित कर देता हूं। कुल १५ मिनट में समाप्त हो जावे।

श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट ही काफी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : तब बहुत अच्छा है। दो मिनट पर सब एग्री हो गये हैं।

श्री अब्दुलजब्बार : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट पर सब एग्री हो गये हैं। अब पारित करने के साथ ही जुर्म की नोयत के साथ साथ नीयत का बड़ा महत्व है। जहां तक तारीफ का सवाल है, बिल बहुत अच्छा है। तारीफ करते करते थक गये। ६।। बज रहे हैं। उनकी नीयत राहत पहुंचाने की है। तो आप इसे ५५ से ही लागू कर दें और पेड़ काटने आदि के जितने मुकदमे चल रहे हैं वे विदड्रॉ कर लिये जावें; एक दम इससे किसानों को राहत मिल जावेगी।

दूसरी चीज, मकानों के सम्बन्ध में आदेश देने चाहिये। किसान भोला है देश का भोला-भाला किसान आपके इन कानूनों के बारे में बहुत कम समझता है। अगर आप उसको सही राहत देना चाहते हैं तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आप इसे भी लागू कर दें कि जिन किसी ने जमीन पर रहने का मकान बना लिया है तो वह भी बाइज्जत बरी कर दिया जावे। बाइज्जत उसे कह दिया जावे, तुम देश के किसान हो, देश के अन्नदाता हो, तुम्हें घर बनाने का हक दिया जाता है, तुम आजाद किये जाते हो। अन्यथा यह लूला-लंगड़ा कानून आपका उनको पूरी राहत नहीं दे पावेगा।

मैं तीसरी बात निवेदन करता हूं कि जहां डेवलपमेंट का सवाल आया माईनिंग डिपार्टमेंट रोक लगाता है। किसान कुआ खोदता है। उसे पता नहीं इसमें से क्या निकल रहा है, वह तो पानी निकालने के लिए कुआ खोद रहा है, किसी मिनरल के लिए नहीं खोदता, पर अगर वह मिनरल निकल आता है तो माईनिंग डिपार्टमेंट वाले उसे घेर लेते हैं और उसे मिनरल करार दे दिया जाता है। आज शम्भुपुरा, निम्बाहेड़ा, मांगरबेल आदि अन्य जगहों पर कुओं में से पीली मिट्टी निकली है और उस पर से वहां के किसानों के चालान हुए हैं, हालांकि उनका मकसद यह नहीं था कि मिनरल प्रोड्यूस करें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हजारों मन मिनरल निकाल लें और बेच दें और आप चाहते हैं कि इसकी उनको छूट दे दी जावे। सरकार की रॉयल्टी खा जावें। यह ठीक मानते हैं। आपको मालूम है। बेचने वाले, खरीदने वाले कौन है; मुझे भी पता है। सबको पता है। एक आदमी बैठा हुआ है वहां। माल किसानों से लेता है। लाखों रुपया उसने कमा लिया है। अगर उन के इन कामों को सपोर्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा ? यह तो रॉयल्टी का राज्य का नुकसान होगा।

श्री अब्दुलजब्बार : किसान पानी निकालने की नीयत से कुए खोदता है, निकालने की नीयत से नहीं, और अब अगर उसमें से पीली मिट्टी निकल जाती है तो वह क्या करेगा उसका। बेचेगा नहीं तो क्या करेगा ? तो इसके लिए भी किसान का चालान हुआ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : रॉयल्टी दे सरकार की ।

श्री अब्दुलजब्बार : मैं यह उनकी जानकारी में दे दूं कि माइनर मिनरल में एग्जेम्प्टेड है । टीनेन्सी एक्ट में इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिये ऐसे चालान किये जाते हैं, इन्हें रोका जावे ताकि सही माने में यह राहत पहुंचाने का सिद्धान्त आपका किसान पर लागू हो ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिल तीसरी स्टेज पर है । इस में जो खामियां थीं उनकी तरफ हमने अपना व्यू पोइन्ट सदन में रखते हुए सदन का ध्यान आकर्षित किया हैं, बेशक सरकार ने स्वीकार न किया हो । पर हम समझते हैं कि जिस तरह से सरकार ने आज जिन बातों को उसने स्वीकार किया है, पहले भी इन्कार करती रही थी मानने से । आज दबाव से, किसानों के दबाव से, जनता के दबाव से, किसानों की मांगों के आधार पर कुछ समय के बाद ईन बातों को जैसे स्वीकार किया है वैसे ही दूसरी बातों को भी आगे जाकर सरकार को स्वीकार करना होगा । आज भले ही वे इन्कार कर दें । लेकिन चाहे इन खामियों के द्वारा सही, वे खामियां रहते हुए भी जो इस कानून में प्रोविजन्स हैं वे निश्चित रूप से देश के किसान आन्दोलन की एक भारी जीत है । बहुत अर्से बाद यह कानून पास हुआ और जो टीनेन्ट्स थे मकान में रहने वाले उनके लिये एक फायदा मिला । उन्होंने अपनी एक डिमाण्ड विन ओवर की ।

आज इस दूसरे कानून के जरिये किसान अनेक वर्षों से जिस बात के लिए लड़ रहे थे इसके लिये उन्होंने आज जीत हासिल की और मैं समझता हूं इसी तरह से राजस्थान का किसान आन्दोलन, इसी तरीके से एकताबद्ध होकर आगे बढ़ेगा तो चाहे सरकार कितनी भी कठोर हो, कितनी भी नामन्जूर करने के मूड में हो, उसे उसके सामने झुकना पड़ता है और आज के ये कानून जो सदन में पास हो रहे हैं इस बात के जीते जागते सबूत हैं । यह सरकार इन सहूलियतों से लगातार १५ वर्षों से इन्कार करती रही पर आखिर उसे इन मांगों को झुक कर स्वीकार करना पड़ा जनमत के सामने ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इन कानूनों के पहले न होने की वजह से जो केसेज आज भी कोटा में किसानों के खिलाफ चल रहे हैं और जिन केसों की बिना पर आज तक लोग परेशान हो रहे हैं अदालतों में यह इसका लोजिकल कन्क्लूजन है, सरकार का फर्ज है कि वह उन तमाम केसेज को ड्राप करा दे या विड्ड्रा करा दे ताकि इन कानून के अभाव में जितने भी लोगों को परेशान होना पड़ा उनकी यह परेशानी खत्म हो जावे ।

इसके अलावा दूसरे इस प्रश्न पर भी सरकार विचार करे, कि यह जो जमीनें नॉन-एग्रीकल्चर हो जाती हैं उसका अभी तक आपके प्रावधान में लैंड रेवेन्यू वसूल होता है तो नॉन-एग्रीकल्चर लैंड वास्तव में रेजीडेन्शियल लैंड बन जाता है, उनको लैंड रेवेन्यू से मुक्त करने के बारे में भी विचार करके आइन्दा इस कानून में इस सम्बन्ध में भी संशोधन लावे ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री नाथूलाल करौत (चाकसू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी (अमेन्डमेंट) बिल, १९६५ पारित होने जा रहा है। मैं इसका हार्दिक स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें काश्तकार को मकान, बाड़ा बनाने व लकड़ी काटने की भी छूट दी है और यह स्वागत योग्य है। पर सबसे अधिक कठिनाई यह सामने आवेगी कि काश्तकार को जमीन जोत की अधिकतम सीमा से नीचे है; पर्पज़ एग्रीकल्चर हो, डोमेस्टिक हो और कई किस्म की है। पर अब क्या हो रहा है कि जब उसकी जमीन में दरख्त बहुत हो जाते हैं, काश्त जोतने में उसको कठिनाई होती है, काश्त पैदा नहीं हो सकती है, अनाज पैदा होने में पेड़-पौधों से कठिनाई आती है तो काश्तकार उनको काट कर बाजार में बेचने की कोशिश करेगा। यह हो नहीं सकता कि काश्तकार अपनी लड़कियों को बिलकुल साफ ही कर दे। कोई भी काश्तकार ऐसा बेवकूफ नहीं होगा कि तमाम पेड़ों को काट कर खत्म कर दे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पर जब वह उन लकड़ियों को बेचने के लिये बाजार में जावेगा तब एक डिफिकल्टी सामने आवेगी। वह फोरेस्ट एरिया में से होकर उस लकड़ी को लेकर नहीं गुजर सकेगा। गुजरेगा तो नाकेदार फोरेस्ट का उसे परिशान करेगा। यह समस्या पैदा होगी। तो इस तरह से उसकी उलझन अब भी मिटी नहीं है। फोरेस्ट एक्ट के अन्दर ऐसा है कि जब भी काश्तकार चाहे अपनी खुद की लकड़ी ही क्यों न हो, लेकर उनके एरिया में से होकर निकलेगा तो फोरेस्ट नाकेदार उसको रोकेगा और उससे कहेगा कि यह हमारी लकड़ी है चाहे वह बबूल खेजडे की ही क्यों न लावे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ज्यादातर काश्तकारों के यही लकड़ी होती है। हां, रोज़ धोक लावे तो नाकेदार रोक सकता है पर खेज़ड़ा बबूल लावे तो उसको रोकने को बाध्य न किया जावे। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि अगर इस तरह से लकड़ी लावे तो उसको न रोका जावे।

बाकी मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि इस बिल को जल्दी से जल्दी पारित किया जावे और कानून को अमल में बहुत जल्दी लाया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो और कोई नहीं बोलने वाले हैं।

श्री किशनसिंह बाटड : हमारी तरफ से भी किसी को बोलना चाहिये, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, चलिये इसके पश्चात् रिप्लाई होगा। अगर आवश्यक हुआ तो।

श्री किशनसिंह बाटड़ (लक्ष्मणगढ़) ; उपाध्यक्ष महोदय, जिस मामले में

(श्री किशनसिंह बाटड)

यह बिल पास हुआ है, उससे सम्बन्धित जितने भी जुडिशियल केस किसानों पर आज चल रहे हैं वे विद्ड्रॉ कर लिये जावें।

(विराम)

जिन किसानों ने अपनी जमीन में मकान बना रक्खे हैं, उन पर से भी केस विद्ड्रॉ हो जाने चाहिये और मैं इसके बाद बिल के लिये सरकार को धन्यवाद देता हूं और आज कांग्रेस ने जैसी कोशिश की कांग्रेस का वह आन्दोलन सफल रहा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कांग्रेस ने नहीं किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, तृतीय वाचन के सम्बन्ध में २-३ मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बिल्कुल संक्षेप में। यहां पर यह कहा गया कि बहुत वर्षों के बाद आज जन-आन्दोलन की जीत हुई है। दरअसल यह प्रश्न न आन्दोलन का है....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इसका उत्तर नहीं चाहते हैं। मुकदमे वाली बात का चाहते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस जनहित के कार्य में कितनी दिलचस्पी लेती है, कितनी सिन्सियरिटी और दयानतदारी से कॉन्टेक्ट में जो लोग आते हैं और रोजमर्रा की कठिनाइयां सामने आती हैं समय समय पर उनका अध्ययन कर समय समय पर किस प्रकार से उनको हल करने की कोशिश करती है, उसका यह एक प्रमाण है।

(विराम)

इसमें न जीत का सवाल है और न हार का सवाल है और न आन्दोलन का सवाल है।

यहां पर दो-तीन मुद्दे उठाये गये हैं कि ज्युडीशियल केसेज़ विद्ड्रॉ कर लिए जायं तो इसके बारे में माननीय सदस्य स्वयं ही सोच सकते हैं कि इसके सम्बन्ध में मैं क्या कह सकता हूं।

दूसरी बात यह कही गई कि जिनके रेग्यूलराइज़ेशन के केसेज़ चल रहे हैं उनका क्या किया जाय? क्या वे भी इसकी सीमा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? यह सारे मामले हैं जिनके बारे में स्पष्ट इस समय नहीं कह सकता हूं कि कितनी अड़चनें उसमें हल हो सकती हैं या नहीं। ये सारे मामले ऐसे हैं कि आज इस समय इस सम्बन्ध में कुछ नहीं अर्ज कर सकूंगा।

साथ ही साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है, एप्रिशियेट भी किया है कि इसके पीछे क्या भावना है। इसके लिए मैं उनका आभार प्रदर्शित करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस बिल को पारित किया जाय।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Accordingtothe solemn approval of the House.

I put the motion.

प्रश्न यह है कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६५ पारित हुआ।

सदन की बैठक कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म. प. ६.४२ बजे, दिनांक २ अप्रेल, १९६५ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

सिंचाई कार्यों पर व्यय

६८०. श्री नत्थीसिंह (गोविन्दगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में सिंचाई से कार्यों में कितना द्रव्य खर्च हुआ ? प्रत्येक जिले में व्यय की गई धन-राशि एवं कार्य बतानेकी कृपा करें ?

(२) सिंचाई के लिए किये गये निर्माण कार्यों में प्राथमिकता किस आधार पर निर्धारित की गई है ?

उत्तर

(१) सिंचाई के कार्यों पर द्वितीय पंच वर्षीय योजना-काल में २१४८.०८ लाख रुपया खर्च हुआ। पृथक २ जिलेवार वृहत व मध्यम तथा लघु सिंचाई कार्यों की सूची संलग्न है।

(२) सिंचाई के कार्यों के निर्माण की प्राथमिकता विशेष रूप से जल की उपलब्धि सिंचाई योग्य क्षेत्र योजना स्थल के समीप उपलब्ध होने, बांध बनाने के योग्य स्थान की प्राप्ति, निर्माण योग्य सामग्री के उपलब्ध होने, कम व्यय से अधिक आय के होने आदि पर निर्धारित की गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

गंगानगर जिले की जन-संख्या में वृद्धि

६८१. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या मंत्री कोलोनाइज़ेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान राज्य के गंगानगर जिले की जन-संख्या में १९५१ से १९६१ के बीच कुल कितनी वृद्धि हुई ?

(२) क्या यह सही है कि पंजाब राज्य से काफी संख्या में भूमिहीन किसानों के रूप में कृषि भूमि प्राप्ति हेतु लोगों के आने से भी जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ? अगर हां, तो क्या ऐसे लोगों को, जो राजस्थान के निवासी नहीं थे, नियमों के अनुसार कृषि भूमि एलॉट की जा सकती थी ? अगर नहीं, तो क्या सरकार भाखरा नहर क्षेत्र के भूमिहीनों के तौर पर जिनको जमीन एलॉट हुई है उसके सम्बन्ध में जांच कराने को तैयार है ?

उत्तर

(१) ४०७३२० की वृद्धि हुई है।

(२) हो सकता है कि पंजाब से राजस्थान में कुछ लोग आये हों। पर ऐसे लोगों को, जो राजस्थान के निवासी नहीं थे, नियमों के अनुसार कृषि भूमि अलॉट नहीं की जा सकती। भाखरा नहर क्षेत्र में भूमिहीनों

(श्री कोलोनाइजेशन मंत्री)

को जो जमीन अलॉट हुई है वह राज्य सरकार द्वारा पारित किए गये नियमानुसार की गई है।

लसाड़िया तहसील की सोप स्टोन की खानें

६८२. श्री उदयलाल वर्दिया (लसाड़िया) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लसाड़िया तहसील के भरकुण्डी गांव में कोई सोप स्टोन की माइन्स किसी प्राइवेट पार्टी द्वारा चलाई जा रही है ? यदि हां, तो उसमें कितने श्रमिक कार्य करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त माइन्स के मजदूरों को नियमानुसार सुविधा नहीं देकर उनका शोषण किया जा रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त माइन्स से श्रमिकों को आठ-आठ माह तक मजदूरी का चुकारा नहीं होता है और पुराने श्रमिक जो शुरू से काम पर लगे हुए थे, उन्होंने नियमानुसार सुविधा की बात की तो उन्हें निकाल दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि महिला श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता है ?

(५) मजदूरों की कठिनाइयों सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र श्रमिक विभाग में पेश होने पर वहां श्रम अधिकारी कितनी दफा मौके पर गये हैं और क्या क्या सुविधायें उन्हें दिलाई हैं ?

उत्तर

(१) जी हां, श्री बंशीलाल चौधरी, उदयपुर द्वारा सोप स्टोन की माइन्स लसाड़िया तहसील गांव भरकंडी में चलाई जाती है, जिस पर औसतन ३० श्रमिक कार्य करते हैं।

(२) श्रमिकों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाती हैं :—

(अ) सप्ताह में एक दिन सवेतन अवकाश दिया जाता है।

(ब) दैनिक कार्य अवधि में १ घंटे विश्राम दिया जाता है।

(स) पानी पिलाने की व्यवस्था है।

(द) विश्राम के लिए व्यवस्था है।

(भ) एक रेडियो सेट मनोरंजनार्थ मौजूद है।

गत ३ वर्षों में श्रमिकों को निम्न दर पर रखे जाना पाया जाता है :—

(अ) पुरुष श्रमिकों को प्रतिदिन १.५० रु०

(ब) महिला श्रमिकों को प्रतिदिन १.१२ रु०

(३) जी हां, यह सत्य है कि इस पार्टी ने कई महीनों की मजदूरी के चुकारे समय पर नहीं किये और छः आठ माह बाद श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय), अजमेर के द्वारा आक्षेप होने पर चुकारे किये।

(श्री खनिज मंत्री)

किसी श्रमिक अथवा श्रमिकों को उचित मांग करने पर निकाल दिए जाने की कोई घटना जानकारी में नहीं आई है।

(४) गत तीन वर्षों में महिला श्रमिकों को १.१२ रु० प्रति दिन की दर से चुकारा किया गया है, जो उचित होता है।

(५) श्रम निरीक्षक (केन्द्रीय) गत वर्षों में दो बार दिनांक १२–१२–६२ तथा १०–४–६४ को माइन्स पर निरीक्षण के लिए पहुंचे और उनके द्वारा दोनों समय पर श्रमिकों को बढ़ा हुआ वेतन बहुत परिश्रम पूर्वक प्रयत्न करके दिलाया गया है।

रॉयल्टी का ठेका

६८३. श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६५-६६ का ठेका रॉयल्टी तहसील निम्बाहेड़ा का नीलाम नहीं किया जायेगा तथा सरकार खुद काम चलायेगी ?

(२) क्या यह सही है कि इसके लिए नाके कायम किये जायेंगे ? यदि हां, तो कितने तथा कहां कहां और उन पर स्टाफ किस योग्यता का रखा जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां, राजस्थान सरकार ने गत वर्ष यह निर्णय किया था कि जिन स्थानों पर रॉयल्टी वसूली के ठेके ५०,००० या उसके अधिक धनराशि में दिये हुए हैं वहां पर वसूली का कार्य विभाग द्वारा किया जाय। इस निर्णय के अंतर्गत मांडलगढ़ व पिपादूसर क्वेरीज में रॉयल्टी वसूली का कार्य विभाग द्वारा गत वर्ष प्रारम्भ कर दिया गया।

निम्बाहेड़ा का ठेका पहिले से ही ३१-३-६५ तक का दिया हुआ था अतः वहां पर विभाग द्वारा रॉयल्टी वसूली का कार्य उपरोक्त निर्णय के अन्तर्गत १–४–६५ से चालू किया जायगा।

(२) जी हां, बड़ी खानों पर ११ नाके, जिनके नाम नीचे अंकित किये जाते हैं, खोले जायेंगे :—

(१) सोढ़ीप (२) बिनाला (३) टाटरमाला (४) सालरमाला (५) माणी मगरी (६) भारेला (७) मंडला (८) माताजी (९) सेगया (१०) पीपल्या (११) वहीरपुरा।

इसके अतिरिक्त छोटे २ खानों पर जो नाके खोले जायेंगे उनके नाम निम्न प्रकार हैं :—

(१) निम्बाहेड़ा में ४—(१) रानीखंडा (२) विश्रामघाट दरवाजा (३) कासोद (४) पुरामहिरामा

(२) निम्बाहेड़ा के बाहर ४:—

(श्री खनिज मंत्री)

(१) मिन्हाना कनाईयों का (२) फुलमिया (३) मरचाढ़ा (४) आमनियां।

इसके अतिरिक्त निम्बाहेड़ा पर दो गश्ती नाके खोले जायेंगे।

इन पर जो स्टाफ रखा जावेगा वह मैट्रिक पास व कम से कम मिडल पास होगा।

बगीदा पंचायत के सरपंच द्वारा भूमि का अलॉटमेंट

६८४. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील सपोटरा में बगीदा पंचायत के सरपंच ने अपने परिवार के बच्चे व बच्चियों के नाम कितनी कितनी जमीन गत दो वर्षों में एलॉट कराई है?

(२) क्या यह सही है कि सरपंच के नाम पहिले भी काफी जमीन है?

(३) क्या यह सही है कि फिर भी अपने नाम और जमीन एलॉट कराई है?

(४) क्या यह सही है कि जमीन एलॉट कराने के बाद उसमें काश्त नहीं की है?

(५) क्या यह सही है कि उस जमीन में गांव वालों की मवेशी चरने जाती है तो उनसे चराई ली जाती है?

(६) क्या यह सही है कि एलॉट-शुदा जमीन को डाबरा के मीणाओं को चरागाह के लिये बेचा है? यदि हां, तो उक्त सरपंच के खिलाफ क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो अब तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

उत्तर

(१) तहसील सपोटरा में बगीदा पंचायत के सरपंच ने अपने परिवार के २ बच्चों के नाम २० बीघा व २ बच्चियों के नाम २० बीघा, कुल ४० बीघा भूमि दो वर्षों में एलॉट कराई है।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) २८॥ बीघे में काश्त की है बाकी में नहीं।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं।

अधिक अन्न उपजाओ योजना और भूमि का अलॉटमेंट

६८५. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगानगर जिले में सरकार द्वारा अधिक अन्न उपजाओ योजना के तहत १९५७–५८ से १९६४–६५ तक किन किन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लोगों को एवं सहकारी समितियों को या कम्पनियों के नाम से मुरब्बे अलॉट हुए हैं ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें ?

(२) इस प्रकार एलॉट की गई भूमि किन किन लोगों के कब्जे में है एवं वास्तव में किन किन को भूमि का एलॉटमेन्ट हुआ है ?

(३) क्या उपरोक्त अलॉट हुए मुरब्बे में अलॉटीज़ को खातेदारी हकूक दे दिये गये हैं या दिये जाने के कागजात चल रहे हैं ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सवाई माधोपुर सीमेन्ट उद्योग व कर्मचारियों के क्वार्टर्स

६८६. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सवाई माधोपुर सीमेन्ट उद्योग में कितने श्रमिक पर्मानेन्ट हैं और कितने टेम्पोरेरी हैं ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार की ओर से श्रमिक कोलोनी का निर्माण करवाया गया है ? यदि हां, तो कितने क्वार्टर्स कब तैयार करवाये गये व उन पर कुल कितनी रकम खर्च की गई और अब कुल कितने मजदूरों ने उनमें रहना प्रारम्भ कर दिया है और कितने अभी तक खाली पड़े हुए हैं ? खाली रहने का क्या कारण है ?

उत्तर

(१) इस फैक्ट्री में १५६० श्रमिक पर्मानेन्ट और ६१ श्रमिक टेम्पोरेरी हैं।

(२) जी हां, सरकार द्वारा श्रमिक कोलोनी का निर्माण हुआ इसमें १५० एक कमरे वाले मकान व ५० दो कमरे वाले मकान तैयार किये गये और १-१०-६३ को पूर्ण हुए। इन पर दिसम्बर, ६४ तक ७.६४ लाख रुपये खर्च हुए और जनवरी ६५ तक इनमे १८८ मजदूरों ने रहना प्रारम्भ कर दिया और केवल ८ मकान खाली (४ एक कमरे वाले मकान, ४ दो कमरे वाले मकान) हैं। खाली रहने का कारण यह है कि कोलोनी में बिजली व पानी की उपयुक्त व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके लिए प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

राजस्थान नहर के लिफ्ट एरिया में भूमि का अलॉटमेन्ट

६८७. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या मन्त्री, कालोनाइज़ेशन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजकीय विज्ञप्ति सं० एफ० ६ (१६) रेवेन्यू बी। ५८ आई० सी० जी०। आर० सी० पी०

(श्री भीमसेन)

डी० । ६१ दिनांक १३-४-६१ द्वारा राजस्थान नहर के लिफ्ट एरिया में (यथा लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसील में) पिछले वर्ष तक ५ साला आधार पर भूमि आवंटन की जाती रही है ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के लिये उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर ने अपने पत्र संख्या एफ० ५ (जन ५८२) कोल । ६१.२५१ दिनांक ११-१-६३ द्वारा आरजी काश्त पर दिये जाने के लिये भूमि आवंटित करने की रोक लगा दी है ? अगर हां, तो उपरोक्त विज्ञप्ति के प्रभावशील होते हुए उपरोक्त आज्ञा, प्रसारित करना कहां तक उचित है ?

(३) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के लिफ्ट एरिया के लिये कोई योजना अभी तक नहीं बनाई गई है और न सरकार निश्चित रूप से यह कहने की स्थिति में ही है कि इस योजना की क्रियान्विति कब से प्रारम्भ होगी ?

(४) ऐसी अनिश्चित स्थिति में काश्तकारों को कृषि भूमि आवंटित न करना कहां तक वाजिब है ?

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र में सरकारी बन्जड़ जमीन बहुतायत से उपलब्ध है जो काबिल काश्त है और जिसको कृषि हेतु देने से जरूरतमन्द किसानों की बेरोजगारी दूर होगी, पैदावार बढ़ेगी, तथा सरकारी आमदनी भी बढ़ेगी ? अगर हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में पूर्ववत् भूमि आवंटित करने के आदेश जारी करेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) फिलहाल तहसील लूणकरणसर, बीकानेर व कोलायत (भगरा) के कुछ गांवों को लिफ्ट द्वारा सिंचित करने की सरकार की योजना है । सिंचाई विभाग के कार्यक्रम के अनुसार १९७०-७१ से राजस्थान नहर द्वारा लिफ्ट क्षेत्र में सिंचाई प्रारम्भ की जा सकेगी ।

(४) जो काश्तकार पहले से काश्त करते आ रहे हैं उन्हें आरजी-काश्त पर नवीनीकरण मन्जूर किया जा रहा है यदि नये आवन्टन शुरू कर दिये जावेंगे तो सरकारी भूमि बहुत ही कम रह जायेगी जिससे योजना का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा और सरकार को काफी आर्थिक नुकसान भी होगा । यदि काश्तकार भूमि प्राप्त करने के उत्सुक हों तो उन्हें भी एक साल के लिये आरजी-काश्त पर सालाना भूमि नीलाम की जा सकती हैं ।

(५) राजस्थान केनाल के निर्णय के बारे में राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के बीच में बातचीत चल रही है । अन्तिम निर्णय होने पर ही इस पर विचार किया जा सकेगा ।

जयपुर के बाढ़ पीडितों को सहायता

६८८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जयनारायण मालोदिया)

(१) जयपुर के आसपास की आबादी में अगस्त सन् ६४ में अति वर्षा के कारण कितने परिवार बेघरबार हो गये ? कुल मिलाकर कितने रुपयों का नुकसान हुआ और कितने आदमी मरे ?

(२) बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार ने किस किस प्रकार की कितनी सहायता दी है ?

उत्तर

(१) जी हां। अगस्त सन् १९६४ में अति वर्षा के कारण जयपुर के आसपास की आबादी में २२ परिवार बिल्कुल बेघर-बार हो गये जो निम्न प्रकार है :

क्षेत्र का नाम	परिवार संख्या.
१. नारी का नाका	२०
२. किशनबाग	१
३. करतारपुरा	१
योग	२२

(२) दिनांक २४ अगस्त सन् ६४ को भीषण वर्षा से नगर की कच्ची बस्तियों में विशेषत नारी का नाका, स्यामियों की बस्ती, वड़ोदिया, बस्ती बाईस गोदाम, कच्ची बस्ती, गंगा टाकीज के पीछे हाथी टीबा बस्ती, अमृतपुरा, हरीजन बस्ती आदर्शनगर, किशन बाग, करतारपुरा, हाथी बाबू का अहाता, लालजी का अहाता आदि स्थानों में बसी हुई बस्तियों में परिवारों की झोपडियों के ढहने व बर्तन आदि के बहने से नुकसान पहुंचा है।

सरकार की ओर से इन क्षेत्रों के आपद्ग्रस्त लोगों को ठहरने और खाने की समुचित व्यवस्था पारीक कॉलेज, पंचायती धर्मशाला, स्टेशन रोड, फूस का बंगला, खन्डेलवाल स्कूल, मुस्लिम हाई स्कूल आदि स्थानों पर की गई एवं जिलाधीश कार्यालय में कन्ट्रोल रूम चालू किया गया।

अभावग्रस्त लोगों की देख-भाल तथा खाने की व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त किये गये। लोगों की चिकित्सा सुविधा के लिए चल-चिकित्सा वाहन की भी व्यवस्था की गई।

सिके हुए १० मन चने और ३ मन गुड़ व ६६ मन १५ सेर ४ छटांक आटे की पुड़ियां, सब्जी, आचार व आटा अभावग्रस्त लोगों को इस आपत्तिकाल में वितरण कराया गया।

मुख्य मंत्री महोदय के रिलीफ फन्ड से १००० रुपये सहायतार्थ वितरण करने को दिया गया।

कुओं आदि की सफाई के लिए व भवन निर्माण के लिए तकावी ऋण ११०००० रु० तहसील जयपुर को सहाय-तार्थ दिये जाने हेतु अलॉट किये गये। ५० टन (७०००) चद्दरें अभाव-ग्रस्त व्यक्तियों को दिये जाने के लिए तहसीलदार जयपुर को दी गई, जिनका वितरण तहसील द्वारा आपत्ति ग्रस्त लोगों को करीब करीब दिया जा चुका है। अभाव-ग्रस्त १७५३ व्यक्तियों को १७९४८.७७ न. पै. के रूप में नगद सहायता दी गई।

(श्री राजस्व मंत्री)

पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी का इन्तजाम सुरक्षा हेतु किया गया और जिन स्थानों पर पानी इकट्ठा हो गया था, उस पानी को निकालने के लिए म्युनिसिपल कर्मचारियों का विशेष इन्तजाम किया गया व फायर ब्रिगेड को तुरन्त स्थल पर भिजवाया गया।

आपद्ग्रस्त लोगों को बसाने के लिए ५०० प्लॉट नगर विकास मंडल द्वारा अलॉट किये जाने हेतु रिजर्व करने का प्रश्न विचाराधीन है।

भूमि आवंटन कमेटी, सांचोर द्वारा अलॉटमेंट तथा उस भूमि का कब्जा

६८६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सच है कि पटवारी खेजड़ियाली ने जिन शख्सान को भूमिहीन काश्तकार बता कर भूमि आवंटन कमेटी सांचोर द्वारा इजाजतें दिलवाई थीं, उन शख्सान का इजाजतशुदा भूमि पर वास्तविक कब्जा नहीं कराया ? अगर हां, तो उक्त पटवारी के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई है ?

(२) क्या यह सच है कि भवानड़ा क्षेत्र पटवार हल्का खेजड़ियाली में इजाजतें दूसरों के नाम की हासिल की गई हैं और वास्तविक कब्जा व काश्त दूसरे शख्सान के नाम है ? क्या सरकार इजाजतशुदा भूमिहीन काश्तकारों का वास्तविक कब्जा उपरोक्त भूमि पर कराने की व्यवस्था करेगी ? अगर हां, तो ऐसा कब तक कर दिया जावेगा और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सच है कि पटवारी खेजड़ियाली ने भी दूसरे शख्सान के नाम की इजाजतें हासिल करके खुद ने हाकड़ा बांध के पास अच्छी भूमि पर काश्त करवाई है ? अगर हां, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। जो जो व्यक्ति उनके पास आये उनका कब्जा करा दिया गया है; जो व्यक्ति उपस्थित नहीं हुये हैं उनका कब्जा नहीं कराया गया है।

(२) तहसील सांचोर के भवातडा क्षेत्र के हाकड़ा बांध के आस-पास जिन भूमिहीनों को तहसील भूमि आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई उसकी सूची संलग्न है। यह सच नहीं है कि भवातडा क्षेत्र पटवार हलका खेजड़ियाली में इजाजतें दूसरों के नाम की हासिल की गई हैं और वास्तविक कब्जा व काश्त दूसरे व्यक्तियों के नाम है।

(३) इस विषय में जांच जारी है।

(सूचि विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण-गुरुवार, दिनांक, १ अप्रेल, १९६५)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
६७७१	१०	श्री रामप्राद	श्री रामप्रसाद
,,	१७	कार्यवाही	कार्यवाही
६७७२	२१	कुमारी उमा माथर	कुमारी उमा माथुर
६७७६–			
६७७७	शीर्षक	अप्रेल	अप्रेल
६७८०	६	दृष्टि स	दृष्टि से
,,	शीर्षक	अप्रेल	अप्रेल
६७८३	१३	कम स कम	कम से कम
६७८५	१	एडवाइजर	एडवाइजर
६७८६	१९	किसकी ोर	किसकी थी ओर
६७८७	३	उप मंत्री राजस्व	उप-मंत्री, राजस्व
६७८८	अन्तिम से २	श्र रघुनाथ	श्री रघुनाथ
६७८९	१५	सोडा	लसोडा
६७९२	२१	स	इस
६८०१	२१	श्री बरकतुल्लां	श्री बरकतुल्लाखां
६८०५	१६	फलक्चुएट	फ्लक्चुएट
६८१०	शीर्ष	—	(श्री दिनेशराय डांगी)
६८१४	७	श्री जयनारायण सालोदिया	श्री रामप्रसाद लड्ढा
६८१६	१२	डिमिप्लिनरी	डिसिप्लिनरी
,,	१३	अ द	अंदर
,,	अन्तिम से ४	सलरी	सैलरी
६८३४	२३	गभीर	गंभीर
६८३७	अन्तिम से ६	के प्रयोग से	के प्रकोप से
६८३८	१४	म्युनीसपैलिटी	म्युनिसिपैलिटी
६८४५	१६	व्यवस्थाठी क	व्यवस्था ठीक
६८४६	अन्तिम से २	पर ी	पर भी
६८४८	६	इतता	इतना
६८५२	शीर्ष	(श्री दुर्गालाल बढ़दोर)	(श्री अध्यक्ष)

१	२	३	४
६८५६	१०	सुविधायों अज	सुविधायें आज
६८६२	अन्तिम से १	कहन	कहना
६८६६	७	द	दें
६८६८ —			
६८६९	शीर्षक	(अधिकायों	(अधिकारियों
"	"	(स ोधन)	संशोधन
६८६९	२५	विटनस	विटनेस
६८७२	७	लोकसन्त्र	लोकतन्त्र
६८७६	२३	स्टेटिस्टक्स	स्टेटिस्टिक्स
६८८०	२०	रिपोर्टहो ती	रिपोर्ट होती
६८८५	२७	चाहता है	चाहता हूं
६८८९	१९	आ है	हुआ है
६८९१	२६	अश्वासन	आश्वासन
६९१४	शीर्ष	श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)	(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
६९२७	शीर्षक	स ोधन)	(संशोधन)
६९३२	१०	वित्ड़ों	विद्ड़ों
६९४१	११	मालों	वालों
६९४५	१०	विनर्श एबं	विमर्श एव
६९४९	२१	Ccurt	Court
६९५१	२६	प्रॉविजो	प्रोविज़ो
६९५३	२९	तो जावेगा	हो जावेगा
६९५७	अन्तिम से ३	कीह ष्टि	की दृष्टि
६९७९	२२	(बनोड़ा)	(बनेड़ा)
६९८०	शीर्ष	(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)	(श्री उपाध्यक्ष)
६९९०	१९	टेंनेन्सी	टीनेन्सी
६९९२	७ व १२	टेंनेन्सी	टीनेन्सी
६९९३	२३ व २९	टेंनेन्सी	टीनेन्सी
६९९७	७	धोषित	घोषित
७०००	२३	खातेयार	खातेदार
७००१	शीर्षक	१९५६	१९६५
७००५	२८	की तरफ	की तरफ का

१	२	३	४
७००५	२६	मानसिह् का को	मानसिह् को
७००७	शीर्षक	विधेाक	विधेयक
,,	अन्तिम से ४	किं	कि
७००८	शीर्षक	राजरथान	राजस्थान
७००९	८	ओंर्डर	ऑर्डर
,,	२४	शकार्ये	शंकायें
७०१३	शीर्षक	विधेयक	विधेयक
७०१४	शीर्ष	लढड्ा	लड्ढा
७०१६	२४	भीकि या,	भी किया
७०२८	शीर्ष	श्री रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
७०३८-३९	शीर्षक	१ अप्रल	१ अप्रेल
७०५५	६	१५ ०,	१५० ए,
७०५६	१७	बनें	बने
७०५८	शीर्ष	(श्र रामानन्द अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
७०६१	शीर्षक	संशोघन	(संशोधन)
७०६७	,,	(संशोधन	(संशोधन)
,,	अन्तिम से २	बाटड़	बाटड़
७०६८-६९	शीर्षक	अप्रल	अप्रेल
७०७०	३	Accordingtothe	According to the
७०७३	अन्तिम से ३	जोर ाजस्थान	जो राजस्थान
७०८१	२६	कालोनाइज्जेशन	कोलोनाइजेशन